राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 5] बारहवीं विधान सभा के पांचवें सत्र का ग्यारहवां दिवस [संख्या : 8

शुक्रवार

10 मार्च, 2006

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे विधान सभा भवन,

जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्रीमती सुमित्रा सिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष: श्री शंकर सिंह राजपुरोहित।

गौवध/तस्करी की रोकथाम हेतु कार्य-योजना

124. श्री शंकर सिंह राजपुरोहित (आहोर): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राज्य में गौवध एवं गौ तस्करी पर रोक होने के बावजूद भी गौवंश राज्य के सीमावर्ती क्षेत्र गुजरात सीमा से महाराष्ट्र आदि राज्यों की तरफ कटने के लिए जाते हैं?

(2) राज्य में गौवध एवं गौ तस्करी से संबंधित विगत पांच वर्षों में कितने मामले पुलिस थानों में दर्ज हुये? इनमें लिप्त व्यक्तियों व वाहनों के संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई तथा कितने पशु कब-कब पकड़े गये? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार गौवंश की तस्करी के उपयोग में लाये जाने वाले वाहनों पर आबकारी नियम 69/4 के तहत वाहन को जब्त कर उसकी 50 प्रतिशत राशि जमानत पर रखने एवं वाहन चालक तथा उसके वाहन मालिक को भी दण्डित करने का नियम बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

गृह मंत्री (श्री गुलाब चन्द कटारिया): (1) यह सही है कि गुजरात सीमा से लगने वाले जिलों सिरोही, जालोर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा एवं उदयपुर से गौवंश राज्य की गुजरात की सीमा से महाराष्ट्र आदि राज्यों की तरफ अवैध निर्यात कर ले जाने की घटना की शिकायतें आती हैं।

(2) राज्य में विगत पांच वर्षों में गौवध के कुल 351 अभियोग एवं

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

गौवंशीय पशुओं के अवैध निर्यात के 992 अभियोग दर्ज हुए हैं। इन अभियोगों में लिप्त 3333 व्यक्तियों के खिलाफ न्यायालय में चालान प्रस्तुत किये गये तथा 604 वाहनों को भी वजह सबूत में जब्त किया जाकर अदालत के निर्णय अनुसार कार्यवाही की गई। गौवंशीय पशुओं के अवैध निर्यात के संबंध में पकड़े गये 24871 पशुओं की सूचना जिला वार एवं वर्ष वार परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(3) राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थाई प्रवर्जन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम, 1995 के अन्तर्गत कारित अपराध के लिये उपयोग में आने वाले वाहन को आबकारी नियम के तहत जब्त करना विधि सम्मत नहीं होगा। आबकारी अधिनियम की व्यवस्था के अनुरूप राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थाई प्रवर्जन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम, 1995 में अपराध के लिये उपयोग में लाये जाने वाले वाहनों को जब्त करने बाबत प्रावधान नहीं है। अधिनियम में संशोधन का अभी काई प्रस्ताव राज्य सरकार के समक्ष नहीं है।

(सूचना पुस्तकालय में रखी गयी)

श्री शंकर सिंह राजपुरोहितः मान्यवर, अध्यक्ष महोदय, प्रश्न बड़ा मार्मिक एक राष्ट्रीय अस्मिता से जुड़ा हुआ प्रश्न है और मैं यह मानूंगा कि यह सदन पूरा राजस्थान के उस गौवंश को बचाना चाहता है जो गौवंश अवैध रूप से तस्करी के माध्यम से कटने के लिए जाता है। गाय हमारी माता है और उसे बचाना हमारा एक धर्म बन जाता है इसलिए मैं प्रश्न के माध्यम से आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह निवेदन करूंगा कि एक तो बॉर्डर पर जो ये बार्डर के थाने हैं उस पर सीमा पर एक अलग से ऐसी पुलिस फोर्स बनाने की इच्छा रखते हैं जो पुलिस फोर्स इस प्रकार की तस्करी को रोक सकती है और दूसरा यह जो जब्त वाहन हैं माननीय अध्यक्ष महोदया, 2003 में मंडार पुलिस थाना जो सिरोही विधान सभा क्षेत्र में आता है और उस थाने में 2003 में एक ट्रक को 10 दिन में तीन बार पकड़ा गया मतलब पांच-दस हजार रुपये देकर वो ट्रक छूट जाता है यह एक गौवंश के साथ अन्याय हुआ है। दस दिन में तीन बार छूट गया तो यह घटनाएं कितने ये तो रिकार्ड में आयी हुई है बिना, रिकार्ड में आयी हुई घटनाएं कितनी हैं। मतलब यह हमारे ऊपर कितना बड़ा महापाप लगा है कि हमारे होते हुए इतना गौवंश कटने के

(श्री शंकर सिंह राजपुरोहित)

लिए जाता है तो यह एक इस प्रकार का नियम बनाया जाए जो कि वाहनों को जब्त करके और उनकी कीमत वसूली जाए। जो एक्साइज में नियम लगता है कि मादक पदार्थों की तस्करी में 69 बी में ऐसा नियम है कि वाहनों को जब्त करके उसकी आधी कीमत वसूली जाती है, ऐसा एक नियम बनाने की क्या सरकार इच्छा रखती है? पशुपालन मंत्री और गृह मंत्री महोदय, आप दोनों से निवेदन है क्या ऐसा नियम बना सकते हैं जिससे गौवंश को रोकने में राजस्थान की एक अस्मिता को कायम रखने में हम मजबूत बन सकते हैं।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): अध्यक्ष महोदय, मैं भी एक निवेदन करना चाहूंगा मंत्री महोदय, से मैंने पूर्व में भी किया था कि जो गौवंश को प्रोटेक्शन के लिए एक्ट बना हुआ है...

श्री अध्यक्ष: पहले मूल प्रश्नकर्ता का जवाब दे रहे हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया: मैं एक बार बता दूं उसके बाद। माननीय सदस्य की जो इस बारे में ज्यादा चिन्ता है वो यह है कि ले जाने वाले वाहनों को रोकने में आपका कानून किस तरह से काम करता है तीन-तीन बार भी वो ही व्हिकल से अगर जाता है तो उसके बाद भी नहीं तो जो कानून हमने 1995 में बनाया उस कानून की धाराओं में हमने पूरी सख्ती के साथ इस कानून को बनाया। पालना में इसमें कहीं ढिलाई हो सकती है, कानून में कोई ढिलाई नहीं है। मैं आपको बताता हूं इस कानून की धारा 3 में गौवंशीय पशु के वध का प्रतिषेध इसमें दिया हुआ है, यदि प्रवत्त किसी भी विधि से या किसी भी प्रथा या रूढ़ी के अन्तर्गत किसी बात के प्रतिकूल होने पर भी कोई भी व्यक्ति किसी भी गौवंशीय पशु का वध नहीं करेगा या नहीं करवायेगा उसे वध के लिए प्रस्तावित नहीं करेगा या नहीं करवायेग। गौमांस के उत्पादों को कब्जा, विक्रय और परिवहन पर धारा 4 में स्पष्ट है। धारा-5 में वध के प्रयोजन के लिए गौवंशीय पशु को निर्यात प्रतिषेध और अन्य प्रयोजन भी इसमें हैं इसके बाद धारा-6 में जो परिवहन का दुष्प्रेरक हो उसके लिए बनाया है जब कभी इस अधिनियम के अधीन किसी भी अपराध के किये जाने के उद्देश्य को अग्रेषित करने में परिवहन के किसी भी साधन से गौवंशीय पशुओं का परिवहन किया जाए तो परिवाहक उक्त का दुष्प्रेरण का दोषी होगा और उसी दण्ड से दण्डित होगा जो उक्त अपराध को करने के लिए व्यक्ति मतलब ले जाने वाले को भी वो ही सज़ा होगी जो इसको ट्रांसपोर्ट कराता है दोनों को सज़ा में किसी प्रकार

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

का अंतर नहीं है। इसकी धारा 8 में जो शक्तियां दी हुई हैं इसमें धारा 3 के उपबंधों का उल्लंघन करने या उल्लंघन करने का प्रयत्न करना या उल्लंघन का दुष्प्रेरण करता है तो दोष वृद्धि पर ऐसी अवधि के कठोर कारावास में जो एक वर्ष से कम का नहीं होगा किन्तु दस वर्ष तक का हो सकेगा। मतलब एक साल कम से कम और दस साल तक की सज़ा है। जो स्वयं खरीद कर ले जाता है और जो ट्रांसपोर्ट करता है दोनों का कानून एक ही है कानून की पालना में जिस सख्ती का रास्ता निकलना चाहिए उसमें कमी हो सकती है इसी तरह से आपने देखा होगा कि इसमें धारा 11 जो है इसमें सबूत का भी, उसी को अपने सबूत जुटाने हैं, 11 में है। सबूत का भार जहां किसी भी व्यक्ति को इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन में किसी अपराध के लिए अभियुक्त किया जाए वहां वह साबित करने का भार भी उसी पर होगा। मैं सोचता हूं कि यह भार भी उसी पर है। कानून में तो प्रावधान मैं सोचता हूं कि एक्साइज एक्ट से ज्यादा हैं। एक्साइज एक्ट में एक्स्ट्रा यह है कि उससे पेनल्टी वसूल करने का अधिकार कमिश्नर को होता है वो उस गाड़ी को किस तरह से कितना फाइन लेकर छोड़ेगा। यह जो अधिकार है वह न्यायालय को है किसी हमारे विभाग के अधिकारी को नहीं है। दोनों का अन्तर है उससे भी कठोर है उसमें एक साल से लेकर दस साल तक की सज़ा है तो मैं सोचता हूं कि प्रावधानों में तो पूरी इसकी व्यवस्था की है लेकिन इसकी पालना या पालना कराने में या हमारी तरफ से जो प्रावधान करने में अगर इसमें कोई कमी-खामी है तो हम इसको एक बार फिर देखकर के उसी ढंग से यह लागू हो इसका प्रयास करेंगे।

श्री अध्यक्ष: श्री जुबेर खान।

श्री जुबेर खान: अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मैंने पहले भी यह बात कही थी कि कानून में कोई कमी नहीं है जो 1995 में बनाया है लेकिन एक कमी जो महसूस हो रही है वास्तविकता में जो डिस्ट्रिक्ट बोर्डर पर लगते हैं हरियाणा के, उत्तर प्रदेश के, गुजरात के बॉर्डर पर अगर कोई गौधन ले जाना चाहता है तो आपने तहसीलदार, एस.डी.ओ. को, हमने पहले भी आपसे निवेदन किया था कि इसमें कम से कम कलक्टर या एस.पी. लेवल के अधिकारी को लगाइये कि उनके परमिट बगैर बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स में कोई गौधन को नहीं ले जा पाएगा क्योंकि होता क्या है कि अध्यक्ष महोदय, सर्टीफिकेट ले लिया सिरोही जिले का मान लीजिये उदाहरण के तौर पर या

(श्री जुबेर खान)

भरतपुर जिले, का आप रोक नहीं सकते और उससे इसकी तस्करी हो रही है। अगर वास्तव में आप गौधन को बचाना चाहते हैं तस्करी से और वध से तो आपको यह कानून में व्यवस्था करनी पड़ेगी कि राजस्थान राज्य के जितने भी बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें गौधन को ले जाने के लिए कम से कम जिलाधीश या एस.पी. के स्तर के नीचे के अधिकारी का परमिट लागू नहीं होना चाहिए। इसके बारे में आपने पहले भी सदन में कहा था कि हम इसके ऊपर कोई न कोई कानूनी कार्यवाही करने जा रहे हैं तो आप सदन को बतायें कि इस संबंध में आप क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं?

श्री अध्यक्ष: श्री जीतमल खांट।

श्री गुलाब चन्द कटारिया: अध्यक्ष महोदय, यह बात सच है कि ...

श्री अध्यक्ष: आ जाने दीजिये सबके प्रश्न पहले, साथ ही जवाब दे दीजिये।

श्री जीतमल खांट (बागीदौरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि... राज्य में लगने वाले पशु मेलों से जो आदिवासी काश्तकार बैल खरीदकर ले जाते हैं उनके विरुद्ध कुछ संगठन के कार्यकर्ताओं के द्वारा जबरन मारपीट क्यों की जाती है । क्या इस प्रकार के प्रकरण आपकी जानकारी में है । नंबर 2, क्या राज्य सरकार इस प्रकार की कार्यवाही को रोकने के लिये ऐसे अधिकारियों की नियुक्ति का विचार रखती है जो पशु खरीदने का परमिट मेला स्तर पर कोई अधिकारी लगाने का विचार रखते हैं । माननीय मंत्रीजी ने भी स्वीकार किया है कि बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर यह जिले गुजरात की सीमा से लगते हुए हैं और आज परिशिष्ट 'अ' में बताया है कि सबसे ज्यादा तस्करी के प्रकरण आदिवासियों के खिलाफ दर्ज कराये जाते हैं और हमारा सारा आदिवासी वहां पर किसान है और खेती करने के लिहाज से पशु मेलों से बैल खरीद कर ले जाते हैं । हम भी नहीं चाहते गौवध हो, हम खुद चाहते हैं कि गायों के साथ जो इस तरह की अनहोनी घटना होती है वह नहीं होनी चाहिये । लेकिन जिस तरीके से बांसवाड़ा और डूंगरपुर के आदिवासियों के साथ घटना होती है सबसे ज्यादा पुलिस विभाग में आदिवासियों के खिलाफ मुकदमें दर्ज हैं । मैं निवेदन करना चाहता हूं जिस तरीके से खान साहब ने बताया कि बांसवाड़ा और डूंगरपुर जो गुजरात की सीमा से लगते हैं वहां पर उच्च अधिकारी तैनात किया जाये और कम से कम पशु मेलों में खरीदने के लिये परमिट अधिकारी नियुक्त किया जाये, यह मैं सदन के माध्यम से मांग करता हूं ।

श्री जोगाराम पटेल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक प्रश्न पूछना चाहूंगा, इसके साथ ही उत्तर हो जायेगा ।

श्री अध्यक्षः मूल प्रश्नकर्ता का अधिकार है ।

श्री जोगाराम पटेल : आप जो जवाब देंगे उससे संबंधित है, साथ ही जवाब हो जायेगा । इतना है कि लाने, ले जाने वाले को तो सज़ा दी जा रही है परन्तु जो व्हीकल यूज हो रहा है उसके खिलाफ क्या पैनेल्टी है ।

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित : अध्यक्ष महोदय, अभी मंत्री महोदय ने जवाब दिया कि व्हीकल जब्त करने का हमें अधिकार नहीं है । मैं यह बताना चाहता हूं जो ट्रक गौवंश की तस्करी के लिये काम में आते हैं ..

श्री अध्यक्षः बताना नहीं, आप पूछना चाहो ।

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित : मैं पूछ रहा हूं गौवंश की तस्करी में जो वाहन यूज में आते हैं वह कम से कम 80 हजार रुपये लेता है एक बार्डर से दूसरी बार्डर छोड़ने का । वह यह देखता है कि 5-10 हजार रुपये देकर मैं छूट जाऊंगा और 3-4 ट्रिप कर के मैं मेरी ट्रक फ्री कर लूंगा । मैं पशु पालन मंत्रीजी और गृह मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि किसी भी प्रकार से गौवंश की तस्करी के प्रयोग में लाये जाने वाले वाहन को जब्त करने का नियम बनाने का विचार रखते हैं क्या ?

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक निवेदन है कि गौवंश को जिस प्रकार से पशु पालकों ने आवारा छोड़ दिया है और जिस प्रकार से वह आवारा गौवंश इधर-उधर गांवों में घूमते हैं तो कटने के लिये ले जाने वाले जितने भी लोग हैं वह गांवों में से उन गायों को इकट्ठी करके अपने ट्रकों में लोड करके उनको ले जाते हैं जिनकी कोई गिनती नहीं, कोई निगरानी नहीं है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि इस प्रकार के गौवंश को कटने से रोकने के लिये सरकार क्या विचार रखती है । दूसरा, गौशालाओं को बढ़ावा देकर इन गायों को गौशालाओं तक ले जाकर सरकार उनके संरक्षण की क्या नीति रखती है।

श्री अध्यक्षः मंत्रीजी ।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय , अभी जो हमारे कानून में है मेलों में तो मेला अधिकारी का परमिट ही लागू होता है । मेला अधिकारी का परमिट है तो उससे जा सकते हैं। सामान्यतः जो ले जाते हैं वह ए.डी.एम. के स्तर के अधिकारी उसको ले जाने की स्वीकृति देता है तो उससे वह होता

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

है। आपका आग्रह यह है कि जो हमारे बार्डर एरिया के लोग हैं और जहां इस प्रकार की घटनाएं दुर्घटनाएं होती रहती हैं वहां परमिट देने वाला अधिकारी कलक्टर या एस.पी. लेवल का किया जाये । मैंने जैसा आपको कहा कि इस बारे में क्योंकि यह विशेष तो है पशु पालन विभाग का, हमने उनसे बात की है कि अगर इसके परमिट में और कोई सुधार संभव है जिसके कारण से जो अपने राज्य से बाहर जा रहा है उसके ऊपर कोई सख्ती की जा सकती है तो पशु पालन विभाग और हम दोनों मिलकर, हमने अपनी तरफ से उन्हें भेजा है लेकिन अभी उनकी तरफ से इस बारे में कोई विशेष नहीं आया है, हम फिर प्रयास करेंगे कृषि मंत्रीजी से । दूसरा यह है कि जो परमिट से जानवर ले कर जाते हैं उनको सामान्यतः नहीं रोकते हैं । बागीडोरा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा यह बात जरूर है निश्चित रूप से उस क्षेत्र में भी जो बांसवाड़ा, डूंगरपुर में है केवल 2005 में ही 12 मुकदमे दर्ज हुए हैं । 27 अभियुक्त उसमें नामजद हुए हैं । उसमें से 8 का चालान भी किया है । इसी तरह से डूंगरपुर है । यह केवल एक साल का है, पांच साल का चार्ट भी इसमें दिया है । इस प्रकार की घटनाएं होती हैं लेकिन सामान्यतः जो परमिट लेकर जाता है उसे नहीं रोकते हैं । यह विशेषकर जो पकड़ी जाती है ट्रकों की ट्रकों में जो गौवंश इधर से उधर जाता है उसको लोग जरूर रास्ते में पकड़ते हैं, उतारते हैं और अगर उनके पास वैलिड परमिट होता है तो वहां का जो अधिकारी होता है उसको देखने के बाद उसे वापस छोड़ता भी है । जिनके पास सही परमिट नहीं होता है...

श्री जीतमल खांट : गृह मंत्रीजी, नहीं छोड़ते हैं। विशेष तौर से बांसवाड़ा और डूंगरपुर के काश्तकार इससे बहुत दुःखी हैं । मैं आसन से चाहूंगा कि आप कोई न कोई ऐसी नीति स्पष्ट करें या जिला कलक्टर या एस.डी.एम. को वहां तैनात करें कि वह कम से कम पशु मेलों से बैलों को लाने के लिये परमिट जारी करें ।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : विशेषकर जो हमारा अलवर और भरतपुर क्षेत्र है जहां इस प्रकार की दुखद घटनाएं कई बार होती है, मैंने पिछली बार विधान सभा में घोषणा की थी कि पांच-पांच चौकियां दोनों ही मेवात क्षेत्र में भरतपुर और अलवर में लगायेंगे । पांच से ज्यादा हमने अभी व्यवस्था कर रखी है । भरतपुर में हमने पांच की जगह 15 चौकियां स्थापित की है ताकि इन रास्तों से की जाने वाली गौ तस्करी को हम किसी तरह से रोक सके और

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

अलवर में भी हमने 5 से बढ़ाकर 7 चौकियों की स्थापना की है । हमने हमारी तरफ से इस बात की कोशिश की है । जहां तक गाड़ी जब्त करने का सवाल है मैं सोचता हूं कि यह हमारे पास एक्साइज की तरफ से अपने एक्ट में नहीं है कि इस गाड़ी पर कोई जुर्माना लगाया जा सके । मैं सोचता हूं कि इस बारे में हम पशुपालन विभाग से मिलकर बात करेंगे कि वह जब्ती के बारे में अगर कानून में कोई संशोधन करना चाहे तो करें । मैं सोचता हूं कि सज़ा का प्रावधान इतना है कि अगर ले जाने वाला जो गाड़ी का मालिक है और ड्राइवर है उस पर भी वही सज़ा है जो उस तस्करी के लिये गायों को इकट्ठा करके ले जाता है । लेकिन यह बात सच है कि इस कानून की पालना ले जाने वाले ट्रक मालिक के या ड्राइवर के खिलाफ इतनी सख्त कार्यवाही अभी तक न्यायालय से नहीं हो पायी है । हम कोशिश करेंगे कि उन लोगों को जो ट्रक के मालिक है या ड्राइवर हैं उसको भी वही सज़ा दी जाये जो तस्करी के लिये गायों को इकट्ठा कर ले जाता हैं । जहां तक आपका सवाल है यह जो आवारा पशु हैं उनको जब कभी इस प्रकार से ले जाते हैं तो यह बिना परमिट के होते हैं । जहां-जहां लोगों का इसके खिलाफ कोई विरोध होता है उतारते हैं वहां तो यह पकड़ी जाती है लेकिन कई बार हो सकता है जाने, अनजाने और इतना बराबर नहीं होने से कुछ जाती होगी, इसके लिये फिर प्रयास करेंगे इस प्रकार से जो गायें जा रही हैं उनको भी कम से कम बार्डर डिस्ट्रिक्ट पर हम विशेष रूप से कुछ चौकियों का इंतजाम करेंगे। जैसे मेवात में तो हमने किया है लेकिन गुजरात और महाराष्ट्र के बार्डर पर अभी हमारे पास फोर्स नहीं है । हम फिर विचार करेंगे विभाग की तरफ से और अगर वहां पर भी कुछ व्यवस्था की जा सकती है तो निश्चित रूप से करेंगे ।

श्री बंशीलाल खटीक: अध्यक्ष महोदय , एक पूरक प्रश्न है ..

श्री अध्यक्ष: नैक्स्ट क्वेश्चन, श्री रामचन्द्र सराधना । 18 मिनट हो गये हैं एक प्रश्न को । (व्यवधान) मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन पुकार लिया है । (व्यवधान) अंकित नहीं हो ।

श्री बंशीलाल खटीक : ×××

श्री जीतमल खांट: ×××

श्री बंशीलाल खटीक : ×××

श्री फतेह सिंह : ×××

श्री बंशीलाल खटीक: ×××

श्री फतेह सिंह: ×××

श्री अध्यक्ष: राजसमंद से आने वाले माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान) यह बोलने का समय नहीं है, प्रश्न पूछने का समय है। बिलकुल नहीं।

श्री बंशीलाल खटीक: ×××

श्री फतेह सिंह: ×××

श्री अध्यक्ष: बिलकुल नहीं, यह भाषण देने का नहीं है, यह प्रश्नकाल है। स्थान ग्रहण करें। माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें। एक प्रश्न पर आप लोगों ने 20 मिनिट ले लिया है, बाकी प्रश्न भी महत्वपूर्ण होते हैं। गृह मंत्रीजी ने उन सब बातों के पूरे जवाब दे दिये। (व्यवधान) अब क्या चाहते हैं? नहीं, अब मैंने नैक्स्ट क्वेश्चन पुकार लिया है।

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़): प्रश्न संख्या-125.

श्री जीतमल खांट: ×××

श्री फतेह सिंह: ×××

श्री अध्यक्ष: मैंने दूसरा प्रश्न पुकार लिया है। मैंने नैक्स्ट क्वेश्चन पुकार लिया। मैंने दूसरा प्रश्न पुकार लिया नेताजी।

श्री फतेह सिंह: ×××

श्री अध्यक्ष: जद यू के नेता, मैंने दूसरा प्रश्न पुकार लिया है।

श्री फतेह सिंह: ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो, मेरी अनुमति के जो बोलते हैं अंकित नहीं हो।

श्री जीतमल खांट: ×××

श्री फतेह सिंह: ×××

श्री अध्यक्ष: आपके नेता भी खड़े हैं और आप भी खड़े हैं, क्या बात है?

श्री जीतमल खांट: ×××

श्री अध्यक्ष: नैक्स्ट क्वेश्चन।

जयपुर शहर की गैस एजेंसियों में व्याप्त अनियमितताएं

125. श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री रामचन्द्र सराधना)

(1) क्या यह सही है कि सरकार को जयपुर शहर में विभिन्न एल.पी.जी. गैस एजेंसियों के विरुद्ध रसोई गैस की कालाबाजारी, अनियमित आपूर्ति व रसोई गैस के दुरुपयोग की अनेक शिकायतें प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो 01 जनवरी, 2005 से अब तक जयपुर शहर में कुल कितनी शिकायतें उपभोक्ताओं से प्राप्त हुई और उनमें से कितनी शिकायतों का निराकरण किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि रसद विभाग व पैट्रोलियम कम्पनियों ने मिलकर रसोई गैस के दुरुपयोग को रोकने के लिए अभियान चलाया था ? यदि हां, तो कब व इस अभियान में दुरुपयोग के कितने प्रकरण सामने आये और उनके आधार पर किन-किन गैस एजेंसियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त अवधि में सरकार द्वारा किस-किस गैस एजेंसी में अनियमितता/ रसोई गैस के दुरुपयोग में लिप्त होना पाया गया और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) सरकार उपभोक्ता को समय पर नियमानुसार रसोई गैस की समुचित सप्लाई के लिए क्या कोई कदम उठाने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री (डा. किरोड़ी लाल मीणा): (1) हां यह सही है कि जयपुर शहर में विभिन्न एल.पी.जी. गैस एजेंसियों के खिलाफ रसोई गैस की कालाबाजारी, अनियमित आपूर्ति व रसोई गैस दुरुपयोग की अनेक शिकायतें आई है।(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप लोग इतने जोर से बोलते हैं कि सदन डिस्टर्ब होता है।

डा. किरोड़ी लाल मीणा: माह जनवरी, 05 से अब तक प्राप्त शिकायतों/ आकस्मिक निरीक्षणों के आधार पर गैस एजेंसियों के विरुद्ध कुल 22 प्रकरण बनाये गये।(जयपुर शहर में बनाये गये प्रकरणों की सूची संलग्न परिशिष्ट-1 पर है) इसके अतिरिक्त उक्त अवधि में जिला रसद अधिकारी कार्यालय में 28 लिखित शिकायतें प्राप्त हुई जिनमें से 9 का निराकरण कर दिया गया एवं 19 विचाराधीन है। (सूची परिशिष्ट-2 पर संलग्न है)

(2) यह सही है कि रसद विभाग व पैट्रोलियम कम्पनियों ने मिलकर

(डा. किरोड़ी लाल मीणा)

माह अक्टूबर, 05 में दिनांक 17.10.2005 से 20.10.05 तक चार दिवसीय अभियान रसोई गैस के दुरुपयोग को रोकने हेतु चलाया था। इस अभियान के तहत तेल कम्पनियों के अधिकारियों द्वारा 232 प्रकरणों में दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही कर 360 घरेलू गैस के अनाधिकृत उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं के विरुद्ध था इसलिए अभियान के दौरान गैस एजेंसियों के विरूद्ध किसी भी प्रकार की जांच अपेक्षित नहीं थी।

(3) 1 जनवरी, 05 से अब तक जयपुर शहर में विभिन्न गैस कम्पनियों के विरुद्ध कुल 22 प्रकरण बनाये गये, जिनकी सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(4) राज्य सरकार द्वारा उपभोक्ता को समय पर नियमानुसार गैस की समुचित सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर तेल कम्पनियों एवं जिला कलक्टर/ जिला रसद अधिकारी को निर्देश जारी किये गये हैं जिसमें आरपीपीएल आर्डर, 1990 के खण्ड 19 के तहत जिला कलक्टर द्वारा गैस एजेंसियों को रिकार्ड उपलब्ध कराना, दैनिक सूचना भिजवाना, एलपीजी अनुज्ञापत्रधारी निर्धारित समयानुसार अपना व्यापार परिसर तथा गौदाम खुला रखकर उपभोक्ता के लिए कुकिंग गैस की बुकिंग एवं आपूर्ति संबंधी कार्यवाही संपादित करेंगे, शामिल है। एलपीजी वितरण उपभोक्ताओं को गैस रिफलिंग के समय अन्य कोई वस्तु क्रय किये जाने हेतु बाध्य नहीं करेगा आदि के संबंध में निर्धारित आदेश में गैस एजेंसियों के लिए निर्देश है।

(सूची विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)

इसके अतिरिक्त तेल कम्पनियों को एवं जिला कलक्टर को गैस आपूर्ति की समुचित आपूर्ति की व्यवस्था बनाये रखने हेतु निर्देश किया हुआ है। माह जनवरी 06 में सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत भी घरेलू एलपीजी गैस सिलेण्डरों का चौपाहिया वाहनों में उपयोग को रोकने के संबंध में परिवहन विभाग, तेल कम्पनियों एवं समस्त जिला प्रशासन को निर्देश जारी किये गये हैं।

राज्य सरकार न सिर्फ रसोई गैस आपूर्ति करने हेतु प्रयासशील है अपितु रसोई गैस का अनाधिकृत उपयोग रोककर उपभोक्ताओं को आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु कटिबद्ध है।

श्री रामचन्द्र सराधना: माननीय अध्यक्ष महोदय, एलपीजी गैस का,

(श्री रामचन्द्र सराधना)

जहां पर अनियमिताओं का और अनुपलब्धता का मामला आता है, महिलाएं इसकी ज्यादा शिकार होती है। उनको ज्यादा परेशानी होती है। मैं मंत्रीजी के जवाब के अनुसार, आपने बताया है कि 22 प्रकरण विभाग ने बनाये हैं और उनमें नाममात्र का दंड देकर, किसी के 250 रुपये, किसी के 300 रुपये किसी के 500 रुपये जब्त करके उनको छोड़ दिया है। मंत्री महोदय ने स्वंय ने भण्डारण का एक निरीक्षण किया था मैसर्स उर्मिला गैस एजेंसी का और उसमें भण्डारण क्षमता से अधिक मात्रा का भण्डारण मिला, आपने हजार रुपये प्रतिभूति राशि जब्त करके छोड़ दिया, यह भण्डारण की गई अधिक मात्रा गैस की कहां से आई थी, क्या यह बता सकते हैं। गैस एजेंसी ने फर्जी वितरण बताकर गैस को बचा लिया, क्या उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं कराना था, आपने उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कराई?

दूसरा, क्रम संख्या 17 पर आपने बताया है कि शर्मा गैस, मानसरोवर ने अघोषित स्थान पर 70 गैस सिलेण्डर ले जाकर छिपा दिये, आपने उनको पकड़ लिया और पकड़ने के बाद एक हजार रुपये आपने जब्त कर लिया, क्या यह चोरी में शामिल नहीं होता, आपने उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कराई ?

प्रश्न के भाग संख्या दो में आपने बताया कि 232 प्रकरण पकड़े और 360 घरेलू गैस के सिलेण्डर हमने जब्त कर लिये। आपने जब्त 360 घरेलू कनेक्शन, घरेलू गैस सिलेण्डर जब्त कर लिये लेकिन क्या यह भी बताएंगे कि यह गैस सिलेण्डर किस कम्पनी के थे और कौनसी गैस एजेंसी से आये थे, उनका मालिक कौन था, किसके पास कम पड़े यह, किसके पास से आये थे, उनका नाम बताये?

क्रम संख्या पांच पर और आठ पर एक सी शिकायत दर्ज हुई है। क्रम संख्या 5 पर भी वो ही शिकायत है और ऐसी शिकायत क्रम संख्या 8 पर है। क्रम संख्या 5 वाले पर आपने सारहीन कहकर छोड़ दिया और क्रम संख्या 8 वाले पर आपने मुकदमा दर्ज करने की बात कर दी, यह विसंगतियां आपने क्यों पैदा करी, क्या इन विसंगतियों को ठीक करने की कोशिश करेंगे, क्या मंत्री महोदय इस मामले में अपने विचार रखते हैं ?

एक दूसरा सबसे बड़ा दुर्भाग्य एलपीजी गैस को आटो गैस में काम में लेने का, क्या मंत्री महोदय यह भी थोड़ा सा बताएंगे कि एलपीजी और आटो गैस में क्या गुणात्मक अंतर है ?

श्री अध्यक्ष: बताइये मंत्रीजी।

डा. किरोड़ी लाल मीणा: एक तो 22 केस में इन्होंने 2 केस का बताया उर्मिल गैस और शर्मा गैस एजेंसी, अध्यक्ष महोदय, इसकी प्रक्रिया है जांच की, यह प्रक्रिया विचाराधीन है, जांच चल रही है और जांच में अगर यह गैस एजेंसी दोषी पाई गई तो इनके खिलाफ एफआईआर बनती है तो एफआईआर दर्ज कराई जाएगी।

दूसरा 232 में से जो कैसेज बनाये उनसे 360 डोमेस्टिक गैस सिलेण्डर जब्त किये यह तीनों कम्पनियां आईओसी के, बीपीसीएल के भी है, एचपीसीएल के भी है। एक आपने पूछा कि 5 नम्बर में जांच करने पर शिकायत सारहीन पाई गई है, जांच की गई तो शिव गैस एजेंसी की थी, बुक करने के 17 दिवस में आपूर्ति नहीं करने का मामला था यह ई.ओ. से इसकी जांच कराई गई। जांच के परिणाम यह आये कि इसमें कोई तथ्य नहीं था। एक आपने 8 बताया है, बी.के.जैन ने शिकायत की थी, मोहन सर्विस सेंटर की, बुकिंग के बाद भी आपूर्ति नहीं करना बताया गया है, एस.एस. सिसोदिया द्वारा जांच की गई। विधि शाखा में अभी प्रकरण दर्ज है, वहां से राय आने के बाद इसकी कार्यवाही की जाएगी।

श्री रामचन्द्र सराधना: माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी का जवाब भ्रामक प्रतीत होता है। आपने कहा हमारे विचाराधीन है, निर्णय नहीं हुआ। आपने तो निर्णय भी कर दिया उसके एक हजार रुपये जब्त भी कर लिये, आप कह रहे हैं हमारा निर्णय बाकी है, प्रक्रिया के अधीन है।

डा. किरोड़ी लाल मीणा: ऐसा है प्रतिभूति राशि जब्त की जाती है, आपने कहा एफआईआर दर्ज करने का इरादा रखते हैं क्या, आपने एफआईआर के बारे में पूछा है, एफआईआर के बारे में डिटेल जांच होने के बाद ही कार्यवाही की जाएगी।

श्री रामचन्द्र सराधना: आपने निर्णित कर दिया, फैसला निर्णित लिख दिया।

डा. किरोड़ी लाल मीणा: आपने प्रतिभूति का लिखा है यह प्रतिभूति राशि इनीशियल स्टेज पर...

श्री रामचन्द्र सराधना: माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय समझ नहीं पा रहे या मैं नहीं समझ पा रहा, आपने लिख दिया उसका निर्णित फैसला हो चुका, हजार रुपये जब्त करके उसको बरी कर दिया और आप कह रहे हैं अभी बाकी है फैसला।

श्री अध्यक्षः कह रहे हैं बाकी है।

श्री रामचन्द्र सराधनाः बाकी गलत कह रहे हैं, लिख दिया निर्णित है।

श्री हेमाराम चौधरीः दोषी पाये जाने पर ही दर्ज हुई है...(व्यवधान) यदि दोषी हैं तो एफ.आई.आर. दर्ज क्यों नहीं होती है?

श्री रामचन्द्र सराधनाः जिस आदमी ने 70 गैस सिलेण्डर अपने गोदाम से ले जाकर दूसरी जगह छिपा दिये और वहां पर 70 गैस सिलेण्डर मिले तो क्या वह चोरी में नहीं थे। उसमें क्या बाकी रह गया, उसमें एफ.आई.आर. दर्ज क्यों नहीं हुई? (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल मीणाः बिना बुकिंग के गैस सप्लायी की गयी, यह शिकायत है।

श्री रामचन्द्र सराधनाः आपने जवाब नहीं दिया मंत्री महोदय कि वह आपको जो 360 गैस सिलेण्डर मिले वह कौनसी गैस एजेंसी के थे और उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की?

डा. किरोड़ी लाल मीणाः वह मैंने आपको बता दिये कि वह तीनों कम्पनियों के हैं, बी.पी.सी.एल., एच.पी.सी.एल., आई.ओ.सी., तीनों कम्पनियों के हैं।

श्री रामचन्द्र सराधनाः एजेण्ट कौन हैं, एजेंसी कौन सी है? कौनसी एजेंसी के हैं?

डा. किरोड़ी लाल मीणाः एजेंसी की डिटेल नहीं है, एजेंसी की डिटेल मंगवाऊंगा।

श्री रामचन्द्र सराधनाः एजेंसी की डिटेल चाहिए उसमें, वह तो सिलेण्डर देखते ही मालूम पड़ जाता है कि कौनसी कम्पनी का सिलेण्डर है, सिलेण्डर की जांच नहीं करनी है। (व्यवधान) जांच यह करनी है (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरीः बिना दोषी पाये आपने राशि जब्त कैसे की? जब दोषी भी मान लिया है तो फिर एफ.आई.आर. दर्ज कराने में आपको क्या दिक्कत है। यह तो आप उसको बहुत हल्के ढंग से ले रहे हो। उसको बचाना चाहते हो, छोटी सी सज़ा देकर के।

डा. किरोड़ी लाल मीणाः आप जरा विराज जाओ। आपने जो पूछा कि 360 सिलेण्डर थे, वह तीनों कम्पनियों के हैं, वह आई.ओ.सी, बी.पी.सी.एल., एच.पी.सी.एल. (व्यवधान) आप उनकी डिटेल ब्रेक-अप चाहते हैं, कौन-कौन सी,

(श्री किरोड़ी लाल मीणा)

किस-किस कम्पनी के कितने सिलेण्डर हैं और किस-किस एजेंसी के हैं, वह मैं आपको डिटेल दे दूंगा।

श्री प्रद्युम्न सिंह: डिटेल दे देंगे, अध्यक्ष महोदय, एक बड़ा सिम्पल सा सवाल है, जैसा गुढ़ामलानी से आने वाले माननीय सदस्य ने पूछा, प्राइमा-फेसी, आपने एजेंसी वालों को दोषी माना, हजार रुपये उसकी प्रतिभूति राशि जब्त कर ली। फिर आपको क्या चाहिए। इसका मतलब प्राइमा-फेसी तो आपने माना कि वह दोषी है, आपने फिर यह भेदभाव क्यों बरता कि आपने उसकी एफ.आई.आर. दर्ज क्यों नहीं करायी। यह दोहरा मापदण्ड जो सरकार का है, यह मुनासिब नहीं है। इसके ऊपर मंत्री महोदय को क्या कहना है, यह अवगत कराने की कृपा करें।

डा. किरोड़ी लाल मीणा: इसमें दो तरह के मामले हैं माननीय सदस्य, जो गम्भीर प्रवृत्ति का मामला है उसमें आम तौर पर एफ.आई.आर. दर्ज कराने का प्रावधान है और इसमें गम्भीर प्रवृत्ति का अपराध नहीं है, इसलिये इसमें एफ.आई.आर. दर्ज नहीं हुई। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: One at a time. (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह: क्या अपराध है, आप यह बता दो । (व्यवधान) नहीं, नहीं, अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहता हूं, गम्भीर अपराध। आप यह बतायें कि इसने क्या अपराध किया था जिसके कारण कि आपने इसकी एक हजार की सिक्योरिटी मनी जब्त की । किस किस्म का अपराध था, यह बता दें और औरों के खिलाफ क्या अपराध था, उसको बताने की कृपा करें। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल मीणा: मैं बता रहा हूं। (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी: एफ.आई.आर. दर्ज करवाने के लिये भी इतना ही काफी है, प्राइमा-फेसी हो, बाकी तो बाद में इन्वेस्टीगेशन से अपने आप क्लीयर हो जाता।

डा. किरोड़ी लाल मीणा: सुन लें, आप सुनें तो सही। (व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल: मंत्रीजी, क्या एक्ट में दो तरह के अपराध हैं क्या, गम्भीर अपराध और छोटा अपराध। ऐसा है क्या प्रावधान एक्ट में। (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी: गम्भीर और दूसरा कुछ नहीं, आप गम्भीर नहीं हैं, सरकार गम्भीर नहीं है इसलिये इसको आप गम्भीरता से नहीं ले रहे हैं।

डा. किरोड़ी लाल मीणा: आपकी सीट पर स्प्रिंग लग रही है क्या, मैं जवाब दे रहा हूं आपको, फिर भी बार-बार उठ रहे हैं।

श्री रामचन्द्र सराधना: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाह रहा था, सीधी सी बात है, 70 गैस सिलेण्डर चोरी करके ले गया तो अपने गोदाम में से छिपाकर रख दिया, दूसरी जगह बेचने के लिये। उसके खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज नहीं हो रही है और फिर गम्भीर नहीं है । मंत्रीजी से यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें गम्भीरता और कहां बच गयी। अपने गोदाम में से, जो आइडंटीफाइड गोदाम है वहां जो सिलेण्डर एकत्रित करता है, वह लोगों को कह दिया कि मेरे गोदाम में माल ही नहीं है और 70 सिलेण्डर दूसरी जगह छिपा दिये। आप उनके खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज क्यों नहीं कराना चाहते हैं।

डा. किरोड़ी लाल मीणा: आप सुनो ना, आप जवाब तो सुनो, अध्यक्ष महोदय, इसमें एक प्रकरण है, क्रम संख्या एक पर, माननीय सदस्य ढंग से देख लें, आप भी देखें, जो पूछ रहे हैं।

श्री रामचन्द्र सराधना: आपने बताया है, हम पूछें क्या, कहां पर दिया है, लिखा हुआ है।

डा. किरोड़ी लाल मीणा: देख लें, सन्नी गैस सर्विस, मालवीय नगर, जयपुर। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह: इनके उत्तर से हमारा सप्लीमेंट्री पैदा हुआ है, हमारे पास कहां रिप्लायी है कि आप भी देखो, आप भी देखो, कौन देखेगा। हमारे पास रिप्लायी है जो हम रिप्लायी देखेंगे। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल मीणा: तो आप बिना बात बीच में, तो आप देख ही नहीं रहे हैं। (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी: एफ.आई.आर. दर्ज कराने के लिये सफिसिएण्ट कॉज है, जब सफिसिएण्ट कॉज आपके पास है तो एफ.आई.आर. दर्ज क्यों नहीं करवाते हैं आप।

डा. किरोड़ी लाल मीणा: आप देख नहीं रहे हो तो बिना बात काहे कुछ रहे हो, बीच में। आप देख नहीं रहे हैं तो काहे को कूद रहे हैं। (व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा: हेमारामजी, यह जवाब नहीं है। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह: अध्यक्ष महोदय, यह व्यवस्था आनी चाहिए आसन से कि आपने देखा ही नहीं तो आप क्या पूछ रहे हैं, यह कोई जवाब है। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल मीणा: मैं जवाब दे रहा हूं, बैठें, आपका जवाब दे रहा हूं। आप बैठ जाएं।

श्री रामनारायण चौधरी: अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी आंखें निकाल रहे हैं। आप मंत्रीजी अध्यक्षजी को संतुष्ट कर देंगे, हम मान जाएंगे। इनको कर दें।

श्री अध्यक्ष: नेता प्रतिपक्ष हैं और दोनों खड़े हो गये। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल मीणा: हां, मैं निवेदन कर रहा हूं, तो आप विराजें, मैं कर रहा हूं।

श्री रामनारायण चौधरी: हां, इनको करें।

डा. किरोड़ी लाल मीणा: हां, आप विराजें। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रकरण संख्या 13/2005, सन्नी गैस सर्विस, मालवीय नगर, जयपुर में एक एफ.आई.आर. दर्ज हुई जिसमें निर्धारित मात्रा से गैस का कम पाया जाना पाया गया। अब यह गम्भीर प्रवृत्ति का अपराध हुआ। जिसको माननीय सदस्य उठा रहे हैं, 5 नम्बर को उसमें बिना बुकिंग के गैस सप्लायी की गयी।

श्री अध्यक्ष: अन्तर है, अन्तर तो है।

डा. किरोड़ी लाल मीणा: एक जिसमें मात्रा कम पायी गयी और एक जिसमें बुकिंग नहीं की गयी। (व्यवधान)

श्री रामचन्द्र सराधना: मंत्रीजी सवाल को नहीं समझ पा रहे हैं। सीधी-सीधी सी बात है, भण्डारण क्षमता से ज्यादा माल आया तो भी चोरी में ही आता है और भण्डारण क्षमता से जो कम माल पाया गया तो भी चोरी में ही आता है। इसमें क्या स्पष्टीकरण देना चाह रहे हैं, आप। आप सीधी सी बात करें, एफ.आई.आर. दर्ज क्यों नहीं करवाना चाहते हैं?

श्री सी. डी. देवल: अध्यक्ष महोदय, क्या कानून के अन्दर दो तरह के अपराध हैं क्या, गम्भीर अपराध और छोटी प्रवृत्ति का अपराध। (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी: आप गम्भीर अपराध किसे मानते हो और साधारण अपराध किसे मानते हो, उसको आप परिभाषित कर दीजिए। (व्यवधान) अपराध तो एक ही है, गम्भीर अपराध और सीधा अपराध, कोई 2 तरह के अपराध होते हैं क्या?

श्री सी. डी. देवल: मानो तो चोरी है । (व्यवधान)

श्री रामचन्द्र सराधना: आपने सन्नी गैस एजेंसी का नाम लिया, मैंने नहीं लिया। (व्यवधान) मैं उर्मिल गैस एजेंसी की बात कर रहा हूं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: नैक्स्ट क्वश्चन। (व्यवधान) आप सुनना तो चाह रहे नहीं हैं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़: मंत्रीजी जवाब देना चाहते हैं, एक-एक विषय का जवाब देना चाहते हैं, ये सुनना ही नहीं चाहते हैं। (व्यवधान) यह कोई तरीका थोड़े ही है।

श्री रामनारायण मीणा: आप बात तो सुनिये जरा, एक ही बोल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप सुनना चाहते नहीं हैं जवाब, एक साथ खड़े हो जाते हैं।

श्री हेमाराम चौधरी: यह राठौड़ साहब, धमकाकर और डराकर सबको बैठाना चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: नैक्स्ट क्वश्चन। श्री तगाराम चौधरी। (व्यवधान)

श्री तगाराम चौधरी: प्रश्न संख्या 126 .

श्री रामनारायण मीणा: जो आपके खिलाफ चुनाव लड़ी, मंत्रीजी उनका तो आप चालान कर रहे हो और जो ब्लेक-मार्केटर्स हैं, आपकी पार्टी के सदस्य हैं उनके खिलाफ चालान नहीं किया। आपके खिलाफ चुनाव लड़ी हैं, सवाई माधोपुर से, यह मंत्रीजी व्यक्तिगत प्रतिशोध से निर्णय कर रहे हैं। (व्यवधान) हमारा तो आपसे अनुरोध है।

श्री अध्यक्ष: माननीय तगाराम चौधरी, नेक्स्ट क्वेश्चन। (व्यवधान) आप एक साथ खड़े होते हैं, आप जवाब सुनना चाहते नहीं हैं। मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन पुकार लिया। (व्यवधान)

पंचायती राज संस्थाओं का परिसीमन/पुनर्गठन

126. श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर): क्या पंचायत राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि राजस्थान में ग्राम पंचायतों/पंचायत समितियों का परिसीमन एवं पुनर्गठन हुए काफी समय हो चुका है? यदि हां तो, क्या सरकार पंचायत राज संस्थाओं का परिसीमन एवं पुनर्गठन करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब व नहीं, तो क्यों? (व्यवधान)

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री (श्री कालूलाल गुर्जर): जी हां। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1004 की धारा 115 के अन्तर्गत पुनर्गठन प्रक्रियाधीन है। इस कार्य को शीघ्र सम्पन्न करने के प्रयास किये जा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री रामचन्द्र सराधना: माननीय अध्यक्ष महोदय, कल भी मेरे साथ ऐसा ही किया आपने। (व्यवधान) कल भी आपने इसी तरीके से प्रश्न को टाल दिया, आज भी मेरे प्रश्न का जवाब नहीं दिया। (व्यवधान) यह प्रश्न पूछने के लिये प्रश्न नहीं पूछते हैं। सरकार की नीतियों और क्रियान्विति को प्रदेश की जनता को पहुंचाने के लिये, सरकार की नीति क्या और उसकी क्रियान्विति क्या है, प्रश्न के माध्यम से इसलिये उठाया जाता है यहां और उस बात का जवाब नहीं आ पाता है, अध्यक्षजी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: देखिये, आप एक साथ खड़े होकर...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़: एक-एक सवाल का जवाब देने के लिये मंत्रीजी तैयार हैं, फिर भी 5-5 आदमी एक साथ खड़े हो जाते हैं। एक-एक चीज का जवाब देने के लिये सरकार तैयार है। फिर भी ये खड़े हो जाते हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप एक साथ खड़े होकर करते हैं तो सम्भव नहीं है मंत्रीजी के लिये जवाब देना। (व्यवधान)

श्री रामचन्द्र सराधना: आपसे कमजोर नहीं पड़ते हैं किरोड़ी लालजी, काहे को आप बोलते हैं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़: आप पूछो ना, यह क्या तरीका है 5-5 आदमी एक साथ खड़े हो गये।

श्री रामचन्द्र सराधना: आपके कहने से नहीं खड़ा हुआ, मैंने अध्यक्षजी से पूछा है। आपको क्या तकलीफ हो रही है।

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण करें। श्री तगाराम चौधरी ।

श्री तगाराम चौधरी: मैं आपके उत्तर का स्वागत करता हूं परन्तु मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 115 के तहत...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माफ करना, 2 क्वेश्चन में 37 मिनट हो गये।

श्री सी. डी. देवल: अध्यक्ष महोदय, यह जवाब ही नहीं दे रहे हैं। आपने कल भी कहा । कल भी अगला प्रश्न पुकार लिया और आज भी इनका जवाब आने से पहले अगला क्वेश्चन पुकार लिया। (व्यवधान)

श्री रामचन्द्र सराधना: आप जवाब तो दिलवायें। नहीं तो कोई मायने नहीं हैं, 20 मिनट निकाल दिये। (व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल: और ये कुछ बता ही नहीं पा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अब आप स्थान ग्रहण करें। माननीय उप नेता, आप भी स्थान ग्रहण करें।

श्री रामचन्द्र सराधना: माननीय अध्यक्षजी, आपसे निवेदन करते हैं यह 20-25 मिनट कोई काम के नहीं हैं, जब प्रश्न का जवाब नहीं आता है। (व्यवधान) तो क्या मायना है, प्रश्न करने का।

श्री रामनारायण मीणा: आप जवाब से संतुष्ट नहीं हैं तो दूसरे नियमों में आ जाइये। (व्यवधान) क्या दिक्कत है। (व्यवधान)

श्री तगाराम चौधरी: क्या प्रशासन को कोई इस तरह के निर्देश दिये गये हैं कि प्रक्रिया चालू की जाए। (व्यवधान)

श्री रामचन्द्र सराधना: यह क्या कारण है, कल भी मेरा जवाब नहीं आया, आज भी नहीं आ रहा है और उसमें आप मुझे मदद नहीं कर पा रही हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: दो क्वेश्चंस के अन्दर 39 मिनट हो गये हैं। मेरी जिम्मेदारी है 12 क्वेश्चन यहां पर आयें। (व्यवधान)

श्री रामचन्द्र सराधना: यह मेरा दोष है क्या, यह प्रश्नकर्ता का दोष नहीं है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मैंने नैक्स्ट क्वेश्चन पुकार लिया। यह मेरी जिम्मेदारी है कि यहां सारे क्वश्चंस आने चाहिए।

श्री रामचन्द्र सराधना: प्रश्नों के माध्यम से हम राजस्थान की जनता को बताना चाहते हैं कि सरकार जनता के लिये क्या कर रही है। (व्यवधान)

श्री तगाराम चौधरी: आप मेरे वाले क्वेश्चन पर बोल रहे हैं या पुराना ही गा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: लाखों रुपये खर्च होते हैं, क्वेश्चन का जवाब आने में और मेरी जिम्मेदारी है कि सब क्वेश्चंस का जवाब आये। (व्यवधान)

श्री कालूलाल गुर्जर: माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने अभी पूछा कि डिलिमिटेशन की कार्यवाही के लिये जिला प्रशासन को निर्देश दिये या नहीं दिये, यह कार्यवाही शुरू करने के लिये। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे यहां पर पंचायत एक्ट की धारा 115 में डिलिमिटेशन का प्रावधान है और उसमें यह लिखा हुआ है कि जब-जब नई

(श्री कालूराम गुर्जर)

जनगणना के आंकड़े प्राप्त होते हैं तब पंचायत संस्थाओं का पुनर्गठन किया जाएगा।

इसके पहले 1991 में इस तरह की डी-लिमिटेशन की कार्यवाही की गयी थी परन्तु नया एक्ट आने के बाद 1996-97 में नये जनगणना के आकड़े आ गये थे, उस समय में भी पुनर्गठन करना था परन्तु नहीं किया गया और जब 2004 में पुन: 2001 की जनगणना के आकड़े आये तब सरकार ने पुनर्गठन की प्रक्रिया पर विचार किया लेकिन उसके पहले दिनांक 23.01.2004 को डी-लिमिटेशन कमीशन, नई दिल्ली द्वारा परिसीमन कार्य शुरू, उनके द्वारा परिसीमन का कार्य शुरू कर दिया गया था इसलिए उन्होंने एक लैटर लिखकर हमको निर्देश दिया कि 15 फरवरी, 2004 की सीमाओं की स्थिति को यथावत रखा जाए, इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाए। उसके बाद हमने कमीशन को लैटर लिखा कि हमको चुनाव करवाने हैं इसलिए डी-लिमिटेशन की परमिशन दी जाए तो दिनांक 18.5.2005 को नई दिल्ली डी-लिमिटेशन कमीशन ने हमको सूचित किया कि अब आप डी-लिमिटेशन का कार्य कर सकते हैं लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, उन्हीं दिनों में 15.7.2005 से 22.8.2005 तक बाड़मेर के अलावा 31 जिलों में नगरपालिका के चुनाव थे और आचार-संहिता लग गयी इसलिए हम यह कार्य प्रारम्भ नहीं कर पाये। उसके बाद 22.11.2005 से 18.12.2005 तक भरतपुर शहर को छोड़कर उस जिले में चुनाव थे, फिर 6.1.2006 से 2.2.2006 तक राजसमन्द, टोड़ारायसिंह और मालपुरा नगरपालिका के चुनाव थे और 6.2 से चार दिन तक झुन्झुनूं नगरपालिका के चुनाव थे ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप तो यह बता दीजिए कि इरादा क्या है परिसीमन का? सीधी सी बात है ।

श्री कालूलाल गुर्जर: माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा तो निवेदन यह है कि इसके जो डी-लिमिटेशन की कार्यवाही अब हमने शुरू की है। हमने चूंकि इस पर धारा 12, 13 एवं 14 उसमें यह प्रावधान स्टेट पर छोड़ा हुआ है कि किस तरह से पंचायतें और पंचायत समिति और जिला परिषद् की सीमा में क्या तय होगी, कितनी जनसंख्या रखी जाएगी तो इसके ऊपर सरकार तय करेगी और तय करने का हमने मीमो बनाया है और उसके बाद यह मंत्रीमण्डल में हम भेजेंगे और एप्रूव हो जाने के बाद इसकी फिर विधिवत प्रक्रिया शुरू होगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें धारा 115 में यह प्रावधान

(श्री कालूराम गुर्जर)

है कि अगर डी-लिमिटेशन भी हो जाएगा तो जब तक वापस अगला चुनाव होगा तभी वह डी-लिमिटेशन के अनुसार पंचायतें बनेगी इसलिए अगले चुनाव के पहले-पहले हमको डी-लिमिटेशन करना है और मैं सदन को आश्वस्त करता हूं कि अगले चुनाव पंचायतों के, उससे पहले-पहले डी-लिमिटेशन की कार्यवाही कर दी जाएगी।

श्री अध्यक्ष: अगला चुनाव कौनसा ? विधान सभा का ? ...(व्यवधान)

श्री कालूलाल गुर्जर: विधान सभा का नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, पंचायतों के ।

श्री अध्यक्ष: पंचायतों का।

श्री हेमाराम चौधरी: पंचायतों के चुनावों से पहले तो आप चले जाएंगे। ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: क्या ऊटपटांग बात करते हो आप ? ...(व्यवधान)

श्री जुबेर खान: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि मंत्रीजी, आपने जो यह कहा है कि आप अगले ग्राम पंचायत के चुनाव के पहले कराएंगे तो आप तो स्पेसिफिक यह बताइये कि क्या सरकार ने अभी तक कोई मापदण्ड बनाये हैं क्या कि किस मापदण्ड के आधार पर, भौगोलिक एरिया या जनसंख्या के आधार पर क्या मापदण्ड के आधार पर आप ग्राम पंचायतों का, पंचायत समितियों का पुनर्गठन करेंगे और सरकार की मंशा कब तक है कि इसको कब तक आप पूर्ण करने का इरादा रखते हैं ? इसकी प्रक्रिया क्या रखेंगे? चुपचाप प्रस्ताव मंगाकर करेंगे या पब्लिश करेंगे पब्लिक के लिए, जन-प्रतिनिधियों के लिए, आपका क्राइटेरिया क्या होने जा रहा है, यह स्पेसिफिक बता दीजिए।

श्री अध्यक्ष: सारी बात बता दी। यहां पर भाषण देने की आवश्यकता नहीं है। सब बता दिया इन्होंने। सुन लीजिए जवाब आप। ...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन: सारी बात तो बता दी। ...(व्यवधान)

श्री कालूलाल गुर्जर: माननीय अध्यक्ष महोदय, सारी प्रक्रिया बता दी और मैंने यह निवेदन भी कर दिया, अभी सदन के सामने यह कहा है कि मापदण्ड तय करने के लिए विभाग ने अभी मीमो बनाया है लेकिन जब तक मंत्रीमण्डल से वह तय नहीं होगा, एप्रूव नहीं होगा, तब तक उसको मैं यहां सदन में नहीं बता सकता। ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: ठीक है, ठीक है। बिलकुल ठीक है। श्री कैलाश त्रिवेदी।

श्री प्रमोद जैन 'भाया' (बारां): मेरा इसी से संबंधित प्रश्न है, माननीय अध्यक्ष महोदय। ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: सारी बात उन्होंने कह दी है। जब तक तय नहीं होगा तब तक मैं सदन में नहीं बता सकता, खतम हो गयी बात। अब आगे ...(व्यवधान)

श्री प्रमोद जैन 'भाया' (बारां): नहीं इसी से संबंधित है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि पंचायती राज संस्थाओं के बिना परिसीमन और पुनर्गठन के हाल ही में बारां नगरपालिका क्षेत्र के आस-पास की ग्राम पंचायतों के 12 गांवों को नगरपालिका क्षेत्र में मिलाने हेतु क्या आपके विभाग ने एन.ओ.सी. जारी की है ? ...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: एन.ओ.सी. की आवश्यकता नहीं होती। ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अलग से प्रश्न है। नैक्स्ट क्वेश्चन, श्री कैलाश त्रिवेदी।

सहाड़ा विधान सभा क्षेत्र के अपूर्ण कार्य

127. **श्री कैलाश त्रिवेदी** (सहाड़ा): क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा(भीलवाड़ा) में दिनांक 01 जनवरी, 2003 से कितने कार्य स्वीकृत किये गये तथा इन कार्यों हेतु कितनी-कितनी राशि स्वीकृत की गयी? कितने कार्य पूर्ण हो गये व कितने अपूर्ण हैं? क्या सरकार अधूरे कार्यों को पूरा करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

वन मंत्री (श्री लक्ष्मीनारायण दवे): विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा में 01.01.2003 से वन विभाग द्वारा 29.099 लाख रुपये के 14 कार्य स्वीकृत किये गये। इनमें से 11 कार्य पूर्ण हैं तथा 3 कार्य प्रगति पर है। तीनों कार्य मार्च, 2006 तक पूर्ण कर लिये जाएंगे।

श्री कैलाश त्रिवेदी: माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय, यह बताने की कृपा करें कि आपने जो यह 11 कार्य स्वीकृत कराये, पूर्ण बताये हैं, यह 11 कार्य अकाल राहत में स्वीकृत हुए थे, यह मौके पर अपूर्ण हैं। क्या इन सभी कार्यों को आप पूर्ण करने की मंशा रखते हैं, विभागीय मद से या अकाल से या किससे ? इसके अलावा आप और कौन-कौन सी योजनाओं में, फोरेस्ट में काम करने की स्वीकृति देने का विचार रखते हैं, यह बताइये।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे: माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने अकाल राहत कार्य के 2003 के 13 कार्य हैं, जो इनकम्प्लीट हैं, उनको 30 जून, 2003 में बारिश आ जाने के कारण अकाल राहत कार्य बंद कर दिये गये थे। जब अकाल की स्थिति अगर उस क्षेत्र में होगी तो इन कार्यों पर ध्यान देकर कार्य पूर्ण करेंगे। ...(व्यवधान)

श्री कैलाश त्रिवेदी: अकाल की स्थिति है। माननीय मंत्री महोदय, अकाल में है इस वक्त भी। ...(व्यवधान)

श्री लक्ष्मीनारायण दवे: होगा तो इसको ले लेंगे। ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: श्री संयम लोढ़ा ।

सिरोही जिले में वितरित पेंशन

128. श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सिरोही जिले में कितनी विधवाओं, वृद्धों एवं विकलांगों को पेंशन उपलब्ध कराई जाती है ?

(2) सिरोही जिले के उक्त पेंशन लाभार्थियों को वर्ष 2005 में प्रत्येक माह की पेंशन किस-किस तिथि को उपलब्ध कराई गई है? प्रत्येक माह का विवरण मय तिथि तहसीलवार सदन की मेज पर रखें।

समाज कल्याण मंत्री (श्री मदन दिलावर): (1) सिरोही जिले में 4026 विधवाओं, 3515 वृद्धों एवं 1748 विकलांगों को जनवरी, 2006 तक पेंशन उपलब्ध कराई गई है।

(2) सिरोही जिले में उक्त पेंशन लाभार्थियों को वर्ष 2005 में पेंशन भुगतान संबंधित डाकघर द्वारा मनीआर्डर के माध्यम से किया गया है। इसका तिथि अनुसार व तहसीलवार विवरण संलग्न परिशिष्ट-1 सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

श्री संयम लोढ़ा: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि सिरोही जिले की जो पांच तहसीलें हैं इसमें सिरोही तहसील में विकलांगों की मई महीने की पेंशन का आपने भुगतान किया है जुलाई महीने में। विधवाओं की अप्रैल महीने की पेंशन का आपने भुगतान किया जून महीने में और रेवदर तहसील के अन्दर विधवाओं की मई महीने की पेंशन का आपने भुगतान किया जुलाई महीने में, जुलाई की पेंशन का भुगतान

(श्री संयम लोढ़ा)

किया आपने सितम्बर महीने में। शिवगंज तहसील में आपने वृद्धों की पेंशन का, जनवरी की पेंशन का भुगतान किया मई महीने में और विधवाओं और विकलांगों और वृद्धों की मई महीने की पेंशन का भुगतान किया आपने सितम्बर महीने में। आबूरोड़ तहसील में वृद्धों की जून की पेंशन का आपने भुगतान किया सितम्बर महीने में और पिण्डवाड़ा तहसील में विधवाओं और विकलांगों की फरवरी की पेंशन का भुगतान किया जून महीने में और विधवाओं की जून की पेंशन का भुगतान किया सितम्बर महीने में। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप इतना ही पूछें कि इतना डिले करने का कारण क्या था, यह क्वेश्चन पूछिये आप। ...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा: प्रभारी मंत्री हर महीने दौरा करते हैं। प्रभारी सचिव हर महीने दौरा करते हैं। मुख्य मंत्री कलक्टरों की कान्फ्रेंस करती है पर यह समाज का जो सबसे वंचित वर्ग है, उसको हर महीने पेंशन का भुगतान मिले, इस बात की सरकार व्यवस्था सुनिश्चित नहीं करना चाहती है। ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: भाषण नहीं, अब आप पूछिये।

श्री संयम लोढ़ा: भाषण नहीं दे रहा हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: आप तो डिले करने का कारण बतायें, माननीय मंत्रीजी अब आप उत्तर दें। माननीय मंत्रीजी।

श्री संयम लोढ़ा: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि एक तो यह जो डिले हुआ है यह तो हर महीने जो डिले हुआ है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है ? सरकार क्या कार्यवाही कर रही है कि हर महीने इस वर्ग के लोगों को पेंशन का भुगतान हो ?...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: देरी का कारण स्पष्ट करें। यह बता दें आप। ...(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर: मैं बता रहा हूं साहब, बता रहा हूं। ...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा: हर महीने हो, इसके संबंध में सरकार क्या व्यवस्था करना चाहती है?

श्री अध्यक्ष: वे देरी का कारण बताएंगे तो वे बता रहे हैं। देरी का कारण बताइये। आप विराजिये।

श्री मदन दिलावर: माननीय अध्यक्ष महोदय, जब से यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तब से लगातार पेंशन का भुगतान होता जा रहा है। यह सच है कि कुछ दो-तीन महीने ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: सुनिये ।

श्री मदन दिलावर: पेंशन भुगतान में विलम्ब हुआ है और उसका विलम्ब का कारण भी बता देता हूं क्योंकि अब कम्प्यूटर्राइज मनीआर्डर से भुगतान होने लगा है और जो कम्प्यूटर्राइज मनीआर्डर के फार्म देता है वह डाकघर उपलब्ध कराता है। डाकघर कई बार समय पर हमको उपलब्ध नहीं करा पाता और हमारी बाध्यता यह है कि यदि डाकघर उपलब्ध नहीं कराता है तो जब तक वह एन.ओ.सी. नहीं दे दे, तब तक हम हमारे फार्म नहीं छपवा पाते हैं। हमने कई बार पत्र लिखा है। उसके बावजूद भी उन्होंने हमको तीन महीने के बाद लगभग 17.8.2005 को एन.ओ.सी. उपलब्ध करवायी है कि अब आप छपवा सकते हैं। मैं आपको जो कोषालय से हमने जो पत्र लिखे हैं उनकी दिनांक बता देता हूं। हमने 25.5 को भी लिखा है, 18.7 को भी लिखा, 23.7 को भी लिखा और उसके पहले भी हम लिखते रहे हैं। एन.ओ.सी. आने के बाद हमने फार्म छपवाये और फार्म छपवाकर हमने वह कोषालय में भेजे, इसके कारण से यह विलम्ब हो गया है।

मैं यह आश्वस्त करना चाहता हूं माननीय सदस्य को, अब इस प्रकार का विलम्ब नहीं होने देंगे और इसलिये हमने अधिकारियों को सख्त निर्देश दे दिये हैं।

श्री अध्यक्ष: श्री प्रहलाद गुंजल।

कोटा में निगम सेवा विहीन मार्गों पर निजी बस सेवा

129. श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सरकार द्वारा जिला कोटा में कितने मार्गों पर चल रही निगम बसों को घाटे की स्थिति बताकर बन्द कर दिया गया ?

(2) सरकार उन मार्गों पर बसों के पुनर्संचालन के लिये क्या कार्यवाही कर रही है? यदि नहीं, तो क्या सरकार उन मार्गों पर निजी बसों को परमिट देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

यातायात मंत्री (श्री युनूस खान): (1) कोटा जिले में संचालित बस

(श्री युनूस खान)

सेवाओं में से 8 परिचक्रों का संचालन समय विशेष पर घाटे के कारण बन्द किया गया है। कोटा जिले के ऐसे तीन राष्ट्रीयकृत मार्ग हैं, जिन पर निगम द्वारा संचालन प्रस्तावित नहीं है।

(2) जिन समय विशेष की 8 बस परिचक्रों को घाटे के कारण बन्द किया गया है, उनके अनार्थिक रहने के कारण पुन: संचालन का फिलहाल कोई विचार नहीं है। जिन राष्ट्रीयकृत राजमार्गों पर निगम बसें संचालित नहीं कर रहा है, उन मार्गों को गुणावगुण एवं जन सुविधा के आधार पर राज्य सरकार द्वारा उचित निर्णय लिया जायेगा।

श्री प्रहलाद गुंजल: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि आपने खण्ड-1 में यह कहा है कि कोटा जिले में संचालित बस सेवाओं में से 8 बस परिचक्रों का संचालन समय विशेष घाटे के कारण बंद कर दिया गया है। पहले तो आप यह बतायेंगे कि वह कौनसे आठ मार्ग हैं जिन पर बसों का संचालन बंद किया है? खण्ड-2, माननीय मंत्री महोदय ने यह बताया है कि जिन राष्ट्रीयकृत राजमार्गों पर निगम बस संचालित नहीं कर रहा है उन मार्गों पर गुणावगुण व जन सुविधा के आधार पर राज्य सरकार द्वारा उचित निर्णय लिया जायेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से जानना चाहता हूं कि जिन मार्गों पर आपने बसों का संचालन बंद कर दिया, अब उन मार्गों पर गुणावगुण के आधार पर निर्णय लेने का क्या आधार रहेगा, यह स्थिति भी सदन को स्पष्ट करें। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि जिन 8 मार्गों पर पिछले 50 सालों से बसों का संचालन हो रहा है और लगातार 40-50 सालों से, कहीं 20 साल से हम सेवाएं देते आ रहे हैं और अचानक उन मार्गों पर घाटे की स्थिति बताकर उन मार्गों पर बसों का संचालन बंद कर देना, उसके कारणों में नहीं जाना क्या सरकार की यह जिम्मेदारी नहीं बनती कि अगर घाटे में बस चल रही है तो आम नागरिकों को परिवहन की सुविधा उपलब्ध कराई जानी चाहिये। घाटे में बताकर हम राजस्थान के आम नागरिकों को, कोटा जिले के आम नागरिक को परिवहन की सुविधा से वंचित कर दें जिसको हम 30-40 साल से मुहैया करा रहे थे, यह कहां तक उचित है। यह माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं।

श्री युनूस खान: माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने आठ मार्ग पूछे हैं कोटा जिले में आठ मार्गों में- बारां-डिबरी, बारां – निमोली, कोटा-बुडादिद, कोटा-

(श्री युनूस खान)

मांगरोल, कोटा-रामगंजमंडी, कोटा- बकानी, कोटा-इकलेरा, सांगोद-कोटा-बापावरदरा, यह सारी बसें कम लोड फैक्टर मिलने की वजह से और अधिक खर्चा होने की वजह से बंद की गयी हैं और यह अचानक बंद नहीं की गयी। अलग-अलग वर्षों में 2004-05 में अलग-अलग वर्षों में बंद की गयी हैं। जो बसें बंद हुई हैं उनमें हमारे रोड़वेज का लोड फैक्टर, यात्रियों का भार है वह 33 प्रतिशत, 45 प्रतिशत और 47 प्रतिशत और 50 प्रतिशत है, औसत लगभग 45 प्रतिशत आया है, इसलिये की गयी है और इन पर हमारा जो खर्चा है वह भी बहुत ज्यादा हो रहा था। इनकी लागत लगभग 16 रुपये के आसपास हो रही थी और आय आठ रुपये के लगभग आ रही थी, इसलिए इन बसों को बंद किया गया है। आपने दूसरा मुद्दा उठाया कि जन सुविधा को देखते हुए क्या सरकार इस तरीके का विचार रखती है तो पिछले साल में जो हमारे संभाग मुख्यालय हैं उनके आसपास उप नगरीय बस सेवाएं भी शुरू की थीं जिसका माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अपना बजट पेश करते हुए जिक्र भी किया। उनमें भी कुछ और सुविधा देकर उसकी समीक्षा करके हम उप नगरीय बसों को भी शुरू करेंगे। उसके अलावा पिछले साल हमने ग्रामीण रूट्स भी नये शुरू किये हैं तो उन पर भी अभी ज्यादा पापुलर नहीं हुए हैं लेकिन सरकार यह विचार रखती है कि हमारे जो ग्रामीण रूट्स हैं उनमें जो प्रचलित हमारा टैक्स है, उसमें थोड़ा संशोधन करके ग्रामीण जनता को आवागमन की सुविधाएं अच्छी मिले, उसके लिये सरकार इस पर गंभीरता से विचार कर रही है और मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहूंगा कि कोई भी इन मार्गों पर और स्टेट कैरिज के लोग परमिट लेने के लिये आयेंगे तो सरकार उस पर भी विचार करेगी।

श्री अध्यक्ष: श्री रिछपाल सिंह मिर्धा। परसों बजट में कह दिया था न मुख्य मंत्रीजी ने 40 कि.मी. तक वाले तो कह ही दिया था, 50 तक तो कह ही दिया था। (व्यवधान)

श्री प्रहलाद गुंजल: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से केवल एक प्रश्न करना चाहूंगा (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आपको मौका मिले तब बोलियेगा । (व्यवधान)

श्री प्रहलाद गुंजल: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से केवल एक प्रश्न मंत्री महोदय से करना चाहूता हूं ।

श्री अध्यक्ष: अब मैंने नैक्स्ट क्वेश्चन पुकार लिया गुंजल साहब।

श्री प्रहलाद गुंजल: एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। केवल एक प्रश्न पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: अब तो मैंने नैक्स्ट क्वेश्चन पुकार लिया। दूसरा प्रश्न पुकार लिया।

श्री प्रहलाद गुंजल: सरकार गुणावगुण के आधार पर जब तक विचार को पूरा नहीं करती इन मार्गों पर निजी बसों को परमिट देने के बारे में सरकार विचार रखती है? मैंने मूल प्रश्न पूछा है।

श्री अध्यक्ष: मैंने अगला प्रश्न पुकार लिया न।

श्री प्रहलाद गुंजल: अध्यक्ष महोदय, मैंने मूल प्रश्न में पूछा है जिसका उत्तर नहीं आया। निजी बसों को परमिट देने का विचार रखती है क्या सरकार और विचार रखती है तो क्या इसके बारे में सूचना प्रसारित की गयी है और नहीं तो कब तक सूचना प्रसारित कर दी जायेगी ?

श्री प्रभुलाल वर्मा: माननीय अध्यक्ष महोदय, आप कह रहे हैं कि घाटे के कारण बसें बंद की गयी हैं। ..(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: नाट अलाउड, मैंने अगला प्रश्न पुकार लिया।

श्री प्रभुलाल वर्मा: कोटा से उसको रामगंजमण्डी कर दिया। वह रूट एक ही है, सिर्फ रूट बदलकर उधर कर दिया। भम्भोरीकलां बहुत बड़ा कस्बा है। कम से कम 30 हजार की आबादी का कस्बा है आज की तारीख में और वहां आपने बसें बंद कर दी और वह भी घाटा बताकर। ....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मैंने अगला प्रश्न पुकार लिया न, क्या आपकी सीटों पर तकलीफ हो गयी क्या? नैक्स्ट क्वेश्चन, श्री रिछपाल मिर्धा।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा: इधर से कोई खड़ा नहीं हुआ।...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आई एम सारी, अब कृपया बैठ जायें। आई एम सारी। श्री रिछपाल मिर्धा।

डेगाना (नागौर) तहसील के राशन डीलरों के विरुद्ध कार्यवाही

130. **श्री रिछपाल सिंह मिर्धा** (डेगाना): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि तहसील डेगाना (नागौर) में राशन द्वारा वितरित किये जाने वाले केरोसीन की कालाबाजारी एवं वितरण में की गई

(श्री रिछपाल सिंह मिर्धा)

अनियमितताओं की शिकायतें गत दो वर्षों में सरकार को प्राप्त हुई थी? यदि हां, तो किन किन ग्रामों की? विवरण ग्रामवार सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त प्रकरण की शिकायतें प्राप्त होने के बाद सरकार द्वारा जांच की गयी? यदि हां, तो किस अधिकारी द्वारा व जांच का परिणाम क्या रहा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार द्वारा उक्त प्रकरण की जांच में दोषी पाये जाने वाले राशन डीलरों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री (डा. किरोड़ी लाल मीणा): (1) तहसील ड़ेगाना के राशन डीलर्स द्वारा केरोसीन की कालाबाजारी एवं वितरण में अनियमितताओं की शिकायतें प्राप्त हुई। संबंधित गांवों की सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) आलोच्य शिकायत प्राप्त होने पर जांच हेतु जिला कलक्टर के निर्देशन में जांच दल गठित कर जांच करवायी गयी। जांच दल में प्रवर्तन अधिकारी नागौर, मेड़ता एवं प्रवर्तन निरीक्षक नागौर (मुख्यालय) एवं स्थानीय प्रवर्तन निरीक्षक ड़ेगाना को लगाया गया। जांच दल द्वारा क्षेत्र में डीलर्स के स्टाक एवं वितरण रजिस्टर कब्जे में लेकर स्टाक का सत्यापन किया गया, जो सही पाये जाने पर क्षेत्र के उपभोक्ताओं से सम्पर्क कर राशन कार्ड प्राप्त कर उपभोक्ताओं के समक्ष ही वितरण रजिस्टर से मिलान किया गया। जांच दौरान अधिकतर राशनकार्ड में दी गयी मात्रा का अंकन नहीं करना, मूल्य एवं स्टाक सूची बोर्ड पर केरोसीन की आवक/वितरण एवं मूल्य का अंकन नहीं करना तथा राशन कार्डों का यूनिट रजिस्टर संधारण नहीं करना पाया गया है जिसके लिये संबंधित डीलर्स के विरुद्ध मामलात दर्ज किये गये। सूचना परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(3) जांच में दोषी पाये गये सभी 12 डीलर्स के विरुद्ध राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक वस्तु (वितरण का विनियमन) आदेश, 1976 के अन्तर्गत विभागीय प्रकरण दर्ज किये गये। इनमें से 2 डीलर्स की गंभीर अनियमितताओं के मध्यनजर प्राधिकार पत्र निलम्बित किये गये एवं कार्यवाही लम्बित है। नोटिस देकर जवाब मांगा गया है। विस्तृत सूचना परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(सूचना के लिए कृपया परिशिष्ट-2 देखें)

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से यह जानना चाहता हूं कि राज्य सरकार ने केरोसीन आबंटन के लिये जिला रसद अधिकारी नागौर को क्या निर्देश दिये और नम्बर-दो क्या जिला रसद अधिकारी नागौर ने उन निर्देशों के अन्तर्गत एस.डी.एम. ड़ेगाना को केरोसीन डीलर को केरोसीन आबंटित करने का अधिकार दिया? यदि हां, तो एस.डी.एम. ने किन मापदण्डों के आधार पर केरोसीन डीलरों को केरोसीन का वितरण किया? माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा माननीय मंत्रीजी से निवेदन है कि मैंने यह सवाल इसलिए पूछा कि गरीब की चिमनी तो केरोसीन के लिए तरसती है और यह जो केरोसीन भेदभाव करके एक रिटेलर को 500 लीटर, एक रिटेलर को 800 लीटर, एक रिटेलर को 900 लीटर और एक रिटेलर को बराबर कार्ड होते हुए और बराबर जनसंख्या होते हुए दो हजार लीटर केरोसीन आबंटन किया गया, इसके क्या मापदण्ड हैं? और अगर किया है तो आप उसके खिलाफ क्या कार्यवाही करने का विचार रखते हैं? मंत्रीजी, बस इतना ही बता दें।

डा. किरोड़ी लाल मीणा: अध्यक्ष महोदय, आबंटन जिला रसद अधिकारी ही करता है, एस.डी.ओ. ने आबंटन कैसे किया, यह समझ से बाहर है तो उसमें हम कार्यवाही करेंगे।

दूसरी बात, जो आबंटन में गड़बड़ बतायी है दस-बारह डीलर्स के वहां जो उसमें पक्षपात एस.डी.ओ. ने किया है उसके खिलाफ ए.डी.एम. को हमने जांच करने के आदेश दे दिया है, जांच आते ही उनके खिलाफ कार्यवाही...(व्यवधान)

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा: बस वही है, जांच हो जाए।

श्री सुरेश मीणा (करौली): माननीय मंत्रीजी, मैं इस सम्बन्ध में एक सवाल पूछना चाहता हूं।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर एवं अतारांकित प्रश्नोत्तर के लिए आगे देंखे)

श्री अध्यक्ष: प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:-

(1) श्री बाबूलाल नागर एवं 36 अन्य सदस्यों की ओर से प्रदेश के 15778 गांवों को अभावग्रस्त घोषित करने के उपरान्त भी वहां अकाल राहत कार्य शुरू नहीं करने एवं दोबारा गिरदावरी की मांग के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

दोबारा, इनके अलावा करा रहे हो कि इन्हीं की दोबारा करा रहे हो 15778 की?

श्री अमराराम (धोद): दोबारा, जो अकाल होते हुए नहीं की गयी है मांग, यह तो हो ही गयी न।

श्री अध्यक्ष: यह तो लिखा नहीं न, लिखा तो यह ही है।

(2) श्री हेमाराम चौधरी एवं एक अन्य सदस्य की ओर से जिला बाड़मेर में रबी की फसल ईसबगोल नष्ट होने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयों पर कल सदन में चर्चा हुई है। बजट पर सामान्य वाद-विवाद के दौरान भी माननीय सदस्यों को चर्चा करने का पर्याप्त अवसर उपलब्ध है, इन स्थगन प्रस्तावों की अनुमति देने में असमर्थ हूं।

(3) श्री विनोद कुमार एवं आठ अन्य सदस्यों की ओर से नगर पालिका हनुमानगढ़ के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के उपरान्त भी वहां कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं करने के सम्बन्ध में।

स्थगन प्रस्ताव के रूप में तो अनुमति देने में असमर्थ हूं लेकिन मैं चाहूंगी कि माननीय मंत्री महोदय इस सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट कर दें।

प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं

प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत जो सूचनाएं प्राप्त हुई हैं:-

(1) श्री अशोक कुमार नवलखा, सदस्य की ओर से अजमेर-इन्दौर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 79 के किलोमीटर 219 स्थित चैक पोस्ट को एक किलोमीटर आगे स्थापित करने के सम्बन्ध में।

(2) श्री जीतमल खांट, सदस्य की ओर से उदयपुर संभाग के समस्त जिलों के राजस्व रिकार्ड में किस्म जंगल शब्द हटवाने के सम्बन्ध में।

(3) श्री रणधीर सिंह भिण्डर, सदस्य की ओर से तहसील धरियावद में कृषि उपज मण्डी का निर्माण करने के सम्बन्ध में।

(4) श्री के. डी. बाबर, सदस्य की ओर से जिला सीकर की तहसील फतेहपुर एवं लक्ष्मणगढ़ के बीमित किसानों को उनकी मुआवजा राशि तुरन्त उपलब्ध करवाने के सम्बन्ध में।

(5) श्री शंकर सिंह राजपुरोहित, सदस्य की ओर से जालौर एवं आहौर को पेयजल उपलब्ध करवाने एवं फ्लोराइड से मुक्त कराने के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

(6) श्री बनवारीलाल शर्मा, सदस्य की ओर से जिला धौलपुर के कूकपुरताल केनाल पर बने एक्वाडक्ट की मरम्मत हेतु बजट प्रावधान करने के सम्बन्ध में।

(7) श्री बृजकिशोर शर्मा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र जयपुर ग्रामीण के कुछ इलाकों में मिनी बस की सेवाएं उपलब्ध करवाने के सम्बन्ध में।

(8) श्री खुशवीर सिंह, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र खारची की कतिपय पंचायतों को मगरा विकास क्षेत्र में शामिल करने के सम्बन्ध में।

(9) डा.ओ.पी. महेन्द्रा, सदस्य की ओर से श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय पर राजकीय कृषि महाविद्यालय खोलने के सम्बन्ध में।

(10) श्री बहादुर सिंह गोदारा, सदस्य की ओर से नोहर के श्री बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिकाओं के बकाया वेतन के भुगतान के सम्बन्ध में।

(11) श्री रामकिशोर मीणा, सदस्य की ओर से राज्य में सीमेंट आधारित उद्योगों को जिन्दा रखने के लिए सीमेंट की उपलब्धता बढ़ाने के सम्बन्ध में।

(12) श्री हीरालाल निवाई, सदस्य की ओर से राज्य में वर्ष 1995 के बाद शीघ्रलिपिक भर्ती परीक्षा आयोजित नहीं होने के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गयी सूचना पढ़ने की अनुमति होगी।

खेद प्रकट

श्योपतसिंह श्री, पूर्व विधायक को विधान सभा में प्रवेश न देने पर

इससे पूर्व की मैं 295 के लिए किसी का नाम पुकारूं, मैं आसन की ओर से खेद प्रकट करती हूं कि कल श्योपत सिंहजी, जो पूर्व विधायक भी हैं और संसद के सदस्य भी हैं, उनके साथ जिस प्रकार भी उन्हें बाहर किया गया उसके लिए मैं खेद प्रकट करती हूं।

कारण उसका यह हुआ कि गृह विभाग से एक सूचना आयी थी और उस सूचना में उनका नाम भी था कि यह इन लोगों को यहां पर आने से रोका जाए।

गृह विभाग ने जिन लोगों को यह सूची संलग्न की थी वह सूची मेरे नोटिस में नहीं लायी गयी और बिना मेरी अनुमति के वह सूची के आधार के ऊपर जो कुछ हुआ उसके लिए मैं आसन की ओर से खेद प्रकट करती हूं।

श्री अमराराम (धोद): नहीं, अध्यक्ष महोदय, आसन की तरफ से तो ठीक है लेकिन गृह विभाग, गृह मंत्रीजी मौजूद हैं, आप विराजें, आपने खेद प्रकट किया उसके लिए तो हम आपके आभारी हैं लेकिन गृह विभाग है, गृह मंत्रीजी यहां मौजूद हैं, जो चार दफे इस सदन के सदस्य रहे हैं, पार्लियामेंट के सदस्य रहे हैं और ऐसी कोई गतिविधि आपकी सरकार आने के बाद यह हो सकता है कि राजस्थान के किसान की, गरीब की, मजदूर की बात रखने और आन्दोलन करने में हो लेकिन ऐसी कोई गतिविधि श्योपत सिंहजी की रही हो और आपका विभाग अवांछनीय घोषित कर दे, मैं समझता हूं कि इतनी बड़ी तो दुर्भाग्यपूर्ण बात नहीं हो सकती।

आपके ध्यान में नहीं लाया गया लेकिन गृह विभाग और इतने सक्षम गृह मंत्रीजी हैं और ऐसे व्यक्ति के बारे में एक भी अगर घटना हो, उल्टा उन्होंने तो राजस्थान में रावला-घड़साना में लोगों को शांत करने का काम किया, सरकार की मदद करने का काम किया है और आपके अधिकारी हनुमानगढ़ और गंगानगर से ऐसी रिपोर्ट भेजते हैं और यहां तक आती है तो यह मैं समझता हूं कि सबसे बड़ी अफसोसजनक है और गृह मंत्रीजी को ऐसे अधिकारी जिन्होंने यह रिपोर्ट भेजी है, जिन्होंने कानून और व्यवस्था बनाने में आगे बढ़ कर मदद की है, हजारों, 25 हजार लोग जो घड़साना में थे...

श्री अध्यक्ष: अब बात हो गयी।

श्री अमराराम (धोद): इसलिए ऐसे अधिकारियों के खिलाफ आपको सख्त कार्यवाही करनी चाहिए और दोबारा इस तरह की घटना नहीं हो...

श्री अध्यक्ष: दोबारा ऐसी घटना नहीं होगी, इस बात के लिए तो मैं आश्वस्त करती हूं आपको। ...(व्यवधान)

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली): और, अध्यक्ष महोदय, सदन के किसी भी पूर्व सदस्य के साथ इस प्रकार का व्यवहार बड़ा ही अशोभनीय है, जो नहीं होना चाहिए। सरकार को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण करें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, आपने जो विषय रखा, मैं सोचता हूं श्री श्योपतसिंहजी मेरे साथ भी सांसद भी रहे, विधायक भी रहे और उनके स्वभाव और उनके आचरण से में पूर्णत: वाकिफ हूं। क्या घटना घटी, आपने जो मेरे ध्यान में लाया है, में अपने अधिकारियों के साथ बैठ कर के चर्चा कर के क्यों ऐसी बात हुई और उसकी जहां भी कहीं

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

कमी रही है उस कमी को मैं और मेरे विभाग के अधिकारी निश्चित प से उसको देखेंगे।

एक माननीय सदस्य: खेद प्रकट कर दो।

श्री अध्यक्ष: आसन के खेद प्रकट करने के बाद कोई खेद व्यक्त करने की आवश्यकता नहीं है ...(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया: हां भई, खेद प्रकट करता हूं। अगर खेद कहने से भी आपको अच्छा लगता है तो मुझे कोई अफसोस नहीं (व्यवधान) खेद प्रकट करता हूं।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): अध्यक्ष महोदय, मुझे एक सूचना देनी है आपको।

श्री अध्यक्ष: अब आप बीच में नहीं बोलें।

श्री श्रवण कुमार: एक सूचना है।

श्री अध्यक्ष: नहीं, अब कुछ नहीं सूचना, अब आप मेहरबानी कर के स्थान ग्रहण कर लें।

श्री श्रवण कुमार: अध्यक्ष महोदय, सूचना दे रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: अब यह जीरो आवर में कोई सूचना नहीं होती है, मैं आपको कह रही हूं, आप समझते ही नहीं किसी चीज को।

श्री श्रवण कुमार: हमारा सूरजगढ़ का संघ आया था, एक आदमी को मार दिया, पुलिस ने सब को पीटा है, बुरी तरह से घायल कर दिया...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, सूरजगढ़ का सवाल हो चाहे कहीं और का सवाल हो, इस समय अनुमति नहीं दे सकती।

श्री श्रवण कुमार: अंकित मत करो, बात सुनो तो सही।

श्री अध्यक्ष: यह कोई तरीका नहीं है आपका, माननीय सदस्य, आप मुझे मजबूर कर रहे हैं।

श्री श्रवण कुमार: हमारे सूरजगढ़ के संघ को बुरी तरह पीटा पुलिस ने..

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो।

श्री श्रवण कुमार: ×××

श्री अमराराम (धोद): ×××

श्री अध्यक्ष: आप अव्यवस्था फैलाते हैं, पिलानी से आने वाले माननीय सदस्य, आप अव्यवस्था फैला रहे हैं, यह मौका नहीं है इस तरह से खड़े होकर, चाहे जब खड़े हो जाते हैं और चाहे जो कुछ बोलने लग जाते हैं। मैंने जो व्यवस्था दी है उसके मुताबिक प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत अनुमति होगी। कोई तरीका नहीं है आपका...(व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार: ×××

श्री अध्यक्ष: स्थिति स्पष्ट करें, माननीय मंत्रीजी, आप कभी भी ...(व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार: ×××

श्री अध्यक्ष: स्वायत्त शासन मंत्रीजी, मैंने जो हनुमानगढ़ की बात कही थी उसके बारे में अभी आवश्यक नहीं है, आप जब चाहें तो स्थिति को स्पष्ट कर देना...(व्यवधान) वही मैंने कहा, जब चाहें स्थिति स्पष्ट कर देना आप बस। ...(व्यवधान) श्री अशोक कुमार नवलखा।

श्री बाबूलाल नागर: राजस्थान में 22 जिलों में...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कल चर्चा हो चुकी है। अंकित नहीं हो।

श्री हरिमोहन शर्मा: ×××

श्री हेमाराम चौधरी: ×××

श्री बाबूलाल नागर: ×××

श्री अध्यक्ष: कल इस पर चर्चा हो चुकी है। आपके कहने का क्या औचित्य है?

श्री बाबूलाल नागर: ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो रहा है ..(व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर: ×××

श्री अध्यक्ष: दूदू से आने वाले माननीय सदस्य आसन पांवों पर है, आसन पांवों पर है, आसन पांवों पर है, दूदू से आने वाले माननीय सदस्य...

मोहम्मद माहिर आजाद: ×××

श्री महीपाल यादव: ×××

श्री अशोक (खण्डार): ×××

श्री अमराराम (धोद): ×××

श्री अध्यक्ष: कृपया स्थान ग्रहण करें, कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री महीपाल यादव: ×××

श्री अध्यक्ष: आसन का सम्मान करना....

श्री महीपाल यादव: ×××

श्री अध्यक्ष: आप स्थान ग्रहण कर लें। बानसूर से आने वाले माननीय सदस्य, आपसे कह रही हूं मैं स्थान ग्रहण करें, आप स्थान ग्रहण करें।

श्री हेमाराम चौधरी: ×××

श्री अध्यक्ष: गुढामलानी से आने वाले माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

श्री हेमाराम चौधरी: ×××

श्री महीपाल यादव: ×××

श्री बाबूलाल नागर: ×××

श्री अध्यक्ष: आप पहले आसन को सुनें और स्थान ग्रहण करें। आसन का सम्मान करना पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों की जिम्मेदारी है। उससे कोई पक्ष को उसमें नहीं मिल जाती है छूट कि पक्ष चाहे जैसे करे। सत्ता पक्ष को भी मानना चाहिए कि आसन जब पांवों पर हो तो मन्त्री गणों को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए । लेकिन मैं आपसे एक बात कह रही हूं दुदू से आने वाले माननीय सदस्य, कल चर्चा हो चुकी है..(व्यवधान) यह क्या तरीका है? यह क्या तरीका है?

श्री हेमाराम चौधरी: ×××

श्री अध्यक्ष: आप पुराने सदस्य हो गुढामालानी से आने वाले माननीय सदस्य, आप कई बार आ चुके हो इस सदन में, यह क्या तरीका है? यह क्या तरीका है? दूदू से आने वाले माननीय सदस्य, मैं कई बातों को बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं आपसे कह रही हूं, मैं आपसे निवेदन करना चाह रही हूं । आप सबको मौका मिलेगा, बजट के ऊपर चर्चा जब हो रही है तो अपनी बात कहने का पूरा मौका मिलेगा और उसमें ..(व्यवधान) नहीं आसन किसी के कहने से बैठेगा क्या....

श्री रामनारायण मीणा: ×××

श्री अध्यक्ष: आप पहले सुनिए।

श्री बाबूलाल नागर: ×××

श्री अध्यक्ष: तो क्या हुआ?

श्री बाबूलाल नागर: ×××

श्री अध्यक्ष: आप मेरी बात सुन लीजिए, अब आप आसन की बात सुन लीजिए। स्थगन प्रस्ताव का मतलब होता है इतनी महत्वपूर्ण हाल की घटना जिसके लिए सदन की पूर्व निश्चित कार्यवाही छोड़कर के उस पर चर्चा कराई जाए।

श्री हेमाराम चौधरी: ×××

श्री बाबूलाल नागर: ×××

श्री अध्यक्ष: गुढ़ामालानी से आने वाले सदस्य....

श्री बाबूलाल नागर: ×××

श्री अशोक (खण्डार): ×××

श्री बाबूलाल नागर: ×××

श्री अध्यक्ष: आप इस सदन को क्या बनाना चाहते हैं? ..(व्यवधान) आप क्या बनाना चाहते हैं? आप यहां से पलायन करो वह ज्यादा अच्छा होगा। आप यहां से पलायन करो तो ज्यादा अच्छा रहेगा।

श्री अर्जुन सिंह : ×××

श्री रामनारायण मीणा: ×××

श्री बाबूलाल नागर: ×××

श्री अध्यक्ष: आप इस तरीके से आसन की उपेक्षा कर रहे हैं यह गलत बात है। मैं इसको सीरियसली लूंगी...(व्यवधान) मैं इसको गंभीरता से लूंगी, आसन इसको गंभीरता से लेगा, आप लगातार उपेक्षा कर रहे हैं। मैं आपको चेतावनी दे रही हूं ...(व्यवधान) आसन गंभीरता से लेगा।

श्री बाबूलाल नागर: ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित कुछ नहीं हो।

श्री रामनारायण मीणा: ×××

श्री श्रवण कुमार: ×××

श्री महावीर प्रसाद जैन: आसन का सहयोग करेंगे सर्वदलीय बैठक में यह तय हुआ था, इस पर चर्चा भी हो चुकी है और इसके अलावा अप्रेल में अकाल पर अलग से चर्चा होने का भी तय हुआ था। मैं अन्दर की बात यहां नहीं कहना चाहता लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि बहुत सारे अवसर हैं ...

श्री रामनारायण मीणा: ×××

श्री महावीर प्रसाद जैन: क्या जानते हैं आप? आप उप नेता हैं और आसन खड़े हैं ... क्या जानते हैं आप?

श्री रामनारायण मीणा: ×××

श्री महावीर प्रसाद जैन: इसलिए मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि बहुत अवसर हैं ऐसे।

श्री अध्यक्ष: जितनी किसानों की आपको चिन्ता है उतनी चिन्ता मुझे है। आप क्या मुझे बता रहे हैं? आपसे ज्यादा चिन्ता है मुझे, क्या कह रहे हैं आप?

श्री रामनारायण मीणा: ×××

श्री अध्यक्ष: मैं खेती करती हूं आपका पता नहीं करते हो कि नहीं करते हो, मैं करती हूं मुझे मालूम है।

श्री रामनारायण मीणा:×××

श्री महावीर प्रसाद जैन: नौ बार चुनकर आए हैं अध्यक्षजी, आप इनको चैलेंज कर रहे हैं, नौ बार चुनकर आए हैं।

श्री रामनारायण मीणा: ×××

श्री अध्यक्ष: मैं एक पूरा दिन दूंगी अकाल और पानी के अभाव पर चर्चा करने के लिए पूरा दिन दूंगी लेकिन इस तरीके से स्थगन प्रस्ताव को मंजूर नहीं करूंगी।

श्री रामनारायण मीणा: ×××

श्री जुबेर खान: ×××

श्री श्रवण कुमार: ×××

श्री बाबूलाल नागर: ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो रहा है।

श्री बाबूलाल नागर: ×××

श्री अध्यक्ष: यह आपका निवेदन अंकित नहीं हो रहा है।

श्री अमराराम (धोद): ×××

श्री अशोक बैरवा: ×××

श्री बबूलाल नागर: ×××

श्री अध्यक्ष: दूदू से आने वाले माननीय सदस्य, माननीय मंत्रीजी, यदि

(श्री अध्यक्ष)

आप थोड़ी स्थिति स्पष्ट कर देंगे तो मैं उसके लिये समय, आप अकाल के ऊपर जो कुछ इतने उत्तेजित हैं माननीय सदस्य, चार साढ़े चार बजे, जब आप चाहें थोड़ी स्थिति को स्पष्ट कर देंगे तो यह उचित रहेगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अभी कर दें ?

श्री अध्यक्ष: अभी कर सकते हैं ? अभी कर रहे हैं ? आप दे रहे हैं ? आप अभी दे रहे हैं क्या ?

डा. किरोड़ी लाल मीणा (आपदा प्रबंधन एवं सहायता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, चार, साढ़े चार बजे का समय तय कर दें, मैं स्टेटमेंट दे दूं।

श्री अध्यक्ष: ठीक है। श्री अशोक कुमार नवलखा।

श्री हेमाराम चौधरी: ×××

श्री अध्यक्ष: अब ज्यादा आप..(व्यवधान) अब आप गलत काम कर रहे है। वह दे रहे हैं। आप स्थान ग्रहण कर लें। स्थान ग्रहण करें। श्री अशोक कुमार नवलखा।

श्री हेमाराम चौधरी: ×××

श्री बद्रीलाल जाट: ×××

श्री खुशवीर सिंह जोजावर : ×××

श्री अध्यक्ष: श्री अशोक कुमार नवलखा को बुला रही हूं और आपकी बारिश पर भी कहेंगे। रात को जो बारिश हुई है, नुकसान हुआ है उस पर भी तो कहेंगे कुछ न कुछ यह। श्री अशोक कुमार नवलखा।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

अजमेर-इन्दौर राष्ट्रीय राजमार्ग की चैक पोस्ट को आगे स्थापित करने बाबत

श्री अशोक कुमार नवलखा (निम्बाहेड़ा): राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख का प्रस्ताव।

महोदय, उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत अजमेर-इन्दौर राजमार्ग संख्या 79 के किमी. 219 पर गांव जलिया के पास परिवहन विभाग, वाणिज्य कर विभाग के चैक पोस्ट एवं आबकारी विभाग की चौकी स्थित है। चैक पोस्ट व चौकी पर वाहनों की जांच

(श्री अशोक कुमार नवलखां)

पड़ताल के कारण इस रोड़ पर घण्टों तक यातायात अवरुद्ध रहता है जिस कारण आवश्यक एवं आपातकालीन कार्यों हेतु निकलने वाले वाहनों को काफी कठिनाइयां उठानी पड़ती हैं। यही नहीं, इस मार्ग से उदयपुर, चित्तौड़गढ़, नीमच या निम्बाहेड़ा के चिकित्सालयों में गंभीर रोगियों को रोगी वाहनों के माध्यम से ले जाने में भी काफी मुश्किलें होती हैं तथा कई बार मरीज रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं।

वर्तमान में इस राजमार्ग की चौड़ाई मात्र 7 मीटर है तथा प्रतिदिन 3 से 4 हजार वाहन इस मार्ग से गुजरते हैं। ऐसी स्थिति में राजमार्ग की चौड़ाई को 4 लेन में बदलकर ले बाई का निर्माण किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। यातायात अवरुद्ध होने की स्थिति में स्थानीय पुलिस को भी अपना आवश्यक काम छोड़कर यातायात खुलवाने में अधिकांश समय लगाना पड़ता है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि इस मार्ग के 3 किमी. उत्तर दिशा में रेलवे फाटक है जो भी अधिकांश समय बंद रहता है तथा इस चैक पोस्ट के 5 किमी. दूरी पर मध्य प्रदेश की सीमा में नया गांव चैक पोस्ट स्थित है जहां भी यातायात अवरुद्ध रहता है। रेलवे फाटक खुलने पर नया गांव चैक पोस्ट पर यातायात खुलने की स्थिति में सारा दवाब जलिया (निम्बाहेड़ा) चैक पोस्ट पर पड़ता है व यहां यातायात जाम बना रहता है। इस समस्या की जानकारी पूर्व में भी परिवहन विभाग एवं सार्वजनिक निर्माण के अधिकारियों को दी जा चुकी है।

मेरा इस सदन के माध्यम से आग्रह है कि अतिशीघ्र कार्यवाही कर इस समस्या के स्थायी समाधान हेतु चैक पोस्ट के एक किमी. क्षेत्र में फोर लेन सड़क व ले बाई का निर्माण करवाने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद। श्री जीतमल खांट।

उदयपुर सम्भाग के समस्त जिलों के राजस्व रिकार्ड में किस्म जंगल शब्द हटवाने बाबत

श्री जीतमल खांट (बागीड़ोरा): प्रकिया नियम 295 के तहत उदयपुर संभाग के समस्त जिलों के राजस्व रिकार्ड में किस्म जंगल शब्द हटवाने बाबत विशेष उल्लेख प्रस्ताव।

महोदय, निवेदन है कि जनजाति उपयोजना क्षेत्र उदयपुर संभाग में सम्पूर्ण रूप से जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है जहां के आदिवासी/गैर आदिवासी किसान बिखरी बस्ती में निवास करते हैं। इस क्षेत्र के किसानों का मुख्य धंधा

(श्री जीतमल खांट)

कृषि है, खेती पर ही परिवार का जीवन यापन होता है। आय का अन्य कोई स्रोत नहीं है। नान कमाण्ड क्षेत्र आये दिन अकाल की चपेट में आता रहता है। आदिवासी किसान ने दुर्गम पहाड़ी, पठारी क्षेत्र में रहते हुए कठोर परिश्रम कर ऊबड़-खाबड़ जमीन को जोतने लायक बनाया है और आज स्थिति यह है कि जिस जमीन पर कुए, बावड़ी, मकान, खेत खालिहान, फसलदार पेड़ पौधे मौजूद हैं, 50-50 वर्षों के गुजरने के पश्चात् भी राजस्व रिकार्ड में किस्म जंगल दर्ज हो जाने से हजारों आदिवासी किसानों, गैर आदिवासी किसानों के नाम उक्त भूमि आबंटन नहीं हो रही है। मैं मुख्य मंत्री व राजस्व मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि टी.एस.पी. क्षेत्र में विशेष राजस्व अभियान चलाया और 50 वर्षों से जो किसान इंतजार कर रहा था कि राजस्व रिकार्ड में दर्ज नाकाबिल काश्त भूमि को मौके के स्थिति के अनुसार काबिल काश्त किस्म परिवर्तन कर भूमि आबंटन कर आदिवासी किसान व गैर समाज के किसानों को लाभ दिया है। यह कार्य किसानों के जीवन में नयी खुशहाली एवं वरदान साबित हुआ है। उसी तर्ज पर किस्म जंगल शब्द हटवाने का श्रम करावें।

श्री अध्यक्ष: श्री रणधीर सिंह भीण्डर।

धरियावद में कृषि उपज मण्डी की स्थापना बाबत

श्री रणधीर सिंह भीण्डर (बल्लभनगर): राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख।

महोदय, धरियावद तहसील में कृषि उपज मंडी की स्थापना के लिये 1996 में निर्णय लिया गया व उसके लिये भूमि आबंटन की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी थी। जो भूमि इसके लिये चिह्नित की गयी थी और जिसके आबंटन की कार्यवाही शुरू की गयी थी वह भूमि विवादास्पद थी व उसके विरुद्ध न्यायालय में प्रकरण चल रहा है जिसको करीब दस वर्ष से अधिक हो गये हैं।

पिछली सरकार के दौरान स्थानीय विधायक व जन प्रतिनिधियों ने एक अन्य जगह कृषि मंडी के लिये आबंटित करने का राज्य सरकार से अनुरोध किया था व वर्तमान समय में भी विधायक व अन्य जन प्रतिनिधियों ने उक्त लम्बित प्रकरण को देखते हुए इस नयी जगह जो कि गाड़रियावास में है, को आबंटित करने की सरकार से अपील की है परन्तु अब तक विभाग ने इस और कोई ध्यान नहीं दिया।

महोदय, धरियावद तहसील मेवाड़ संभाग का सबसे उपजाऊ क्षेत्र है

(श्री रणधीर सिंह भीण्डर)

परन्तु विपणन की व्यवस्था नहीं होने से स्थानीय व्यापारियों को मनमाने दाम पर कृषि उपज बेचना किसानों की मजबूरी हो गयी है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में कृषि मण्डी शीघ्र स्थापित करने हेतु गैर विवादित भूमि पर कृषि उपज मण्डी निर्माण का कार्य सम्पादित कराया जाये जिससे क्षेत्र के किसानों को अपनी फसल का उचित मूल्य मिल सके।

(समय: 12.28 बजे)

(श्री रामनारायण विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री उपाध्यक्ष: श्री के. डी. बाबर।

फतेहपुर एवं लक्ष्मणगढ़ तहसील के बीमित किसानों को मुआवजा दिलाने बाबत

श्री केशर देव बाबर (लक्ष्मणगढ़): प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव।

महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 295 के अन्तर्गत राज्य के किसानों के सम्बन्ध में एक अति महत्वपूर्ण समस्या की ओर राज्य सरकार एवं माननीय कृषि मंत्रीजी का ध्यान दिलाना चाहूंगा।

पूरे राज्य में किसानों की फसल का बीमा करने की योजना गत वर्षों में प्रारम्भ की गयी और अपनी फसलों की असुरक्षा से पीड़ित किसानों ने अपनी गाढ़ी कमाई में से फसल की सुरक्षा हेतु बीमा करवाया। परन्तु राज्य सरकार की उदासीनता के चलते फतेहपुर एवं लक्ष्मणगढ़ तहसील के किसानों को उनकी फसल के हुए नुकसान का मुआवजा अभी तक नहीं मिल पा रहा है। इसके कारण उक्त दोनों तहसीलों के किसान आंदोलित हैं और पिछले एक माह से लगातार फतेहपुर उपखण्ड कार्यालय पर सैंकड़ों की संख्या में धरने पर बैठे हुए हैं परन्तु उनकी इस वाजिब मांग पर कोई अमल नहीं किया जा रहा है। चूरू जिले के किसानों को तो उनके नुकसान की मुआवजा राशि उपलब्ध करायी जा चुकी है परन्त फतेहपुर एवं लक्ष्मणगढ़ तहसीलों के काश्तकार आज भी मुआवजा पाने को भटक रहे हैं। कारण यह बताया जा रहा है कि सरकार द्वारा बीमा कम्पनी को देय अपनी हिस्सा राशि जमा नहीं करायी गयी है जिसके कारण मुआवजा मिलने में देरी हो रही है। एक ओर तो किसान प्रकृति की मार से परेशान है ही, क्योंकि पिछली बार बर्फबारी के कारण सर्दी से रबी की फसल का नुकसान हो गया।

(श्री केसर देव बाबर)

जो थोड़ी-बहुत फसल बची थी वो तेज गर्मी से नष्ट होने के कगार पर पहुंच गयी। ऐसी परिस्थिति में किसान वर्ग बहुत ही दु:खी एवं पीड़ित है और सरकार से मुआवजा राशि जिसके वह हकदार हैं तुरंत उपलब्ध कराये जाने हेतु आंदोलित हैं और ऐसी आशंका है कि यदि उनकी वाजिब मांग को पूरा नहीं किया गया तो एक बड़े प्रदर्शन एवं आंदोलन की तैयारी की जा रही है।

अतएव मैं राज्य सरकार एवं कृषि मंत्रीजी से पुरजोर शब्दों में निवेदन करता हूं कि जिला सीकर के तहसील फतेहपुर एवं लक्ष्मणगढ़ के बीमित किसानों को उनकी मुआवजा राशि तुरंत उपलब्ध कराई जाये । धन्यवाद ।

श्री उपाध्यक्ष: श्री शंकर सिंह राजपुरोहित । (अनुपस्थित) श्री बनवारी लाल शर्मा ।

कूकपुरताल कैनाल (धौलपुर) पर बने एक्वाडक्ट की मरम्मत हेतु बजट प्रावधान की मांग

श्री बनवारी लाल शर्मा (धौलपुर): उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत निवेदन है कि धौलपुर जिले के कूकपुर कैनाल पर नाले पर बना हुआ एक्वाडक्ट लगभग पिछले सात-आठ वर्ष से 80 फुट लम्बाई में भारी वर्षा के कारण टूट गया था जिसके कारण काश्तकारों की सिंचाई नहीं हो पा रही है । इस कैनाल से करीब 300 एकड़ की सिंचाई होती थी । सिंचाई विभाग, धौलपुर द्वारा इस कैनाल की मरम्मत हेतु कई बार उपलब्ध कराने के लिए लिखा गया परंतु बजट के अभाव के कारण इसकी मरम्मत नहीं कराई जा सकी ।

अत: श्रीमान् सिंचाई मंत्रीजी से निवेदन है कि काश्तकारों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए विभाग द्वारा वांछित करीब चार लाख रुपये स्वीकृत करने की कृपा करें ताकि ग्राम तहरौन कोटरा पटेवरी के काश्तकारों को सिंचाई का लाभ मिल सके ।

श्री उपाध्यक्ष: श्री बृजकिशोर शर्मा ।

जयपुर ग्रामीण क्ष्ोत्र के कुछ हिस्सों में मिनी बस सेवाएं उपलब्ध कराने बाबत

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियम 295 के अन्तर्गत

(श्री बृजकिशोर शर्मा)

निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र जयपुर ग्रामीण में जयपुर शहर के वार्ड नं. 54 में लगभग 30-35 हजार लागों की आबादी रहती है । इस वार्ड की बहुत सी कालोनियों में लोग बरसों से रह रहे हैं किन्तु अभी तक भी शहर के प्रमुख स्थानों पर आने-जाने के लिए कोई साधन नहीं है । इस क्षेत्र में रामगढ़ मोड़ से छीपीवाड़ा, कागदीवाड़ा, शंकर नगर होते हुए कोई भी मिनी बस रेलवे स्टेशन को नहीं जाती है ना ही ब्रह्मपुरी से ही कोई बस जाती है इसलिए इस क्षेत्र के निवासियों को महंगे साधन से छोटी चौपड़ जाकर के स्टेशन के लिए साधन पकड़ना पड़ता है। ब्रह्मपुरी से भी रेलवे स्टेशन तक कोई भी सीधी बस नहीं जाती है ।

अंतः आपसे निवेदन है कि हटवाड़ा से रेलवे स्टेशन जाने वाली सुबह-सायंकाल वाली कुछ मिनी बसों को बड़ी चौपड़ के बजाय माउंट रोड़ होते हुए कागदीवाड़ा व शंकर नगर, ब्रह्मपुरी छोटी चौपड़ होते हुए रेलवे स्टेशन तक चलवाने की व्यवस्था कराने की कृपा करें ताकि यहां के राज्य कर्मचारियों व अन्य निवासियों को दफ्तर व बाजार आदि आने-जाने के लिए सुविधा होगी व धन की भी बचत होगी ।

श्री उपाध्यक्षः श्री खुशवीर सिंह । (अनुपस्थित) डा. ओ.पी. महेन्द्रा ।

गंगानगर जिला मुख्यालय पर राजकीय कृषि महाविद्यालय खोलने बाबत

डा.ओ.पी. महेन्द्रा (केसरीसिंहपुर): उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के कार्य संचालन एंव प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत निवेदन है कि श्रीगंगानगर जिला राजस्थान का एक अग्रणी कृषि प्रधान जिला है जहां अनेक कृषि फसलों का उत्पादन होता है जिनमें खाद्यान्न एवं व्यावसायिक फसलें शामिल हैं । राजस्थान का कृषि क्षेत्र में सिरमौर जिला होने के कारण यह जिला कृषि विश्वविद्यालय होने का हकदार था लेकिन ऐसा नहीं हो सका । श्री गंगानगर गेहूं में हापुड़ के पश्चात् भारत की दूसरे नम्बर की मण्डी व नरमे-कपास में भारत की पांचवें नम्बर की मण्डी रहा है । इनके अतिरिक्त सरसों व गन्ने का उत्पादन राजस्थान में सर्वाधिक श्रीगंगानगर जिले में ही होता है व किन्नू में एकाधिकार है। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने किन्नू की मण्डी टिश्यू कल्चर केन्द्र भी श्रीगंगानगर में स्थापित किया है ।

(श्री ओ. पी. महेन्द्रा)

चूंकि श्रीगंगानगर जिला कृषि का एक प्रमुख केन्द्र है अतः मैं सरकार से जिले के किसानों व कृषि क्षेत्र में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिये उत्साहित हजारों युवाओं की ओर से विनम्र आग्रह करता हूं कि श्रीगंगानगर में आधुनिक तकनीक से युक्त राजकीय कृषि महाविद्यालय खोला जाये ।

मैं व जिले की जनता सदैव मुख्य मंत्रीजी के आभारी रहेंगे। अनेकानेक धन्यवाद सहित ।

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौरः मैं भी इनकी बात का समर्थन करता हूं ।

श्री उपाध्यक्षः श्री बहादुर सिंह गोदारा ।

नोहर के श्री बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिकाओं को बकाया का भुगतान

श्री बहादुर सिंह गोदारा (नोहर): उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 295 के अंतर्गत निवेदन है कि श्री बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय, नोहर की अध्यापिकाओं का शिक्षण कार्य जनवरी, 2000 से जुलाई, 2001 तक का बकाया वेतन व ई.पी.एफ. का पैसा व 90 प्रतिशत अनुदानित पदों पर कार्यरत अध्यापिकाओं को बिना नोटिस के हटाकर स्कूल बंद करने पर सरकारी पदों में समायोजित की ओर दिलाना चाहता हूं । नोहरा क्षेत्र में श्री बालिका माध्यमिक विद्यालय इसकी उच्च प्राथमिक शाखा राजस्थान सरकार से 90 प्रतिशत अनुदानित आज भी है। इसकी प्रबंधक समिति पर वेतन अदायगी में हेराफेरी कर अनुदान हड़पने का मुकदमा नं. 334/31/7/2000 भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो पुलिस में दर्ज होने से शिकायतकर्त्ता महिला अध्यापिकाओं का 19 माह का शिक्षण कार्य का वेतन के अनुदान के बिल जिला शिक्षाधिकारी प्राथमिक को प्रेषित न कर राज्य सरकार के गैर सरकारी शैक्षणिक संस्था अधिनियम 1993 के नियम 14 के 1 व 2 का उल्लंघन कर जुलाई, 2001 में बिना सरकार की अनुमति के विद्यालय बंद कर कन्याओं के शिक्षा पाने के मौलिक अधिकार को छीन लिया व अनुदानित पदों पर कार्यरत महिलाओं को सेवा से बिना सरकार व शिक्षा विभाग की अनुमति के हटा दिया ।

गैर सरकारी शैक्षणिक संस्था नियम 1989 की धारा 30 व 31 के 1 व 2 व 32 के 4 के अनुसार विद्यालय प्रबंधन वेतन संदाय करने में विफल रहने के जिला शिक्षाधिकारी प्राथमिक शिक्षा हनुमानगढ़ की व्यक्तिगत उपरोक्त

(श्री बहादुर सिंह गोदारा)

नियम की अनुपालना में महिला अध्यापिकाओं का 19 माह का बकाया वेतन व पी.एफ. का भुगतान दिलाने में सक्षम हैं । लेकिन बड़ा खेद का विषय है कि आज 6 वर्षों से जिला प्रशासन ने इनका बकाया वेतन शिक्षण कार्य का व पी.एफ. का भुगतान व भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वाली इन महिला अध्यापिकाओं को सरकारी पदों पर समायोजित अब तक क्यों नहीं किया गया जबकि 90 प्रतिशत राज्य सरकार अनुदान वेतन के जरिये इस विद्यालय संस्था को देता था, सरकारी पदों पर समायोजित करने से राज्य सरकार को किसी प्रकार की आर्थिक क्षति न होकर इन अध्यापिकाओं को शत-प्रतिशत प्रोत्साहन मिलेगा व महिलाएं ग़ुडफील महसूस कर सकेगी । संस्था नये नाम से इसी सार्वजनिक भवन में विद्यालय खोलने का षड्यंत्र रच रही है । सरकार इस भवन को अपने कब्जे में लेकर पुराने नाम से ही विद्यालय चालू करवाने का प्रयास करे । क्या सरकार इन अध्यापिकाओं का शिक्षण कार्य व 19 माह का बकाया वेतन, पी.एफ. का पैसा व सरकारी पदों पर समायोजन या पुनः संस्था को चालू करने का इरादा रखती है । हां तो कब तक, ना तो क्यों नहीं ।

श्री उपाध्यक्ष: श्री रामकिशोर मीणा ।

राज्य में सीमेंट आधारित उद्योगों को जिन्दा रखने के लिए सीमेंट की उपलब्धता बनने बाबत

श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय): उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 295 के अंतर्गत मैं राज्य सरकार का ध्यान आपके माध्यम से आकर्षित कर यह बताना चाहूंगा कि राज्य सीमेंट उत्पादन में देश में दूसरे स्थान पर होते हुए भी राज्य स्थित उद्योगों को सीमेंट मिलने में बहुत परेशानियां आ रही है ।

सरकार द्वारा जब से सीमेंट में निश्चित प्रतिशत 'राख' मिलाने के फार्मूले को स्वीकार करने के पश्चात् राज्य स्थित सीमेंट के कारखानों में कोटा थर्मल स्टेशन, कोटा तथा सूरतगढ़ थर्मल स्टेशन सूरतगढ़ से 'राख' उठाने की होड़ लगी हुई है । सभी सीमेंट फैक्ट्रियों ने अपने उत्पाद का 70 प्रतिशत से ज्यादा हिस्सा पी.पी.सी. सीमेंट बनाने में लगा दिया है । उद्योगों में काम आने वाली अच्छी क्वालिटी की ओ.पी.सी. सीमेंट की उपलब्धता में एक तरह से कमी कर दी गयी है । सभी सीमेंट निर्माताओं ने राज्य में उद्योगों के लिए उपलब्ध डी फार्म पर सीमेंट देना बंद कर दिया है तथा सभी सीमेंट निर्माताओं

(श्री रामकिशोर मीणा)

ने पूल बनाकर सीमेंट की बाजार में कमी का ऐलान कर कीमतों में भारी वृद्धि कर दी है।

जयपुर बाजार में सीमेंट का एक बैग दो माह पूर्व 125 रुपए में मिल रहा था वही सीमेंट का बैग अब 180 रुपए में भी मिलना मुश्किल है। इसी प्रकार राज्य स्थित सीमेंट आधारित उद्योगों को तो सीमेंट की उपलब्धता निम्न हो गई है। ज्यादातर सीमेंट देहली व यू पी भेजी जा रही है। राज्य में सीमेंट उद्योगों का विस्तार करने से सरकार इतनी सब्सिडी व फैसिलिटी दे रही है वहीं सीमेंट निर्माता राज्य में जान बूझकर कमी बनाए हुए हैं जिससे राज्य स्थित सीमेंट काम में लेने वाले उद्योग बन्द होने के कगार पर हैं।

अतः मैं राज्य सरकार का ध्यान सीमेंट की इस कमी की ओर दिलाकर यह चाहूंगा कि राज्य में सीमेंट आधारित उद्योगों को जिन्दा रखने के लिए सीमेंट की उपलब्धता तुरन्त बढ़ाई जाए एवं उपभोक्ताओं को कीमतों पर नियंत्रण रखकर लुटने से बचाया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: श्री हीरालाल निवाई। (अनुपस्थित) श्री वीरेन्द्र बेनीवाल।

पर्ची के माध्यम से उठाए गये मुद्दे

अवधिवार पट्टों का पंजीयन कराने बाबत

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ग्राम पंचायतों द्वारा जारी आवासीय पट्टों के अवधि पार होने के कारण पंजीयन विभाग द्वारा पंजीयन न कर पाने की स्थिति पर माननीय पंचायती राज मंत्रीजी और सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आज लिबरलाइजेशन का दौर चल रहा है, बैंकों द्वारा फाइनेन्स करने के प्रोसेस को इजी किया गया है, रेट आफ इण्टरेस्ट भी गत कुछ समय में डाउन किया गया है, इन सब परिस्थितियों के चलते हर वर्ग लोन लेकर अपना एक आवास निर्मित करने का सपना था उस सपने को साकार करने के लिए प्रयासरत था और प्रयासरत है। इसी क्रम में ग्राम पंचायतों द्वारा समय-समय पर ग्रामीणों को आवासीय पट्टे जारी किए जाते रहे हैं, उन आवासीय पट्टों को अगर आम जन उस पर लोन लेना चाहता है तो लोन इस कारण नहीं मिल पाता क्योंकि वह रजिस्टर्ड नहीं होता और रजिस्टर्ड न होने का कारण यह रहता है कि एक तो उनकी अज्ञानता दूसरा उन पट्टों का अवधि पार हो जाना क्योंकि रजिस्ट्रेशन

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

डिपार्टमेंट का यह नियम है कि पट्टा जारी होने की अवधि के चार महीने के अन्दर-अन्दर अगर पट्टा रजिस्टर्ड किया जाता है तो उसकी अलोटमेंट वैल्यू के एक प्रतिशत पर रजिस्टर्ड किया जाता है और चार माह के बाद अगले चार माह तक अलोटमेंट वैल्यू का एक प्रतिशत जो चार्ज है उसका दुगुना, तीन गुना, चार गुना, पांच गुना, छह गुना, इस तरह से करते हुए आठ महीने की समय सीमा तक उनकी रजिस्ट्री की जाती है और आठ महीने की समय सीमा बीतने के बाद अगर कोई व्यक्ति अपने पट्टे को रजिस्टर्ड करवाना चाहता है तो रजिस्ट्री नहीं की जाती है। मेरा इसी क्रम में निवेदन है कि चूंकि इस तरह के प्रकरण पूरे राज्य के हैं, राज्य के सभी ग्रामीण क्षेत्रों के हैं अत: इन प्रकरणों की गहराई को समझते हुए माननीय मंत्रीजी इसमें ऐसा कुछ आदेश फरमायें कि या तो रिवेलिडेट किया जाए उन पट्टों को, चाहे वह बी.डी.ओ. द्वारा किए जाएं या ए.सी.ओ. द्वारा किए जाएं और रिवेलिडेट किए जाने के साथ ही उसकी जो आरिजनल अलोटमेंट की डेट थी उस डेट की वेल्यू पर किया जाए, और उसी पर रजिस्टर्ड किया जाए। इससे बैंकों से फाइनेन्स लेने में आम जनता को सुविधा रहे और उस पट्टे को कहीं और भी वह सम्पत्ति के रूप में उपयोग करना चाहे तो उपयोग कर सके। बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं चाहूंगा कि इस पर मंत्री महोदय कुछ जवाब दें।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो महत्वपूर्ण सवाल पर्ची के माध्यम से आया है, वह स्टेट फाइनेन्स मिनिस्टर से रिलेटेड है और यही नहीं, ग्राम पंचायतों के पट्टे ही नहीं, जिला परिषद्, पंचायत समितियों, को-आपरेटिव सोसायटीज और अन्य स्वायत्तशासी संस्थाओं द्वारा जो पट्टे जारी किए जा रहे हैं वे पट्टे चार-छह महीने बाद पूरी मार्केट वैल्यू से उनका रजिस्ट्रेशन करते हैं तो खरीदते तो वह हैं दो हजार, तीन हजार रुपए में और रजिस्ट्रेशन के समय जो मार्केट वैल्यू है, उस समय पर उससे करते हैं। पूरे राजस्थान लेवल की यह गम्भीर समस्या है। मेहरबानी करके स्टेट फाइनेन्स मिनिस्टर और फाइनेन्स मिनिस्टर से मेरा अनुरोध है कि वह इस प्रकार की छूट इन पट्टों के लिए दिलाए तब जाकर कारगर लाभ मिलेगा।

श्री उपाध्यक्ष: श्री संयम लोढ़ा।

तनोटराम माता जी का मन्दिर (रामगढ़) को तोड़े जाने के सम्बन्ध में

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, धर्म और आस्था की हमारी एक अभिनव संस्कृति है। बच्चे के जन्म से लेकर मृत्यु

(श्री संयम लोढ़ा)

पर्यन्त उसका पूरा सफर धार्मिक संस्कारों और आस्था से जुड़ा हुआ है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक ओर हमारे राजस्थान के अनेकानेक परिवारों में इस तरह की धार्मिक संस्कृति है कि सुबह जब तक दर्शन नहीं करते मुंह में अन्न का एक दाना भी नहीं डालते, इसी प्रकार शाम ढलने के बाद भी दैव दर्शन, प्रार्थना, यह सब हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बना हुआ है। लेकिन बहुत खेद के साथ कहना पड़ता है कि राजस्थान में आज एक ऐसी सरकार शासन कर रही है जिसका चुनाव के वक्त तो चेहरा और होता है जब-जब देश में लोक सभा के चुनाव हो, राज्य में विधान सभा के चुनाव हो, धार्मिक आधार पर लोगों की भावनाएं भड़काकर वह वोट लेने का काम तो यह करना चाहते हैं, यात्राएं निकालना चाहते हैं लेकिन माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं कि हमारे पाकिस्तान की सीमा पर रेतीले धोरों के बीच एक जीवट संघर्ष के बीच जो लोग जीते हैं, धर्म रक्षा का काम करते हैं, सीमा पर हमारे क्षेत्र की रखवाली का काम करते हैं, उसी इलाके में माताजी का एक मन्दिर बना हुआ था, मुझे बहुत दुःख के साथ कहना पड़ता है कि वहां के जिला कलक्टर के मौखिक आदेश से नायब तहसीलदार ने जाकर वह मन्दिर तोड़ दिया और जब नायब तहसीलदार ने इसके सम्बन्ध में थाने में जाकर पुलिस इमदाद के लिए सम्पर्क किया तो थानेदार ने इमदाद देने से मना कर दिया और कहा कि आपके पास लिखित में कोई आदेश नहीं है और इसलिए मैं आपको इमदाद उपलब्ध नहीं कराऊंगा। लेकिन इस सरकार की करतूतों से और नास्तिकता के अन्धकार में डूबे हुए जिला प्रशासन ने लोगों की भावनाओं की कोई कद्र नहीं की और 14 फरवरी को वह माताजी का मन्दिर प्रशासन ने जाकर तोड़ दिया। इससे पूरे जैसलमेर जिले का जनमानस आन्दोलित है। 20 फरवरी को रामगढ़ में एक विशाल रैली वहां के लोगों ने निकाली और वहां के जिला कलक्टर का पुतला फूंका जिसके मौखिक आदेश से मन्दिर तोड़ने का शर्मनाक कृत्य हुआ। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उसके बाद 28 फरवरी को रामगढ़ में फिर बन्द हुआ और इसलिए बन्द हुआ कि 14 फरवरी को मन्दिर तोड़ने की हृदय विदारक घटना होने के बाद हजारों-हजार, लाखों-लाख हिन्दू धर्मावलम्बियों की भावनाओं पर कुठाराघात करने के बाद जब राजस्थान की सरकार ने कोई ध्यान हीं दिया तो 28 फरवरी को रामगढ़ कस्बा बन्द हुआ और राजस्थान के गृह मंत्री का वहां हजारों लोगों द्वारा पुतला फूंका गया। उपाध्यक्ष महोदय, मैं

(श्री संयम लोढ़ा)

आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि जैसलमेर जिले के लोग आन्दोलित हैं, उनकी भावनाओं पर कुठाराघात हुआ है, उनकी आस्था पर हमला हुआ है। पोकरण के अन्दर भी इसी की प्रतिक्रिया में 24 फरवरी को जुलूस निकाला गया और महामहिम राज्यपाल महोदय के नाम पर वहां की जनता ने ज्ञापन दिया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि राजनीति अपनी जगह पर है लेकिन लोगों की धार्मिक आस्थाओं का संरक्षण करना, लोगों में नैतिक ज्वार का प्रसार करना, यह एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में भी हमारा कर्तव्य है। मैं आपके माध्यम से राजस्थान सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इस सदन में वह यह घोषणा करे कि वह उस धार्मिक मन्दिर का पुनर्निर्माण करवाएगी और जिस जिला कलक्टर के आदेश से उस मन्दिर को तोड़ने का शर्मनाक कृत्य वहां के नायब तहसीलदार ने किया है, इस सदन में आज ही उनके खिलाफ कार्यवाही करने की घोषणा करेंगे।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): उपाध्यक्ष महोदय, एक तरफ सरकार मन्दिर के नाम पर राजनीति करती है दूसरी तरफ तनोटराय माताजी का मन्दिर

श्री उपाध्यक्ष: कह दिया इन्होंने, कोई बाकी तो रखा नहीं।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): तनोटराय माताजी का मन्दिर मैंने देखा है। कहीं भी वह रास्ते में आता नहीं है। उसको तोड़ देना, उसके खिलाफ कार्यवाही नहीं करना, मैं यह जानना चाहता हूं कि गृह मंत्रीजी, उस कलक्टर के खिलाफ, उस नायब तहसीलदार के खिलाफ क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं? क्या आप एफ.आई.आर. दर्ज करके ऐसे मामले में कार्यवाही करेंगे? नहीं करेंगे तो क्यों नहीं करेंगे इसका जवाब दें।

श्री उपाध्यक्ष: श्री मदन राठौड़। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, आप सरकार से जवाब दिलवाइए। धार्मिक आस्थाओं से जुडा हुआ मसला है, इससे बड़ा काम कोई हो नहीं सकता। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: अंकित नहीं हो। माननीय सदस्य। ...(व्यवधान)

श्री जुबेर खान: ×××

श्री खुशवीर सिंह जोजावर: ×××

डा. बुलाकीदास कल्ला: ×××

श्री सी.डी. देवल: ×××

श्रीमती ममता शर्मा: ×××

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर (गंगानगर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य। आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए। माननीय सदस्य। आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए। ...(व्यवधान)...

श्री खुशवीर सिंह जोजावर: ×××

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर (गंगानगर): ×××

श्री खुशवीर सिंह जोजावर: ×××

श्री संयम लोढ़ा: ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप अपना स्थान ग्रहण करें। माननीय सदस्य, आप अच्छी तरह से जानते हैं ...(व्यवधान) एक बात मेरी बात सुनिए, आप। माननीय सदस्य आप अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री सी.डी. देवल: ×××

श्री बृजकिशोर शर्मा: ×××

श्री बंशीलाल खटीक: ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री बृजकिशोर शर्मा: ×××

श्री अशोक बैरवा ''खण्डार'': ×××

मोहम्मद माहिर आजाद: ×××

श्री बंशीलाल खटीक: ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य। ...(व्यवधान) सदन के नियमों के अनुसार आपको अच्छी तरह से मालूम है कि पर्ची के माध्यम से विषय को उठाया जा सकता है सरकार और सरकार के प्रतिनिधि अगर उचित समझेंगे तो उसका जवाब दे देंगे, इतना शोर-शराबा मचाने वाली बात है क्या? ...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा: ×××

श्री सी.डी. देवल: ×××

श्री खुशवीर सिंह जोजावर: ×××

मोहम्मद माहिर आजाद: ×××

श्रीमती ममता शर्मा: ×××

श्री अशोक बैरवा ''खण्डार'': ×××

डा. बुलाकीदास कल्ला: ×××

श्री गुलाब चन्द कटारिया: उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन के माननीय सदस्यों की भावना का पूरा सम्मान करते हुए सदन के सभी माननीय सदस्यों का, उनके विचारों का, उनकी अन्तर्भावना का पूरा सम्मान करता हूं। जिस तनोट माता का मंदिर आप कह रहे हैं यह तनोट माता का मंदिर वो तनोट माता का नहीं है जो पाक युद्ध के समय में जहां हमारे सब लोगों के संरक्षण की जगह बनी और कितने ही बम वहां गिराये गये, लेकिन एक भी बम वहां फटा नहीं, जो आज भी वहां सुरक्षित हैं। यह तनोट माता का मंदिर वो नहीं है। जो कलक्टर ने मुझे रिपोर्ट भेजी वह आपके सामने रख रहा हूं। उसके बाद भी अगर कहीं कोई कमी रही है, किसी की कोई गलती रही है ...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा: ×××

श्री अशोक बैरवा ''खण्डार'': ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप सुनिए।

श्री मोहन मेघवाल: ×××

श्री सी. डी. देवल: ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप सुनना नहीं चाहते। माननीय सदस्य, आप अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री संयम लोढ़ा: ×××

श्री गुलाब चन्द कटारिया: आप जोर से बोलकर मुझे मजबूर करने की कोशिश मत करो, मुझ पर कोई असर नहीं होता जोर से बोलने का। मैं जो कुछ करूंगा, नियम से करूंगा और नियम के आधार पर जो चीज मुझे मिलेगी उसकी कार्यवाही तो मैं कर सकता हूं, लेकिन आप चाहेंगे ...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा: ×××

श्री सी. डी. देवल: ×××

श्री गुलाब चन्द कटारिया: दबाव में नहीं होगा।

श्री संयम लोढ़ा: ×××

श्री सी. डी. देवल: ×××

श्री उपाध्यक्ष: ऐसी कोई बात नहीं है। माननीय सदस्य...(व्यवधान)...

श्री रामनारायण चौधरी: माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने चिट के ऊपर यह मामला उठाया, सरकार उत्तर दे रही है, मैं आपको धन्यवाद करता हूं और हम आपका उत्तर सुनेंगे।

श्री गुलाब चन्द कटारिया: उपाध्यक्ष महोदय, अगर मेरी बात में कोई कमी रहती है तो आप मुझे बताएं उस कमी के बारे में हम फिर विचार करेंगे। वहां के जिला कलक्टर ने जो सूचना भेजी है वह आपके सामने रख रहा हूं, उसके बाद आपको कोई कमी लगती है, इसमें कोई चीज है तो उसको बताएं। यह है, ''रामगढ़ तनोट मार्ग पर स्थित गुमटीनुमा मंदिर को हटाये जाने के संबंध में। उपरोक्त प्रकरण में सम्पूर्ण स्थिति से मेरे द्वारा आपको दूरभाष पर अवगत कराया जा चुका है। मामले का तथ्यात्मक विवरण निम्न प्रकार है। जैसलमेर से रामगढ़-तनोट जाने वाली सड़क ग्रेप की है, यह मिलैट्री की है और इसकी मेंटीनेंस वगैरह सारा मिलैट्री करती है। इसकी मेंटीनेंस भी ग्रेप द्वारा की जाती है। रामगढ़-तनोट सड़क मार्ग पर ग्रेप की सड़क के किनारे 6 फीट की दूरी पर चार बाई चार का गुमटीनुमा मंदिर बना हुआ है। यह सड़क मार्ग से एकदम किनारे पर सड़क बाउण्ड्री पर स्थित होने के कारण वाहनों के आवागमन में होने वाली परेशानियों तथा संभावित दुर्घटनाओं के बचाव के लिए ग्रेप द्वारा जिला प्रशासन को इसे हटाने के लिए अनुरोध किया गया। ग्रेप का जो पत्र है वह मेरे पास इसमें संलग्न है। ग्रेप ने एक पत्र 30 तारीख को कलक्टर को लिखा- ''The road leading from Jaisalmer-Ramgarh-Tanot is maintained by …. (GREP) for GS purpose. All armed/civil VIPs are traveling on this road to visit famous Tanot Mata temple and also border area.''

"In recent past, it is observed that the encroachment on all roads are increasing by civilians causing discomfort, visibility problems for road users.

"On Jaisalmer-Ramgarh-Tanot road approximate at km 81.00 two nos. structures so called temple and water tank have been made just adjacent to existing road, which is within our existing road boundary. Now it is requested to evacuate/demolish the said structure at the earliest please."

यह वहां के जो मिस्टर एच. मूर्ति हैं, वहां आफिसर कमाण्डिंग हैं उन्होंने 30 जनवरी के दिन एक पत्र लिखा और उस पत्र को ध्यान में रखते हुए उन्होंने 14 फरवरी के दिन एक नायब तहसीलदार को भेजा। उसने इस स्ट्रक्चर को हटाया। इसमें जो कलक्टर की तरफ से आया उसमें कहा कि इसमें न कोई नियमित पूजा होती है, न कुछ और होता है। केवल एक स्ट्रक्चर जरूर बना हुआ था वो रोड़ की 6-7 फीट की दूरी पर था वह आब्स्टेकल था और जो बार्डर है जो इसको मेंटेन करती है फोर्स की, उन्होंने

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

अपनी तरफ से लिखा कि यह आब्स्टेकल के रूप में आता है इसे आप हटाएं। उसके तहत उन्होंने इसको हटाया। उसके बाद भी अगर हमें लगता है कि यहां सेवा पूजा होती थी, यह किसी प्रकार का आब्स्टेकल में नहीं था उसके बाद भी इसे हटाया और बिना किसी वेलीड कारण से हटाया तो एक बार हम फिर दिखा देंगे, अगर किसी ने गलती की है तो उस गलती के बारे में विचार करेंगे। ऐसा तो है नहीं हम कुछ नहीं कर सकते। ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रतिपक्ष के नेता ने जो अभी कहा है। ...(व्यवधान)

श्री बृजकिशोर शर्मा: ×××

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ×××

श्री बृजकिशोर शर्मा: ×××

श्री उपाध्यक्ष: ये कुछ भी होने वाला नहीं है, पूरा डिटेल स्टेट्मेंट आ गया।... (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया: किसी का भी हो तो आप मुझे भेज दीजिए। ...(व्यवधान)

श्री बृजकिशोर शर्मा: ×××

श्री रामनारायण चौधरी: इनका खुद का ही प्रश्न है, यह कहा है कि फिर भी आप चाहो तो इसको दिखवा लें। डिवीजनल कमीशनर से जांच करवा लीजिए।

श्री उपाध्यक्ष: करवा लेंगे।

श्री रामनारायण चौधरी: डिवीजनल कमीशनर की रिपोर्ट ले लीजिए कि स्थिति क्या है वास्तविक।

श्री गुलाब चन्द कटारिया: मैं आपकी बात से सहमत हूं, आपके पास जो भी इसके बारे में जानकारी हो, जिसको भी.. (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ×××

श्री गुलाब चन्द कटारिया: जो जोधपुर के हैं उनको भेजकर के आपने जो बातें रखी उनको भी दे देंगे उनको जाकर के वह देखकर के रिपोर्ट दे देंगे।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ×××

श्री रामनारायण चौधरी: माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा है वह ऑन रिकार्ड है, ये लेकर, वह भी उनके साथ भेज दीजिए।

श्री सांगसिंह भाटी (जैसलमेर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: जांच हो जाएगी, श्री मदन राठौड़, ।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ×××

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अगर कोई आपके पास में तथ्य हों तो दे दें। ...(व्यवधान)...

श्री उपाध्यक्ष: अंकित नहीं हो रहा है।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर: ×××

श्री सी. डी. देवल (रायपुर):×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, जांच हो जाएगी।

श्री रामनारायण चौधरी: यह बात तो तय है, निश्चित है, माननीय सदस्य, आपका उनके पास में है, उनके क्षेत्र में है वह कहते हैं कि मन्दिर था और एक मेघवाल उसकी पूजा-अर्चना करता था कभी-कभी तो यह था कि मन्दिर तो वहां था।

श्री उपाध्यक्ष: जांच का विषय है।

श्री रामनारायण चौधरी: अब सवाल यह उठता है कि जांच का विषय है, आप कमीशनर से रिपोर्ट ले लीजिए, 7 दिन के भीतर और जो यह प्रोसीडिंग्स में आया है, माननीय सदस्य ने कहा है वह भी भेजिए और हमारे उन्होंने उठाया है वह भी भेजिए, सब की प्रोसीडिंग्स भेजकर के उनकी रिपोर्ट ले लीजिए और उसके बाद में हम आपसे जानकारी कर लेंगे, क्या स्थिति है।

श्री उपाध्यक्ष: श्री मदन राठौड़ ।

श्री गुलाब चन्द कटारिया: मैंने प्रतिपक्ष के नेता, आप सब की भावना, मेरी भावना के साथ जुडी हुई है, जो भी तथ्य आपने रखे हैं मैं उनको करके इसीलिए मैंने कहा है संभागीय आयुक्त को देते हैं कि वास्तविक स्थिति की वह जांच करके हमारे सुपुर्द करें इससे अधिक और क्या चाहिए।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ×××

श्री गुलाब चन्द कटारिया: दिन का कोई टाइम नहीं है, इसमें क्या है दो दिन या तीन दिन ...(व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला: ×××

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): ×××

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): ×××

श्री उपाध्यक्ष: इसको अतिक्रमण मानकर हटा दिया, अब उनके खिलाफ कार्यवाही होगी तो होगी। ...(व्यवधान)

(माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने अंकित नहीं करने का हाथ से इशारा किया)

डा. बुलाकीदास कल्ला: ×××

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): ×××

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ×××

श्री बृजकिशोर शर्मा: ×××

श्री कन्हैया लाल मीणा: ×××

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, अब इसमें सब कुछ आ चुका है।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर):×××

डा. बुलाकीदास कल्ला: ×××

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप अपना स्थान ग्रंहण करें। ...(व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, कोई आवेश नहीं है।

श्री संयम लोढ़ा: ×××

श्री बंशीलाल खटीक: ×××

श्री महीपाल यादव : ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड़: ×××

श्री रामनारायण चौधरी: माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कभी-कभी मान्यवर, ऐसे क्षण आते हैं कि आदमी उत्तेजना में आ जाता है। सब चल रहा था और चलते-चलते गृह मंत्रीजी आप थोड़े से उत्तेजित हो गये। उत्तेजित होने का कारण नहीं था, बात सब तय हो गई थी, 7 दिन नहीं तो 10 दिन में आप रिपोर्ट मंगवा लें । (व्यवधान) मान रहे हैं, सब मान रहे हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन: ×××

श्री अमराराम (धोद): ×××

श्री महीपाल यादव: ×××

श्री रामनारायण चौधरी: आप बात सुनिये। आप इस तरह से भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। बात मानेंगे तो ये ही मानेंगे, नहीं मानेंगे तो भी ये ही मानेंगे और ये नहीं मानेंगे तो इनकी बात मैं मान जाऊंगा, मेरी बात ये मान जाएंगे लेकिन आप बीच में मत पड़ो। (व्यवधान) गृह मंत्रीजी, 7 दिन में आप रिपोर्ट मंगवा लो और हमें अप्राइज कर दो। यह मंदिर का मामला है, चारों तरफ से है, आपकी पार्टी के माननीय सदस्य भी कह रहे हैं कि मंदिर टूटा है। इसमें दिक्कत क्या है? आप हमारे से क्यों कसरत कराते हो ? हम बाहर जाएंगे फिर वापस आयेंगे, आपको इस कसरत में मजा आता है तो हम तो वह भी कर देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय नेता, प्रतिपक्ष, अतिक्रमण मानकर अतिक्रमण हटा दिया गया है, अब 7 दिन की या 10 दिन की बात की ऐसी क्या अर्जेन्सी रह गई ? कोई अतिक्रमण हटाया जा रहा हो, अर्जेन्सी क्या है ? (व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल: ×××

श्री उपाध्यक्ष: सब जांच हो जाएगी। (व्यवधान) सात दिन लगे, 10 दिन लगे, यह गृह मंत्रीजी के विवेक पर छोड़ दीजिये आप।

श्री संयम लोढ़ा: ×××

श्री उपाध्यक्ष: श्री मदन राठौड़।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत खुशी है कि...

श्री उपाध्यक्ष: कर दिया, अब आप अपने विषय पर आ जाओ, वह छोड़ो आप।

यातायात कानून की कतिपय विसंगतियां

श्री मदन राठौड़: इनमें मंदिर का भाव जाग्रत तो हुआ। उपाध्यक्ष महोदय, मैं अभी अपने क्षेत्र से जयपुर आ रहा था तो रास्ते में ड्राइवर कार बहुत तेजी से चला रहा था, 100-120 की स्पीड़ से चला रहा था। ज्यों ही जयपुर निकट आया, शहर की सीमा में आया और ड्राइवर ने गाड़ी साइड में रोककर के बैल्ट लगाया और पास में बैठे हुए व्यक्ति से भी कहा कि आप भी बैल्ट लगा लें। मैंने जब उससे पूछा कि जब रास्ते में तेज स्पीड से चला रहा था तब तो बैल्ट नहीं लगाया और शहर में आने के बाद में बैल्ट लगाना तो बोला कि पुलिस वाले पकड़ लेते हैं, तंग करते हैं। तो जब नेशनल हाईवे पर

(श्री मदन राठौड़)

तेज स्पीड से गाड़ी चलती है, वहां पर कोई चैकिंग करने वाला नहीं है और शहर में जहां पर स्पीड 20-30 से ज्यादा कभी नहीं होती क्योंकि शहर भीड़-भाड़ वाला एरिया है और वहां पर बैल्ट लगाना और वहां पुलिस बराबर रोककर के, कई बार तो पैनल्टी इम्पोज भी कर देती है और कई बार कुछ ले-देकर के यों ही छोड़ देती है तो एक तो यह कि यह बात ठीक नहीं है। नेशनल हाइवे पर जहां स्पीड तेज होती है वहां पर चैकिंग करके ड्राइवरों को पाबंद किया जाना चाहिए कि बड़े वाहनों में सभी लोगों को बैल्ट लगाना आवश्यक रहे।

ठीक इसी प्रकार से मैं हैलमेट के लिए निवेदन करना चाहूंगा कि बड़ी सड़कों पर, नेशनल हाइवे पर लोग हैलमेट नहीं लगाते हैं, बिना हैलमेट के घूमते हैं, तेज गाड़ी चलाते हैं जिससे दुर्घटनाएं होती हैं और शहर में आवश्यक कर दिया। कोई व्यक्ति पार्टी में जाता है, शादी की पार्टी में जाता है तो अब वह हैलमेट हाथ में रखेगा या प्लेट हाथ में रखेगा ? कोई पत्रकार जाएगा तो वह डायरी रखेगा या हैलमेट हाथ में रखेगा ? यहां पर लूट मचाने का जो यह प्रयास चल रहा है, मेरा आपके माध्यम से यातायात मंत्रीजी से यह आग्रह है कि शहर में यह पाबंदी हटनी चाहिए और नेशनल हाईवे पर यह पाबंदी लागू की जानी चाहिए। वहां पर चैकिंग निश्चित रूप से होनी चाहिए, यह मेरा आपके माध्यम से निवेदन है।

उपाध्यक्ष महोदय, आज भी वही कानून चल रहे हैं जो अंग्रेजों के जमाने में कानून चलते थे। अंग्रेजों के जमाने में उनके पास में गाड़ियां थीं, हमारे हिन्दुस्तान के नागरिकों के पास में गाड़ियां नहीं थीं। वो लोग अंधाधुंध गाड़ी चलाते थे और हिन्दुस्तान के नागरिक टक्कर खाकर के मारे जाते थे और अंग्रेजों को लाभ पहुंचाने के लिए अंग्रेजों ने एक कानून बनाया था धारा 304-ए, जिसके माध्यम से किसी कार के आगे कोई व्यक्ति आ जाए और कार की टक्कर से वह व्यक्ति मर भी जाए तो ड्राइवर को केवल 304-ए में थाने में गिरफ्तार करके जमानत लेकर के छोड़ दिया जाता है, उसकी गिरफ्तारी करके कोर्ट में पेश करने की भी पाबंदी नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा कि या तो अपने कानून में परिवर्तन कर सकें तो ठीक, नहीं तो केन्द्र सरकार से भी यह आग्रह किया जाना चाहिए कि इस कानून में परिवर्तन किया जाए। धारा 304-ए जिसको केवल लापरवाही का आधार बनाकर के ड्राइवर को तुरंत छोड़ दिया जाता है, एक व्यक्ति की तो जान कार से टक्कर खाकर के चली गई लेकिन ड्राइवर को केवल थाने में ही

(श्री मदन राठौड़)

केवल जमानत देकर के छोड़ दिया जाए, यह ठीक नहीं है। इससे ड्राइवर निश्चित रूप से अंधाधुंध गाड़ियां चलाते हैं क्योंकि वो इस बात को जानते हैं कि मेरी तो थाने में तुरन्त जमानत हो जाएगी। इसका दुरुपयोग भी होता है उपाध्यक्ष महोदय। कई बार सिरोही के माननीय सदस्य को जच जाए कि यह बहुत विरोध करता है, एतराज करता है और कहीं बीच में आ जाए और कार चलाते हुए मुझे टक्कर भी मार दे तो इनकी तो थाने में तुरन्त जमानत हो जाएगी और मैं तो जीवन से जाऊंगा। कृपा करके इस कानून में थोड़ा सा परिवर्तन करवा सकें तो यह ठीक रहेगा। यही मैं आपके माध्यम से सरकार को निवेदन करना चाहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष: श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा।

मोहम्मद माहिर आजाद: वह तो सब सही है, यह सुमेरपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने यह कहा है कि ले-देकर के छोड़ देते हैं, वह ले-देकर का तो ध्यान रखना आप। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: वह समझ गये आपकी बात।

श्री मदन राठौड़: ... हर मौक़े पर ऐसा कोई अवसर नहीं चूकते कि कभी भी मैं बोलूंगा और ये नहीं बोलें, यह कभी होता ही नहीं है। आज तो कई शेर-शायरी भी लेकर के आये हैं। मुझे पहले ही कह दिया कि कुछ बोले तो मैं शेर सुना दूंगा। अब पता नहीं ये कितने शेर लेकर के आये हैं। कोई वाहन लेकर के मत आ जाना, मुझे खतरा वाहनों से है, शेरों से नहीं है।

श्री रामनारायण चौधरी: डिबेट के स्तर को गिरने नहीं दें। माननीय सदस्य बोल रहे हैं ये-ये। यह कोई तरीका होता है ? कौन है ये ? यह आपके घर की बात नहीं है जो ये-ये कर रहे हो। इधर माननीय सदस्य हैं, उधर माननीय सदस्य है। माननीय सदस्य कहकर बोला जाना चाहिए।

श्री मदन राठौड़: जब माननीय नेता प्रतिपक्ष किसी की शादी की बात कर सकते हैं, किसी के जन्म स्थान और उसकी बात कर सकते हैं तो मैंने तो केवल यह कहा, ये माननीय सदस्य, अब ये माननीय सदस्य तो हैं ही।

श्री उपाध्यक्ष: हां, ठीक है।

श्री मदन राठौड़: ये माननीय सदस्य में इनको एतराज करना ही नहीं चाहिए था। ये माननीय नेता प्रतिपक्ष वैल में आ गये।

श्री उपाध्यक्ष: वे आपस में सम्मान की बात कर रहे हैं। श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा।

फागी में अकाल राहत कार्यों व श्रमिक संख्या में वृद्धि

श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा (फागी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र फागी के अकाल राहत कार्यों के लिए बताना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में दो तहसील आती हैं एक फागी और एक चाकसू। फागी में 172 गांव हैं उनमें 75 से 100 प्रतिशत तक का खराबा खाली 11 गांवों में बताया गया है, 50 से 74 प्रतिशत 132 गांवों में और 50 प्रतिशत से कम 29 गांवों में बताया गया है। इस वक्त जो अकाल राहत कार्य चल रहे हैं वो खाली 54 कार्य स्वीकृत हुए और उनमें से भी खाली 15 कार्य चालू हैं जिनमें 257 व्यक्ति कार्य पर लगे हुए हैं। मेरे क्षेत्र में अकाल पड़ा हुआ है....

इसमें मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि यहां पर श्रमिकों की संख्या बढ़ाई जाये, अकाल राहत कार्य और खोले जायें। अभी खाली पक्के राहत कार्य खोलने की स्वीकृति जारी की जा रही है। मैं चाहता हूं कि कच्चे कामों के भी इसमें कार्य खोले जायें जैसे कि नाड़ी और तालाब की खुदाई या मेड़बन्दी के कार्य है, ऐसे किये जायें। साथ ही मैं यह भी कहना चाहूंगा कि खरीफ की फसल को देखकर अकाल राहत कार्य खोले जाते हैं और माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि अब तो रबी की फसल भी इस तरह की होने लग गई है जिसमें ज्यादा से ज्यादा खराबा होने लग गया। न तो कुओं में पानी है और न ही कोई बारिश होती है। पहले तो मावठ होती थी जिससे फायदा मिल जाता था पर अब तो ओलावृष्टि और शीतलहर आती है जिससे कि सारे किसान इसी से बहुत दुःखी हैं। मैं चाहता हूं कि खरीफ की फसल के साथ-साथ रबी की फसल को भी 7-डी के अन्दर कलक्टर्स से राज्य सरकार को रिपोर्ट मंगवाकर इसके आधार पर भी अकाल राहत कार्य खोले जाने चाहिए। साथ ही मैं यह भी कहना चाहूंगा कि आज गांवों से पलायन शुरू हो गया है, जहां अकाल राहत कार्य नहीं चल रहे हैं वहां की जनता गांव छोड़-छोड़कर जा रही है। आपने अभी जो अक्षय कलेवा योजना चलाई है, मैं चाहता हूं कि अक्षय कलेवा की योजना गांवों में भी चलाई जाये जिससे लोग-बाग़ अपना पेट भर सके और गांवों से पलायन नहीं कर सके, यह मेरा आपसे निवेदन है। साथ ही मैं यह कहना चाहूंगा कि अभी गत दिनों में चार तारीख को मेरे क्षेत्र फागी और चाकसू में ओलावृष्टि भी हुई है उसमें ग्राम मदनपुरा, गोकुलपुरा, खरूंज, सांवलिया और किशनपुरा में 70 से 90 प्रतिशत तक के बीच में खराबा हुआ है। इनको भी नियमों के आधार पर इन किसानों को ज्यादा से ज्यादा

(श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा)

मुआवजा दिलाया जाये। साथ ही मैं यह कहना चाहूंगा कि जो भी व्यक्ति इन कार्यों में अनियमितता करता है, उनके खिलाफ भी कार्यवाही की जाये, इतना ही मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में अकाल राहत कार्य ज्यादा से ज्यादा खोले जायें जिससे लोग-बाग़ पलायन नहीं करें।

श्री हरिमोहन शर्मा: उपाध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ इन्फोर्मेशन।

श्री कन्हैया लाल मीणा: माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि मेरा भी क्षेत्र इसी में आता है। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि चाकसू क्षेत्र है, दूदू और चाकसू में कोई फर्क नहीं है। दूदू में अकाल राहत कार्य खुले हुए हैं, फागी में खुले हुए हैं, दूदू से ज्यादा बदतर स्थिति चाकसू में है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि उसको भी अकालग्रस्त घोषित किया जाये चाकसू तहसील को। (व्यवधान)

सूचना

प्राइवेट विधि कालेजों की मान्यता समाप्ति

श्री हरिमोहन शर्मा: माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ इन्फोर्मेशन। आज बहुत गम्भीर स्थिति राजस्थान में है। अजमेर, झालावाड़, बून्दी और अन्य स्थानों पर बार कौंसिल आफ इण्डिया के नाम से एक समाचार प्रकाशित हुआ है और उस समाचार के माध्यम से बार कौंसिल आफ इण्डिया ने राजस्थान सरकार के बून्दी, झालावाड़, सीकर, सिरोही और श्रीगंगानगर और 11 प्राइवेट कालेज, अजमेर संत परमहंस कालेज, अजमेर ला कालेज और नगेन्द्र कालेज, बांसवाड़ा, इस प्रकार अनेक जो प्राइवेट कालेज हैं, 11 जो प्राइवेट कालेज हैं, इनके सम्बन्ध में यह समाचार प्रकाशित हुआ है और उस समाचार के माध्यम से आन्दोलन चालू हो गया है, अधिकारियों के सामने धरने और प्रदर्शन हो गये कि बार कौंसिल आफ इण्डिया ने इन ला कालेजों की मान्यता समाप्त कर दी है। मैं माननीय शिक्षा मंत्रीजी से अनुरोध करूंगा कि इस तरह के जो समाचार चल रहे हैं और उससे जो जन आन्दोलन हो रहा है....

श्री बंशीलाल खटीक: माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरी भी पर्ची है।

श्री हरिमोहन शर्मा: ...वहां मौजूदा क्या स्थिति है, इस बात का जवाब बताने का कष्ट करें।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य। श्री लक्ष्मीनारायण दवे।

श्री बंशीलाल खटीक: माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरी भी पर्ची है। मेरी पर्ची भी है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, खुली है मेरी पर्ची।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

श्री श्रवण कुमार: माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आन ए पाइंट आफ इन्फोर्मेशन। पाइंट आफ इन्फोर्मेशन है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे विनती करता हूं कि हमारे सूरजगढ़ से एक संघ कल खाटूश्यामजी जा रहा था। एक ट्रक वाले ने टक्कर मारकर एक व्यक्ति को मार दिया और उसकी

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, इस पर बात पूरी हो चुकी है।

श्री श्रवण कुमार: आप मेरी पूरी बात तो सुन लें। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बहुत गम्भीर मामला है। 25,000 आदमी जा रहे थे...

श्री उपाध्यक्ष: उस पर पहले ही निर्णय हो चुका है।

श्री श्रवण कुमार: माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कहां निर्णय हो गया, क्या निर्णय हो गया? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वह आदमी मर गया, पुलिस ने उन लोगों को आकर पीटा और कई लोगों को घायल कर दिया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कितना गम्भीर मामला है। मैं कोई मंदिर जाने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो केवल इतना कह रहा हूं कि मंदिर में पूजा करने वाले को, अर्चना करने वाले लोगों को पीटा है।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य। आपकी सूचना आ गई है। आसन से व्यवस्था दे दी गई है। माननीय सदस्य। अंकित नहीं होगा। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार: ×××

श्री बंशीलाल खटीक: ×××

श्री श्रवण कुमार : ×××

श्री रणवीर सिंह गुढा: ×××

श्री उपाध्यक्ष: स्थान ग्रहण कीजिये। पर्ची नहीं है आपकी। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार: ×××

श्री रणवीर सिंह गुढा: ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य। कोई भी अंकित नहीं होगा। आपका कोई अंकित नहीं हो रहा है।

श्री रणवीर सिंह गुढा: ×××

श्री श्रवण कुमार: ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य। आप किस बात पर बोल रहे हैं माननीय सदस्य? आप कहना क्या चाहते हैं माननीय सदस्य? ऐसे कोई अंकित नहीं हो रहा है माननीय सदस्य।

श्री श्रवण कुमार: ×××

श्री रणवीर सिंह गुढा: ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप अपना स्थान ग्रहण कीजिये। बिना आसन की अनुमति के बोलने से अंकित नहीं होता है। अंकित नहीं करें आप। आप दूसरे तरीके से आइये।

श्री सी. डी. देवल: ×××

श्री अमराराम(धोद): ×××

श्री रणवीर सिंह गुढा: ×××

श्री उपाध्यक्ष: गृह मंत्रीजी से आप मिल लीजिये। कोई बात हो तो आप गृह मंत्रीजी को लिखकर दीजिये माननीय सदस्य।

राष्ट्रीय राजमार्ग पर घटित दुर्घटना में हुई मृत्यु

श्रीमती राजकुमारी शर्मा (सीकर): आप बैठिये तो सही माननीय सदस्यजी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कल राष्ट्रीय राजमार्ग पर 16 साल का एक लड़का जिसको ट्रक ने टक्कर मार दी और वहीं वह ढेर हो गया और उसके माता-पिता का यह निवेदन था कि ट्रक चालक को हमारे को सौंप दो और उन्होंने जब ट्रक चालक को नहीं सौंपा, थाने पर बैठाकर रखा तब उत्तेजित भीड़ ने वहां एक जो ट्रेफिक पुलिस थी उसको पीट दिया। उसके बाद में वहां थाने में आग लगा दी, फिर पुलिस वालों को गुस्सा आया तो उन्होंने उनको पीट दिया इसलिए आपके माध्यम से मैं यह निवेदन करना चाहूंगी गृह मंत्रीजी से कि वहां की पूर्णतया जांच करवाई जाये। उस बच्चे की मौत हुई है वहां, हमें बहुत दुःख हुआ है लेकिन जो उनके साथ में थे, उनको भी तो दुःख होता है। एक तो वे पैदल चलते हैं, यह राष्ट्रीय राजमार्ग है। मेरा आपसे निवेदन है, आप गृह मंत्रीजी यह बतायें कि या तो भक्तों का रास्ता दूसरी जगह कहीं से निकाल दें तो ज्यादा बढ़िया रहेगा या यह जो मेला होता है, 15 दिन का मेला होता है, उसमें इस तरह की व्यवस्था कर दी जाये कि भक्तों का

(श्रीमती राजकुमारी शर्मा)

अहित न हो। 16 वर्ष का बच्चा मरा है, उनके घर का दीपक बुझा है, उन्हें तो दुःख होगा ही होगा लेकिन जो भीड़ थी, वहां पर पुलिस की कमी थी, जो चौकी लगी थी उन्होंने उसको भी जला दिया। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहती हूं कि उसकी कार्यवाही करके दोषी को सजा दी जाये। धन्यवाद। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद): सीकर से आने वाली माननीय सदस्या कह रही हैं, कोई उन्होंने उस तरह से नहीं किया और वह इतनी असक्षम हैं कि राजमार्ग तीन घंटे तक बन्द रहा।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय गृह मंत्रीजी। माननीय गृह मंत्रीजी को सुनें आप।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, घटना बहुत दुखद थी लेकिन मैंने सोचा कि किसी न किसी माध्यम से आप आओगे तो मैं उसका पूरा जवाब देने की स्थिति में होऊं लेकिन एट रेण्डम आपने इस विषय को उठाया, यह घटना कल की थी, सारे अखबारों में यह बात कवर हुई, आप इसको किसी न किसी रूप में अगर रखते तो मैं उसके सारे फेक्ट्स एण्ड फीगर्स लेकर आता, लेकिन जो कुछ भी मेरी जानकारी है, घटना घटी, एक बच्चे की डेथ हुई, जब जैसा कहा कि उस ड्राईवर को हमें सुपुर्द कर दो उस भीड़ को, यह पुलिस का धर्म नहीं है कि उस ड्राईवर को उस भीड़ को सुपुर्द कर दे और उससे वह उत्तेजित होकर के उन्होंने पथराव किया। मैं तो यह कह सकता हूं कि मुझे तो इस बात का है कि पुलिस बहुत कम संख्या में थी इसलिए पुलिस बुरी तरह से पिटी वहां पर, उसके कपड़े फाड़े हैं। फिर भी, मैं सोचता हूं क्योंकि आखिर जिसका भी बच्चा मरता है, उसका क्रोधित होना, उसको दुःख होना स्वाभाविक है लेकिन आपने एकदम एट रेण्डम विषय खड़ा किया, जबकि कल की घटना थी, आप किसी भी माध्यम से अगर इस विषय को रखते तो मैं आपको पूरा जवाब देने की स्थिति में रहता। अगर आप चाहेंगे तो कल मैं आपको, आप जवाब चाहेंगे तो मैं पूरा जवाब दूंगा पर मैंने जो कुछ भी देखा उसमें उनका उत्तेजित होना और उनका यह आग्रह करना कि इस ड्राईवर को हमें सुपुर्द कर दें, ड्राईवर को सुपुर्द करना पुलिस का धर्म नहीं है, उसे बचाना भी हमारा धर्म है जिसके लिए हमारी पुलिस पिटी कम संख्या में होने के कारण से, फिर भी हमने संयम रखते हुए उसको जितना उतनी भीड़ को कंट्रोल करने में जो कुछ भी संभव हो सका, किया, उसके बाद

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

भी आप चाहेंगे कि अगर हमारा कहीं दोष है, गलती है तो आप चर्चा करा लें, मैं आपको हर विषय पर जो कुछ भी हुआ है, वह आपके सामने रखने को तैयार हूं। ऐसी बात नहीं है।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): माननीय गृह मंत्रीजी, यह बात सही है कि उसको नहीं दिया जा सकता, लेकिन ढाई घंटे तक प्रशासन सुस्त रहा, आया ही नहीं वहां, ढाई घंटे तक, उसके बाद जब रास्ता जाम हो गया, पूरा हाहाकार मच गया, दस किलोमीटर लम्बी लाईन लग गयी, उसके बाद प्रशासन आया।

श्री उपाध्यक्ष: ठीक है। श्री लक्ष्मीनारायण दवे, खनिज मंत्री राजस्थान स्टेट माइन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखेंगे।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

प्रतिवेदन

राजस्थान स्टेट माइंस एण्ड मिनरल्स लि. का 58वां वार्षिक प्रतिवेदन 2004-2005

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (खनिज मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(ए) के अन्तर्गत राजस्थान स्टेट माइन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड का 58वां वार्षिक प्रतिवेदन 2004-05 सदन की मेज पर रखता हूं।

भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियां) एवं (वाणिज्यिक) वर्ष, 2005

तृतीय राज्य वित्त आयोग का अंतरिम प्रतिवेदन एवं उस पर की गयी कार्यवाही का विवरण का ज्ञापन

श्री उपाध्यक्ष: श्री वीरेन्द्र मीणा, वित्त राज्य मंत्री ।

श्री वीरेन्द्र मीणा (वित्त राज्य मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से वित्त एवं विनियोग लेखे वर्ष 2004-05, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का 31 मार्च, 2005 को समाप्त वर्ष के लिए प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियां), भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का 31 मार्च,2005 को समाप्त वर्ष के लिए प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) तथा तृतीय राज्य वित्त आयोग

(श्री वीरेन्द्र मीणा)

का अंतरिम प्रतिवेदन एवं राज्य वित्त आयोग के अंतरिम प्रतिवेदन पर की गई कार्यवाही के विवरण का ज्ञापन सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री रिछपाल सिंह मिर्धा, याचिका उपस्थापित करेंगे। (अनुपस्थित)

श्री मोहन लाल गुप्ता। सामान्य वाद-विवाद।

आय व्ययक 2006-07 पर सामान्य वाद-विवाद

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार के बजट के समर्थन में मैं यहां खड़ा हुआ हूं और हमारे वित्त मंत्री और राजस्थान की यशस्वी मुख्य मंत्री ने जो बजट 2006-07 का रखा है, वह वास्तव में सराहनीय है, मैं उसका स्वागत करता हूं। यह बजट महिलाओं को शक्ति प्रदान करने वाला है, नौजवानों को रोजगार देने वाला है, उद्यमियों को प्रोत्साहित करने वाला है, किसानों की आंखों में चमक लाने वाला है, व्यापारियों को विभिन्न छूटों के साथ वेट को लाने वाला है, अनुसूचित जाति, जनजाति के वर्गों में उत्साह प्रकट करने वाला है, गरीबों, रिक्शा चालकों और मजदूरों के लिए अक्षय कलेवा के रूप में पांच रुपये में गर्म खाना देने वाला है, छात्र और छात्राओं को स्कूल में जाने के लिए प्रोत्साहित करने वाला है, वृध्दों को पेंशन में बढ़ोत्तरी के रूप में उनकी आंखों में उत्साह बढ़ाने वाला है और जवानों को रोजगार देने वाला है, नौजवानों को और साथ ही साथ. (व्यवधान) कृपया डिस्टर्ब न करें।

श्री अमराराम (धोद): गुप्ताजी, आपको तो नहीं है न देने वाला यह।

श्री हेमाराम चौधरी: आपको क्या देने वाला है, यह भी तो बताओ।

श्री मोहन लाल गुप्ता: और जिनके पास मकान है, जो किश्तें चुका रहे हैं, उनके लिए (व्यवधान) आपकी कृपा हो जायेगी तो। उनके लिए इन्टरेस्ट रेट कम करने वाला है, उनके ऊपर भार कम करने वाला है।

श्री हेमाराम चौधरी: इनकी तो पूरी कृपा है।

श्री मोहन लाल गुप्ता: मेरे कहने का मतलब यह है कि सर्वस्पर्शी, सर्वव्यापी बजट है जिसकी हर वर्ग ने प्रशंसा की है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री अर्जुन सिंह देवड़ा : माननीय सदस्य, एक बार फिर स्पष्टीकरण

(श्री अर्जुन सिंह देवड़ा)

कर दें कि सर्व क्या, नाश करने वाला है कि सर्व क्या कहना चाह रहे थे, स्पष्ट कर दें।

श्री मोहन लाल गुप्ता: सभी लोगों को विकास की दिशा देने वाला है।

श्री ज्ञानचन्द पारख: आपका सर्वनाश करने वाला यह बजट है।

श्री हेमाराम चौधरी: यह सर्वव्यापी क्या है, सब जगह मिलेगा क्या, यह सर्वव्यापी क्या है?

श्री मोहन लाल गुप्ता: सभी लोगों को विकास की दिशा देने वाला। कांग्रेस के हमारे काफी सदस्य, अब समझौता हो गया हमारे में...

श्री अमराराम (धोद): हो गया। पहले झगड़ा था?

श्री मोहन लाल गुप्ता: इसलिए वह खुद आज मेरे को आशीर्वाद देने के लिए बैठे हैं और माननीय प्रतिपक्ष के नेता का भी आशीर्वाद चाहूंगा।

श्री अर्जुन सिंह: इसका मतलब मंत्री पद पक्का।

श्री घनश्याम तिवाड़ी: यह बात कही आपने तो समझौता टूट जायेगा।

श्री मोहन लाल गुप्ता: मैं यह कहना चाहूंगा कि विपक्ष के नेता का आशीर्वाद इस बजट को है लेकिन कांग्रेस के अध्यक्षजी ने बजट के बारे में जो कुछ कहा है और पूर्व मुख्य मंत्री अशोकजी गहलोत ने जो इसके बारे में कहा है, मैं बताना चाहूंगा। कल्ला साहब ने कहा है, बजट घोषणाओं का पुलिंदा है, इस बजट से गांव, गरीब, किसान और आम आदमी को कुछ नहीं मिला। गांव को कुछ नहीं मिला, गरीब को कुछ नहीं मिला, आम आदमी को कुछ नहीं मिला। मैंने यह सारी बातें बताई हैं। महिलाओं को, बेरोजगारों को, युवाओं को, उद्यमियों को, व्यापारियों को सब कुछ मिला है। बजट में महिलाओं के लिए कोई विशेष घोषणा ही नहीं की गई, झूठ बोल रहे हैं। सैकण्डरी और हायर सैकण्डरी स्कूल खोलने का प्रावधान नहीं है, राज्य सरकार अपने बलबूते पर शिक्षा क्षेत्र में कुछ नया नहीं कर रही है, जो भी प्रावधान किये गये हैं वह केन्द्र सरकार की ओर से सर्वशिक्षा अभियान के तहत स्वीकृत राशि में से है। यह बात कल कांग्रेस के वक्ताओं ने भी बोली थी, मैं उस पर विशेष डिटेल से आऊंगा लेकिन जो कल्लाजी ने कहा है कि बजट से बेरोजगारी बढ़ेगी और प्रति व्यक्ति आय घटेगी, प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ी है और बेरोजगारी घट रही है, रोजगार मिल रहे हैं इस बजट से। यह कल्लाजी की बात का जवाब है। (व्यवधान) माननीय अशोकजी गहलोत, पूर्व मुख्य मंत्री

(श्री मोहन लाल गुप्ता)

आज यहां सदन में नहीं हैं लेकिन उनका एक स्टेटमेंट है, आंकड़ों का जाल है बजट, बजट में न तो जनता के किसी वर्ग को राहत दी गई है, न ही राज्य के विकास की दिशा दिखती है, सही शब्दों में यह बजट, बजट ही नहीं है क्योंकि इसमें कहीं भी राज्य की मूलभूत समस्याओं का समाधान नहीं है, मुख्य मंत्री ने आंकड़ों के सहारे से बजट की सुनहरी तस्वीर दिखाने की कोशिश की है लेकिन उसमें कहीं भी यह स्पष्ट नहीं किया कि यह सुनहरी कैसे है।

श्री हेमाराम चौधरी: प्रति व्यक्ति आय कितनी बढ़ी है?

श्री मोहन लाल गुप्ता: मैं बताऊंगा सब। वित्तीय प्रबंधन को अच्छा बताने की इस सरकार की पोल उसके आंकड़ों ने ही खोल दी जिसके हिसाब से पिछले सवा दो वर्षों में राज्य पर बीस हजार करोड़ का कर्ज बढ़ गया। यह माननीय अशोकजी गहलोत का एक स्टेटमेंट है। अब मैं हमारी पार्टी के अध्यक्ष माननीय महेशचन्दजी शर्मा का जवाब पढ़कर सुनाना चाहता हूं जिसमें उन्होंने कहा है कि यह अदभूत व लोक कल्याण का संवेदनशील व संजीदा बजट है, यह महिलाओं को शक्तिवान, नौजवानों को रोजगार देने वाला, उद्यमियों को अवसर मुहैया कराने वाला बजट है, इस दस्तावेज का संबंध सिर्फ बजटीय आंकड़ों से नहीं है बल्कि सरकारी पहल व जन सहभागिता का अदभूत सम्मिश्रण है। यह पालिटिकल स्टेटमेंट इसमें आये हैं, उसी के साथ-साथ.... (व्यवधान)

श्री महीपाल यादव : यह अख़बार की खबर पढ़ रहे हैं....

श्री मोहन लाल गुप्ता: आप भी पढ़ लेते।

श्री महावीर प्रसाद जैन: यह आपके अध्यक्षजी के ज्ञान का बखान कर रहे हैं।

श्री मोहन लाल गुप्ता: एक इकोनोमिस्ट ने लिखा है इस बजट के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि जिसमें इस बजट को बहुत सराहनीय बताया है और बीमारू राज्य का कलंक मिटाने का संकल्प वाला बताया है उसमें कुछ जवाब भी दिये हैं इकोनोमिस्ट साहब ने। मैं माननीय कल्ला जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जब पिछले वर्ष ...। बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने...।

डा. बुलाकीदास कल्ला: एक मिनट विराज जाएं आप। आप यह कह रहे हैं कि मैंने यह कहा कि एक भी सैकेण्डरी स्कूल नहीं खोली, एक भी

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

सीनियर सैकेण्डरी स्कूल नहीं खोली, मैंने क्या गलत कहा है पूछ लो शिक्षा मंत्रीजी से बजट में है या नहीं।

श्री कालीचरण सर्राफ: आपने यह नहीं कहा कि 16 हजार राजीव गांधी पाठशालाओं को प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत कर रहे हैं। प्राथमिक शालाओं को मिडिल में किया ये तो बोलो।

डा. बुलाकीदास कल्ला: वो प्राथमिक विद्यालय ही थे। आपने इसमें क्या किया? ...(व्यवधान...

श्री कालीचरण सर्राफ: ...(व्यवधान... दोनों बातें बोलिये।

डा. बुलाकीदास कल्ला: आपने कहा गांव, तो गांव का क्या भला किया बता दीजिये ।

श्री मोहन लाल गुप्ता: बता रहा हूं आप पूरी बात सुन लें मेरी।

डा. बुलाकीदास कल्ला: और प्रति व्यक्ति आय कैसे बढ़ेगी कितना रोजगार मिलेगा?

श्री मोहन लाल गुप्ता: आपका आशीर्वाद चाहता हूं, आप पूरी बात सुन लें ।

श्री उपाध्यक्ष: बताने दीजिये।

श्री मोहन लाल गुप्ता: पिछले वर्ष जब मुख्य मंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे ने अपना बजट पेश किया था तो विपक्ष के नेता का यह आरोप था कि न तो कर राजस्व वसूली के बड़े लक्ष्यों को पाया जा सकेगा न ही 8300 करोड़ की वार्षिक योजना के अनुरूप खर्च हो पाएगा । लक्ष्यों को प्राप्त करना और उसको खर्च करना, करना यह आपने कहा था नहीं होगा। आज के अपने बजट भाषण में श्रीमती वसुंधरा राजे ने न केवल दोनों आशंकाओं को निर्मूल सिद्ध कर दिया बल्कि यह भी जता दिया कि उनके बढ़िया वित्तीय प्रबंधन पर किसी को शक नहीं रहना चाहिए। पिछली बार जब 977 करोड़ रुपये का बजट पेश किया गया तो कहा गया कि सरकार ने कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु साठ वर्ष कर उनको मिलने वाले पेन्शन लाभों की मद में करीब सात सौ करोड़ रुपये बचा लिये हैं लेकिन ऐसा इस बार कुछ भी नहीं है पेन्शन लाभ कुछ भी नहीं है फिर भी साठ करोड़ रुपये का यह बजट आया है। यह शायद पहला अवसर होगा कि कर राजस्व वसूली लक्ष्यों के अनुरूप रही है। कर राजस्व पूरे-पूरे प्राप्त हुए हैं कुछ मामलों में ज्यादा ही हुए हैं राज्य सरकार के आग्रह

(श्री मोहन लाल गुप्ता)

पर योजना आयोग ने चालू वर्ष की योजना का आकार 8300 करोड़ रुपये रखना माना है यद्यपि अब थोड़ी कटौती हो सकती है लेकिन उसका आकार 8155 करोड़ रुपये के आस पास रहेगा यानी 2000, 2003 की आपकी 4431 करोड़ रुपये की योजना से लगभग दुगुनी। यह तभी संभव है जब राज्य सरकार ने अपने राजस्व हितों...।

श्री हेमाराम चौधरी: यह तो पढ़ा हुआ मान लिया जाए साहब।

श्री मोहन लाल गुप्ता: क्यों आपकी पोल खुल रही है इसलिए पढ़ा मान लिया लिया जाए?

श्री हेमाराम चौधरी : इकोनोमिस्ट कहते हैं तो वो कहते हैं क्या?

श्री मोहन लाल गुप्ता : अन्य वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेने की क्षमता बढ़ाई। कुछ लोग यह कहते हैं कि कर्ज लेकर विकास करना बेमानी है लेकिन अर्थशास्त्री कहते हैं कि कर्ज के बिना विकास की गति नहीं बढ़ सकती है, कर्ज भी उसे ही मिलता है जिसकी चुकाने की क्षमता हो जो उसे वापस करने की क्षमता रखता हो और ये क्षमता वसुंधरा राने ने वित्त मंत्री के रूप में पायी है। मैं समझता हूं कि ये जो जवाब है आपके जवाब का...।

श्री अर्जुन सिंह देवड़ा : माननीय सदस्य, आपने बताया है...।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बीच में नहीं। आप अपना स्थान ग्रहण कीजिये। यह ठीक नहीं है।

श्री अर्जुन सिंह देवड़ा : आपने बताया कि कर्ज वो लेता है जो चुकाने की क्षमता रखता हो तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से कि कब तक चुका देंगे कर्ज सारे राजस्थान का यह भी बतायें।

श्री उपाध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण कीजिये माननीय सदस्य। अंकित नहीं होगा। बीच में नहीं।

श्री महावीर प्रसाद जैन: ×××

श्री अर्जुन लाल मीणा: ×××

श्री कालीचरण सर्राफ: ×××

श्री रामनारायण चौधरी: अशोकजी गहलोत ने और बी. डी. कल्ला साहब की जो प्रतिक्रिया आयी है जो टिप्पणी आयी है बजट पर उससे आप बौखला गये क्योंकि आपकी सारी बातें इनकी प्रतिक्रिया पर ही बेस्ड हैं, बजट पर आयें।

श्री मोहन लाल गुप्ता: मैंने उनका जवाब दिया है और मैं यह भी कहना चाहता हूं माननीय विपक्ष के नेता जी मैं आपको भी कहना चाहता हूं कि आपने आदर सहित माननीय मुख्य मंत्रीजी को आशीर्वाद दे दिया इस बजट के लिए और आपने कोई आलोचना इसकी नहीं की है आपने इसका स्वागत भी किया है। कहीं अखबारों में आपकी प्रतिक्रिया नहीं आयी इसलिए मैं कहना चाहूंगा आपका आशीर्वाद इस बजट के साथ में है और सदैव बजट के साथ रहेगा क्योंकि आप समझदार हैं और आप जानते हैं कि राज्य की महिला मुख्य मंत्री इस राज्य के विकास को एक नयी दिशा देना चाहती है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्रीजी ने एक वीजन दिया इस स्टेट को एक नयी दिशा दी है और उसमें एक कहावत को सिद्ध किया है 'थिंक ग्लोबली एण्ड एक्ट लोकली' आपके जो विचार, चिन्तन, मनन हैं वो निश्चित रूप से वैश्वीकरण की ओर होना चाहिए। विश्व में जो आर्थिक विकास हो रहा है उसको देखते हुए ..।

डा. सी. पी. जोशी: घनश्याम जी को ही समझ में नहीं आयी है बाकी सब को समझ में आ गयी।

श्री मोहन लाल गुप्ता: घनश्याम जी की भी बात भी बता रहा हूं आपको अभी बताता हूं।

श्री महावीर प्रसाद जैन: माननीय प्रतिपक्ष के नेता महोदय कह रहे थे कि मैं अपने सदस्यों का संरक्षण कर रहा हूं। हमारे सदस्यों के संरक्षण की भी जिम्मेदारी आपकी है।

डा. बुलाकीदास कल्ला: आप इनको नेता बना दो ये संरक्षण कर देंगे। आप इनको सदन का नेता बना दो ।

श्री महावीर प्रसाद जैन: आप जिस प्रकार का व्यवहार करते हो प्रतिपक्ष के नेता के प्रति जिस प्रकार का अपमान करते हो वो बर्दाश्त नहीं किया जायेगा।

डा. बुलाकीदास कल्ला: हमारा पूरा सम्मान है, आप आग में घी मत डालिये। पानी में आग मत लगाइये। आज हम पूरा सम्मान करते हैं आप क्या करते हो..। आप व्यवधान मंत्री हो।

श्री महावीर प्रसाद जैन: प्रतिपक्ष के नेता महोदय ने यह तय किया है कि कोई भी बीच में रोक-टोक नहीं और कोई यदि रोक-टोक करेगा तो उसकी जिम्मेदारी प्रतिपक्ष के नेता ने ली है इसलिए मैंने उनसे निवेदन किया है।

डा. बुलाकीदास कल्ला: आप जितना चुप रहोगे उतना ही सदन अच्छा चलेगा।

श्री महावीर प्रसाद जैन: मैं तो बिलकुल चुप हूं।

श्री महीपाल यादव: आज तो आपने वास्तव में शांति धारण कर रखी है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी: ये तो इनका शांति का स्वरूप है तो फिर क्रांति वाला क्या होगा?

श्री मोहन लाल गुप्ता: माननीय शिक्षा मंत्रीजी, आपका आशीर्वाद चाहूंगा। विश्व के बाजार में जिस प्रकार से आर्थिक गतिविधियां बढ़ रही हैं हमारा देश भी वैश्वीकरण की ओर जा रहा है और उसी के साथ-साथ भारत भी एक विकासशील देश से विकसित देश की ओर आ रहा है। मैंने अभी पिछले दिनों यू.एस. राष्ट्रपति बुश का भाषण सुना था और उसमें यह कहा था कि भारत और चाइना इन दोनों से हमारा बहुत बड़ा कंपीटिशन है। विश्व की आर्थिक शक्ति यह कह रही थी कि भारत और चाइना से हमारी बहुत बड़ा आर्थिक प्रतिस्पर्धा है और मैं यह भी कहना चाहूंगा कि आज के आर्थिक विशेषज्ञ इस विश्व की इकानामी को ब्रिक इकानमी मानते हैं । ब्रिक इकानामी यानी ब्राजील, रशिया, इंडिया एण्ड चाइना ये चार देश विश्व की आर्थिक नीतियों को प्रभावित करने वाले होंगे। ब्रिक इकानामी के रूप में और ये चार देश अमेरिका और यूरोप के देशों को निश्चित रूप से पछाड़ देंगे और मैं समझता हूं कि उसी दिशा में हमारी मुख्य मंत्रीजी जा रही हैं। राजस्थान का विकास हो और राजस्थान अविकसित राज्यों के साथ-साथ बीमारू राज्यों की श्रेणी से ऊपर उठकर और एक विकसित राज्य के रूप में उभरे ऐसा एक बजट उन्होंने प्रस्तुत किया है। एक्ट लोकली और मैं उदाहरण देना चाहूंगा कि जिस प्रकार से सम्माननीय मुख्य मंत्रीजी ने निर्णय लिये हैं सेज के, आई.टी. पार्क के, स्टोन पार्क के, वर्ल्ड ट्रेड टावर के, गोल्ड सूक के, रिंग रोड़ के जितने सब ये निर्णय लिये हैं वो थिंक ग्लोबली एण्ड एक्ट लोकली के परिचायक हैं। आज जो सेज की बात करते हैं, माननीय कांग्रेस अध्यक्ष जी ने, बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने सेज के बारे में अपने धन्यवाद प्रस्ताव के उत्तर में यह कहा था कि सेज में भ्रष्टाचार हुआ है । सेज में माननीय शिक्षा मंत्रीजी ने विरोध किया है। मैं कहना चाहूंगा कि सेज हमारी आर्थिक उन्नति का परिचायक है। देश की आर्थिक उन्नति का परिचायक है सेज यानी स्पेशल इकोनोमिक जोन।

(श्री मोहन लाल गुप्ता)

चाइना में बहुत सारे इकोनोमिक जोन स्थापित किये गये हैं और मैं चाहता हूं माननीय मुख्य मंत्रीजी न केवल जयपुर में बल्कि उदयपुर में, जौधपुर में, अजमेर में, भरतपुर में और विभिन्न शहरों में यह सेज की स्थापना करें । सेज एक इण्डियन टेरेट्री है इंडिया में ही लेकिन वह फोरन टेरेट्री जैसे मानी जायेगी । वहां आयात निर्यात पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है और सेज के माध्यम से हमारे राजस्थान के लोगों को और भारत के लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त हो सकेंगे । आज विश्व में व्यापार में बहुत बड़ी प्रतिस्पर्द्धा है । हमारा माल विभिन्न प्रकार के आयात प्रतिबंधों, विभिन्न प्रकार के आयात पर लगाये गये करों के द्वारा और विभिन्न प्रकार की फोरमल्टी के कारण हमारा निर्यात व्यापार बहुत प्रभावित होता है । इस सेज के कारण व्यापारियों को, उद्योगपतियों को आई टी के क्षेत्र वाले लोगों को अपना व्यापार धंधा वहां स्थापित करने, नौकरशाही का लचीलापन होना, विभिन्न सरकारी प्रक्रियाओं का एक ही स्थान पर पूरा होना और साथ ही साथ लाखों लोगों के रोजगार के अवसर प्रदान करने वाला सेज है । इसमें कहां किसी प्रकार की गड़बड़ है । मैं समझता हूं कि माननीय शिक्षा मंत्रीजी ने भी जो इसका जवाब दिया था इन्होंने किसानों के बारे में बोला था और माननीय मुख्य मंत्रीजी ने किसानों की जो जमीन अवाप्त हो रही है इसके लिये उन्होने रास्ता निकाला और 25 परसेंट मुआवाजे की राशि की घोषणा की । यह किसानों को वृद्धि देने वाला बजट है सेज किसानों को वृद्धि दे रहा है । रिंग रोड जायेगी, सेज आयेगा, आई टी पार्क आयेगा, नोलेज पार्क आयेगा, राजस्थान का विकास नहीं होगा ? निश्चित रूप से राजस्थान का विकास होगा। राजस्थान में लोग आई टी पार्क में पढ़ने के लिये आयेंगे, नोलेज पार्क में पढ़ने के लिये आयेंगे । शिक्षा के क्षेत्र में काफी प्रगति हो रही है । भारतवर्ष के बच्चे, राजस्थान के बच्चे वहां बाहर पढ़ने के लिये जाते हैं । मैं समझता हूं कि आई टी पार्क होगा, नोलेज पार्क होगा तो निश्चित रूप से वह बच्चे यहां पढ़ने के लिये आयेंगे, विदेशों के बच्चे भी यहां पढने के लिये आ सकते हैं । इस प्रकार का आई टी पार्क और नोलेज पार्क होगा । मैं यह कहना चाहूंगा सेज पर कांग्रेस के हमारे मित्रों ने कहा कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है । भ्रष्टाचार क्या हुआ है ? इसमें एक पैसे का भी भ्रष्टाचार नहीं हुआ है । यह सेज किसानों को समृद्धि लाने वाला है, मजदूरों को रोजगार देने वाला है, व्यापार, उद्योग धंधों को प्रोत्साहन देने वाला है और हमारे देश का निर्यात बढ़ाने वाला

(श्री मोहन लाल गुप्ता)

है । आपने कहा कि डी.एल.सी. की रेट पर सेज के लिये जमीन एम एण्ड एम को दे दी । क्या और कोई प्रस्ताव सेज के लिये बी.डी. में आया हुआ है जिसको हम देते, जिसको मुख्य मंत्रीजी कंसीडर करतीं । कांग्रेस के समय से ही एक रीति बनी हुई है कि जो भी व्यक्ति एक सर्टन राशि से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, जो भी उद्योगपति एक निश्चित राशि से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट राजस्थान में करना चाहता है उस व्यक्ति को बीडी एक सुपर पावर कमेटी है उस नाते से विभिन्न प्रकार की सुविधाएं, रियायते बीडी देगी और उसके माध्यम से वह राजस्थान में विकास करेगा । आपने बहुत सारे विकास के लिये काम किये, मैं कहता हूं वह विकास के लिये नहीं थे लेकिन बहुत सारी सुविधाएं आपने दी हैं, एन्टरटेनमेंट पार्क को दी है वही बीडी ने दी है । जी ई कैपिटल को दी है ।

श्री महीपाल यादव : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय केन्द्रीय मंत्री श्री शरद पवार जी ने इनको क्या फटकार लगाई कि आप कृषि भूमि को, ग्रीन बैल्ट को उजाडकर केन्द्रीय मंत्री ने मुख्य मंत्रीजी की उपस्थिति में कहा है....

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप बीच में नहीं बोले । रिकार्ड नहीं होगा ।

श्री महीपाल यादव : ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप अपने माननीय सदस्य को चुप कराइए ।

श्री मोहन लाल गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो सेज के बारे में मैं बता रहा था कि इससे किसानों का भला हुआ है । उस जमीन में पानी नहीं है और उस जमीन में पानी लाने के लिये विशेष प्रयत्न सरकार की ओर से हो रहे हैं किसानों को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ है, किसानों को फायदा हुआ है और आप इस सदन के माध्यम से केन्द्रीय कृषि मंत्रीजी को कह दीजिए कि इस सेज में किसानों को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ है और उनके संघर्ष का फायदा उनको निश्चित रूप से मिला है । इसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं है यदि आप करते हो, आप जी ई कैपिटल को देते हो बीडी में तो उसमें भ्रष्टाचार नजर नहीं आता है । आप एन्टरटेनमेंट पैराडाइज को बीडी में देते हो तो उसमें भ्रष्टाचार नजर नहीं आता है । आप मित्तल साहब को जमीन देते हो उसमें आपको भ्रष्टाचार नजर नहीं आता है । आप अन्य संस्थाओं को आबंटित करते हो उसमें आपको भ्रष्टाचार नजर नहीं आता है

(श्री मोहन लाल गुप्ता)

और देश के और राजस्थान के व्यापारियों को, किसानों को और मजदूरों की समृद्धि लाने वाला यह सेज इसमें आपको भ्रष्टाचार नजर आता है । मैं यह कहना चाहता हूं कि इसमें किसी प्रकार का कोई करप्शन नहीं है । यह सेज आयेगा, आई टी पार्क आयेगा, टैक्नोलोजी पार्क आयेगा, टैक्सटाइल पार्क आयेगा और राजस्थान का विकास होगा ।

उपाध्यक्ष महोदय, आपका आशीर्वाद चाहूंगा, पिछली बार जब बजट भाषण हो रहा था तब विपक्ष के लोगों ने बोला कि आपका वित्तीय प्रबन्धन ठीक नहीं है । हमने अपना वित्तीय प्रबन्धन ठीक किया है । राजस्व के आंकड़ों को प्राप्त किया है । बीमारू राज्यों की श्रेणी से ऊपर लाये हैं । लेकिन आपके समय में क्या था ? आपके समय में सरकारी कड़की के दिन थे और सरकारी कडकी किस प्रकार की थी कि सारी खरीददारी पर रोक थी, सारी भर्तियों पर रोक थी, एक भर्ती आपने नहीं की । किसी प्रकार की कोई सरकारी खरीद नहीं की । कर्मचारियों की सारी सुविधाएं खतम कर दी, उनका बोनस इत्यादि खतम कर दिया । राज्य की नगरपालिकाओं की आर्थिक स्थिति कमजोर कर दी, पंचायतों की आर्थिक स्थिति कमजोर कर दी और केन्द्र के पैसे के आधार पर आपने अकाल का प्रबन्धन कराया । यह सरकारी कड़की से निकाल कर आज प्रगतिशील राजस्थान और जहां जाओ वहां पैसे की कोई कमी नहीं, धन की कोई कमी नहीं, विकास के काम के लिये किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है इस प्रकार का एक बजट हमने पेश किया है, इस प्रकार का एक विजन हमारी मुख्य मंत्रीजी ने प्रस्तुत किया है । उस पर आप यह कहते हो कि यह बजट प्रगतिशील बजट नहीं है, यह गांवों को रोजगार देने वाला बजट नहीं है, यह बजट, स्कूल खोलने वाला बजट नहीं है । यह किस प्रकार की आलोचना आप कर रहे हैं । अभी राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा था कि राजस्थान की ग्रोथ रेट 4 परसेंट है । वह आंकडे यह कहां से ले आये यह मुझे समझ में नहीं आता है। मैं कहना चाहता हूं कि यह गलत आंकडे प्रस्तुत किये हैं । मेरे पास जो आंकडे हैं और जो सरकार ने यहां पेश किये हैं..

श्री हेमाराम चौधरी: आप कहां से लाये ?

श्री मोहन लाल गुप्ता : मैं सरकारी आंकडे लेकर आया हूं किताब में से पढ़कर लेकर आया हूं । 99-2000 में 2.11 परसेंट की वृद्धि थी । 2001 में (-) 2.17 परसेंट की वृद्धि थी । 2001-02 में 9.40 परसेंट की हुई । 2002-03

(श्री मोहन लाल गुप्ता)

में (-) 6.87, 2004-05 में 0.62 की वृद्धि हुई है और 2005-06 में जो कांस्टेंट प्राइजेज हैं उसके आधार पर 5.44 परसेंट की जी डी पी में ग्रोथ हुई है । 4 परसेंट की ग्रोथ हुई है और अगर करंट प्राइजेज को देखा जाये तो 10.74 परसेंट की वृद्धि हुई है । उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा हमारा राजस्थान यह बीमारू राज्य नहीं है । हमारा राजस्थान विकासशील राज्य है जिसमें चारों ओर विकास की गंगा बह रही है, सडकें बन रही हैं, स्कूल खुल रहे हैं, गांवों में किसान बहुत प्रसन्न है, अकाल की मार नहीं है । अकाल यदि कहीं है तो अकाल का प्रबन्धन बेहतर हो रहा है । यदि बीमारू राज्य है तो फिर अगर 35 स्टेट का हम विश्लेषण करें, आंकलन करें कि जितने स्टेट हैं उसमें हमारे स्टेट की क्या पोजिशन है । यदि हमारा स्टेट हर क्षेत्र में कहीं दसवें स्थान पर, कहीं बारहवें स्थान पर कहीं दूसरे स्थान पर, कहीं तेरहवें स्थान में है तो वह बीमारू स्टेट नहीं कहा जायेगा । मैं कहना चाहूंगा कि हमारा स्टेट लिट्रेसी के परसेंट में 14वें स्थान पर है । जहां 60 प्रतिशत लिटरेसी है। कंज्म्पशन आफ फर्टिलाइजर पर हैक्टयेर के हिसाब से 17वें स्थान पर है। यह मैं 2001 की बात, आज 66 प्रतिशत हो गई। मैं पूरे आंकड़ें दे रहा हूं किताब से। उसी के साथ-साथ एवरेज डेली वर्कर कंज्म्पशन 9वें स्थान पर है। पर केपीटा वेल्यू एड इन इण्डस्ट्रीज में 11वें स्थान पर है। पर केपीटा कंज्म्पशन आफ इलेक्ट्रिसिटी में 11वें स्थान पर है। परसेंटेज आफ इलेक्टिफाइड विलेज टू टोटल विलेज, उसमें चौथे स्थान पर है 1 गांवों में विघुतीकरण के मामले में हम चौथे स्थान पर है। नम्बर आफ मोटर व्हीकल्स में 9वें स्थान पर है। प्रोजेक्टेड आउटलेट 8वें स्थान पर है। पर केपीटा बैंक डिपोजिट के मामले में 14वें स्थान पर है। पर केपीटा बैंक क्रेडिट के मामले में 2004 में 12वें स्थान पर है। नये डोमेस्टिक प्रोडेक्ट के हिसाब से 7वें स्थान पर है। पर केपीटा एनएसडीपी करंट प्राइसेस, 10वें स्थान पर है। पर केपीटा रेवेन्यू के हिसाब से 13वें स्थान पर है। पर केपीटा टैक्स रेवेन्यू के हिसाब से 10वें स्थान पर है । पर केपीटा रेवेन्यू एक्सपेंडीचर के हिसाब से 14वें स्थान पर है, 2004-5 में, पर केपीटा रेवेन्यू डवलपमेंट एक्सपेंडीचर, उसमें 12वें स्थान पर है। इस प्रकार सो हमारा राज्य बीमारू राज्य नहीं है। हमारा राज्य विकसित राज्य की ओर जा रहा है। मैं समझता हूं कि डवलपमेंट की ओर जा रहा है।

मैं समझता हूं कि, जिस प्रकार से कल विपक्ष के लोगों ने बोला और यह कहा कि आपको सारा पैसा केन्द्र सरकार से मिल रहा है, उस केन्द्र

(श्री मोहन लाल गुप्ता)

सरकार के पैसे के माध्यम से आप विकास कर रहे हैं, केन्द्र सरकार के माध्यम से आप विभिन्न प्रकार की योजनाएं चला रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि फाइनेंस कमीशन जो स्थापित हुआ है वह फाइनेंस कमीशन.....

श्री अर्जुन सिंह (दानपुर): मंत्री बनने के लालच में उपाध्यक्ष महोदय को भी.....(व्यवधान)

श्री मोहन लाल गुप्ता: इस फाइनेंस कमीशन ने स्पष्ट कर दिया है कि देश का जितना भी रेवेन्यू आयेगा, भारत सरकार के पास होगी। जो भी ग्रांट होगी, जो टैक्स आएंगे वह सब स्टेट्स में बंटेगे । स्टेट में ही नहीं नगरपालिकाओं में बंटेगे, नगरपरिषदों में बंटेगे, पंचायत में बंटेगे। इसी के लिए फाइनेंस कमीशन की स्थापना हुई है। केन्द्र सरकार यह कोई हम को दान में नहीं दे रही है। कोई दक्षिणा में नहीं दे रही है, यह हमारा अधिकार है। राजस्थान के जितने लोग टैक्स पे करते हैं उसमें हमारा शेयर केन्द्र सरकार दे रही है। विभिन्न प्रकार की योजनाएं दे रही है। केवल राजस्थान को ही नहीं दे रही है कि राजस्थान के माध्यम से आप जा रहे हैं, हमारा अधिकार है उस रूप से दे रही है। फाइनेंस कमीशन की स्थापना हुई उसमें यह स्पष्ट कहा गया है

"The Commission shall make recommendation as to following matters:-

The distribution between the Union and the States of the net proceeds of taxes. Net proceeds of taxes which are to be, or may be, divided between them under this Chapter I of Part XII of the Constitution and the allocation between the States of respective shares of such proceeds; the principles which should govern in the grants-in aid of the revenues of these states out of Consolidated Fund of India."

इस के साथ-साथ कंसोलिडेंट फण्ड्स को भी देगी। आप यह कह रहे हैं कि हमने राजस्थान का विकास केन्द्र सरकार के पैसे से करवाया है। यह हमारा अधिकार है। यह कांस्टीट्यूशनल राइट हमको दिया है, जिस कांस्टीटयूशनल के तहत आप और हम चुनकर आते हैं। जिस कांस्टीट्यूशनल के तहत पार्लियामेंट बनती है, जिस कांस्टीट्यूशनल के तहत असेम्बलि बनती है, उसी कांस्टीट्यूशनल के तहत नगरपालिका और नगरपरिषद बनती है। सभी को पैसा इस कांस्टीट्यूशनल के द्वारा दिया जाता है। फाइनेंस कमीशन के द्वारा दिया जाता है।

श्री उपाध्यक्षः कनक्ल्यूड कीजिए।

श्री मोहन लाल गुप्ताः माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दो मिनट अपनी बात कहकर खतम करना चाहूंगा। मैं यह कहना चाहता हूं कि हमने, हमारी मुख्य मंत्रीजी ने जो अभी विकास किया है वह विकास राजस्थान के पैसे से तो किया ही है, हमने अपने रेवेन्यू टारगेट अचीव किये हैं। रेवेन्यू टारगेट अचीव करने के साथ-साथ हमने, विभिन्न प्रकार के जो विकास के काम करने थे हमने अपने स्वंय के स्त्रोतों से 9724 करोड़ रुपये इकट्ठे किये, केन्द्र ने वह 5300 करोड़ रुपये दिये हैं। 9700 तो हमारा भी कलेक्शन है। आपके राज में कितना कलेक्शन था उसके आंकड़ों में मैं नहीं जाना चाहता क्योंकि मुझे समय नहीं है लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से आज जयपुर में विकास के काम हो रहे हैं, जेडीए जिस प्रकार से विकास के काम कर रहा है वह अदभूत और विलक्षण है और उसी प्रकार के विकास के काम यदि जयपुर शहर में हो जाए और राजस्थान के विभिन्न शहरों में हो जाए तो निश्चित रूप से राजस्थान की कायाकल्प हो जाएगी। गांवों की कायाकल्प हो जाएगी। किसानों की कायाकल्प हो जाएगी। जेडीए ने लैंड बैंक बनाया है, 56000 बीघा भूमि उसमें चिह्नित की है, लैंड बैंक के माध्यम से चिह्नित की गई। जेडीए इतनी बड़ी रिंग रोड़ बना रहा है 1250 करोड़ रुपये की। जेडीए ने विभिन्न प्रकार के, आईटी पार्क, नालेज पार्क, सेज यह सब योजनाएं बनाई हैं। मैं समझता हूं कि सहकारी समितियों की भूमि पर, बसने वाले लोगों को, कच्ची बस्ती में रहने वाले लोगों को हम निश्चित रूप से बढ़ावा देंगे। उनकी सुख-सुविधाओं का ध्यान रखेंगे। सड़क, नाली, बिजली और सिवरेज की व्यवस्था भी हम करेंगे और उसी के साथ-साथ राजस्थान के विकास के लिए माननीया मुख्य मंत्रीजी ने जो बजट पेश किया है उसका मैं स्वागत करता हूं। अपने स्थान पर बैठता हूं। धन्यवाद, जय भारत।

श्री उपाध्यक्षः धन्यवाद। मोहम्मद माहिर आजाद।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह सदन....

श्री राजेन्द्र राठौड़ः सही-सही बोलना।

श्री उपाध्यक्षः सही बोलते हैं।

मोहम्मद माहिर आजादः मेरे मुंह में आप शब्द तो ड़ाल नहीं सकते। चलिये सुनिये।

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर): हमारे यहां से मंत्री बना सकते हैं तो हम आपको कुछ ....(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद: क्या हुआ साहब?

श्री तगाराम चौधरी: आप हमारे वालों को मंत्री बना देते हो तो हम भी आपको कुछ सिखा देते हैं।

श्री रामप्रताप कासनिया: उपाध्यक्ष महोदय, हमारे भी निर्दलीय वालों का नम्बर....

मोहम्मद माहिर आजाद: क्या हो रहा है .....(व्यवधान) माननीय घनश्याम जी, आप तो कहां जा रहे हो, बिराजिये। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह सदन 2006-07 के आय-व्ययक अनुमानों पर बजट पर चर्चा कर रहा है। हमारी सदन की नेता बार-बार हौंसलों की, बुलंद हौंसलों की, बेपर की उड़ान की बात करती है। मैं भी अर्ज करना चाहता हूं कि सोते शेरों को मत जगाओ। ऐसा नहीं कि हौंसले आप में ही है, हमारे नेता प्रतिपक्ष के हौंसले आप देख ही रहे हैं। अभी कांग्रेस विधायक दल के हौंसले आपने देखे नहीं है इसलिए मैं अर्ज करना चाहता हूं :-

'हौंसले अगर हम दिखा देंगे-हौंसले अगर हम दिखा देंगे फूल सहराओं में खिला देंगे, जिनको माकूल आप समझते हो, उनको गैर माकूल हम बना देंगे, हम शान वाले हैं शान रखते हैं और तीरो कमान भी रखते हैं, तलक लहजे में गुफ्तगूं मत करना वरना मुंह में जबान हम भी रखते हैं'।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज तक यह स्थिति थी कि जिस दिन राजस्थान का बजट पेश किया जाता था लोग आंखें फाड़-फाड़कर यह देखते थे, कान खड़े करे यह सुनते थे कि आज हमको क्या रियायत मिलेगी। राजस्थान के चहुमुंखी विकास की क्या नई घोषणा होगी और कुछ लोगों को यह भी खतरा रहता था कि हम पर कितना और टैक्स का बोझ लादा जाएगा। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि इस बजट की सेंसिटी, जब से भारतीय जनता पार्टी राज में आई, राज में रह नहीं गई। रह क्यों नहीं गई कि छाती पर वार तो हम झेल सकते हैं लेकिन पीठ पर हमला किया जाए उसका अंदाजा भी नहीं होता। इस बजट के माध्यम से आप कर लगायें या रियायते दें यह बात समझ में आती है लेकिन यह सरकार बेकडोर एंट्री करती है, जो पीठ पर वार करती है उससे कैसे बचा जा सकता है। आपने पिछले साल भी बजट पेश किया, उसमें कर नहीं लगाया लेकिन उसके बाद भी आपने विद्युत पर कर

(मोहम्मद माहिर आजाद)

लगाया, क्या यह बेकडोर एंट्री नहीं थी? अभी इस साल भी, आप तो क्योंकि अपनी आदत से बाज नहीं आते, इस साल भी 28 फरवरी से विधान सभा का सत्र हो रहा था और उसके ठीक एक महीने पहले 25 जनवरी को 1.6 प्रतिशत टैक्स बैकडोर तरीके से आपने चाय पर, सूखे और गीले नारियल पर, सूखे मेवे पर, असुगंधा पर लगाया।

श्री राजेन्द्र राठौड़: इसको करेक्ट कर लो, यह 1.6 है।

मोहम्मद माहिर आजाद: 1.6 ही बोल रहा हूं, 1.6 । सवाल इतना नहीं है। मैंने 1.6 ही बोला है। आप 1.6 लगायें, चाहे 0.6 लगायें लेकिन जब विधान सभा का बजट सत्र हो रहा था तो क्या जल्दी पड़ी थी आपको यह। और आपने लगा दिया और लगाने के बाद जब श्री सत्यनारायणजी गुप्ता के माध्यम से आप पर चाय के व्यापारियों ने दबाव बनाया तो आपने चाय पर से तो टैक्स वापस ले लिया और बाकी चीजों पर रहने दिया।

श्री राजेन्द्र राठौड़: मैं आपको फिर करेक्ट कर रहा हूं, यह मण्डी शुल्क है।

मोहम्मद माहिर आजाद: मण्डी शुल्क टैक्स नहीं होता है क्या, मण्डी टैक्स ही कह रहा हूं, मैं भी इतना जानता हूं कि यह नारियल, अश्वगंधा, चाय और खजूर एग्रीकल्चर जिंस में आती है। इतनी जानकारी मुझे भी है। समझ में आयी बात आपको।

दूसरी बात, आज भी, उपाध्यक्ष महोदय, आप भी 20 साल का विधायी अनुभव रखते हैं और आप और मैं साथ-साथ इस सदन में आ रहे हैं। टैक्स लगाने के बाद तो यह स्थिति होती थी कि लोग विभिन्न माध्यमों से जो एसोसिएशंस हैं एप्रोच करती थीं, लेकिन अब के तो उल्टा हुआ। उल्टा यह हुआ कि वित्त राज्य मंत्रीजी बैठे हैं, ये और जन अभाव अभियोग समिति के अध्यक्ष, ये पूरे राजस्थान में घूमे हैं। ये बीकानेर गये, कोटड़ी वालों से मिले, कहा कि हमको पार्टी में चन्दा दे दो नहीं तो आपके भी टैक्स लगा देंगे। ये जोधपुर गये, जोधपुर जाकर पेण्ट एसोसिएशन से मिले और उनसे जाकर बात की। उपाध्यक्ष महोदय, यह मेरे पास फैक्स है, मैं प्रमाण के साथ कोई भी बात कहता हूं।

श्री वीरेन्द्र मीणा: माननीय सदस्य, कम से कम इस पवित्र सदन के अन्दर गलत बात तो मत बोलें आप। (व्यवधान) हमने हमारे व्यापारियों को, सबको सुना है, एक-एक को।

मोहम्मद माहिर आजादः आप जवाब दे देना ना कि किस लिये गये। किसलिये सुना, क्या बात की आपने।

श्री वीरेन्द्र मीणाः इस सदन के अन्दर, इस पवित्र सदन में गलत बात मत बोलें आप।

मोहम्मद माहिर आजादः बिलकुल सही बात कह रहा हूं, और उपाध्यक्ष महोदय, आप कहेंगे तो यह दिनांक 2 मार्च, 2006 को एक फैक्स जो इनको भेजा गया है उसकी फोटो प्रति मेरे पास है, आप कहेंगे तो टेबल ...।

डा. दिगम्बर सिंहः खुदा के लिये महीने में एक दिन सच बोलने का रखो आप। कोई भी एक दिन तय कर दो।

मोहम्मद माहिर आजादः आप तो 30 दिन असत्य बोलते हैं, मेरे वोटर हैं। आप क्यों एक दिन का उपदेश दे रहे हैं। उस रोज अण्डे का विरोध कर रहे थे जब भरतसिंहजी बात कर रहे थे और मुर्गे खा गये एक लाख। क्या आप अपनी बात कर रहे हो। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्यः ये खुदा को मानते ही नहीं हैं। (व्यवधान)

श्री टीकमचन्द कान्तः मामला बर्ड फ्लू का है।

मोहम्म्द माहिर आजादः नहीं, राजस्थान में नहीं है, कृषि मंत्रीजी ने कह दिया है, राजस्थान में कोई बर्ड फ्लू नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, ये उनकी समस्याएं सुनने के लिये गये थे या उनको क्या रियायतें चाहिए, क्या उनकी दिक्कतें जानने गये, मुझे इसमें कोई एतराज नहीं है लेकिन यह प्रेक्टिस, उपाध्यक्ष महोदय, क्या आप अच्छी मानते हैं, मैं इसका फैसला आप पर छोड़ता हूं, आप स्वयं निर्णय कर लें इस बात का। और आप कहेंगे तो यह फैक्स है, मैं इसको टेबल भी कर दूंगा अगर ये इन्कार करें तो यह गलत बात नहीं है।

श्री राकेश मेघवालः यह फैक्स आपने ही भिजवाया होगा।

मोहम्मद माहिर आजादः अगर इतनी ताकत मेरे पास है कि श्री एस.एन. गुप्ताजी के यहां फैक्स गया, उसकी कापी मेरे पास आ गयी तो जरुर कुछ न कुछ घर वालों ने मेरा नाम माहिर सोच समझकर रखा है। आप जैसा तो नहीं है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आसन से प्रोटेक्शन चाहूंगा। अगर मैं

(मोहम्मद माहिर आजाद)

गलत बात कहूं तो माननीय सत्तापक्ष के सदस्यों को अधिकार है कि जब वे अपनी बात कहें तो इसका खण्डन कर दें, इसकी बात कह दें।

श्री राजेन्द्र राठौड़: माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब ये सही बात बोलेंगे तब हमें अचम्भा होगा बाकी तो..। तब रिएक्ट करेंगे, सही बात बोलेंगे तो।

श्री उपाध्यक्ष: अब आप फिर बीच में इंटरप्ट कर रहे हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद: क्या, क्या हो गया?

श्री राजेन्द्र राठौड़: सही बात बोलेंगे ना तो तब हम अचम्भित होंगे, कि आप सही बात भी बोलते हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद: अच्छा, अच्छा। आपको तो मेरे वजूद पर भी अचम्भा है ना। राजेन्द्र राठौड़ साहब, मैं कतरा हूं लेकिन मेरा अलग वजूद तो है, हुआ करे भले समुन्द्र मेरी तलाश में । मैं समुन्द्र के पानी के जैसे खारा पानी नहीं हूं आपकी तरह। मैं एक बूंद हूं भले ही, लेकिन सीप के अन्दर पड़ी हुई।

श्री टीकमचन्द कान्त: अपने मुंह मियां मिट्ठू।

मोहम्मद माहिर आजाद: आप खड़े होकर जरा कहो कि आप बुद्धू हो, मैं मान लूंगा कि अपने मुंह मियां मिट्ठू नहीं हो, इतनी हिम्मत तो दिखाओ, सिवाना से आने वाले माननीय सदस्य।

माननीय उपाध्यक्षजी, दूसरा मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि इनकी एक आदत पड़ गयी कि प्लान साइज को बहुत बढ़ा-चढ़ाकर दिखायें और लम्बी-चौड़ी घोषणाएं करें कि हम यह कर देंगे, वह कर देंगे। हम फलाना कर देंगे, हम आकाश से तारे तोड़ लाएंगे। लेकिन इसमें स्थिति क्या है। तीन चीजें होती हैं, एक आपके एस्टीमेट्स, फिर रिवाइज एस्टीमेट और फिर आपके एक्चुअल एक्सपेंडीचर। उपाध्यक्ष महोदय, यहां सत्ता पक्ष के लोगों ने बड़े जोर-शोर से यह बात कही कि देखिये, मुख्य मंत्रीजी ने योजना आयोग के उपाध्यक्ष से मिलकर राजस्थान का प्लान साइज इतना बढ़ा दिया है और हमने इतनी घोषणाएं कर दी हैं। थोथी घोषणाएं करने से कुछ नहीं होता है। आपका क्रियान्वयन क्या है, जरा उसकी बानगी मैं आपको दिखाना चाहता हूं। आपकी यह किताब आर्थिक समीक्षा, इसका पेज 14 देखिये। आपने कृषि एवं सम्बद्ध सेवाओं पर 394.27 करोड़ रुपये व्यय करने का एस्टीमेट बनाया था, लक्ष्य

(मोहम्म्द माहिर आजाद)

रखा था और आपने वास्तविक व्यय कितना किया 219.99, आपने विशिष्ट योजना संगठन जिसमें मेवात योजना भी आती है, जिसमें माड़ा योजना भी आती है, देख लें, आप पेज 14 देख लें, तालिका 2.4.1, वार्षिक योजना, मदवार व्यय, जरा देख लें इसको विशिष्ट योजना संगठन 47.62 करोड़ का लक्ष्य रखा था और आपने खर्च किया है 33.07 । आप ऊर्जा उत्पादन की बड़ी बात कर रहे हैं कि हम ऊर्जा में राज्य को आत्मनिर्भर बना देंगे, मांग के अनुरूप डिमाण्ड कर देंगे, व्यवहारिक कर देंगे। ऊर्जा पर आपने रखा था 2272.68 करोड़ और आपने व्यय किया है 1999.08 करोड़। (व्यवधान) और आपने उद्योग और खनिज पर 141 के अगेंस्ट 108.99 किया। मैं यही तो कह रहा हूं कि आप योजना तो लम्बी-चौड़ी बना देते हैं लेकिन आपने एक्चुअल एक्सपेंडीचर कितना किया है, वह मैं आगे जब अपनी स्थिति आयेगी तब मैं आपको बता दूंगा। यहां बड़े जोर-शोर से एक बात कही गयी।

श्री राजेन्द्र राठौड़: यह बजट स्टडी में है ना पेज 50 पर।

मोहम्मद माहिर आजाद: हां, बजट स्टडी भी देख लेना, उसका तो मैंने इसमें, दोनों चीजें, इसमें उतार दीं।

श्री राजेन्द्र राठौड़: आप निकाल ही लें ना, पेज 50 निकाल लें आप एक्सपेंडीचर भी मालूम पड़ जाएगा। निकाल लो आपको एक्सपेंडीचर भी मालूम पड़ जाएगा। निकाल लो पेज 50, यूं ही ठोक रहे हैं बिना कागज के।

मोहम्मद माहिर आजाद: यह बजट स्टडी से इसमें उतार दिया, दोनों आंकड़े, दो किताबें ली थीं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़: यह प्लान एक्सपेंडीचर लिखा हुआ है, बजट स्टडी में पेज नम्बर 50 पर।

श्री सी. डी. देवल: आप इनको करेक्ट कर लेना, खतम बात ।

एक माननीय सदस्य: व्यवधान अट्रेक्ट कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़: क्यों असत्य बात ठोक रहे हो यहां पर।

मोहम्मद माहिर आजाद: फिर वही बात कह रहे हो आप, आप संसदीय कार्य मंत्री होकर असंसदीय शब्द का प्रयोग कर रहे हो।

श्री राजेन्द्र राठौड़: चलो मैं नहीं बोलता, मैं तो नहीं बोलता। फिर आप चेपो यूं ही।

मोहम्मद माहिर आजादः हां तो मत बोलिये, यह अच्छा है। लेकिन आप असंसदीय शब्दों का प्रयोग मत करिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ः आप माथुर साहब से करेक्ट करवा दें। माथुर साहब कह दें कि सही बोल रहे हो आप। (व्यवधान) आप माथुर साहब से कहलवा दो, आपका सारा भाषण थपथपा के सुनेंगे। (व्यवधान) आउट-ले को बोल रहे हैं 8350 करोड़ की योजना है। उसके कम्पोनेंट पढ़कर सुना दिये इन्होंने।

मोहम्मद माहिर आजादः मैंने आउट-ले से इसमें उतारा है, मेरे पास दोनों चीजें हैं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ः माथुर साहब, 8350 की योजना के कम्पोनेंट पढ़कर सुना दिये, आपने यह व्यय कर दिया। यह प्लान एक्सपेंडीचर इसके अन्दर लिखा पड़ा है, बजट स्टडी के अन्दर, वह नहीं बोलकर बस।

मोहम्मद माहिर आजादः वह भी बताऊंगा, आप वह भी सुनिये, धैर्य तो रखिये। इतने उतावले क्यों हो रहे हैं आप।

श्री राजेन्द्र राठौड़ः माथुर साहब के लिये कह रहा हूं मैं।

मोहम्मद माहिर आजादः हां तो माथुर साहब भी बता देंगे। माथुर साहब की क्या होड़ केरेंगे आप, आप भी बता देना।

डा. दिगम्बर सिंहः आप तो धड़ाधड़ दें।

मोहम्मद माहिर आजादः उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह निवेदन कर रहा हूं कि बड़े जोर-शोर से एक बात की गयी। यहां हमारे मावली से आने वाले माननीय सदस्य भी कल एक बात कह रहे थे और आप भी वही कर रहे हो। क्या आप इस बात से सहमत हो कि आपकी कर्जे की अर्थ व्यवस्था नहीं बढ़ रही है। क्या हम कर्जे के कुचक्र में नहीं फंस रहे हैं, यह भी गलत है, क्या हम डेट-ट्रेप की तरफ नहीं जा रहे हैं। क्या इतना कर्जा लेना एक प्रगतिशील राज्य के लिये यह कोई सही स्थिति है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ः आपने लिया, वह भी बता दो।

मोहम्मद माहिर आजादः मैं वह भी बता देता हूं। आप यह बात करो मैं अकाउण्ट्स का आदमी हूं। 1985 में जब कांग्रेस का राज था 1990 तक तब 6 हजार करोड़ रुपये का कर्जा था, अगर गलत हो तो आप बता दें और 1990 में जब शेखावत साहब की सरकार बनी और 1998 के अन्दर में आपने छोड़ा तो आप 23864 करोड़ रुपये का कर्जा छोड़कर गये, 16-17 हजार का कर्जा लिया। बताइये, अगर यह आंकड़े गलत हों तो, क्या बात करते हो आप। मैं

(मोहम्मद माहिर आजाद)

अकाउण्ट्स का आमदी हूं, एक-एक बात आप मुझसे उससे पहले के भी पूछेंगे तो भी बता दूंगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़: फिर आप 2003-04 में कितना कर्जा लिया, आपने 2001-02 में कितना लिया, जोड़कर बताओ ना।

मोहम्मद माहिर आजाद: मतलब, हमारा भी हम बताएं और आपका भी हम बताएं, वाह-वाह।

एक माननीय सदस्य: वह तो 28 का तो आपने 56 कर दिया था।

डा. एन.एस. गुर्जर: मैं आपको करेक्ट कर दूं। (व्यवधान) बस एक मिनट सुन लें। आप जो कह रहे हो कि इतना कर्जा लिया 8 हजार करोड़ का कर्जा छोड़कर गये थे।

मोहम्मद माहिर आजाद: 6 हजार करोड़।

डा. एन. एस. गुर्जर: एक मिनट, सुन लें, आप सुनिये ना, यह सही है 23 हजार से ज्यादा कर्ज हमने छोड़ा।

लेकिन हमने असेट्स कितने बनाये, केपिटल असेट्स कितने क्रिएट किये और यह केपिटल फारमेशन कितने किये हमने और आपने 53 से 55 हजार के बीच में कर्जा छोड़ा और आपका केपिटल फारमेशन कितना था ? यह आकड़े बताओ जरा। वह भी बताओ जरा। ...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : हम तो कर्ज लेकर घर पर ले गये और आपने कर्ज लिया वह ...(व्यवधान)

डा. एन.एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): हां, बताओ न ? बताओ आकड़े ? आकड़े बहुत कोट कर रहे थे इतनी देर से। मैं सुन रहा था आकड़े आपके। ...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): हां, उसी पर आ रहा हूं। यह क्या बात हुई? यह काम आपका है क्या ? ...(व्यवधान)

डा. एन. एस. गुर्जर (टोड़ारायसिंह): मैं सुन रहा था आकड़े आपके। आप कोट कर रहे थे इसलिए मैंने टोका, बताओ अब आप ?

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नहीं मैं तो यह टोड़ारायसिंह से आने वाले माननीय सदस्य यह बता रहे हैं ...(व्यवधान)

श्री राकेश मेघवाल: आप घर पर तो नहीं ले गये लेकिन अशोक उद्यान जरूर बनाया था।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): वह है तो धरती पर, आकाश पर तो नहीं है? आकाश पर तो नहीं है, है तो धरती पर। उसको परिसम्पत्ति नहीं मानते हो ? ...(व्यवधान)

डा. एन.एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): नहीं, आप सारे परसेंटेज के हिसाब से लगाइये। वह परसेंटेज के हिसाब से कर्जा आपने ज्यादा लिया है या हमने लिया ? हमने लिया है या आपने लिया है, यह बताइये। ...(व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल: एक ओर अशोक उद्यान और ...(व्यवधान)

श्री सी.डी. देवल (रायपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह इण्टरप्शन रोका जाए। ...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): एक घंटे तक आपने भाषण दिया, हमने तो आपको नहीं रोका। क्या हम में क्षमता नहीं थी क्या? ...(व्यवधान)

श्री सी.डी. देवल (रायपुर): बोलने दीजिए आप। ...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): इसका मतलब आप कर्जे के कुचक्र को अच्छा मानते हैं कि यह स्टेट कर्जा ले । कर्जा लेकर घी पीये, इसको अच्छा मानते हैं क्या?

श्री जोगाराम पटेल: परिसम्पत्तियां बनायी हैं, घी नहीं पीया, घी तो आपने पीया है।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): आपको तो पानी पिला दिया।

श्री जोगाराम पटेल: पिला दिया आपको, याद रखो कि आपका तो मामला ही बंद हो गया पूरा। ...(व्यवधान)

श्री सी.डी. देवल (रायपुर): यह टोकाटोकी बंद करवाओ साहब, अच्छा नहीं लगता टोकाटोकी होना। ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): मेरा दुर्भाग्य यह है कि मैं जब बोलने खड़ा होता हूं तो पता नहीं क्या परेशानी हो जाती है। मैं अगर कोई गलत बात कहूं तो आप विशेषाधिकार ले आना, आपको पूरी छूट है, उसको करेक्ट कर लेना। ...(व्यवधान)

श्री टीकमचन्द कान्त: हम कोई बात नहीं बोलेंगे तो आप बोर हो जाएंगे। यह बात है, इसी कारण से ठीक है यह ।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): हां, यह बात है।

श्री उपाध्यक्ष: यह तो आपके हित में ही बोल रहे हैं। ...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): यह बात सही है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सिवाना से आने वाले माननीय सदस्य ने सही कहा है।

मुखालफत से मेरी शख्सियत सँवरती है
मैं दुश्मनों का भी बड़ा ऐतराम करता हूं
करीब आओगे तो शायद समझ लोगे
यह फासले तो गलतफहमियां ही पैदा करते हैं।

श्री उपाध्यक्ष: इसीलिए इनको आपकी नेचर का पता है।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): हां, ठीक बात है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि आज हम जो कर्जे के कुचक्र में फंस गये हैं, जो आज हम डेट ट्रेप की तरफ जा रहे हैं, आज हमारी स्थिति क्या है ? हमने 2004-05 में 12702.61 का कर्जा लिया। क्या यह भी गलत है ? हमने 2005-06 में 811.80 का कर्जा लिया और इस वर्ष का जो हमारा अनुमानित है वह 9582.09 है, यानि तीन साल में 30400 करोड़। आज स्थिति यह है कि हमारा जो कर राजस्व, जो हमें हो रहा है वह कर राजस्व प्राप्त हो रहा है 9724.44, यानि करों से जितनी आय हो रही है, उससे भी ज्यादा हम कर्जा ले रहे हैं। हमारा जो शेयर इन सेण्ट्रल टैक्सेज है, केन्द्रीय करों में जो हमारा हिस्सा है वह 5300.08 है, क्या यह भी गलत है ? इससे दुगना हम कर्जा ले रहे हैं और हमारा जो नोन टैक्स रेवेन्यू है वह 2542.84 है, उसका चार गुणा कर्जा ले रहे हैं। यानि हम टैक्स रेवेन्यू के बराबर , नोन टैक्स रेवेन्यू से चार गुणा और शेयर इन सेण्ट्रल टैक्सेज से दुगना और जो अनुदान हमको मिल रहा है 3178 उससे तीन गुणा कर्जा हम ले रहे हैं। यह स्थिति हमारी आज कर्जे की हो गयी और हम राजस्व प्राप्तियों के लगभग 50 परसेंट के बराबर हमारा कर्जा ले रहे हैं। कर्जे को परिसम्पत्ति बनाने पर या विकास पर व्यय करें तो हमको कोई एतराज नहीं है, टोड़ारायसिंह से आने वाले माननीय सदस्य, लेकिन आप इस कर्जे को खर्च काहे पर कर रहे हो ? इसको राजस्व व्यय में खर्च कर रहे हो। आप कर्जा चुकाने में, ब्याज की अदायगी में, वेतन-भत्तों में, गैर विकास व्यय में ...(व्यवधान)

डा. एन.एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): आपकी इजाजत हो तो । आपने मुझे कोट किया है इसलिए मैं पूछना चाहूंगा कि आप मुझे यह बताइये कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में प्लान एक्सपेंडिचर शामिल है या नहीं है ? आप

(डा. एन.एस. गुर्जर)

बताइये। आपने मुझे कोट किया है इसलिए पूछ रहा हूं कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में प्लान शामिल होता है या नहीं होता है, इतना सा बता दीजिए आप । ...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): अच्छा ठीक है, बता देंगे। यह आप ही सीखते हो, आप ही जानते हो एक ? ...(व्यवधान)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि चाहे हमने लिया हो, चाहे आपने लिया हो, हमको इस डेट ट्रेप से राज्य को निकालना चाहिए। हमको इस कर्जे की अर्थव्यवस्था से बचना चाहिए और यह सिलसिला लगातार चला आ रहा है और यह रुकने वाला भी नहीं है इसलिए मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस पर हमको सोचना चाहिए। जब आज हमारी कर्जे की स्थिति यह है कि हम डेट ट्रेप में फंस रहे हैं तो मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि फिर हमको इतने टोप हेवी प्रशासन की क्या जरूरत है ? जब मंत्रीमण्डल में डाउन साइड हो सकता है कि 10 परसेंट से ज्यादा मंत्री नहीं होंगे तो क्या हम एडमिनिस्ट्रेशन के अन्दर, 15 परसेंट मान लीजिए तो हम प्रशासन के अन्दर यह नहीं कर सकते हैं क्या ?

राजस्थान एक आई.जी. पुलिस होता था तब भी चलता था। इसकी कानून-व्यवस्था तब भी चलती थी। डी.जी. बना दिया आई.जी. का लेकिन इतने सारे डी.जी. बना दिये। आप फिर प्रिंसिपल सैक्रेटरी, फिर स्पेशल सैक्रेटरी, फिर डिप्टी सैक्रेटरी, फिर असिस्टेंट सैक्रेटरी । मेडिकल के अन्दर भी माननीय चिकित्सा मंत्री बैठे हैं, अलग-अलग डाइरेक्टर होंगे। एड्स का अलग होगा, आई.ई.सी. का अलग होगा, मलेरिया का अलग होगा, मेडिकल का अलग होगा और पैरामेडिकल का अलग होगा। मेरा निवेदन आपसे यह है कि अगर हम इस कुचक्र से बचना चाहते हैं और वास्तव में इस राज्य के हितैषी हैं तो हमको इतना टाप हेवी एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसको भी कम करना चाहिए और इस संबंध में प्रशासनिक व्यय के अन्दर कमी करनी चाहिए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारा जो बजट प्रस्तुत कर दिया गया, अभी यह पूछ रहे थे, हमारी राजस्व प्राप्तियां 23991 है और व्यय 24034 है। घाटा 43 करोड़ और हम कर्जा लेंगे 9582 और खर्च करेंगे 9586, पूंजीगत खाते में बजट भाषण के पेज नम्बर 65 पर आपने कह दिया कि हम 103 करोड़ बचाएंगे। यह आप

बचा काहे में से रहे हो ? यह आप बचा रहे हो, तनख्वाह और भत्तों में से तो बच नहीं रहा, यह बच रहा है जो विकास का काम हमको करना चाहिए था, उस विकास पर खर्च नहीं कर रहे हैं, वह 60 करोड़ 85 लाख हम सरप्लस दिखा रहे हैं और इसको बचत का कह रहे हैं कि साहब यह हमारा सरप्लस हो गया। यह सरप्लस आया कहां से? यह सरप्लस वह दिखा रहे हो जो आपने कर्जा लिया है। इसको सरप्लस दिखा रहे हो। यह आकड़ों की बाजीगीरी और जगलरी करके आप राजस्थान की जनता को बेवकूफ नहीं बना सकते हो। आप तो ठीक है ऐसा काम कर रहे हो कि कोई एक आदमी डेढ़ सौ रुपये उधर ले, ले किसी से और डेढ सौ रुपये उधार लेकर 100 रुपये खर्च कर दे और पचास रुपये बचाकर कहे कि देखो मेरे पास 50 रुपये बच गये। देखो मेरे पास पचास रुपये बच गये। ऐसा करने से राजस्थान का भला होने वाला नहीं है। आपका फिजिकल डेफिसिट आप देख लें। आपकी स्थिति राजकोषीय घाटे को कम दिखाने के लिए, आज बजटीय अधिशेष, सरप्लस दिखा रहे हैं। सरप्लस आया कहां से ? यह सब आपने कर्जा लिया है इसलिए आज तो हमारी स्थिति यह हो गयी कि हमको कर्जे का ब्याज चुकाने के लिए भी नया कर्जा लेना पड़ रहा है और कर्जे की अर्थव्यवस्था से हमको निकलना पड़ेगा। हमारी स्थिति तो आज यह हो रही है कि एक ऐसी महिला है जिसका बच्चा तो दूध मांग रहा है और वह बच्चे को दूध पिलाने के बजाए लिपिस्टिक पर और कास्मेटिक्स पर खर्च कर रही है। यह प्राथमिकताएं ठीक नहीं है, इनको हमको सोचना चाहिए इसलिए मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कहना चाहता हूं कि फिर हम अपने आपको कहने के लिए, आप कहते हो कि अशोक गहलोत कह रहे थे कि खजाना खाली है, खजाना खाली है लेकिन अकाल पीड़ित जनता को कभी यह महसूस नहीं होने दिया कि राजस्थान का खजाना खाली है। राजस्थान की सरकार ने उसको घर में बैठे गेहूं पहुंचाने का काम किया। उन्होंने जो गरीब आदमी था, प्लीज आप बैठ जाइये। ...(व्यवधान)

श्री नन्दलाल बंशीवाल: उस अकाल में तो भूखे मर गये लोगबाग, लोगबाग भूखे मर गये, गरीब आदमी भूखे मर गये गहलोत सरकार में ... (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): मुझे मजबूर मत कीजिए, आप बैठ जाइये। ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: बीच में नहीं, माननीय सदस्य।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उन्होंने गरीब बीमार को जीवन रक्षा कोष से इलाज कराकर 23 हजार लोगों को यह महसूस नहीं होने दिया कि राजस्थान का खजाना खाली है। उन्होंने जो जरूरत के काम थे उसमें कभी पैसे की बात नहीं कही लेकिन यह तो आप करते हो कि साहब, अब उसको छुपाने के लिए कि हम डेट ट्रेप में फंस गये, हम कर्जे के कुचक्र में फंस गये । आप फ्लाईओवर बना देते हो, आप कुछ सड़कें बना देते हो। यह फ्लाईओवर बनाने के हम खिलाफ नहीं है लेकिन यह फ्लाईओवर से गरीब का भला हो रहा है क्या ? इस पर तो जो मोटर कार वाले हैं वे ही दौड़ेंगे उनका जो समय लगता था, वह खर्च हो रहा है। गांव की स्थिति क्या है? गांव पर आप क्या कर रहे हो? गांवों की स्थिति यह है कि आपने इस बजट में माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बजट गांव, गरीब और किसान का विरोधी है। यह मैं इसलिए आपको कहना चाहता हूं कि इस बजट के अन्दर आपने एग्रीकल्चर के ऊपर जो बजट था उसमें आपने कमी की। राजस्थान की धरती किसी भी हालत में पंजाब और हरियाणा की धरती से कम उपजाऊ नहीं है।

राजस्थान का किसान किसी भी अन्य राज्य के किसान से कम मेहनतकश नहीं है, लेकिन कमी केवल यह है कि राजस्थान की धरती की प्यास नहीं बुझ पा रही है, उसकी उर्वरा शक्ति में भी कमी नहीं है, उसकी प्यास अगर बुझ जाये, सिंचाई के लिये पानी मिल जाये तो आज राजस्थान का किसान भी हरियाणा और पंजाब के किसान की तरह मालामाल हो सकता है। उसकी आर्थिक स्थिति सुधर सकती है। आपने इस बजट के अंदर दिया है, मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं कि इस बजट में आपने एग्रीकल्चर पर 06 और 7 में जो आपने पिछली बार 394.27 का अनुमान था, आपने 227.22 करोड़ रुपये खर्च करने का इरादा रखा। 150 करोड़ रुपये की कटौती तो आपने एग्रीकल्चर में कर दी, क्या यह भी गलत है? क्यों करी? आप, राजस्थान जो कृषि प्रधान राज्य है, राजस्थान की इकोनोमी एग्रीकल्चर बेस इकोनोमी है, चाहे वह कृषि हो, चाहे पशुपालन हो, चाहे डेयरी हो, चाहे और दूसरी चीजे हों, उस पर आपने कमी कर दी। 150 करोड़ की, खेती कहां से बढ़ेगी? ..(व्यवधान)...

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

(मोहम्मद माहिर आजाद)

मतलब यह डिटेक्ट करेंगे और आप कहोगे। इर्रिगेशन का मैं आपसे जिक्र कर रहा था। पिछली बार 992.54 करोड़ का इस बार आपने इसको 925.56 यानि आपने 67 करोड़ रुपये की कमी सिंचाई के अदंर कर दी। आप रूरल डवलपमेंट, ग्रामीण विकास की बात करते हैं, ग्रामीण विकास की स्थिति यह है कि पिछली बार 47.62 के विरूद्ध आपने इस साल 39.57 आप खर्चा चाहते हो यानि 8 करोड़ 5 लाख रुपयों की आपने ग्रामीण विकास के अंदर कमी कर दी। सामाजिक सेवाएं, इसकी बड़ी बातें कर रहे थे, वृद्धावस्था पेंशन देंगे, हम विकलांगों की मदद करेंगे, हम दलितों और एस.सी., एस.टी. के लोगों को यह करेंगे। आपने सामाजिक सेवाओं के अंदर 1711.66 करोड़ का आपका जो प्रावधान था, उसको आपने रिवाइज एस्टीमेट में 1517.56 कर दिया। इसमें भी आपने कमी कर दी तो लगभग 200 करोड़ रुपया आपने काट लिया। आप दिखाओ कुछ और करो कुछ, यह कैसे चल सकता है? इसलिए मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज आपकी स्थिति तो यह है फिर मैं कहूंगा आप केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं पर चल रहे हो या आप केन्द्र सरकार के ऊपर चल रहे हो तो आपको बुरा लगेगा।

श्री महावीर प्रसाद जैन (सरकारी मुख्य सचेतक): उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि पार्टियों का जो समय है उसके हिसाब से हमारे सदस्य केवल ढ़ाई घण्टे बोले हैं और कांग्रेस के माननीय सदस्य दो घण्टे से ज्यादा बोल चुके तो हमारे माननीय सदस्यों को या तो तीन-चार को बुलवाइये। यदि समय सीमा में नहीं बांधेंगे तो और जो माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं ..(व्यवधान) ...

मोहम्मद माहिर आजाद: चैम्बर में बात की जाती है, यहां की जाती है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: इसमें थोड़ी पाबन्दी रखिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन: मैं इसलिए कह रहा हूं ...(व्यवधान) ..

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): यह पहले तय था एक पक्ष और एक विपक्ष में बोलेगा। ..(व्यवधान)..

श्री महावीर प्रसाद जैन: स्तर तो जो परम्पराएं हैं, वह स्तर अच्छा है। आप परम्पराओं का निर्वहन करो उपाध्यक्ष महोदय। ..(व्यवधान)...

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली): निर्दलियों को भी मौका दिया जाये माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बीच-बीच में।

श्री रामप्रताप कासनिया: उपाध्यक्ष महोदय, बीच में भी बैठे हैं हम। .. (व्यवधान) ..

श्री उपाध्यक्ष: माननीय माहिर आजाद जी, ऐसा है करीब आपको 25-30 मिनट हो गये।

मोहम्मद माहिर आजाद: मैं एक घण्टा और बोलूंगा बस।

श्री उपाध्यक्ष: नहीं-नहीं, एक घण्टा कौन बोलने देगा ?

मोहम्मद माहिर आजाद: वह आप मेरी पार्टी से पूछ लें। (व्यवधान)...

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा: माननीय उपाध्यक्ष महोदय, निर्दलीय सदस्यों को भी बीच में बोलने का मौका दिया जाये।

श्री उपाध्यक्ष: दूसरे सदस्यों के लिये समय नहीं बचेगा फिर।

मोहम्मद माहिर आजाद: माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सत्ता पक्ष के दो माननीय सदस्य बोल लिये। कल रामलाल जी शर्मा बोल लिये थे और अब आप एक बोल लिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन: सब रिकोर्डेड है मामला। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद: माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप दो मिनट में समाप्त कीजिये।

मोहम्मद माहिर आजाद: कितने में?

श्री उपाध्यक्ष: दो मिनट में समाप्त कीजिये।

मोहम्मद माहिर आजाद: यह तो आप लोगों को कहना चाहिये, मैं खड़े होकर कोई बात यहां पर कहूंगा क्या?

श्री उपाध्यक्ष: दूसरे सदस्यों को मौका नहीं मिलेगा, फिर वह शिकायत करेंगे।

डा. बुलाकीदास कल्ला: नहीं करेंगे, कोई शिकायत नहीं करेंगे। वह अच्छा बोल रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष: सब बोलना चाहते हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद: वह खड़े हो जाते हैं कैसे बोलें साहब ? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि यह बजट गांव, गरीब और किसान का विरोधी है। आपने एग्रीकल्चर के अंदर कटौती कर ली, आपने इर्रिगेशन पर कटौती की, आपने सामाजिक सेवाओं में कटौती की और

(मोहम्मद माहिर आजाद)

दूसरा प्रदेश का जो विकास होता है वह औद्योगिक और खनिज के विकास से होता है। आपकी यही स्थिति इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की रही। कल एक माननीय सदस्य ने एक बात कही थी मैं उसकी गहराई में नहीं जाकर संक्षिप्त में निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की स्थिति क्या है? आपकी आर्थिक समीक्षा का पेज 29-30-31 में आप देख लें। 35 आइट्म्स इन्होंने आइडेंटिफाई किये हुए हैं और 35 आइट्म्स में से 18 के अंदर आपका इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कम हो रहा है और आप प्रदेश का औद्योगिक विकास करना चाहते हैं। यह स्थिति आपकी हो गयी। दो वर्षों में आपके लाइन के ऊपर 87 प्रतिशत प्रोडक्शन आपका कम हो गया। ट्रांसफार्मर्स पर आपका 37 प्रतिशत फाल आया है और आप एक तरफ विद्युतीकरण को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं और ट्रांसफार्मर्स में आपका प्रोडक्शन 37 प्रतिशत कम हो रहा है। आप पानी को बढ़ाने की बात कर रहे हैं और आपका जापानी मीटर, जो पानी के मीटर बनते थे, उसका प्रोडक्शन 33 प्रतिशत कम हुआ है यानि स्थिति कैसे भी उठाकर देख लें कि आपका खेती पर, सिंचाई पर, ग्रामीण विकास पर पैसा कम हुआ है और इसी तरीके से आप प्राइस इंडेक्स को उठाकर देख लें। प्राइस इंडेक्स की स्थिति यह है कि 2000 के अंदर मैं फिर चाहूंगा, अगर मैं गलत हूं तो आप करेक्ट कर दें, 2000 में आपका प्राइस इंडेक्स आपकी इकोनोमिक्स रिव्यू का पेज 20 उठाकर देख लें, 2000 के अंदर 441 था, था या नहीं था और उसके बाद 2003 में 496 था और आज 2005 में 536 हो गया है यानि मंहगाई बढ़ रही है और गांव और गरीब का पैसा काट रहे हैं।

एम्प्लायमेंट की बात यहां पर कही गयी । आपकी एम्प्लायमेंट की स्थिति देखिये, मैं पब्लिक और प्राइवेट सैक्टर की बात कर रहा हूं । 2002-03, 2003-04, 2004-05 उठाकर देख लें तो आपकी पब्लिक और प्राइवेट सैक्टर के अंदर जो 12.46 थी, वह आपकी 11.91 रह गयी, यानि आबादी बढ़ रही है और आप औद्योगिकरण के अंदर पीछे जा रहे हैं। प्राइस इंडेक्स बढ़ रहा है और आपका रोजगार कम हो रहा है और उसके बाद भी यही कह रहे हो कि हमने बहुत बड़ा विकास कर दिया ।

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद माहिर साहब, अब आप बंद कीजिये।

मोहम्मद माहिर आजाद: माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कन्क्लूड कर रहा हूं। दस मिनट में कन्क्लूड कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष: आपने तीन माननीय सदस्यों का समय ले लिया है।

मोहम्मद माहिर आजाद: अच्छा, मैं कन्क्लूड कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष: नहीं-नहीं, अब मैं दूसरे माननीय सदस्य का नाम पुकार रहा हूं। (व्यवधान) ना-ना, बोलने कैसे दें, सब अप-सैट हो जायेगा। इनको किसी ने टोका-टोकी नहीं की।

डा. बुलाकीदास कल्ला: बहुत अच्छे बोल रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष: अच्छा तो हमेशा ही बोलते हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद: मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि सामाजिक सुरक्षा में पिछली सरकार की बात आप देखिये कि पिछली सरकार ने मेडिकल, इंजीनियरिंग और अन्य तकनीकी संस्थानों में एस.सी. का आरक्षण 8 से बढ़ाकर 16 प्रतिशत किया। एस.टी. का आरक्षण 6 से बढ़ाकर 12 प्रतिशत किया और ओ.बी.सी. को पहली बार 21 प्रतिशत आरक्षण दिया। क्या यह काम पिछली सरकार ने किया या नहीं किया? एस.सी. और एस.टी. पर होने वाले अत्याचारों में कमी करने हेतु क्षतिपूर्ति की राशि को दस गुनी और बीस गुनी बढ़ाई। एस.सी. के आदमी की हत्या पर जो दस हजार रुपये मिलते थे, उसको एक लाख करने का काम पिछली सरकार ने किया। स्थाई रूप से शारीरिक क्षति होने पर दस हजार से 25 हजार किया। बलात्कार के मामले में पांच हजार से एक लाख किया और अस्थाई क्षति के मामले में दो हजार से बढ़ाकर दस हजार करने का काम किया। मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि बात करते हैं कुछ नहीं किया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जनसंख्या नीति किसने बनाई, क्या यह गहलोत सरकार ने नहीं बनाई? ऊर्जा नीति किसने बनाई, उद्योग नीति किसने बनाई, पेयजल व्यवस्था पर नीति किसने बनाई, पर्यटन नीति किसने बनाई, महिला विकास नीति किसने बनाई, सूचना और प्रौद्योगिकी नीति किसने बनाई, खनिज नीति किसने बनाई, पवन ऊर्जा नीति किसने बनाई ? हम तो एक ही काम करना बाकी छोड़ गये और वह केवल इतना था अगर हम एक काम और कम देते कि साम्प्रदायिक शक्ति भगाओ नीति और बना देते तो आज हमको यह दिन नहीं देखने पड़ते। एक नीति बनानी बाकी रह गयी, वह भी दुबारा मौका मिलेगा जब बनाने का काम करेंगे। ...(व्यवधान).. आपके कर्मों से ही मिलेगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय,

(मोहम्मद माहिर आजाद)

मैं शिक्षा पर कुछ आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं। आज शिक्षा की बात की गयी कि शिक्षा पर यह काम ...(व्यवधान) ..

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

श्री उपाध्यक्षः माननीय सदस्य, शिक्षा की अनुदान मांगों पर फिर आपको समय देंगे। अब तो आप समाप्त कीजिये। श्री ज्ञानचन्द पारख।

मोहम्मद माहिर आजादः इसमें कुछ जरूरी है। नहीं-नहीं, दो-चार जरूरी बातें कहकर मैं खत्म कर रहा हूं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्षः श्री ज्ञानचन्द पारख। बहुत ज्यादा समय हो गया।

मोहम्मद माहिर आजादः ऐसे नहीं उपाध्यक्ष महोदय, कन्क्लूड तो करने देंगे आप। उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो-चार जरूरी बात कहकर खतम कर रहा हूं। (व्यवधान)

श्री सुभाष चन्द्र शर्माः माननीय उपाध्यक्ष महोदय, निर्दलीय सदस्यों को भी बोलने का मौका दीजिये। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजादः माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्रीजी से जानना चाहता हूं क्या आज भी राजस्थान में शिक्षक विहीन विद्यालय नहीं हैं?

श्री उपाध्यक्षः यह बता देंगे।

मोहम्मद माहिर आजादः आप बता दें, आज भी शिक्षक विहीन विद्यालय चल रहे हैं और आप शिक्षा के प्रचार-प्रसार की बात कर रहे हो। आपने शिक्षकों के रिक्त पद भरने की बात की, यह क्वेश्चन नम्बर 290, कल ही जवाब दिया है, 90 से, 15-15, 16-16 साल से उर्दू अध्यापकों के पद रिक्त चल रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक निवेदन करना चाहता हूं कि यह समराना फारूख, कक्षा दस की हिन्दी की परीक्षा दे रही थी तीन तारीख को किशनगढ़बास गर्ल्स स्कूल के सेन्टर में, उसको सेन्टर सुपरिन्टेन्डेन्ट ने इसलिए निकाल दिया कि तेरे चिकन पोक्स है, तु दूसरे बच्चों को भी इसको लगा देगी, उसको निकाल दिया। आप इसकी क्या व्यवस्था करेंगे? वहां आन्दोलन हो रहा है, अखबारों में आ रही है। उसको चिकन पोक्स है, एक तरफ आप कहते हो हमने बड़ी माता चेचक का इलाज कर दिया और जो बड़ी माता चेचक का मरीज बतायेगा उसको हजार रुपये इनाम दिया जायेगा और

इस बच्ची को इसलिए परीक्षा में रहने से निकाल दिया तीन तारीख को कि, भई, तेरे चिकन पोक्स हो रही है। इसकी क्या व्यवस्था करेंगे अब आप, दोबारा परीक्षा में बैठेगी कि सप्लीमेंट्री रहेगी कि क्या करेगी? यह मैं आपसे तवज्जो चाहता हूं।

कल मावली से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि आपने विधवाओं को और परिव्यक्ताओं को बहुत बड़ी संख्या में नौकरी दे दी, मुस्लिम तलाकशुदा बालिकाओं ने और परिव्यक्तओं ने आपका क्या बिगाड़ा था, आपको हाई-कोर्ट का निर्देश आ गया, आप उन तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को नियुयक्ति क्यों नहीं दे रहे? क्या वह विधवा और परिव्यक्ता नहीं हुई है? इसलिए मेरा निवेदन है कि, माननीय शिक्षा मंत्रीजी, बड़े दिल से आप इसके ऊपर भी विचार करने का काम कीजिए।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य। श्री ज्ञानचन्द पारख।

मोहम्मद माहिर आजाद: आपने मिडल स्कूल बना दिये, एक भी कालेज का लेक्चरर आपने बनाया, एक भी व्याख्याता बनाने का काम आपने किया है? ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, नहीं, नहीं, मैंने नाम पुकार लिया दो बार।

मोहम्मद माहिर आजाद: मैं पूर्वी राजस्थान की एक बात कहूंगा कि क्या अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाईमाधोपुर राजस्थान का हिस्सा नहीं है?

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए। माननीय माहिर साहब।

मोहम्मद माहिर आजाद: उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट में खतम कर रहा हूं, सिर्फ एक मिनट में।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्रीजी की दरियादिली से तो मैं कायल हूं और ऐसे कायल हूं कि वह कहते हैं न कि तुम मुझे एक पैसा दोगे मैं तुम को दस लाख दूंगा, उनको सरदार अजयपाल सिंहजी ने एक मकान रहने के लिए दिया उन्होंने उनको हाउसिंग बोर्ड को ही अध्यक्ष बना दिया कि ले, हजारों-लाखों मकान ले

(मोहम्मद माहिर आजाद)

और तू देता रह। भरतपुर संभाग भी राजस्थान का हिस्सा है, भरतपुर संभाग में कोई यूनिवर्सिटी नहीं, कोई इन्जीनियरिंग कालेज नहीं, कोई मेडिकल कालेज नहीं और हैल्थ मिनिस्टर साहब बैठे हैं, घर के पूत कंवारे डोले और पाड़ोसियों के फेरे कर रहे हो, आपको पूर्वी राजस्थान की जनता माफ नहीं करेगी अगर भरतपुर के अन्दर, भरतपुर संभाग में आपने मेडिकल कालेज या इन्जीनियरिंग कालेज नहीं बनाया। आपने वहां यूनिवर्सिटी कायम नहीं की। आज वहां सिंचाई के साधन नहीं हैं। गम्भीरी नदी की क्या स्थिति हो गयी, रूपारेल की क्या स्थिति हो गयी, बाणगंगा की क्या स्थिति हो गयी, लोग वहां पानी को तरस रहे हैं। एक तरफ प्राकृतिक आपदा को झेल रहे हैं दूसरी तरफ प्रशासन की अनदेखी को झेल रहे हैं इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप पूर्वी राजस्थान की तरफ भी ध्यान देने का काम करेंगे।

अन्त में एक शेर सुना कर अपनी बात खतम करना चाहता हूं।

डा. दिगम्बर सिंह (चिकित्सा मंत्री): माहिरजी, आपने आज इतना बोर किया, अगर शेर भी बोर हुआ तो मजा नहीं आयेगा, शेर जानदार सुना देना। शेर तो अच्छा हो।

मोहम्मद माहिर आजाद: आपके राज में तो गीदड़ और लंगूरों की तादाद बढ़ रही है, पूछो लक्ष्मीनारायण दवे साहब से, शेर तो कांग्रेस के राज में था, अब तो सरिस्का में ही एक नहीं रहा, कहीं भी नहीं रहे।

श्री संयम लोढ़ा: पर आप यह पूछो कि लंगूर और इनकी तादाद बढ़ाने के लिए मंत्रीमण्डल के किस सदस्य ने विशेष प्रयास किये।

मोहम्मद माहिर आजाद: वह तो खड़े हो रहे हैं न खुद ही, लंगूर वाली हरकत नहीं देख रहे क्या आप, पूछने की जरूरत क्या है।

उपाध्यक्ष महोदय, 'एक स्कूल अब ऐसा चलाया जाए जिसमें कुछ और नहीं प्यार सिखाया जाए, किसी मन्दिर में दिया ऐसा जलाया जाए जिसके उजियाले में कुरान पढ़ाया जाए, रावणों की यहां वैसे भी कमी क्या है लोगों, अब दशहरे पर तो रावण न जलाया जाए, जो यह कहते हैं यह देश है कुछ लोगों का, ऐसे लोगों को ही अब इतिहास पढ़ाया जाए'। धन्यवाद। जय हिन्द।

सूचना

नागौर जिले के किसानों द्वारा मृत्यु भोज के विरुद्ध धरना

श्री उपाध्यक्षः श्री ज्ञानचन्द पारख।

श्री संयम लोढ़ाः उपाध्यक्ष महोदय, ओन ए पाइंट ऑफ इन्फोर्मेशन।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि नागौर जिले के जाट समाज के सैंकड़ों की तादाद में लोग आज स्टेच्यू सर्कल पर धरना दे रहे हैं और वो इस धरने के माध्यम से राज्य सरकार का ध्यान प्रदेश में बढ़ते हुए मृत्यु भोज की तरफ आकृष्ट करना चाह रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि पूरे राजस्थान में कानून होने के बावजूद इतनी, हजारों की तादाद में मृत्यु भोज होते हैं और राजस्थान की सरकार का जो कुल बजट है उससे कई ज्यादा धन इस मृत्यु भोज में बरबाद हो रहा है। और वह गरीब आदमी जो पैसे का इंतजाम नहीं कर सकता गरीबी की वजह से वह ब्याज पर पैसा लेने को विवश है और यह जो कानून राजस्थान मृत्यु भोज निवारण अधिनियम, 1960 बनाया गया है, इसकी पूरे राजस्थान में कहीं कोई पालना नहीं हो रही है। उपाध्यक्ष महोदय, सरपंच, ग्राम सेवक, पटवारी सभी को इसमें प्रावधान किया गया है, सब को जवाबदेह बनाया गया है और उनके द्वारा सूचना नहीं देने पर सजा का प्रावधान किया गया है।

इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि वह जाट समाज के प्रतिनिधिमण्डल को बुला कर के इस सम्बन्ध में ज्ञापन ले, इस सम्बन्ध में उनसे मुलाकात करे और इस सदन में आपके माध्यम से गृह मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि वह सदन को आश्वस्त करें कि पूरे प्रदेश में इस कानून की पालना सुनिश्चित की जायेगी और इस कुरीति की वजह से हजारों की तादाद में जो परिवार तबाह हो रहे हैं उनको रोकने का काम सरकार करेगी, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्षः माननीय सदस्य, वह जाट समाज के प्रतिनिधिमण्डल आपसे मिले हैं क्या कोई?

श्री संयम लोढ़ाः मैं उनके धरने पर स्टेच्यू सर्कल पर जाकर आया हूं, मैं और मेड़ता से आने वाले माननीय सदस्य जाकर आये हैं इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि एक बहुत अच्छा काम करने का...(व्यवधान)

श्री रामचन्द्र जारोड़ा: जाकर आये हैं। यह निवेदन करना चाहते हैं कि 1960 का मृत्यु भोज निवारण अधिनियम है उस पर कार्यवाही की जाए। सैंकड़ों किसान आये हुए हैं।

श्री उपाध्यक्ष: वो खुद ही बहुत सक्षम हैं।

श्री संयम लोढ़ा: माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पूरे नागौर जिले में इस साल के अन्दर तीन हजार मृत्यु भोज जाट समाज की चेतना, अथक प्रयासों की वजह से रुके हैं...(व्यवधान) और दूसरी सभी जातियों के लोग भी इस काम में सहयोग कर रहे हैं और, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे चाहूंगा कि इस कुरीति से समाज को बचाने के लिए आप आसन से सरकार को निर्देश प्रदान करें कि वे इस कानून को प्रभावी करें। यह कानून मंत्री विराजमान हैं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री ज्ञानचन्द पारख। ...(व्यवधान) असामाजिक है समाज?

मोहम्मद माहिर आजाद: यह तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय का नाम लेकर नशाबंदी केन्द्र भी खोलना चाहती है और दारू को भी बढ़ावा दे रही है। कुछ नहीं।

श्री संयम लोढ़ा: कानून मंत्री विराजमान हैं, कानून की पालना तो कराओ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी: प्रतिनिधिमण्डल आयेगा तो मिल लेंगे, मदद करेंगे...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा: आप बुलवा लो अधिकारी के जरिये, आने नहीं दे रहे उनको तो।

श्री घनश्याम तिवाड़ी: बुला लेंगे, बुला लेंगे।

श्री संयम लोढ़ा: ठीक है, साहब, धन्यवाद।

श्री रामचन्द्र जारोड़ा: ठीक है।

आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद

श्री उपाध्यक्ष: दूसरी तकलीफ होगी जी। (व्यवधान) इतना कमजोर थोड़ी ही है।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्रीजी द्वारा वर्ष 2006-07 का जो बजट पेश किया गया, समाज का प्रत्येक वर्ग

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

उससे खुश है, वह राहत महसूस कर रहा है और उसे इस बात का अहसास है कि उसके कल्याण की ढेरों योजनाएं इस बजट में हैं।

माननीय मुख्य मंत्रीजी ने इस बजट में प्रदेश के सर्वांगीण विकास की जो तस्वीर, जो चित्र हमें दिखाया है वह आने वाले कल में गांवों का नक्शा बदल कर रख देगा। गांवों में ढेरों अभाव, ढेरों समस्याएं हैं लेकिन हम जिस दिशा में बढ़ रहे हैं, आने वाले कल में न तो अभाव रहेंगे और न समस्या रहेगी।

(समय: 14.48 बजे)

(श्री सुरेन्द्र गोयल, सभापति, पदासीन)

लगभग सारे बजट से खुश हैं, हां आपके चेहरे जरूर लटके हुए हैं। आपको यह अहसास भी हो रहा है कि अगर इसी प्रकार बजट आता रहा और ऐसे ही विकास के काम होते रहे, प्रत्येक वर्ग के राहत की इतनी योजनाएं अगर लगातार बनती रही, उनको उसका लाभ मिलता रहा तो शायद आने वाले वक्त में आपका कोई नाम लेने वाला नहीं बचेगा। निश्चित रूप से यह होने वाला है। इतनी खुश है जनता। बिलकुल बजट से अहसास हो रहा है कि इस बार हमारा विद्यालय भी क्रमोन्नत होगा, हमारे गांव में भी पीने के पानी की जो समस्या वर्षों से चल रही है उसका समाधान भी होगा। सिंचाई के साधन की जो कमी महसूस हो रही है वर्षों से उस कमी के दूर होने का भान भी उसे होने लगा है। बेरोजगारी, गरीबी इसमें भी अनुभव कर रहा है कि उसको बहुत कुछ राहत मिलेगी।

यह बजट कोई मामूली बजट नहीं है, जिस समय माननीय मुख्य मंत्रीजी द्वारा बजट पढ़ा गया, आपके सारे के चेहरे लटके हुए थे। बिलकुल चेहरे, गर्दन लटकी हुई थी, अपने भविष्य के बारे में चिंतित थे आप और आपके सामने यह भी था कि हम जब क्षेत्र में जायेंगे और जनता जब पूछेगी कि आपको भी कई बार मौका दिया था हमने शासन का तो क्यों नहीं रोजगार दिया आपने, क्यों नहीं आपने गरीबी दूर की, पानी क्यों नहीं पिलाया, सिंचाई के साधन क्यों नहीं उपलब्ध कराए, स्कूल क्यों। नहीं खोले, गांवों की जो ढ़ेरों समस्याएं थीं, जो आपने उनके ऊपर थोप दी, डाल दी जनता उसका जवाब आपसे पूछने वाली है। उसी जनता को लेकर आप चिन्तित थे आपके चेहरे उदास थे और आपको यह अहसास भी हो गया कि इसका कोई जवाब आपके पास नहीं। जनता को चेहरा दिखाने लायक नहीं, अब वह हिम्मत आपमें नहीं।

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

माननीय मुख्य मंत्रीजी ने इस बजट में जो भी योजनाएं दीं कहीं भी इस बात का रोना नहीं रोया कि हमारे पास धन का अभाव है, कभी यह भी नहीं कहा उन्होंने कि हमारे साधन सीमित हैं, हमारा खजाना खाली है इसलिए हम इतने काम नहीं कर सकते, हमको इन-इन योजनाओं में कटौती करनी पड़ रही है। जो भी राजस्थान की आवश्यकता, राजस्थान की जनता की आवश्यकता, उन सारी आवश्यकताओं को उस बजट में सम्मिलित कर माननीय मुख्य मंत्रीजी के दिए हुए बजट से पूरे प्रदेश की जनता बहुत खुश। अखबारों में प्रतिक्रियाएं आपने भी पढ़ी होंगी। प्रतिपक्ष के सदस्यों के वक्तव्य छोड़ दें, उनकी प्रतिक्रियाएं छोड़ दें या उनकी पार्टी से जुड़े हुए जो लोग हैं उनकी प्रतिक्रियाएं भी छोड़ दें, आम आदमी ने, आम जन मानस ने चाहे वह किसी भी वर्ग से संबंधित है उसने इस बजट को सराहा है, इसको जन कल्याणकारी बजट बताया है । बहुत सारी प्रतिक्रियाएं आईं, सबने अच्छा बताया और सबने यह भी कहा यह बजट निश्चित रूप से राजस्थान में क्रांतिकारी परिवर्तन लाएगा और आने वाले कल में आप खुद महसूस करोगे कि इस बजट के माध्यम से राजस्थान की जनता को कितनी राहत मिली और विकास के कितने नये आयाम हमने इस बजट में खोले हैं ।

माननीय सभापति महोदय, यह माननीय मुख्य मंत्रीजी का एक के बाद एक तीसरा शानदार बजट, जनता के लिए बहुत शानदार, हमारे लिए बहुत शानदार पर आपके लिए आपकी कांग्रेस के ताबूत पर एक के बाद एक तीसरी कील और जब चौथा बजट पेश होगा तो चौथी कील ठुकेगी और उससे भी जब अगला बजट पेश होगा तो कांग्रेस का ताबूत राजस्थान की धरती के अन्दर दफन हो जाएगा। यह मानकर चलना आप हम यह नहीं कहते कि हमने सब कुछ कर दिया पर हम यह दावा जरूर कर सकते हैं कि हमने बहुत कुछ कर दिया। हम यह भी दावा कर सकते हैं कि हम बहुत कुछ बहुत जल्दी करने वाले हैं । आपको भी अहसास होगा, अपने क्षेत्र में आपने भी काम देखे होंगे। आप प्रतिपक्ष में हैं, विरोध करना आपका काम है लेकिन महसूस जरूर किया होगा, चाहे विद्यालयों का मामला हो चाहे गांवों को सड़क से जोड़ने का मामला हो, चाहे पेयजल योजनाएं हों, आपने भी हमारे पैसे से वाहवाही लूटने का प्रयास निश्चित रूप से किया होगा और उससे भी बढ़कर इस बजट में 31 हजार अध्यापकों की नई नियुक्ति की घोषणा कर हमारी मुख्य मंत्रीजी ने जो बी.एड किए हुए युवा हैं उनके चेहरे पर चमक ला दी, आंखों में रोशनी ला दी। दौ सौ

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

डाक्टर 200 ए.एन.एम., 700 नर्सों की नियुक्ति, इसकी भी घोषणा बजट में है। इस बार भी हम पचास हजार से ज्यादा लोगों को निश्चित रूप से सरकारी रोजगार उपलब्ध करायेंगे, यह प्रावधान इस बजट में है। ग्यारह हजार सहयोगिनों की भी गांव की गरीब महिला भी कुछ न कुछ अपने बूते कुछ पैसे अर्जित कर सके उसका भी प्रावधान किया और बी.एड. किया हुआ बेरोजगार युवा जो आपके पांच साल के शासनकाल में आपकी नीतियों के कारण निराश हो गया था, उदास हो गया था और अपने अंधकारमय भविष्य की आशंका को लेकर हताश हो गया था, जो खुशियां आपने छीन ली थीं बेरोजगार युवा की, हमारी मुख्य मंत्रीजी ने इस बजट के माध्यम से वह खुशियां वापस लौटाने का जो काम किया, प्रदेश का सारा युवा वर्ग उनको दुआएं दे रहा है, आशीर्वाद दे रहा है, उनकी पीठ थपथपा रहा है। आप यहां बैठकर कुछ भी बोल दो लेकिन बाहर वह युवा खुशियां मना रहा है।

माननीय सभापति महोदय, कल माननीय सिरोही से आने वाले सदस्य चर्चा में भाग लेते हुए कह रहे थे और आंकड़ों के माध्यम से बता रहे थे कि हमने जनता के साथ धोखा किया, जरा अपने गिरेबान में झांककर देखो आप, इतने साल शासन किया आपने, जितना धोखा आपने किया उतना धोखा शायद हिन्दुस्तान के इतिहास में किसी पार्टी ने किसी भी जनता के साथ नहीं किया होगा। कैसे चुनाव जीता था याद है ना आपको, पिछला चुनाव कैसे जीता था। माननीय सभापति महोदय, बेरोजगार युवाओं को इस बात का विश्वास दिलाया था इन्होंने हमारे साथ जुड़ो, हमें वोट दो हम तुम्हें नौकरी देंगे, एक को भी नौकरी नहीं दी। हमने धोखा देकर जनादेश प्राप्त नहीं किया। परिवर्तन यात्रा के माध्यम से हमारी मुख्य मंत्री ने जनता का विश्वास जीता। विश्वास जीतकर चुनाव जीता और चुनाव जीतकर काम के माध्यम से वापस विश्वास जीतने का जो हम क्रम चला रहे हैं यह निश्चित रूप से हमारे सबके लिए बहुत अच्छी परम्परा रही है और धोखे की बात जो लोग करते हैं जिन्होंने हमेशा इस समाज के हर वर्ग को छला है। मान्यवर, कोई वर्ग ऐसा नहीं जिसकी उम्मीदें इन्होंने कभी पूरी की हों। चुनाव के दौरान कहा क्या और चुनाव के बाद उनकी ओर झांक कर भी नहीं देखा। चाहे वह रोते रहे, चिल्लाते रहे लेकिन कोई न कोई बहाना बनाकर हमेशा उनकी समस्याओं की अनदेखी की, उनकी वाजिब मांगों को भी कभी ध्यान से नहीं सुना। मुझे अच्छी तरह से याद है। मैं पिछले सत्र में भी था। पिछली सरकार के कार्यकाल में विधान सभा के बाहर एक

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

नहीं, पचासों तम्बू लगे थे, विभिन्न युवा संगठनों के, विभिन्न कर्मचारी संगठनों के एक नहीं, पचासों तम्बू। आज वह संख्या लगभग खतम हो गयी। हमने जितने कर्मचारी संगठन थे, हमारे युवा वर्ग थे, बेरोजगार युवक थे एक एक करके सबकी समस्या का समाधान कर दिया। हमने कोई किसी के साथ धोखा नहीं किया, हमने काम किया और हम आगे भी काम करने वाले हैं और यह हम पर आरोप लगाते हैं

जिनके अपने दामन पर ढ़ेरों निशान हैं खून के

वह बेशर्म तोहमत लगाते उन पर जिनके दामन पाक हैं

हमने ईमानदारी से शासन करने का प्रयास किया और जनता का दिल जीतने का प्रयास किया। देश की गरीब जनता के लिए क्या किया आपने ? इस देश में, इस प्रदेश में 45 वर्ष तक आपका शासन रहा 45 वर्ष तक और आपकी माननीय पूर्व प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी ने सन् 1971 में गरीबी हटाओ का नारा भी देश की जनता को दिया था, कोई गरीबी हटी, कोई गरीबी कम हुई, गरीबी मिटी? मात्र नारे दिए आपने। कभी गरीब की गरीबी दूर हो जाए उसके लिए न तो कोई सार्थक प्रयास किया, ना कभी कोई सार्थक योजना बनाई और ना कोई ऐसा कदम उठाया...जिससे गरीब यह महसूस कर सके कि यह सरकार हमारा कुछ भला करने वाली है। आपने गरीब का हमेशा उपयोग लिया, हमेशा उपयोग। क्योंकि जानते हैं कि इस गरीब के माध्यम से हम जीतने वाले हैं। देश में जितनी गरीब बढ़ेगी उतना ही यह हमारा वोट बैंक बढ़ेगा। उसको अभाव में रखो, उसको समस्या में रखो। मुझे अच्छी तरह याद है मेरे चुनाव के वक्त का किस्सा। चुनाव के दौरान एक ऐसी जाति के वृद्ध ने मेरा सहयोग किया था और चुनाव के बाद मुझसे मिलने आया वह घर पर क्योंकि उसने मेरा सहयोग किया था, मैंने उससे काम पूछ लिया तो उसने जो काम बताया कि अकाल राहत में फेमिन में आप मेरा नाम परमानेंट लिखवा देना। उससे ज्यादा उसकी सोच नहीं, उससे ज्यादा उसकी समझ नहीं और उसके जिम्मेवार हमेशा आप हैं। कभी मौका ही नहीं दिया उसको कि अपनी सुख-सुविधाओं के बारे में भी सोच सके। मात्र पेट की चिन्ता और गरीब को वोट बैंक समझकर आपने उसको पेट तक ही हमेशा सीमित रखा। पता था ना कि पढ़ लिख लिया, कुछ समझ लिया, कुछ समझदार हो गया, गरीबी इसकी कम हो गयी तो आपका वोट बैंक घट जायेगा। जिस गरीब के कंधे पर बैठकर आप सत्ता के सिंहासन पर पहुंचे हो वह गरीब भी आज महसूस करने लग

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

गया हमारी योजनाओं से, हमारे बजट से कि आपने उनके साथ हमेशा धोखा किया है और आज वह गरीब इस बात के लिये बेताब है कि कब उसके कंधे पर कांग्रेस पार्टी की अर्थी निकले? तैयारी कर रहा है वह और आने वाले चुनाव में आपको देखने को मिलेगा गरीब न तो बात करना पसन्द करेगा, न आपको मुंह लगाना पसन्द करेगा और हमारी मुख्य मंत्रीजी ने गरीबों को राहत कैसे मिल सके, गरीबों का कल्याण कैसे हो सके, एक नहीं ढेर सारी योजनाएं है। आपने खुद बजट में पढ़ा होगा। सारी योजनाओं के बारे में पढ़ा होगा पन्ना धाय जीवन अमृत योजना, यह बी.पी.एल. परिवारों के बीमा की योजना है। प्रीमियम राशि भरेगी हमारी सरकार और लाभ का अवसर देगी उस गरीब को जिसको आवश्यकता है लाभ की। दुर्घटना में मृत्यु होने पर पचास हजार की राशि, प्राकृतिक मृत्यु होने पर बीस हजार की राशि। गंभीर कोई स्थिति हो जाये तो पचास हजार, कोई छोटी-मोटी स्थिति हो जाये तो बीस हजार रुपये, यह बहुत बड़ा उपहार है गरीब के लिये, उस बी.पी.एल. के लिये जो आने वाले कल में उसको एक बहुत सुनहरा अच्छा अवसर देंगे और यही नहीं, 11वीं से 12वीं पढ़ने वाले बी.पी.एल. के बच्चों को 1200 रुपये की छात्रवृत्ति प्रतिवर्ष, यह शुरूआत भी, यह उपहार भी हमारी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने दिया। सारे खुश हैं आज। जाकर उनसे पूछो कि कितना खुश महसूस कर रहे हैं अपने आपमें वह।

महिला स्वयं सहायता समूह के माध्यम से सौ करोड़ से अधिक का बैंक ऋण पचपन हजार महिला स्वयं सहायता समूहों को उपलब्ध कराया ताकि वह अपने पैरों पर खड़ी हो सकें, अपने लिये रोजगार अर्जित कर सकें।

पेंशन की राशि भी दो सौ से चार सौ कर दी, सीधी दुगुनी। सारे खुश हैं आज। राजस्थान में लाखों की तादाद में ऐसे लोग वृद्ध हैं, विधवा हैं, विकलांग हैं जो पेन्शन राशि के जरिये अपना जीवन यापन कर रहे हैं। उनको जाकर पूछो कि यह बजट कैसा है ? और फिर अपनी प्रतिक्रिया बताने का साहस करना तो आपको खुद महसूस हो जायेगा कि यह बजट वाकई में गरीब के लिये, महिला के लिये, हर वर्ग के लिये बहुत अच्छा है और एक नहीं, सैंकड़ों योजनाएं हैं। कोई वर्ग किसी योजना से वंचित गया तो उसके सामने और पचासों विकल्प हैं। इस योजना से लाभ नहीं तो दूसरी से लाभ प्राप्त कर लेगा। दूसरी से नहीं तो तीसरी से लाभ प्राप्त कर लेगा। लाभ के पचासों दरवाजे उसके लिये खुले। राहत के पचास दरवाजे उसके लिये खुले और

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

निश्चित रूप से वह बिलकुल इस बात के लिये तैयार हो गया कि हमको जो जनादेश दिया, हमको जो अवसर दिया, हमारे ऊपर जो विश्वास व्यक्त किया, वह महसूस कर रहा है कि उसके साथ कोई धोखा नहीं हुआ। कोई धोखा नहीं दिया हमने। हमने काम किया है और हम काम और करने वाले हैं।

श्री सभापतिः कनक्लूड करें आप।

श्री ज्ञानचन्द पारखः हां, 5 मिनट में।

इस बजट में शिक्षा में जो प्रावधान रखा गया, सोलह हजार के करीब राजीव गांधी पाठशालाओं को क्रमोन्नत करके राजकीय प्राथमिक विद्यालय में परिवर्तन कर दिया गया है। राजीव गांधी पाठशालाएं इन्होंने खोलीं, बिलकुल सही बात पर उद्देश्य बिलकुल नहीं कि गरीब का बच्चा, गांव का बच्चा अच्छी शिक्षा ले सके। उद्देश्य यह है कि आपकी नेता सोनिया गाधी को कैसे खुश किया जा सके ? अगर आपकी नीयत ठीक होती, बच्चों को पढ़ाने की आपकी इच्छा शक्ति होती, मंशा होती तो वहां आप बारह सौ रुपये राशि का अध्यापक नहीं लगाते। हमारी सरकार ने सारे ट्रेंड और योग्य टीचर लगाये हैं और जिस राजीव गांधी पाठशाला में जाकर, विद्यालय में जा रहा है वह, उसके बाद भी शिक्षा कुछ नहीं उसके पास। पांचवीं पढ़ा हुआ बच्चा भी अगर कुछ लिखे तो पढ़ नहीं सकता। हमारे शिक्षा मंत्रीजी ने इन सारी राजीव गांधी पाठशालाओं का सफाया गावों से कर दिया, या कर देंगे बहुत जल्दी इस एक आदेश से और मैं यह कह दूं कि हमारे शिक्षा मंत्रीजी ने तो राजीव गांधी पाठशालाओं का सफाया कर दिया और हमारी मुख्य मंत्रीजी इस बजट के माध्यम से राजीव गांधी की पार्टी का सफाया पूरे राजस्थान की धरती पर से कर देंगी यह आने वाला कल आपको बतायेगा।

सभापति महादेव, कल सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य हमारी मुख्य मंत्रीजी की हवाई यात्राओं पर चर्चा कर रहे थे

श्री सभापतिः आधा घण्टा हो गया।

श्री ज्ञानचन्द पारखः बाम्बे अधिवेशन में उन्होंने राजकीय विमान का उपयोग किया। संघ का जो हैड क्वार्टर है नागपुर, वहां भी गयीं। अब इनसे पूछो कि आपकी सोनियाजी के यहां धोक लगाने आपके मुख्य मंत्री कितनी बार राजकीय विमान लेकर दिल्ली गये थे ? आप देखोगे ना तो हमारी यात्राओं से कई गुना ज्यादा होगा। इसीलिये मैंने पहले भी कहा था कि अपने गिरेबान

में झांककर देखो तो आपको खुद को अहसास हो जायेगा कि आपके कृत्य कैसे रहे हैं।

सभापति महोदय, आपने बोलने का अवसर दिया उसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापतिः धन्यवाद। श्री रामकिशोर मीणा।

श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय): माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने 2005-06 का जो बजट पेश किया था और उसको जिस प्रकार लागू करके हमने राहत प्राप्त की थी उसी परिदृश्य में 2006-2007 का बजट प्रस्तुत किया गया है। वह सभी दृष्टियों से स्वागत योग्य है। समाज के सबसे निम्नतम वर्ग जिसको अभी तक अछूत कहा जाता था, विकास की मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास किया गया है।

जब वह लागू होगा, यह तीसरा बजट है पिछले दो बजटों के द्वारा जिन वर्गों को कांग्रेस ने आज तक अपना वोट बैंक समझकर कभी उनके कल्याण के बारे में नहीं सोचा, केवल चुनाव के समय में उनको याद किया जाता था, आज उन्हीं वर्गों को भारतीय जनता पार्टी ने उनको अंदर जाकर के, उनके घर तक पहुंचकर, उनकी समस्याओं से रूबरू होकर के, उनका किस प्रकार से कल्याण किया जा सकता है इस प्रकार की योजनाएं बनायी और उसको लागू किया और जिसका परिणाम हमारे सामने आने लगे हैं । केवल दो साल के बजटों से इन वर्गों में एक बहुत बड़ी जागृति का, विकास का एक वातावरण बना है । वह अपने आपको सरकार का भागीदार समझने लगा है और जहां-जहां भी उनकी शिकायतें होती हैं उसी के अनुरूप वह अपनी बातें सरकार तक पहुंचाने में आज समर्थ हो पाये हैं ।

सभापति महोदय, पूर्व की सरकारों ने जिसमें सन् 1977 से पहले की कांग्रेस की सरकारें रहीं, उन्होंने लगातार पुराने शासनकाल के दौराव गांव की ओर कभी ध्यान नहीं दिया । उनके बजट का अधिकांश हिस्सा शहरों की ओर खर्च किया जाता था । गांव की पंचायत 50 रुपये से ऊपर का भी कोई काम करती थी तो कलक्टर से उसकी परमीशन लेनी पड़ती थी लेकिन 1977 के बाद में जनता पार्टी और 1980 के बाद में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गांव के विकास की ओर एक मार्ग प्रशस्त करके आज 60 से ऊपर, 70-75 प्रतिशत तक कई योजनाओं का खर्चा ग्रामीण क्षेत्र की ओर से करने लगे हैं ।

(श्री रामकिशोर मीणा)

सरकार ने यह महसूस किया है कि जब तक हम गांव का विकास नहीं करेंगे केवल शहरों पर भार बढ़ाकर के हम असमानता पैदा नहीं होने देंगे। अमीर और गरीब की खाई को जब तक नहीं पाटेंगे तब तक किसी राज्य का विकास होना बहुत बड़ी दिक्कत होती है ।

सभापति महोदय, बार-बार कहा जाता है कि ऋण ज्यादा लिये जा रहे हैं । उसके लिये हमें उसकी पृष्ठ भूमि में जाना पड़ेगा कि ऋण क्यों लिये जा रहे हैं । यदि पिछली कांग्रेस सरकार ने जितने भी बजट में प्रावधान किये उनको समय पर लागू किया जाता, उनको ईमानदारी से लागू किया जाता तो शायद इस प्रकार से ऋण लेने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ती । लेकिन उनका ज्यादातर दुरुपयोग किया गया । समय पर उसकी पालना नहीं की गयी। माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने अपनी परिवर्तन यात्रा के दौरान पूरे क्षेत्र में जाकर के और इस प्रकार की कोशिश की कि किस क्षेत्र में किस चीज की आवश्यकता है और किस प्रकार से किन योजनाओं के द्वारा गरीब को मुख्य धारा से जोड़कर के राजस्थान को आगे बढ़ाया जा सकता है और उसके लिए अर्थशास्त्र का सिद्वांत है कि जब हम विकास में पिछड़ जाते हैं, यदि हम पुराने ढर्रे पर ही चलेंगे तो निश्चित रूप से इतनी जो दूरी है, जो विकसित हो गये हैं उसको कभी अर्द्व विकसित राज्य प्राप्त नहीं कर सकते हैं । उसके लिए हमको एक ऊंची छलांग लगानी पड़ेगी और उसके लिये यह आवश्यक है कि अपनी योजनाओं के आकार में वृद्वि की जाये और एक समयबद्व कार्यक्रम तय करके उनको पूरा किया जाये ।

सभापति महोदय, हमारे अब तक के पहले जितने भी मुख्य मंत्री रहे हैं, वे जन नेता अवश्य रहे हैं लेकिन पिछली कांग्रेस के शासन में जितने भी मुख्य मंत्री रहे हैं या वित्त मंत्री रहे हैं वह पूरे राजस्थान का प्रतिनिधित्व नहीं करते थे और कुछ योजनओं को, कुछ क्षेत्रों को तरजीह देकर के इस प्रकार के प्रयास किया करते थे जिसके कारण से क्षेत्रों में एक बहुत ज्यादा असंतुलन हो जाता था और इसी आधार पर माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने परिवर्तन यात्रा के दौरान जन नेता की हैसियत तो हासिल की ही लेकिन एक प्रशासक जब तक नहीं हो, प्रशासक भाव उसमें जब तक नहीं हो तब तक उन योजनाओं को अच्छी तरह से अमली जामा नहीं पहनाया जा सकता है । पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान तत्कालीन माननीय मुख्य मंत्रीजी जो कि दो बार केन्द्र में उनको मौका दिया गया सरकार चलाने का लेकिन अयोग्यता के नाते से उनके

(श्री रामकिशोर मीणा)

कांग्रेस के प्रधान मंत्रियों ने उनको वहां से हटा दिया और राजस्थान का दुर्भाग्य था कि उनको यहां पर ...(व्यवधान) वह तो है सब जानते हैं । पूरा देश जानता है और उसका परिणाम था कि राजस्थान ने जिस गति को पकड़ा था । उस गति में कई योजनाएं जो बहुत बढ़कर के आ गयी थी वह समय पर पूरा नहीं करने की वजह से उनको वास्तविक व्यय नहीं कर पाने की वजह से योजनाओं का आकार घटता गया । हम यह मानते हैं तब तक पिछड़े वर्गों के लिए विशेष कल्याण की योजनाएं नहीं लाई जायेंगी तब तक हम उसको पूरा नहीं कर पायेंगे । माननीय मुख्य मंत्रीजी ने समय-समय पर लगातार सम्पर्क किया, निर्णय लेने की उनकी जबरदस्त क्षमता के कारण उन योजनओं को समय पर लागू किया गया और प्रदेश के विकास के लिए जो यहां का वर्क कल्चर था उसको ध्यान में रखकर के योजनाएं बनायी और उनको पूरा करने का प्रयास किया गया ।

सभापति महोदय, जो हमारे बारे में एक अभिशाप था कि यहां पर ओवर ड्राफ्ट चलता है, कुशल वित्तीय प्रबंधन के कारण से केन्द्र सरकार ने हमको समय-समय पर परिणाम भी दिये हैं, उसका हमें योगदान भी दिया है । वर्ल्ड बैंक तथा केन्द्र सरकार ने भी कई योजनाओं की भूरि-भूरि प्रशंसा की है । यह जो बजट है, पिछले दो-तीन बजटों में सबसे गरीब तबके और विशेष तौर पर महिला वर्ग जो आज 48-50 प्रतिशत माना जाता है, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने यह सोचकर कि जब तक इस जनसंख्या के आधे अनुपात को मुख्य धारा से नहीं जोड़ेगे हम राजस्थान का तीव्र गति से विकास नहीं कर पायेंगे और इसके लिए गये बजट में भी और इस बजट में भी विशेष तौर पर महिलाओं को समर्पित यह बजट किया गया है और राजस्थान का सौभाग्य है कि माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री महोदय और यहां की राज्यपाल महोदय तीनों ही महिला होने के नाते राजस्थान को विकास के लिए बहुत बड़ी गति भी मिली और उसके लिए लगातार प्रयास भी किये जा रहे हैं ।

सभापति महोदय, बी.पी.एल. परिवारों के लिए, उनकी महिलाओं के लिए जो योजनाएं घोषित की गयी हैं वह एक बहुत बड़ा स्तुत्य प्रयास है और उसके कारण हमारी महिलाओं और विशेष तौर से बी.पी.एल. परिवारों में चयन के लिए भारी होड़ हो जाती है और उसका कारण स्पष्ट है कि ज्यादातर योजनाएं बी.पी.एल. परिवारों से संबंधित हैं और उनका ज्यादा से ज्यादा लाभ लेने के लिए लोग इस प्रकार से प्रयासरत हैं कि उनको ज्यादा से ज्यादा

(श्री रामकिशोर मीणा)

बेनीफिट मिले और इसमें शामिल होने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं । समाज की जितनी भी व्याप्त विषमताएं हैं उनकी दीवार को लांघकर के और सामाजिक रूपांतरण की और तेजी से कदम बढ़ाने की आज जरूरत है और इस तेजी से बदलते हुए परिवेश में और दुनिया के आधुनिक परिदृश्य में राजस्थान को भी कदम से कदम मिलाकर के चलने के लिए यह आवश्यक है कि इस प्रकार से छलांग लगाकर और एक भारी कर्जा लेकर के हम आगे बढ़ें ।

सभापति महोदय, जो हमारे समाज के आज तक अनछुए वर्ग थे, जिनकी कोई कहने वाला नहीं था, चाहे हमारी सेना के जवान हैं, शहीद हुए हैं या उनके परिवार हैं उनकी यहां पर बात करने के लिए उनको प्रतिनिधित्व नहीं था तो उनके लिए भी माननीय मुख्य मंत्री महोदय वे विशेष तौर पर उनकी जो पेंशन थी उसको बढ़ाया है । गैलेंटरी प्रमोशन थे वह बहुत लंबे समय से अटके थे उनको बढ़ाकर के उनको सम्मान देने का प्रयास किया गया है । देश के बाद राजस्थान ऐसा पहला राज्य है जहां शहीदों के नाम से अमर जवान ज्योति को यहां पर प्रज्जवलित किया गया है और इसी तरह से हमारे यहां राजस्थान के विकास की जो अन्य योजनाएं हैं उनको भी चालू करने के प्रयास किये जा रहे हैं ।

शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान को पिछड़ा हुआ माना जाता था, आज वह अग्रणी प्रदेशों में माना जाने लगा है। आज अपनी योग्यता की मिसाल के तौर पर हमारे माननीय शिक्षा मंत्रीजी ने देश में अपनी छाप छोड़ी है और अपनी विचारधारा के आधार पर केन्द्रीय शिक्षा के क्षेत्र में जो सलाहकार मण्डल है उसका भी प्रतिनिधित्व करके राजस्थान को एक गौरवशाली स्थान दिलाया है।

व्यय का लाभ गरीब, वंचित वर्ग को तभी मिलेगा जब योजनाओं का प्रभावशाली क्रियान्वयन हो, सतर्क और समर्पित रहकर इन योजनाओं की वास्तविक और समयबद्ध क्रियान्विति हो और उसके लिए जरूरी है कि हमारा वास्तविक व्यय कम हो और लाभ उस का शीघ्र मिलना शुरू हो जाए। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री महोदया ने समय पर योजनाएं बनाई, हर महत्वपूर्ण विभाग की आडिटिंग या उनकी समीक्षा के आधार पर जो विभाग समय पर योजनाएं पूरी नहीं कर रहे थे उनको समय पर योजनाएं पूरी करने के लिए दबाव बढ़ाया। राजस्थान में कई योजनाएं ऐसी हैं, जैसे कि राजस्थान में पहले जो सड़क निगम हुआ करता था, एक बार जो योजना बन जाती थी उसको वह

(श्री रामकिशोर मीणा)

सालों साल पूरा नहीं कर पाता था, आज यह जमाना आया है कि राजस्थान इस बात में अग्रणी है कि जो समय निर्धारित किया जाता है, उस समय से भी पहले योजना पूरी होकर जनता को समर्पित हो जाती है। उसी कारण से हमें बहुत बड़ा लाभ मिला है।

श्री सभापतिः आप कनक्लूड करें। आपको पन्द्रह मिनट हो गए हैं।

श्री रामकिशोर मीणा: जी। महिला जनसंख्या की दृष्टि से जो 6 अन्य समकक्ष राज्य हैं उनमें केन्द्र सरकार ने बजटीय व्यय के आधार पर महिला स्वास्थ्य के अन्दर राजस्थान को प्रथम माना है। महिला शिक्षण-प्रशिक्षण में द्वितीय माना है। जरूरतमन्द महिलाओं को सहायता के कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में तृतीय श्रेणी में माना है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि जब तक आधारभूत ढांचा विकास का नहीं होगा, ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान में बहुत बड़ी आवश्यकता थी, उसमें लगातार प्रयास करके वितरण की जो बहुत बड़ी व्यवस्था है, उस वितरण तंत्र को सुधारने में हम कामयाब हुए हैं, सरकार के लगातार प्रयास हैं कि उनको समय पर पूरा किया जाए। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से विपक्षी दल से निवेदन करना चाहता हूं कि जिन योजनाओं में केन्द्र से समय पर बजट नहीं मिल पाता, उनकी पूर्ति नहीं हो पाती, उसमें यदि आपका सहयोग हो राजस्थान के हित में तो आप पहल करके उनको समय पर लागू कराएं तो राजस्थान के बहुत ही हित में होगा। चाहे मिड-डे-मील स्कीम हो, चाहे अन्य स्कीम हो। राजस्थान के अन्दर हमने उन आदिवासी भाइयों को, जिन्हें लगातार वर्ग विभेद प्रताड़ित करता रहता था, समय-समय पर छोटी-छोटी जोतों के लिए उनको अधिकार नहीं दिया जाता था, माननीय मुख्य मंत्री महोदया के प्रयासों से 30 हजार से ज्यादा आदिवासियों को खातेदारी हक देने का इस सरकार ने प्रयास किया है और इसके लिए भी लगातार प्रयास अभी जारी है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि चाहे मिड डे मील योजना हो चाहे अन्य योजना हो, सरकार ने जन सहभागिता से योजनाएं लागू की है, उसके पीछे उद्देश्य यह है कि जब सरकारी योजना मानी जाती है तो आम आदमी की सोच यह है कि यह सरकार की है इस बारे में अपनत्व नहीं होता, लगाव नहीं होगा और उसके बारे में उसका दृष्टिकोण सही नहीं होता। जन सहभागिता के आधार पर एक तो

(श्री रामकिशोर मीणा)

व्यक्ति, जनता उसको अपना काम समझती है और उसमें पारदर्शिता भी बहुत ज्यादा होती है, इस कारण से जन सहभागिता के आधार पर जितने भी काम चलाए जा रहे हैं वह समय पर पूरे हो रहे हैं और उसके लिए माननीय मुख्य मंत्री महोदया ने भी बहुत बड़े प्रयास किए हैं। चूंकि आप बार-बार घण्टी बजा रहे हैं, इसलिए मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि बजट राजस्थान के विकास में एक बहुत बड़ा आधार बनकर राजस्थान की जनता को बहुत बड़ा प्रभावित करेगा।

श्री सभापतिः माननीय श्री सुभाष चन्द्र शर्मा।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली): माननीय सभापति महोदय, बजट अनुमान वर्ष 2006-2007 की चर्चा में सम्मिलित होते हुए मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री महोदया ने राजस्थान के लिए जो बजट प्रारूप पेश किया है, उसमें बहुत सारी बातों को ध्यान में रखा है। निश्चित रूप से यह कहना उचित होगा कि मुख्य मंत्रीजी ने विस्तृत सोच के साथ उस प्रस्ताव को इस गौरवमय सदन में प्रस्तुत किया। जहां तक राजस्थान का सवाल है, राजस्थान में बहुत सारे ऐसे काम हैं जो किए जाने हैं और जिस प्रकार से विस्तृत सोच के साथ उन्होंने राजस्थान को आगे बढ़ाने का संकल्प यहां दोहराया है और जो बजट प्रस्तुत किया है, निश्चित रूप से अनुकरणीय है।

स्त्री शक्ति को समर्पित यह बजट जिस प्रकार से उन्होंने पेश किया और राजस्थान में मुद्रांक शुल्क में छूट प्रदान करके ग्यारह से साढ़े पांच प्रतिशत का जो प्रावधान किया है, राजस्थान में महिलाओं को प्रोपर्टी का अधिकार प्राप्त हो, इस दिशा में यह बहुत बड़ा कदम था। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान के कानून में महिलाओं को प्रोपर्टी का अधिकार पुश्तैनी सम्पत्ति में से अधिकार केवल पिता की सम्पत्ति में से देने के लिए अभी कुछ प्रावधान किए गए हैं लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं और माननीय मुख्य मंत्री महोदया से तो विशेष तौर से आग्रह करना चाहता हूं कि राजस्थान से अगर यह पहल शुरू की जाए तो मैं समझता हूं कि देश के अंदर अनुकरणीय बदलाव आएगा और वह इस प्रकार की जो महिलाएं 50 साल, 60 साल, 70 साल , जब तक वह जिन्दा रहती है, 18 साल, 20 साल की उम्र के बाद ससुराल जाकर रहती है तो उसको ससुराल में सम्पत्ति का कोई अधिकार पुश्तैनी रूप से प्राप्त नहीं है और किसी

(श्री सुभाष चन्द्र शर्मा)

प्रकार से उसको प्रताड़ित किया जाता है। अगर कोई महिला शादी होने के बाद 50 साल तक भी उसका पति जिन्दा रहेगा तो उसको पुश्तैनी प्रोपर्टी में से कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा और मैं समझता हूं कि हिन्दुस्तान की अधिकांश महिलाएं ऐसी हैं जिन्हें प्रोपर्टी पर कोई अधिकार प्राप्त नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री महोदया महिला हैं, राजस्थान की महामहिम राज्यपाल महिला है और हमारे इस गरिमामय सदन की अध्यक्षा महिला है, अगर ऐसे मौके पर राजस्थान के इस बजट में यह प्रावधान का एक और प्रस्ताव किया जाए कि शादी की पंजीयन का जिस प्रकार से माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है, शादी के पंजीयन की तारीख से पति की सम्पत्ति में से आधे की अधिकारिणी अगर उस महिला को बना दिया जाए तो मैं समझता हूं कि राजस्थान ही नहीं, हिन्दुस्तान की महिलाओं को बहुत बड़ा गरिमामय जीवन जीने का मौका मिलेगा।

ग्रामीण क्षेत्रों में वृद्ध लोगों के लिए, मुख्य मंत्री महोदया ने जिस प्रकार से वृद्धावस्था पेंशन बढ़ाई है, अनुकरणीय है। हमारे बुजुर्ग गांवों में अति दयनीय स्थिति में जीवन यापन कर रहे हैं और जिस प्रकार से केन्द्र सरकार ने भी अपनी योजना में उनके लिए 125 रुपए की बढ़ोत्तरी की है, राजस्थान की सरकार ने भी अपना अंशदान बढ़ाकर 400 रुपए वृद्धावस्था पेंशन की घोषणा की है, निश्चित ही अनुकरणीय है। उन गरीब लोगों के लिए, उन बुजुर्ग लोगों के लिए, उन बेसहारा लोगों के लिए जिनको बुढापे में कोई सहारा नहीं मिलता है उनको इस 400 रुपए की पेंशन के पीछे परिवार की सेवा भी मिलती है और बाहर से भी उनको मदद मिल पाती है। मैं तो यह निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान की सरकार अगर थोड़ा सा बजट में प्रावधान और कर दे और जो 60 साल के प्रत्येक वृद्ध हैं जिनके परिवार में किसी प्रकार की कोई सरकारी पेंशन नहीं आती है, उनके बच्चे अगर सरकारी सर्विस में न हो, उन परिवारों के 60 साल के बुजुर्गों के लिए भी आप इसी पेंशन का प्रावधान कर दें तो ऐसे हजारों-लाखों वृद्ध लोगों को स्वाभिमान से जीने का अधिकार मिल सकता है जिनके पुत्र होते हुए भी, परिवार होते हुए भी, खाना नहीं मिलता, उनको कपड़ा नहीं मिलता, घर से बेघर हैं और दर-बदर की ठोकरे खाते हैं, उन सबको भी लाभ पहुंचाने के लिए अगर हमारी माननीय मुख्य मंत्री महोदया कोशिश करें तो निश्चित रूप से अनुकरणीय उदाहरण होगा। और

(श्री सुभाष चन्द्र शर्मा)

राजस्थान में 60 लाख से ऊपर की उम्र के सभी वृद्धों, महिला और पुरुषों को पेंशन दिये जाने का प्रावधान इसमें रखते हैं तो मैं समझता हूं यह बहुत ही उत्तम होगा।

जहां तक बी.पी.एल. परिवारों को मदद की बात है बी.पी.एल. परिवारों को जिस प्रकार से मदद करने का संकल्प मुख्य मंत्रीजी ने दोहराया है निश्चित ही अनुकरणीय है और उन गरीब लोगों को राहत मिलेगी जो गरीब स्थिति में अपना जीवन-यापन कर रहे हैं, जो अपना इलाज नहीं करवा पाते, अपना खाना व अपने कपड़े तक की व्यवस्था नहीं कर पाते उन सबको जीवन जीने का अधिकार मिलेगा। इसके साथ-साथ इस प्रावधान में एक थोड़ा सा लेकुना रह गया है। माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय अभी सदन में विराजमान थे, लेकिन अभी नहीं हैं, चिकित्सा राज्य मंत्री महोदय विराजमान हैं, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान में बी.पी.एल. परिवारों का सर्वे चल रहा है। बी.पी.एल. परिवारों के सर्वे के बाद अभी तक फाइनल लिस्ट जारी नहीं की गई है उससे पहले राज्य सरकार द्वारा यह पत्र भेज दिया गया है पुरानी सूची अधिकृत नहीं रहेगी और नयी सूची के अनुसार ही उनको चिकित्सा का लाभ मिल पाएगा। मैं एस.एम.एस. अस्पताल में जब गया तो वहां के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट से बात की तो यह बात सामने आयी कि हमारे पास जो गाइडलाइन सरकार की आ गई हैं उस गाइडलाइन के अनुसार पुरानी सूची के लोगों को अब चिकित्सा सुविधा देय नहीं होगी, इसलिए जब तक सरकार कोई निर्णय नहीं करे, क्योंकि नयी सूची मई महीने तक आएगी और यह पीरियड ऐसा निकल रहा है कि उन गरीब मरीजों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। मैं उम्मीद करूंगा आपके माध्यम से कि राजस्थान की सरकार जो पत्र अब तक भेजा है उसको वापस लेकर उन गरीब बी.पी.एल. परिवारों की चिकित्सा की समुचित व्यवस्था करवाएं। बी.पी.एल. की सूची मई में आने के बाद जो कानून लागू होगा उसको जैसा भी सरकार का निर्देश होगा वह रखे, लेकिन मेरा यह निवेदन है कि उन बी.पी.एल. परिवारों की मदद करने के क्षेत्र में पहल की जाए।

जहां तक राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्र में चिकित्सा सुविधाओं की बात है, माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने जिस प्रकार चिकित्सकों, ए.एन.एम., पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती की जो घोषणा की है बहुत ही अनुकरणीय है। जरूरत इस बात की थी लम्बे समय से यह वैकेंसीज चली आ रही हैं, लम्बे

(श्री सुभाष चन्द्र शर्मा)

समय तक इन पदों पर चिकित्सक और पैरामेडिकल स्टाफ नहीं मिल रहा है और लम्बे समय से हालत यह है कि गरीब लोग दर-दर की ठोकर खाकर 100-100 किलोमीटर 50-50 किलोमीटर दूर जाकर चिकित्सा का लाभ ले रहे हैं उन सबको घर के दरवाजे चिकित्सा उपलब्ध हो पाएगी। लेकिन माननीय सभापति महोदय, आज इस सत्य से भी हम पीछे नहीं हट सकते, यह कटु अनुभव है कि राजस्थान के अधिकांश ग्रामीण क्षेत्र के अस्पताल खाली पड़े हैं और वहां पर चिकित्सकों की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं हो पा रही है। सरकार ने लाख कोशिश की है, पिछली बार भी सदन के अंदर यह मामला आया है और राजस्थान से आने वाले सभी क्षेत्रों के माननीय सदस्यों ने पिछली बार भी इस बात को उठाया था कि राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्र के अस्पताल चिकित्सकों के अभाव में खाली पड़े हैं और चिकित्सकों के वहां रहते हुए भी खाली पड़े हुए हैं। बहुत सारे चिकित्सक उन पदों पर पदस्थापित हो जाते हैं, लेकिन गांवों में ड्यूटी नहीं देकर वे शहरी क्षेत्रों के चिकित्सालयों के अंदर अपनी ड्यूटियां देते रहते हैं और ग्रामीण अस्पताल खाली पड़े रहते हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्रीजी और चिकित्सा मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्र को चिकित्सा का लाभ दिलाने के लिए आप निश्चित रूप से इसमें कोई प्रतिबंधात्मक ऐसा प्रावधान करें जिससे गांवों के ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को भी चिकित्सा का लाभ मिल सके। जिस प्रकार से एस.एम.एस. अस्पताल में हमने 200 करोड़ रुपये की योजना बनाकर अस्पताल का नवीनीकरण करके पूरे राजस्थान के लोगों को चिकित्सा का लाभ देने की बात रखी है यह नि:संदेह अनुकरणीय है। लेकिन इसके साथ-साथ 200 विधान सभा क्षेत्रों के एक-एक अस्पताल में यदि एक-एक करोड़ रुपया देकर उनको क्रमोन्नत कर दिया जाता तो मैं समझता हूं एस.एम.एस. अस्पताल के ऊपर जो भीड़ आ रही है बाहर के ग्रामीण क्षेत्रों से, उस भीड़ को लाभ मिल पाता और वह भीड़ यहां नहीं पहुंच पाती और ग्रामीण क्षेत्रों में उनका इलाज हो पाता। मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा कि ग्रामीण क्षेत्रों के अस्पतालों की दयनीय स्थिति को सुधारा जाए और उनमें सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ यह तय करे कि ग्रामीण क्षेत्र के व्यक्ति भी इंसान हैं, शहरी क्षेत्र के व्यक्ति भी इंसान हैं और इंसानों में फर्क नहीं किया जा सकता। इसलिए उन सबके इलाज की समुचित व्यवस्था करना सरकार की जिम्मेदारी बनती है।

मैं निवेदन करना चाहूंगा दो-तीन और बातें इस प्रकार की हैं जो

(श्री सुभाष चन्द्र शर्मा)

सुझाव के रूप में मैं देना चाहता हूं। (समय समाप्ति सूचक घण्टी) मुझे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का मौका नहीं मिला और मैं आपके आदेश के अनुरूप कर रहा हूं। बहुत सारे निर्दलीय विधायक इसमें नहीं बोल रहे हैं इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं और मैं इस प्रकार के सुझाव दे रहा हूं जो शायद अब तक चर्चा में नहीं आये हैं।

श्री हरिमोहन शर्मा: 22 निर्दलीय विधायक हैं और आप देखें आप बोल रहे हो तो एक ही बैठे हैं आपके साथ।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा: मैं इस बात के लिए निवेदन कर रहा हूं एक और विसंगति इस प्रकार की आती है, राजस्थान के अंदर हो सकता है बजट प्रावधानों में, बजट की दिक्कतों के कारण या पैसे की व्यवस्था के कारण यह समस्या आ रही हो, लेकिन जब तक प्रशासन का विकेन्द्रीकरण नहीं होगा, जब तक शासन में आम जनता की भागीदारी बनाकर नहीं रखेंगे तब तक मैं नहीं समझता कि गांव के व्यक्ति की समस्या का समाधान आसानी से हो जाएगा। आज एक नाली निर्माण की, आज वहां यूरिनल बनाने की, आज वहां पेयजल के लिए, हैण्ड पम्प लगाने की या टूंटी लगाने की बात आती है तो गांव का आदमी सचिवालय का चक्कर लगाता है, गांव का आदमी मंत्री के दरवाजे तक चक्कर लगाता है। क्यों नहीं इसकी विकेन्द्रित व्यवस्था की जाए। जब तक इसके लिए अलग से प्रावधान नहीं करेंगे राजस्थान के जिलों की जो भौगोलिक संरचना है उन जिलों की भौगोलिक संरचना को दूर करते हुए बजट का प्रावधान इसमें रखा जाए और 50 से 60 किलोमीटर से ज्यादा दूरी जिला हैडक्वार्टर की नहीं होनी चाहिए ताकि ग्रामीण क्षेत्र का आदमी उस 50-60 किलोमीटर में जिला कलक्टर से और जिला प्रशासन के माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान करा सके। आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा अगर इस बजट के अंदर नये जिलों की घोषणा का भी प्रावधान रखा जाता और नये जिलों के गठन की प्रक्रिया अपनायी जाती तो मैं समझता हूं यह बहुत बड़ा कदम होता। कोटपूतली लम्बे समय से जिला निर्माण के लिए संघर्ष कर रहा है और कोटपूतली की जनता इस बात के लिए चाह रही हैं आसपास के 6-7 विधान सभा क्षेत्रों और तहसील के लोग यह चाहते हैं जिस प्रकार से सीकर जिले की दूरी 135 किलोमीटर है, जिस प्रकार से अलवर की दूरी 140 किलोमीटर है, जिस प्रकार से जयपुर की दूरी 135 किलोमीटर है यह सारी दूरियां कम होकर अगर कोटपूतली जिला घोषित होता है तो आसपास के

(श्री सुभाष चन्द्र शर्मा)

परिक्षेत्र के जितनी भी तहसील और गांव हैं उन सबको जिला स्तर पर पहुंचने में बड़ी आसानी होगी और उनकी प्रशासनिक व्यवस्थाओं का समाधान तुरन्त हो पाएगा।

जाति प्रमाण-पत्र और मूल निवास प्रमाणपत्रों की विसंगतियां बार-बार आती हैं। हमारे बच्चे जो विद्यालयों में पढ़ते हैं वे नौकरी के लिए जाते हैं, चाहे वे कहीं पर भी प्रार्थना-पत्र देते हैं तो बार-बार उनको जाति प्रमाण-पत्र और मूल निवास प्रमाण-पत्र बनाने के निर्देश दिये जाते हैं। सरकार को एक स्पष्ट व ठोस नीति लानी चाहिए कि एक बार जाति प्रमाण-पत्र और मूल निवास प्रमाण-पत्र बन जाए तो लम्बे समय तक कितने समय तक वह लागू रहेगा जिससे बार-बार अनावश्यक रूप से एसडीओ हैडक्वार्टर पर, तहसील हैडक्वार्टर पर लोगों को चक्कर नहीं लगाना पड़े। मैं तो यहां तक सुझाव देना चाहूंगा कि सीनियर स्कूल के अंदर क्लासों में और कालेजों के अंदर भी अगर उनका जाति प्रमाण-पत्र और मूल निवास प्रमाण-पत्र वहां के प्रिंसिपल व प्रधानाचार्य के माध्यम से वहीं के वहीं वितरित कर दिये जाएं तो भ्रष्टाचार पर भी लगाम लगेगी और अनावश्यक भीड़ जो तहसील हैडक्वार्टर व जिला हैडक्वार्टर पर जिस प्रकार से लोगों की जाती है उसमें भी कम से कम बदलाव आएगा और उसमें भी सुधार आ पाएगा।

एक और विषय है जो विशेष तौर से मैं कहना चाहता हूं। नौकरी लगने वाले लोगों से पुलिस का प्रमाण-पत्र चाहते हैं, उसका चरित्र प्रमाण-पत्र चाहते हैं और हर विभाग से इस बात की सूचना आती है कि इसका चरित्र प्रमाण-पत्र पुलिस के द्वारा सत्यापित करवाया जाए। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से एक सुझाव देना चाहता हूं जिस प्रकार से जिला हैडक्वार्टर पर एसपी को अधिकृत किया हुआ है एसपी ही उसका चरित्र प्रमाण-पत्र सत्यापित करेगा जबकि संबंधित थाने में उसके खिलाफ कोई एफआईआर नहीं है, संबंधित थाने में उसका करेक्टर बिलकुल ठीक है, संबंधित थाने से उसको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है तो उसका चरित्र प्रमाण-पत्र का सत्यापन अनावश्यक रूप से उसको 100 किलोमीटर या 150 किलोमीटर चक्कर लगवाकर एसपी कार्यालय से दिलवाया जाता है जो आसानी से एक बार में नहीं, दो बार में नहीं, तीन-चार बार चक्कर लगाने के बाद मिलता है। अगर ऐसी व्यवस्था सरकार करे कि उसको डीवाइएसपी या संबंधित थाने के स्तर पर वह प्रमाण-पत्र दिया जाए तो बहुत सारे लोगों को इस बात का लाभ मिल पाएगा।

(श्री सुभाष चन्द्र शर्मा)

शिक्षा के क्षेत्र में विशेष तौर से हमारी मुख्य मंत्री ने और हमारे राजस्थान के शिक्षा मंत्री ने एक बहुत ही क्रान्तिकारी बदलाव लाने का प्रयास किया है। जिस प्रकार से स्कूलों को गांवों के अंदर खोला है, जिस प्रकार से वहां पर अध्यापक लगाये हैं, अध्यापकों की भर्ती खोली है, जिस प्रकार से बीएड किये हुए व्यक्ति आज तक हैं मैं समझता हूं जो 31 हजार की भर्ती व 8 हजार की भर्ती प्रक्रिया चल रही है मैं नहीं समझता कि बीएड किये हुए कोई छात्र रह पाएंगे।

श्री सभापतिः समाप्त करें।

श्री सुभाष चन्द्र शर्माः उन सभी का इसमें नम्बर आ जाएगा। यह राजस्थान के लिए क्रान्तिकारी बदलाव की स्थिति है। आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्रीजी और मुख्य मंत्रीजी से मैं निवेदन करना चाहता हूं पंचायत मुख्यालय पर जब तक हम सीनियर सैकण्डरी शिक्षा उपलब्ध नहीं करवा पाएंगे तब तक राजस्थान की इस बढ़ती जनसंख्या में और शिक्षा का प्रसार हम जिस प्रकार से करना चाहते हैं वह शिक्षा का प्रसार पूर्ण रूप से नहीं हो पाएगा। इसलिए इस बजट प्रावधान में प्रत्येक पंचायत मुख्यालय पर उच्च माध्यमिक विद्यालय और रखा जाता तो मैं समझता हूं इसका बहुत बड़ा प्रभाव होता।

श्री उपाध्यक्षः माननीय श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली): इसके साथ मैं दो शब्दों में अपनी बात कनक्लूड कर रहा हूं । एक और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी हमारे बच्चों के लिए सीटों का अभाव रहता है, विषय का अभाव रहता है, सैकण्डरी स्कूल में भी विषय का अभाव रहता है तो जिस प्रकार के रूचि के विषय और रूचि के सब्जेक्ट इन विद्यालयों के अन्दर, कालेजों के अन्दर और उनकी सीटें बढ़ाकर अगर वह प्रावधान भी रखा जाए और रोजगारोन्मुख शिक्षा जब तक हम शिक्षा के क्षेत्र में नहीं देंगे, केवल खाली साधारण पढ़ाई के माध्यम से अब वह जमाना निकल गया, एडवांस टेक्नोलाजी के जमाने में ग्लोबलाइजेशन के जमाने में...

श्री सभापतिः कृपया समाप्त करें।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली): हम सब को सकारात्मक पहलुओं की तरफ जाकर के और ज्यादा से ज्यादा रोजगारपरक शिक्षा बच्चों को दी

(श्री सुभाष चन्द्र शर्मा)

जाएगी तो राजस्थान का भला हो पाएगा। इन्हीं विचारों के साथ मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदया ने जो पेश किया गया बजट उसका धन्यवाद करता हूं और आपने मुझे मौका दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री सभापतिः माननीय दुर्गाप्रसाद अग्रवाल।

श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल (गंगापुर): आदरणीय सभापति महोदय, इस सदन में बजट प्रस्तावों पर हो रही बहस में भाग लेते हुए मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि मैं यथासंभव पूर्व वक्ताओं, माननीय सदस्यों द्वारा कही गई बातों को रिपीट नहीं करूंगा, मैं कुछ हटकर बोलना चाहूंगा।

माननीय सभापति महोदय, सत्ता में रहने वाली हर पार्टी यह चाहती है कि बजट प्रस्ताव इस प्रकार से प्रस्तुत किये जाएं कि आम जनता उससे राहत महसूस करे, उसकी प्रशंसा करे उससे आम जनता को संतुष्टि मिले। आदरणीय सभापति महोदय, हमारी वित्त मंत्री, मुख्य मंत्री महोदय ने जो बजट प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं इस प्रकार के हैं कि इससे आम जनता को संतुष्टि कोई नहीं मिली, यह एक नीरस बजट है और एक प्रभावहीन बजट है। आदरणीय सभापति महोदय, मैं कुछ बिन्दुओं पर ही अपनी बात कहना चाहूंगा क्योंकि जानता हूं कि समय बहुत कम है। आदरणीय सभापति महोदय, हमारी आदरणीय मुख्य मंत्री महोदय ने अपने बजट प्रस्तावों में एक स्थान पर यह कहा है कि आज अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस है, मैं इस बजट को स्त्री शिक्षा के नाम समर्पित करती हूं, उस वक्त यह महसूस हुआ था कि अब आने वाले भाषण में आदरणीय मुख्य मंत्री महोदया कुछ ऐसी घोषणाएं करेंगे जिनसे स्त्रियों को बहुत शक्ति मिलेगी, उनका सम्मान बढ़ेगा, आने वाले समय में उनके खिलाफ में कोई गैर कानूनी हरकत नहीं कर सकेगा, बच्चियों का जो आये दिन बलात्कार होता है, स्त्रियों का अपहरण होता है, वह अपहरण नहीं हो सकेंगे और सबसे बढ़कर बात मैंने यह सोची थी कि आने वाले दिनों में यह भ्रूण हत्या जो बच्चियों की माताओं के पेट में हत्या हो जाती है, हत्या कर दी जाती है उस पर लगाम लग सकेगी। आदरणीय सभापति महोदय, मैंने सोचा था कि जो सोनोग्राफी की मशीनें जो आये दिन जगह-जगह हर स्थान पर प्राइवेट नर्सिंग होम वालों ने खोल रखी हैं जिनको केवल मात्र यही काम है कि भ्रूण हत्याएं कराई जाएं, उनकी, गर्भवती महिलाओं की, वह टैस्टिंग वह करते हैं और फिर बाद में यदि यह पाते हैं लड़की है तो भ्रूण हत्या कर दी जाती है तो इस पर लगाम लग सकेगी। आदरणीय सभापति महोदय, जैसा कि आपको

(श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल)

पता है कि पूरे प्रदेश में लड़कियों का लड़कों के अनुपात में प्रतिशत दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है। इस प्रदेश में भी लड़कियों का अनुपात प्रतिशत गिरता जा रहा है और एक दिन ऐसा आएगा कि लड़की ढूंढने से नहीं मिलेंगी। आदरणीय सभापति महोदय, हमारी आदरणीय मुख्य मंत्री महोदया महिला हैं, मैंने यह सोचा था कि अब आने वाले दिनों में एक टास्क-फोर्स बन जाएगी और उसका काम केवल यही होगा कि वह इन प्राइवेट नर्सिंग होम्स में जाकर गुप्त तरीके से यह पता लगाएगी कि यह किस काम में लगे हुए हैं, अगर कोई डाक्टर या नर्सिंग होम इस काम में एंगेज पाया जाता है तो उसको तहस-नहस कर दिया जाएगा परन्तु इस बजट में तो ऐसी कोई बात नहीं है तो यह बजट कैसा है, यह स्त्री शक्ति कैसी है, यह स्त्री शिक्षा को क्या प्रदान करता है ? आदरणीय सभापति महोदय, केवल स्त्री शिक्षा को समर्पित बजट स्त्रियों को शक्ति देता है। सभापति महोदय, हमारी मुख्य मंत्री महोदय ने अपने बजट में यह भी कहा है, हां, तो मैं यह कहना चाहता हूं कि जैसा कि आपको पता है कि किसी परिवार में अगर 3-4 लड़कियां हो जाएं तो परिवार वाले बड़े दुःखी होते हैं और यह समझा जाता है कि यह लड़कियां इस परिवार के लिए एक बोझ हैं, मेरा यह सुझाव है, आदरणीय सभापति महोदय, कि इस बजट में कुछ ऐसा प्रोविजन होना चाहिए, कुछ राशि इस तरह से अलाट होनी चाहिए कि जिन परिवारों में 3 लड़कियां हैं और लड़का कोई नहीं है तो कम से कम यह सरकार उन परिवार वालों को कुछ रुपये माहवार अनुदान के रूप में दे, 400 रुपये हो सकते हैं, 600 रुपये हो सकते हैं, 800 रुपये हो सकते हैं, यदि ऐसा किया जाएगा तो लड़कियों के साथ में जो भेदभाव परिवार वाले बरतते हैं उनका अच्छा लालन-पालन नहीं करते हैं, उनकी अच्छी शिक्षा-दीक्षा नहीं करते हैं, उनको एक बोझ माना जाता है, वह भावना परिवार वालों की दूर होगी और लड़की को लक्ष्मी माना जाएगा और यह सोचा जाएगा कि इसके आने से हमें सरकार से अनुदान मिलने लगेगा तो मैं सभापति महोदय, यह निवेदन करूंगा कि सरकार को अपने बजट में इस आइटम का प्रोविजन करना चाहिए, कुछ पैसे इसके लिए भी अलाट करने चाहिए।

आदरणीय सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्री महोदया ने यह बताया है कि आने वाले दिनों में बीपीएल परिवारों का बीमा कराया जाएगा और बीमा की प्रिमियम राज्य सरकार द्वारा दी जाएगी, अच्छी योजना है, बताया गया कि बीमित परिवार वाले मुखिया की यदि कोई दुर्घटना में मौत हो जाती है या सामान्य मौत हो जाती है तो 20 हजार से लेकर 50 हजार रुपये गंभीर दुर्घटना पर और सामान्य दुर्घटना पर...

श्री सभापति: कृपया आपस में बात नाहीं करें।

श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल: सामान्य दुर्घटना पर उसे 25 हजार रुपये दिये जाएंगे, अच्छी योजना है, मैं इसकी प्रशंसा करता हूं परन्तु आदरणीय सभापति महोदय, मुझे तो इसकी क्रियान्विति पर संशय है, केवल इस योजना के लिए 22 करोड़ रुपये प्रिमियम हेतु सरकार ने अलाट किये हैं जबकि हमारे राजस्थान में तो हजारों, लाखों बी.पी.एल. परिवार वाले हैं, इस योजना की क्रियान्विति कैसे होती, कहीं इस योजना की क्रियान्विति उसी प्रकार तो नहीं होगी जैसे कि बजट घोषणा पत्र में हमारी आदरणीय मुख्य मंत्री महोदया ने, बी.जे.पी. वालों ने यह घोषणा की थी कि हाउस टैक्स समाप्त कर दिया जाएगा और हाउस टैक्स समाप्त नहीं किया और उसी प्रकार यह योजना भी अधूरी की अधूरी तो नहीं रह जाएगी, मुझे तो इसमें शंका है। आदरणीय सभापति महोदय, मैं तो आदरणीय मुख्य मंत्री महोदय से कहूंगा कि आप बी.पी.एल. परिवार वालों की सेवा करें, उनको खूब सुविधा दें पर पहले अपने जयपुर में जो यह सड़क पर भीख मांगने वाले मिलते हैं, हर चौराहे पर मिलते हैं, आपके रामबाग पैलेस चौराहे पर मिलते हैं, कलेक्ट्रेट चौराहे पर मिलते हैं, इतने छोटे-छोटे बच्चे हैं जिसमें सैकड़ों की तादाद में मिलते हैं, छोटे-छोटे बच्चे 5-5 साल के 10-10 साल के बच्चे भीख मांगते मिलते हैं जब कार रूकती है तो चारों तरफ से घेर लेते हैं ...(व्यवधान)

श्री सभापति: 4 बजे माननीय अकाल राहत मंत्री जी का वक्तव्य है।

श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल: तो इसके बाद में फिर बोलने दीजिएगा। आदरणीय सभापति महोदय, मैं मुख्य मंत्री महोदय से कहूंगा कि पहले इन भीख मांगने वाले बच्चों, इन महिलाओं को इन लड़कों को आप कुछ आर्थिक सहायता दे दें, इनका तो उद्धार कर दें फिर बी.पी.एल. परिवार वालों का और उद्धार कर देना। आदरणीय सभापति महोदय, इस शहर को हैरिटेज सिटी बनाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि इसको विश्व में...

श्री नन्दलाल बंशीवाल (दौसा): दुर्गाप्रसादजी, आजकल गाड़ी में चलना बन्द कर दिया क्या आपने ? ...(व्यवधान) चौराहों पर भिखारी हैं ही नहीं।

श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल (गंगापुर): गाड़ी मेरे पास भी है, आपके पास भी है और मैं तो भुगतभोगी हूं, हमेशा डर लगा रहता है कि कहीं कोई बच्चा गाड़ी के नीचे नहीं आ जाए, अपंग नहीं हो जाए।

श्री नन्दलाल बंशीवाल (दौसा): आपने तो गंगापुर में ही भीख नहीं दी।

श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल (गंगापुर): उसके हाथ पैर नहीं टूट जाएं, हमेशा यही डर बना रहता है।

श्री नन्दलाल बंशीवाल (दौसा): गंगापुर में ही भीख नहीं दी आपने तो।

श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल (गंगापुर): इन सड़कों पर तो हमारे माननीय मंत्री भी निकलते होंगे, मुख्य मंत्री भी निकलती होंगी, कभी इनका उन बच्चों की तरफ ध्यान ही नहीं गया ? कभी इन्होंने सोचा नहीं कि इन बी.पी.एल. परिवारों की बात करते हैं ये तो बी.पी.एल. परिवार से भी छोटे हैं।

श्री सभापति: आप आसन की तरफ सम्बोधित करें।

श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल (गंगापुर): तो आदरणीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगा पहले इन गरीब बच्चों को जो कि भीख मांगते हैं उनकी दशा सुधारने के लिए राज्य सरकार कुछ कर ले और फिर उसके बाद बी.पी.एल. परिवार वालों की बात कर लें

श्री सभापति: धन्यवाद।

श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल: आदरणीय सभापति महोदय, मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि मैं बहुत कम बोलता हूं, मैं बीच-बीच में व्यवधान नहीं डालता हूं, मुझे पांच मिनट और दीजिये।

आदरणीय सभापति महोदय, हमारी मुख्य मंत्री महोदया ने इस बजट में कोई विशेष टैक्स नहीं लगाया। मेरा कहना है कि एक प्रतिशत टैक्स लगाने या एक प्रतिशत टैक्स माफ करने से कुछ नहीं बनता है। एक टैक्सपेयर जो कि टैक्स देना चाहता है वह यह चाहता है कि टैक्स उससे जो वसूल किया जावे उसे गला घोटकर नहीं वसूल किया जावे, उसे सुविधाएं देकर के वसूल किया जावे। आदरणीय सभापति महोदय, टैक्स लेने की प्रक्रिया होनी चाहिए। अभी मैं आपको उदाहरण दूं कि हमारे यहां जो विधायकों को वेतन दिया जाता है उसमें जो हमें सुविधाएं दी जाती हैं बिजली के लिए, पानी के लिए, टेलीफोन के लिए, पत्र-व्यवहार के लिए, ये सब रुपया टैक्सेबल है।

डा. सी. पी. जोशी: माफ कर दिया है।

श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल: अभी आया होगा, परंतु अब तक तो दिया जा रहा था।

मोहम्मद माहिर आजाद: आप तो पी. चिदम्बरम और मनमोहन सिंह का धन्यवाद दो।

श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवालः चलिये धन्यवाद देता हूं, परन्तु सबसे बड़ी बात यह है कि टैक्स इस प्रकार का होना चाहिए कि जो वाजिब हो और यह लगे कि वास्तव में इस पर मुझे टैक्स देना है। इससे टैक्सपेयर जरूर देगा और वो बढ़कर के देगा क्योंकि हरेक व्यक्ति यह चाहता है कि टैक्स देकर के आराम से जीवन जीये, टेंशन में नहीं रहे।

श्री सभापतिः माननीय सदस्य, आपस में बात नहीं करें।

मोहम्मद माहिर आजादः माननीय सभापति महोदय, वो देखो न, मंत्रियों को देखो जरा। मंत्रियों को देखो। एक अल्पसंख्यक मंत्री है उसे दबा रखा है दो-दो ने।

श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवालः सभापति महोदय, मैं तो कुल मिलाकर के यह निवेदन करूंगा कि यह बजट नीरस है, अप्रभावी है, प्रभावहीन है, इससे आम जनता को कोई लाभ नहीं मिलने वाला। हमारी मुख्य मंत्री महोदया ने वाहवाही लूटने के लिए यह बजट पेश किया है। इस बजट से मैं नाइत्तिफाकी करता हूं।

श्री सभापतिः माननीय श्री जोगाराम पटेल।

श्री नन्दलाल बंशीवालः माननीय दुर्गाप्रसादजी, आपकी अवैध खानें चल रही हैं फोरेस्ट में, ज्यादा सरकार के खिलाफ मत बोलो। सिलिका सैंड की अवैध खानें चल रही हैं आपकी वन विभाग में।

मोहम्मद माहिर आजादः आपकी भी तो चल रही है।

श्री नन्दलाल बंशीवाल: सरकार के खिलाफ ज्यादा मत बोलो नहीं तो टैक्स इम्पोज हो जाएगा आपके ऊपर।

मोहम्मद माहिर आजादः जैसे पिछली बार आपकी खान ली थी।

श्री सभापतिः माननीय सदस्य।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान की लोकप्रिय मुख्य मंत्रीजी ने वर्ष 2005-06 के संशोधित अनुमान, वर्ष 2006-07 के बजट अनुमान जो प्रस्तुत किये....

श्री सभापतिः आप सात मिनट में कनक्लूड करें।

श्री जोगाराम पटेलः माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देने और कुछ बिन्दुओं पर मैं कुछ बात कहने के लिए आपके समक्ष खड़ा हुआ हूं।

मैं इस गरिमामय सदन में दूसरी बार बजट भाषण पर अपना निवेदन कर रहा हूं और पिछले दो दिन से बराबर लगातार माननीय पक्ष और प्रतिपक्ष

(श्री जोगाराम पटेल)

के मेरे सभी वरिष्ठ माननीय सदस्यों की बात सुन रहा था। किसी भी देश का विकास, किसी भी प्रदेश का विकास आलोचना या प्रत्यालोचना से नहीं होता है, सार्थक सुझाव, सार्थक बहस और सार्थक बजट से होता है। इस बजट में कुछ ऐसी बातें हैं, अगर समग्र रूप से इस बजट को देखा जाए, वास्तविक परिप्रेक्ष्य में इस बजट को देखा जाए, सिर्फ नुक्ताचीनी नहीं की जाए, सिर्फ ऐसे बिन्दु नहीं ढूंढे जाए जिन पर कुछ न कुछ कि एक प्रतिशत बढ़ गया, एक प्रतिशत घट गया और अगर इस परिप्रेक्ष्य में इस बजट को देखा जाए तो पता लगेगा कि राजस्थान के समग्र विकास, राजस्थान के प्रत्येक क्षेत्र के विकास, राजस्थान के हर तबके के विकास के लिए बजट है।

किसी भी मनुष्य के विकास के लिए तीन आयाम बहुत आवश्यक हैं। पहला आयाम है दीर्घायु, यानी हर व्यक्ति स्वस्थ होना जरूरी है, हर प्रदेश स्वस्थ होना जरूरी है।

(समय : 15.58 बजे)

(श्रीमती सुमित्रा सिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

दूसरा, शिक्षा, ज्ञानार्जन, नॉलेज और तीसरा है आय। बेहतर आय, बेहतर जीवन, सुखी जीवन और इन तीन आयामों के आधार पर कोई भी बजट आधारित होता है।

राजस्थान विभिन्न भाषाओं का, विभिन्न क्षेत्रों का, विभिन्न भौगोलिक परिस्थितियों का प्रदेश है। इस प्रदेश में अगर आप संख्या की दृष्टि से, भू-भाग की दृष्टि से देखेंगे तो 3 लाख 42 हजार वर्ग किलोमीटर के इस प्रदेश में जिसमें से करीब 12 जिले मरूस्थल या हाफ मरूस्थल हैं और इसी तरह 5.85 भाग जनजाति क्षेत्र है और 12.6 प्रतिशत जनसंख्या इन क्षेत्रों में रहती है। इन 7 संभाग, 32 जिलों, 188 उपखण्ड, 237 पंचायत समितियों, 241 तहसीलों, 9189 ग्राम पंचायतों और 41353 गांव वाले इस राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में इस बजट को एग्जामिन किया जाएगा, इस दृष्टि से देखा जाए भाषा, वेशभूषा के अनुसार तो राजस्थान का घरेलू उत्पादन है, शुद्ध घरेलू उत्पादन है वह बराबर बढ़ रहा है और 5.75 की वृद्धि पिछले वर्षों में हुई है। प्रति व्यक्ति आय में 3.78 की वृद्धि हुई है।

राजस्थान के लिए एक अभिशाप था एक जमाने में और वो अभिशाप था कि राजस्थान अनपढ़ है, हर व्यक्ति यहां अनपढ़ है। साक्षरता का प्रतिशत

(श्री जोगाराम पटेल)

बहुत ही कम था। परन्तु पिछले 1991 से आज तक करीब 21 प्रतिशत साक्षरता का प्रतिशत बढ़ा है और यह राजस्थान के लिए गर्व का विषय है पर हम राजस्थानवासी अपने गर्व की बात कभी नहीं करेंगे, हम वो बात कहेंगे जिससे राजस्थान को शर्मसार होना पड़े। हम ऐसी बात इस पवित्र सदन में कहेंगे जिससे हमको यह लगे कि हमारी प्रगति हो रही है फिर भी हम अपने आपको उस स्थान पर बिठाने की कोशिश नहीं करेंगे। पुरुष साक्षरता 75 प्रतिशत हो गई है और महिला साक्षरता 43 प्रतिशत हो गई है। यह अपने आपमें परिपूर्ण नहीं है फिर भी अभी आवश्यकता है और साक्षरता की इस दृष्टि से विचार करने की आवश्यकता है। 16311 राजीव गांधी स्कूलें जो अभी प्राइमरी में होने वाली हैं, इस बजट में घोषणा हुई है। 31298 प्राइमरी स्कूलों, 16650 मिडल स्कूलों, 7068 सैकण्डरी स्कूलों और 3668 हायर सैकण्डरी स्कूलों वाला यह प्रदेश शिक्षा के विकास की दृष्टि से और यह साक्षरता का जो अभिशाप था यह धीरे-धीरे समाप्त होने की स्थिति में आ रहा है, इस बारे में विचार करने की आवश्यकता है।

दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा ड्रिंकिंग वाटर और पेयजल का है। इस विषय से 2005 के अंत तक 222 कस्बों में 37846 गांवों में और 53614 ढ़ाणियों में पेयजल की व्यवस्था की गई है, फिर भी अभी बाकी है। जिन ढ़ाणियों में, गांवों में, कस्बों में या जो हेबिटेशंस हैं उनमें पेयजल की व्यवस्था करनी है, इस बारे में विचार करने की आवश्यकता है।

सार्वजनिक वितरण व्यवस्था जो अभी तक इस देश के लिए, इस प्रदेश के लिए महत्ती आवश्यकता है उसकी भी उचित व्यवस्था करनी है। जिनके बारे में मैं 2-3 बिन्दु के सम्बन्ध में आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। सबसे पहले मैं जिस क्षेत्र से आता हूं उसके बारे में निवेदन करूंगा। किसी भी प्रदेश की शांति व्यवस्था न्याय व्यवस्था पर निर्भर करती है कि उस प्रदेश की न्याय व्यवस्था कैसी है। आपको, मेरे सभी वरिष्ठ माननीय सदस्यों को जानकारी होगी, अभी 2-3 महीने पहले सर्वे आया था और उसमें सबसे सर्वश्रेष्ठ निष्पक्ष ईमानदारी की न्याय व्यवस्था का खिताब राजस्थान को मिला था। हमें इस बात के लिए गर्व होना चाहिए कि राजस्थान की न्याय व्यवस्था एक सर्वोच्च, निष्पक्ष, ईमानदार न्याय व्यवस्था है। अभी तक इस न्याय व्यवस्था के लिए किन-किन सरकारों ने कितना-कितना खर्चा किया, न्याय व्यवस्था ठीक ढंग से चले इसके लिए कितना साधन हो यह विचार करने की

(श्री जोगाराम पटेल)

आवश्यकता है। सन् 1999 से 2004 तक कुल 791.12 लाख रुपये का व्यय पिछली माननीय सरकार ने किया, मौजूदा सरकार ने अपने दो साल के कार्यकाल में 3439 लाख रुपये का खर्चा किया। आप अनुमान लगा लें कि एक सरकार पांच साल में करीब 7 करोड़ का खर्चा कर रही है और एक सरकार दो साल की अवधि के बीच में तीन हजार से ऊपर करीब 3500 करोड़ का खर्चा कर रही है न्याय व्यवस्था सुलभ करवाने के लिए, न्याय व्यवस्था के साधन सुलभ करवाने के लिए। तो यह सरकार का परिदृश्य जो है, इस सरकार की जो विचारधारा है, यह सरकार का जो थिंकिंग है, यह सरकार की जनता को जो न्याय दिलाने के जो साधन उपलब्ध करवाने हैं उसके बारे में विचार करने की आवश्यकता है। फिर अपने आपको तौलने की आवश्यकता है। नुक्ताचीनी करने से पहले अपने आपको तौलने की आवश्यकता है कि हम कहां पर हैं और जिसको मैं गाली दे रहा हूं वह कहां पर है। इतना ही नहीं, इस बजट में राजस्थान की मुख्य मंत्री ने जोधपुर और जयपुर, मुख्य पीठ जोधपुर और जयपुर की पीठ के लिए जो बजट प्रावधान किया...

करीब 27 करोड़ का और राजस्थान हाई कोर्ट के लिए श्रीमान्, आप सबको याद होगा, राजस्थान की मुख्य पीठ का जो भवन है, वह सन् 1935 में तत्कालीन जो गवर्नर इंग्लैण्ड के जो बादशाह थे उनकी यादगार में बनाया गया था और उसके बाद में 18 फरवरी 1935 को उदघाटन हुआ था। 1935 से लगाकर आज दिन तक कितने वर्ष बीत गये, कितनी जनसंख्या बढ़ गई, कितने लिटिगेशन बढ़ गये, कितने माननीय जजेज की संख्या बढ़ गई और उन सबके बावजूद भी आज दिन तक पूर्ववर्ती सरकारों ने इस बारे में कोई विचार नहीं किया। यह मौजूदा माननीय मुख्य मंत्री आदरणीय वसुन्धराजी हैं जिन्होंने इस बारे में विचार किया है और राजस्थान की मुख्य पीठ का एक आलीशान भवन उस समय के जो वास्तुशास्त्री थे, उस वास्तुशास्त्री वाल्टर जार्ज के कम्पीटिशन का कोई वास्तुशास्त्री ढूंढकर और उस कम्पीटिशन में से आर्किटेक्ट का जो नक्शा पास होगा, उसके अनुसार भवन बनाने और यह विचार करने की बात है, यह विचार करने का तथ्य है और अपने आपको तौलने का तथ्य है कि 1935 के बाद जब भी राजस्थान का फोर्मेशन हुआ, जो राजस्थान की न्यायिक राजधानी जोधपुर है, उसमें आज दिन तक भी उसकी व्यवस्था किस तरह से की जाये, किसी विचार नहीं किया। यह पहली बार विचार किया गया है। इसी तरह से जयपुर में अभी जो माननीय राजस्थान

उच्च न्यायालय का भवन है, उसमें जो अव्यवस्थाएं हैं, उसके बारे में विचार किया गया है। मैं इस मौके पर निवेदन करना चाहूंगा मेरे प्रतिपक्षी विचारधारा वाले साथियों से कि जोधपुर में राजस्थान पत्रिका के मार्फत यह वक्तव्य दिया कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने मुख्य पीठ को जोधपुर पीठ कैसे बजट भाषण में बता दिया। मैं उन सबको यह निवेदन करना चाहता हूं कि शब्द या कोई टैक्नीकल मिस्टेक या कोई टाइपिंग मिस्टेक से यह नहीं माना जा सकता कि माननीय मुख्य मंत्रीजी की मंशा जोधपुर की मुख्य पीठ है, राजस्थान की न्यायिक राजधानी है, उसको कोई पीठ बताने का मानस था परन्तु मात्र आलोचना करने की दृष्टि से, मात्र किसी तरह से नुक्ताचीनी करने की दृष्टि से मेरे प्रतिपक्ष की विचारधारा वाले साथियों ने...

श्री सी. डी. देवल: माननीय अध्यक्ष महोदय, चार बज रहे हैं और आपने कहा था चार बजे अकाल राहत मंत्रीजी का वक्तव्य दिलाने के लिए।

श्री अध्यक्ष: जी मुझे ध्यान है लेकिन आप व्यवधान नहीं डाले। शांति से बैठे रहिये।

श्री सी. डी .देवल: चार बज गये हैं, आप इधर ही देख रही हैं इसलिए हमारा भी फर्ज है आपको बता दें।

श्री जोगाराम पटेल: मैं आसन से सुरक्षा चाहूंगा। मैं जो निवेदन कर रहा था, वह यह है, मैं प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों से, प्रतिपक्ष की विचारधारा रखने वाले साथियों से निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान के फोर्मेशन के साथ राजस्थान की न्यायिक राजधानी जोधपुर है, थी और रहेगी इसलिए इस भाव से जो आलोचना की गई है, इस आधार पर जो आलोचना की गई है, बजट के पैरा नम्बर 142 में जो गलती से या टाइपिंग मिस्टेक से जोधपुर पीठ जो शब्द आ गया है, उसको आधार बनाकर आलोचना की गई है, वह आलोचना गलत है। (समय समाप्ति सूचक घंटी) अभी तो मैं शुरू हुआ हूं माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: आप बीच में क्यों व्यवधान डाल रहे हैं। माननीय सदस्य, लूणी से आने वाले माननीय सदस्य, आपको 10 मिनट हो गये हैं। आप दो मिनट में अपनी बात समाप्त कर दें।

श्री जोगाराम पटेल: दो मिनट में कैसे होगा, अभी तो शुरू भी नहीं हुआ है।

श्री अध्यक्ष: नहीं, ऐसा है कि चार बजे मंत्रीजी का वक्तव्य है।

श्री जोगाराम पटेल: मुझे आप 10 मिनट का टाइम और दे दें बस। हमारा समय है, हमारे समय में से काट दें।

श्री अध्यक्ष: How can it is possible आपका समय होगा लेकिन आप ही की पार्टी के मुख्य सचेतक महोदय ने कहा कि किसी भी माननीय सदस्य को 10 मिनट से अधिक समय नहीं दिया जायेगा।

श्री जोगाराम पटेल: सभी माननीय सदस्य 15-20 मिनट, आधा घंटा बोले हैं अभी तक। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: नहीं, आप अच्छा बोलते हैं।

श्री जोगाराम पटेल: मैं खराब बोलता हूं तो खराब भी तो सुन लो।

श्री अध्यक्ष: आप तो उनको तौलने की बजाय खुद बोल लो।

श्री जोगाराम पटेल: आप अपने आपको तौल लो कि आप कहां पर हो। मैं तो कह रहा हूं कि वह अपने आपको तौल लें, मैं उनको तौल ही नहीं सकता। मैं योग्य आदमी को तौलता हूं, मैं अयोग्य आदमी को नहीं तौलता कभी भी। तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि माननीय मुख्य मंत्री ने राजस्थान की न्यायिक राजधानी के लिए जो व्यवस्था की, उसके लिए मैं अपनी ओर से और मेरे पूरे वकील समुदाय की ओर से बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं।

साथ ही साथ एक मुख्य मुद्दा जो रखा, सबसे अहम मुद्दा है, शायद भारत में हो चाहे राजस्थान में हो, वह बेरोजगारी है। बेरोजगारी के आंकड़े कई माननीय सदस्यों ने आपके सामने रखे लेकिन बेरोजगारी की तरफ पहली बार ध्यान दिया गया। मैंने पहला बजट नहीं देखा पर दूसरे और तीसरे बजट का मैं साक्षी हूं और इस बारे में पहली बार चाहे शिक्षा विभाग से संबंधित हो चाहे और किसी विभाग से संबंधित हो, परन्तु इस बजट में भी 100 डाक्टर्स की भर्ती, 200 ए.एन.एम. की भर्ती, 700 नर्सों की भर्ती, इसके अलावा करीब 31,000 अध्यापकों की भर्ती, 11,000 सहयोगिनियों की भर्ती और फोरेस्ट विभाग के तहत पहली बार करीब सवा लाख श्रम मानव दिवसों का सृजन किया गया और उन बेरोजगारों को रोजगार देने की व्यवस्था की गई। इण्डस्ट्री में करीब एक लाख लोगों को रोजगार देने की व्यवस्था की जा रही है। ग्रामीण रोजगार योजना के तहत नये प्रशिक्षण केन्द्र खोले जा रहे हैं और पहली बार कैम्पस में सलेक्शन कर उन बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने का मानस

(श्री जोगाराम पटेल)

बनाया गया है। यह राजस्थान सरकार का मानस है, वह इस बजट के माध्यम से श्रीमान् के सामने है।

इतना ही नहीं, मातृशक्ति के संबंध में निवेदन करना चाहता हूं, मैंने पिछली बार महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के समय में बताया था पर उससे भी अधिक इस बार बजट में मातृशक्ति के संबंध में हमारी जो सीमा है चाहे पाकिस्तान से लगती हो चाहे और किसी देश से लगती हो, वह सीमा की रक्षा करने वाले सैनिक हैं, उनके परिवार को चाहे गेलेंट्री अवार्ड के संबंध में हो चाहे विधवा पेंशन के संबंध में हो चाहे वह बच्चियों के एडमिशन के संबंध में हो या उन बच्चियों के मेडिकल में एडमिशन के संबंध में हो चाहे उन्हें मिलने वाली छात्रवृत्ति के संबंध में हो, उनके सम्बन्ध में प्रावधान किया गया है, मैं आपके सामने वह सारे प्रावधान तो नहीं पढ़ूंगा लेकिन इतना जरूर निवेदन करूंगा कि पहले उनको जो पराक्रम का सम्मान मिलता था, किसी भी सरकार ने आज दिन तक उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। यह हमारी गलतियां निकालते हैं कि यह आपने एक प्रतिशत कम कर दिया, यह आपने दो प्रतिशत कम कर दिया परन्तु अभी तक इस बारे में नहीं बोले कि जो देश की सेवा कर रहे हैं, हम यहां बैठे-बैठे आराम से निवेदन कर रहे हैं लेकिन जो बोर्डर पर बैठे-बैठे अपने प्राण त्याग कर रहे हैं, उसके सम्बन्ध में जो सीधे 2,20,000 से 2,15,000 से 1,50,000 से जो पराक्रम का सम्मान किया है, जो उनकी सेवाओं का, उनकी योग्यता का जो सम्मान किया गया है, इसके लिए माननीय मुख्य मंत्रीजी बहुत-बहुत बधाई की पात्र हैं। इस सम्बन्ध में पुलिस का जो गेलेंट्री अवार्ड है, उसके संबंध में भी कारगिल युद्ध के जो भूतपूर्व सैनिक हैं, उनकी विधवाओं के पेंशन का मामला हो, उनके बच्चों के नि:शुल्क एडमिशन का मामला हो, उनकी सालाना मिलने वाली छात्रवृत्ति का मामला हो, डिफेंस कोटे से जो उनके एडमिशन का मामला हो, इस सरकार के समय में पहली बार इस बजट में ध्यान दिया गया है और इस बजट में उनको याद किया गया है।

इतना ही नहीं, मैं आपसे भी निवेदन करूंगा, बार-बार यह कहा जाता है और मैं प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों से जो मेरे से सब वरिष्ठ सदस्य हैं...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, 11 सदस्य और बोलने वाले हैं आज।

श्री जोगाराम पटेल: मैं दो मिनट में खतम कर रहा हूं दो मिनट में। मैं उनसे भी यह निवेदन करना चाहूंगा कि जितनी भी केन्द्रीय योजनाएं हैं,

(श्री जोगाराम पटेल)

उन योजनाओं से, मेरे पास पूरी योजनाओं की लिस्ट है, उनकी तारीख है, यह जरूर यह बता दें कि जब प्रतिपक्ष विचारधारा वाली सरकार केन्द्र में थी तब कितनी योजनाएं प्रारम्भ की और माननीय प्रधान मंत्रीजी अटल बिहारी वाजपेयी जब थे उनके कार्यकाल में कितनी योजनाएं प्रारम्भ कीं। तब आप अपने आपको तौलकर यहां पवित्र सदन में बता दें। आप बार-बार दावत दे रहे हैं कि यह तो केन्द्र की योजना है पर यह योजना को किसने प्रारम्भ की? यह विचारधारा किसने लाई? इस देश के विकास का मन का मानस किसने बनाया? तब आपको पता लगेगा कि योजनाएं किसकी हैं? मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इन सारी योजनाओं में भी राजस्थान का भाग है, राजस्थान का अपना एक हिस्सा है और हिस्सा अगर दिया जाता है तो पता लगेगा कि वह दे दिया। आप बैठिये, मैं आपके बीच में बोलना नहीं चाहता।

श्री हरिमोहन शर्मा: केन्द्र प्रवर्तित योजना कितनी चल रही हैं, जरा बता दें।

श्री जोगाराम पटेल: 18 हैं, 18 की लिस्ट है मेरे पास, 18 की तारीख है, 18 की अमाउंट है और 18 का हिसाब है। बोलिये आप कहें तो बताऊं। (व्यवधान) आप इजाजत दिला दीजिये। आप आसन से इजाजत दिलाइये, अभी बताता हूं, नहीं तो आप बता देना।

मोहम्मद माहिर आजाद: आप जरा फील गुड का भी बता दें वाजपेयीजी के, फील गुड का क्या हुआ, यह भी बता दें।

श्री जोगाराम पटेल: यह सब हो जायेगा। वाजपेयीजी ने वह रोड बनाई, आप निकलते हो आराम से और गाड़ी में पीछे सोते रहते हो और पहले जब चलते थे तो बाहर गिरने का डर रहता था। वह है अटल बिहारी वाजपेयीजी, जिनका फोटो आपने आते ही हटा दिया। अगर हिम्मत होती तो आप फोटो रखते। मैं निवेदन कर रहा था कि इन योजनाओं में...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: आज तो पेट का पानी भी नहीं हिलता है।

श्री जोगाराम पटेल: मैं चुना गया। आपके जो साथी थे, जिन्होंने अन्याय किया, एक योजना भी नहीं बनाई, पानी नहीं पिलाया, सड़क नहीं बनाई, उसका जवाब जनता ने आपको दे दिया और याद रखो, जनता आपको अन्दर घुसने नहीं देगी वहां पर, यह याद रखो। मैं इतना ही निवेदन कर रहा था।

श्री श्रवण कुमार: अटलजी को हमने नहीं हटाया। अटलजी को और आडवाणीजी को आपकी पार्टी ने रिजेक्ट कर दिया, हमने नहीं किया। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें। बीच में व्यवधान नहीं डालें। (व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल: हमारे आडवाणीजी और अटलजी हमारे दिल में थे, हैं और रहेंगे। आपका भरोसा नहीं है। (व्यवधान) आपकी तरह छोड़ेंगे नहीं। भारत में एक भी नागरिक पैदा नहीं हुआ जो आपकी पार्टी का अध्यक्ष बन सके, एक भी नागरिक पैदा नहीं हुआ और आप अपने आपको देखो, अपने गिरहबान में झांककर देखो.....

श्री मदन दिलावर: आप क्या रो रहे थे विधान सभा में खड़े होकर के। आप तो रो रहे थे विधान सभा में खड़े होकर के अशोकजी गहलोत के राज में।

श्री श्रवण कुमार: कौन? कौन?

श्री मदन दिलावर: हेमारामजी रो रहे थे। यह खड़े होकर के विधान सभा में रोये।

श्री अमराराम (धोद): और आप कपड़े फाड़ रहे थे।

श्री हरिमोहन शर्मा: नहीं-नहीं, जब आप कपड़े फाड़ रहे थे। जब आप कपड़े फाड़ रहे थे अपने तब यह रो रहे थे क्या।

श्री हेमाराम चौधरी: अब आप रो रहे हैं ना। (व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल: मैं एक निवेदन करना चाहूंगा। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर: उस अन्याय को देखकर के मैं कपड़े फाड़ रहा था।

श्री श्रवण कुमार: लालकृष्ण आडवाणी को अब हटा दिया, अटल बिहारी वाजपेयी को रिजेक्ट कर दिया, वह कहते थे हाथ करके, तूल देकर जाना, तूल दे देकर जाना, तूल देकर जाने की बात कहते थे।

श्री अध्यक्ष: आप बीच-बीच में बोलते रहते हैं, कुछ समझ तो आता नहीं है। (व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल: मैं एक निवेदन करना चाहूंगा, अभी मेरे वरिष्ठ साथी, प्रतिपक्ष के साथी बता रहे हैं कि आडवाणी को यह कर दिया, अटलजी को यह कर दिया। जोधपुर में अभी इनकी जो वो सम्पर्क यात्रा, कौन सी यात्रा चल रही थी (व्यवधान), जन सम्पर्क यात्रा चल रही थी, जोधपुर में समापन

(श्री जोगाराम पटेल)

हुआ था और जोधपुर में सोजती गेट के ऊपर यहां बिराजे सभी सदस्य आपस में लड़ रहे थे, राजस्थान पत्रिका ने इतना बड़ा-बड़ा लिखा कि यह जन सम्पर्क यात्रा कर रहे हैं या युध्द मैदान में तैयारी कर रहे हैं। यह है इनका कर्तव्य और राजस्थान में अभी पन्द्रह-बीस दिन पहले जोधपुर के अंदर माननीय प्रतिपक्ष के नेता, माननीय पूर्व मुख्य मंत्री, और भी कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे और मंच पर भी शुरू हो गये, कोई वो बोले, गाली उसको दे, कोई गाली उसको दे और आखिर लोगों ने बैठाया कि बैठ जाओ, फिर बाद में करना। इसलिए मैं निवेदन यह कर रहा था..(व्यवधान) आडवाणी है, आडवाणी का नाम नहीं लें, बिराजें। (व्यवधान) और सुनाऊं, बिराजें। और सुनाऊ? बिराजें। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार: सामाजिक न्याय मंच का आदमी हूं। सामाजिक न्याय मंच का ही हूं न।

श्री जोगाराम पटेल: और जब वहां नहीं हुआ तो वहां से वाक आउट हो गये, पूर्व मुख्य मंत्री...

श्री महीपाल यादव: यह माननीय सदस्य तो मंत्रियों से लड़ रहे थे, यह अखबारों में आया है, सारे माननीय सदस्य और मंत्री झगड़ा कर रहे थे, उसका क्या हुआ, यह तो अभी की बात है।

श्री जोगाराम पटेल: कौन से अख़बार में आया? नहीं तो मैं बताता हूं अख़बार का नाम, राजस्थान पत्रिका में ।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, अब आप कृपया समाप्त कर दें।

श्री जोगाराम पटेल: एक मिनट। इन्होंने मेरे पांच मिनट का व्यवधान कर दिया।

श्री अध्यक्ष: पांच मिनट इन्होंने खराब किये तो आपको मैं याद दिला रही हूं कि मंत्रीजी को वक्तव्य देना है।

श्री जोगाराम पटेल: एक मिनट लूंगा आपसे, एक मिनट, आपसे इजाजत लेकर एक मिनट।

श्री अध्यक्ष: समय निश्चित होता है। आसन जब समय निश्चित करता है तो उसकी पालना करनी पड़ती है।

श्री जोगाराम पटेल: बिलकुल सही है और मैं तो सबसे पहला पालन करने वाला हूं, एक मिनट, आखिर में...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अब आपको क्या तकलीफ हुई, हर तीन मिनट में खड़े हो जाते हैं आप।

श्री श्रवण कुमार: इसलिए कि हम होते ना, तो हमारा कहते लिखना बंद कर दो। दर्ज नहीं हो रहा। हमारा यह होता, दर्ज ही नहीं हो रहा है। अगर उसकी जगह हम होते ना..(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: बीच में कोई बैठा है क्या। कोई तो लिमिट होती है, खड़े हो जाते हैं..

श्री सी. डी. देवल: माननीय अध्यक्ष महोदय, आसन के निर्णय की उपेक्षा हो रही है इसलिए हम कह रहे हैं, आसन के निर्णय की पालना होनी चाहिए।

श्री श्रवण कुमार: माननीय अध्यक्ष महोदय, इनकी जगह हम होते ना तो कहते दर्ज नहीं हो रहा है, हमारा यह होता।

श्री अध्यक्ष: दोनों के नम्बर कट रहे हैं। बोलिये, बोलिये आप। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार: यही तो रोना है।

श्री जोगाराम पटेल: मैं इतना निवेदन अवश्य करूंगा, महिला सशक्तिकरण, पानी की योजनाओं पर...

श्री अध्यक्ष: अब आप एक मिनट में समाप्त कर दें।

श्री जोगाराम पटेल: एक मिनट में। इसीलिए जनरल ले लिया मैंने। इर्रिगेशन की योजनाओं पर और अंत में सड़क की योजनाओं पर जैसे पैसा लगा, मैंने कहा अभी दो दिन पहले हमारे जोधपुर में, जोधपुर जिले में जितने पीएमजी के रोड बने, उन रोड्स का उद्घाटन किया तब आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि हिन्दुस्तान के आजाद होने के बाद, राजस्थान बनने के बाद जितना रोड का खर्चा नहीं हुआ, उतना हमारे दो साल के अंदर हुआ, सारे फीगर्स वहां पर हैं।

श्री अध्यक्ष: बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया।

श्री जोगाराम पटेल: सारे के सारे बोर्ड लगाये, एक भी आज दिन तक, प्रतिपक्ष के साथियों का एक भी निशान भी वहां नहीं है, यह है हमारा विकास। (व्यवधान) इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं...

श्री अध्यक्ष: बस, बस, समाप्त करें।

श्री जोगाराम पटेल: कि यह जो बजट है, यह ऐतिहासिक है, राजस्थान की आम जनता के विकास के लिए है, जनता का इससे बहुत बड़ा भला होने वाला है। सारी जनता, छत्तीस तरह की जनता, पूरा राजस्थान बहुत-

(श्री जोगाराम पटेल)

बहुत धन्यवाद दे रहा है। मेरे प्रतिपक्ष के साथियों को बहुत तकलीफ हो रही है क्योंकि इनका धीरे-धीरे, धीरे-धीरे मामला समाप्त होने वाला है।

श्री अध्यक्षः बहुत धन्यवाद।

श्री जोगाराम पटेलः मैं इस बजट का पुरजोर समर्थन करता हूं। धन्यवाद, जय हिन्द।

शासकीय वक्तव्य

राज्य में अकाल की स्थिति बाबत

श्री अध्यक्षः धन्यवाद। माननीय मंत्रीजी।

श्री बाबूलाल नागरः अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी वक्तव्य दे रहे हैं, मैं दो छोटी सी बात मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं, वह वक्तव्य में बोल दें, अगर आप परमिशन दें तो।

श्री अध्यक्षः नहीं, बिलकुल नहीं। कतई नहीं। दें मंत्रीजी वक्तव्य।

डा. किरोड़ी लाल मीणा (अकाल सहायता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, सुबह प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों ने अकाल पर चर्चा देने की बात कही, आपका आदेश हुआ, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इनसे एश्योर दिलायें कि बीच में टोकाटाकी कम हो। मैं सारे वह प्रमाण दूंगा जो भारत सरकार ने हमको कितनी मदद दी और इनके समय में भारत सरकार ने इनको कितनी मदद दी। (व्यवधान) मेरे को पता है...

श्री अमराराम (धोद): इश्यू, अध्यक्ष महोदय, यह था कि जहां अकाल है और गिरदावरी में सुकाल दिखा दिया, वहां अकाल राहत...(व्यवधान) बीजाई पुनः हो, अकालग्रस्त घोषित हो गये उन स्थान को अब...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजादः हम तो पुनः गिरदावरी चाहते हैं, जो गलत गिरदावरी हुई है, सरकार के निर्देश पर हुई है, कम रिपोर्ट भेजी गई है खराबे की, हम तो पुनः गिरदावरी चाहते हैं, उसकी घोषणा करनी हो तो करो, नहीं तो वक्तव्य नहीं देने देंगे। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद): उनका अकाल घोषित नहीं किया, कर दिया उनमें काम नहीं हो रहा है, इसके बारे में बतायें। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमारः भारत सरकार ने आपको क्या, हमको क्या दिया, हम चाहते हैं कि माननीय मंत्रीजी अपने भाषण में बतायें कि झुंझुनूं जिले की...

श्री बाबूलाल नागर: मैं दो प्रश्न मंत्रीजी की नालेज में डालना चाहता हूं।

श्री श्रवण कुमार: गिरदावरी पुनः करवा रहे हैं क्या, हमें यह बताइये, बस।

श्री अध्यक्ष: आप उन्हें सुनें तो सही पहले। पिलानी से आने वाले माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें। मैं आप सभी से निवेदन कर रही हूं कि जो कुछ आपने यहां पर अपना स्थगन प्रस्ताव दिया था, उसका वह जवाब दे रहे हैं, पहले सुन लें आप उन्हें, आप तो एक वह सेंटेंस बोलते हैं उससे पहले खड़े हो जाते हैं और माननीय मंत्रीजी, रात को जो बारिश हुई है और उसकी वजह से जो नुकसान हुआ है, ईसबगोल में भी, कृपया उस पर भी अपनी आप राय प्रकट कर देना। अब आप कतई नहीं बोलेंगे बीच में।

डा. किरोड़ी लाल मीणा : मैं आपके आदेश से सब कुछ बोलने वाला हूं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप भारत सरकार को छोडिये, आप क्या कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, क्या करने जा रहे हैं, इस बारे में बता दीजिये, बस।

डा. किरोड़ी लाल मीणा: मैं आपके आदेश से सब कुछ बोलूंगा।

श्री अध्यक्ष: उनके सहयोग से क्या कर देंगे और वह नहीं सहयोग देंगे तो भी आप क्या करेंगे, बस इतना बता दें आप।

डा. किरोड़ी लाल: मैं आपके आदेश से जो आप कहोगे वह बोलूंगा लेकिन फिर भी आप आश्वस्त कर लो इनको कि मेरे बोलने के बावजूद भी...

श्री अध्यक्ष: हां, अब बीच में कोई नहीं बोलेगा, जो बीच में बोलेगा, फिर यह कुछ जवाब नहीं देंगे, मैं पहले से कह रही हूं आपको यह बात। (व्यवधान) प्रश्न पूछने की इजाजत दूंगी आपको, लेकिन बीच में आप कोई नहीं टोकेंगे, कोई नहीं रोकेंगे। Mr. Snayanm Lodha, what are you doing? (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: जो बीच में बोले, उनको बाहर निकाल दो। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान: अध्यक्ष महोदय, आपकी भावनाओं के अनुरूप यह जवाब दे देंगे तो कोई गड़बड़ नहीं होगी।

श्री अध्यक्ष: अब भावना तो मेरी कुछ भी हो, वह जैसा देंगे, वैसा देंगे,

(श्री अध्यक्ष)

लेकिन मैंने कह दिया उनको कि वह इस बारे में बता दें। अपनी सरकार की स्थिति को स्पष्ट कर दें।

डा. किरोड़ी लाल मीणा: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों की इच्छा के अनुकूल और आपके आदेश के अनुकूल प्रयास करूंगा पर मेरे को चिंता लग रही है सब तरह से संतुष्ट करने के बाद भी यह रूठ कर बाहर जायेंगे। उसका भी कुछ उपाय हो जाय (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद: अब यह जवाब है क्या।

डा. किरोड़ी लाल मीणा: दे रहा हूं, चालू कर रहा हूं।

श्री हेमाराम चौधरी: इसका मतलब जवाब देना नहीं चाहते सीधा सा।

श्री सी. डी. देवल: अध्यक्ष महोदय, यह प्रोवोक कर रहे हैं...

श्री अध्यक्ष: आप बीच में नहीं बोलें कृपया। (व्यवधान) मिस्टर देवल, मैं देख रही हूं आप बहुत बार-बार उठते हैं। अब आपको, हिण्डौली से आने वाले माननीय सदस्य, क्या हो गया ऐसा।

श्री हरिमोहन शर्मा: कुछ नहीं साहब।

श्री अध्यक्ष: क्या हो गया, जब एक बार कह दिया कि आप शांतिपूर्वक सुन लें, फिर आप बीच-बीच में खड़े हो जाते हैं, कैसे संभव है उनके लिए इस तरह से।

श्री महादेव सिंह: यह शुरूआत ही उबड़-खाबड़ भाषा से कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: खण्डेला से आने वाले माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण कर लें। एक बार सुन लें आप उन्हें, सुनने के बाद आपको कुछ पूछना हो तो पूछ लीजियेगा। मिस्टर देवल।

डा. श्रीगोपाल बाहेती: अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी कतई गम्भीर नहीं है, लगता है, अकाल को लेकर मंत्रीजी कतई गम्भीर नहीं है, जिस तरह से वह बातें कर रहे हैं उसमें गम्भीरता बिलकुल नहीं है, यह चोर की दाढ़ी में तिनका है, उनको वक्तव्य देना है तो सीधा-सीधा वक्तव्य देवें यह। (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी: वक्तव्य कुछ है नहीं इसलिए...(व्यवधान)

श्री जीतमल खांट: यह आपकी लोकप्रियता है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप गम्भीरता को कम कर देते हैं इस तरह से बातें करके, आप उसको गम्भीरता से लीजिये, सुनिये तो सही।

डा. किरोड़ी लाल मीणा: माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं खरीफ की फसल की स्थिति जो हुई, उसके बारे में सदन को जानकारी देना चाहूंगा। राज्य में जुलाई माह में व्यापक बरसात होने से 140 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में बुवाई लक्ष्य के विरुद्ध 126.45 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में की गई, जो लक्ष्य का 90.3 प्रतिशत थी। खरीफ फसल में खराबे की स्थिति- जिला कलक्टर से प्राप्त खरीफ फसल सम्वत् 2062 के माह सितम्बर 2005 से नवम्बर 2005 तक गिरदावरी कराई गई जिसमें पचास प्रतिशत से अधिक खराबे वाले 15778 गांवों को अंकित किया गया।

एक चीज जो सदन में उभर कर आयी कि कई जगह गांव रह गये तो मैं इसको यहीं क्लियर करना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, पचास परसेंट या इससे अधिक खराबा वाले जो गांव हमने घोषित किये हैं वो गिरदावरी के आधार पर किये हैं और गिरदावरी 16 सितम्बर, 05 से 15 अक्टूबर, 05 तक करायी गयी। माननीय सदस्य, थोड़ा इसको नोट कर लें और यह प्रावधान है लैंड रिकार्ड मेनुअल एण्ड लेंड रिकार्ड रूल्स में कि खरीफ की फसल की गिरदावरी 16 सितम्बर से 15 अक्टूबर के मध्य ही होती है। इसके बाद में कोई अगर शिकायत प्राप्त होती है तो उन गांवों को इनक्लूड नहीं किया जा सकता। एक महीने के दौरान होने वाली गिरदावरी के दौरान अगर किसी प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त हो गयी माननीय सदस्य या जनता के किसी व्यक्ति की कि ये गांव रह गये तो उन गांवों को पुन: सर्वे करवा कर उनको जोड़ा जा सकता है।

श्री अध्यक्ष: उस समय तो सोते रहे ये सब।

डा. किरोड़ी लाल मीणा: यह शिकायत उभर कर आयी थी। जस्ट ए मिनिट। फिर गिरदावरी की प्रथम सूचना...

श्री अध्यक्ष: समय का तो मालूम है कि सितम्बर-अक्टूबर में होती है गिरदावरी। ये तो मालूम है आपको। मालूम होना चाहिए। ..(व्यवधान) स्थान ग्रहण कर लें। कृपया सुन लें पहले उन्हें आप।

श्री संयम लोढ़ा: राजस्थान में अध्यक्ष महोदय, वो भी एग्जाम्पल मौजूद है कि जब इसके लिए भी वापस गिरदावरी हुई उसकी भी जानकारी दो।

श्री अध्यक्ष: आपका गिरदावरी से क्या ताल्लुक है संयम लोढ़ा।

श्री संयम लोढ़ा: इसलिए ताल्लुक है माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे ज्यादा ज्यादती मेरे इलाके से हुई है और मेरे जिले की चार पंचायत समितियों की और जिला परिषद ने भारतीय जनता पार्टी के लोगों की बैठक में मौजूदगी में प्रस्ताव पारित किया कि गिरदावरी गलत हुई है इसलिए मेरा ताल्लुक है।

श्री अध्यक्ष: अच्छा।

डा. किरोड़ी लाल मीणा: अध्यक्ष महोदय, आपकी इजाजत मिल जाए तो इनके सवाल का जवाब हाथों हाथ दे दूं?

श्री अध्यक्ष: बीच में नहीं, आप बोलिये।

डा.किरोड़ी लाल मीणा: मैं बता रहा हूं पर ये संयमजी मेरे को, जोधपुर संभाग की मैंने मीटिंग बुलायी और वो मैंने मीटिंग बुलायी थी ...(व्यवधान) दो मिनट में जवाब हो जाएगा। ...(व्यवधान) अब उनकी बात भी नहीं सुनना चाहते हैं। चलो आपकी बात भी नहीं सुनना चाहते हो। गिरदावरी की प्रथम सूचना 3.10.05 को तथा अंतिम सूचना 24.11.2005 को हमें प्राप्त हुई तब तक भी अगर ये ये हमको कह देते तो हम इनको कंसीडर कर सकते थे इसलिए 26.12.2005 को केन्द्र सरकार को हमने ज्ञापन दिया इससे पहले भी अगर हमको ये कह देते तो इन गांवों को कंसीडर करने पर हम कुछ गौर कर सकते थे । केन्द्रीय दल ने 15 से 17 जनवरी के बीच अकालग्रस्त गांवों का दौरा किया और हमने ज्ञापन सौंप दिया। अब ये सब कुछ स्टेज पार हो जाने के बाद आज विधान सभा में प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य शोर मचाते हैं कि इन गांवों को जोड़ा जाए तो किसी भी स्थिति में न लैंड रेवेन्यू रिकार्ड के हिसाब से न फेमिन कोड के हिसाब से, न भारत सरकार के रिलीफ के नार्म्स के हिसाब से इनको जोड़ा जाना, माननीय अध्यक्ष महोदय, संभव है। यह बात मैं क्लियर करना चाहता हूं। अब हमने जो एक्टीविटीज चालू की हैं 2062 में उनके बारे में मैं सदन को जानकारी देना चाहूंगा। राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी की 7.12.2005 को 22 जिलों के पचास परसेंट से अधिक खराबा वाले 15778 गांवों की। इसमें, माननीय अध्यक्ष महोदय, अभावग्रस्त गांवों में 1.98 करोड़ की जनसंख्या और 1.78 करोड़ का पशुधन प्रभावित हुआ। दिनांक 24.1.2006 को राज्य सरकार द्वारा घोषित उक्त बाईस जिलों के 15778 अभावग्रस्त गांवों में आगामी 30.9.2006 तक भू-राजस्व वसूली स्थगित कर दी गई है। दिनांक 13.2.2006 को राज्य सरकार द्वारा घोषित अभावग्रस्त गांवों में सहकारी बैंकों द्वारा वितरित अल्पकालीन ऋणों को मध्यकालीन ऋणों में परिवर्तन करने का निर्णय ले लिया गया। अभावग्रस्त जिलों में 1.1.2006 से राहत कार्य दस दिनों के रोटेशन के आधार चलाये जा रहे हैं। राहत कार्यों पर लगे श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी 73 रुपये पर आधारित टास्क बेसिस पर दिये जा रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा बारहवें वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग, सर्वशिक्षा अभियान तथा डीपीईपी एवं सिंचाई विभाग एवं अन्य विभागों के मदों

(डा. किरोड़ी लाल मीणा)

के अन्तर्गत आबंटित राशि से अकाल राहत कार्यों को डवटेल कर पक्के कार्य करवाये जा रहे हैं। राज्य सरकार ने गत वर्ष जो पचास करोड़ रुपये की राशि पक्के कार्यों के लिए दी थी उसमें अवशेष दस करोड़ रुपये किचन रहित स्कूलों में किचन शेड निर्माण के लिए तथा 1.42 करोड़ खाला कवरेज के लिए उपलब्ध कराये है। राज्य सरकार ने दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों एवं संघ को पशु आहार गोदामों के निर्माण हेतु अकाल राहत मद से श्रमिक घटक देने की स्वीकृति जारी की है। सम्पूर्ण स्वास्थ्य अभियान के अन्तर्गत प्रस्तावित आंगनबाड़ी केन्द्रों में शौचालयों के निर्माण हेतु राहत कार्य के साथ डवटेल कर श्रम मद के अन्तर्गत पांच सौ रुपये प्रति शौचालय की स्वीकृति दी गई। राज्य सरकार ने जल संरक्षण अभियान में विभिन्न जल संरक्षण के कार्यक्रम को अकाल राहत कार्यों के साथ डवटेल करने के निर्देश दिये यथा रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर, सार्वजनिक उपयोग के गांव के तालाब, माइनर सिंचाई कार्य, नाड़ियां, एनीकट, खड़ीन, नहर आदि की खुदाई, डिसिल्टिंग, चेक डेम सब सरफेस बेरियर टांकें, बावड़ी, वाटर सोर्सेज , परम्परागत जल स्रोतों का पुनरुद्धार, पुराने बांधों एवं तालाबों के वर्षा जल केचमेंट एरिया की सफाई एवं सुधार के कार्य। राज्य सरकार ने पूर्व के निर्मित सार्वजनिक टांकों की मरम्मत एवं उनके आकार के सुधार हेतु श्रमिक घटक अकाल राहत से प्रदान करने के निर्देश दिये हैं। जिला प्रभारी और सचिवों को जिले में जाकर मीटिंग करने के निर्देश दिये हैं। पूरे प्रदेश में 361 चारा डिपो स्वीकृत किये हैं। आप चाहें तो जिलावाइज मैं उनको बता सकता हूं। राज्य सरकार द्वारा चारा परिवहन अनुदान दरें दूरी के अनुसार पचास से साठ रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित की गई हैं। राज्य सरकार द्वारा प्रभावित क्षेत्रों में पशु शिविर एवं गौशालाओं के माध्यम से अनुदान राशि बारह रुपये बढ़ाकर अठारह रुपये बड़े पशु के लिए और छह रुपये से बढ़ाकर नौ रुपये छोटे पशु के लिए की गई है। पेयजल व्यवस्था हेतु समस्याग्रस्त गांवों एवं ढाणियों में टैंकर के माध्यम से सड़क परिवहन द्वारा प्रति दिन पेयजल उपलब्ध कराने के निर्देश जिला कलक्टर्स को दिये गये हैं। तथा सभी जिला कलक्टर्स को इस हेतु राशि उपलब्ध करा दी गयी है। राज्य सरकार ने 1 फरवरी, 2006 को अभावग्रस्त जिलों में असहाय, अपंग एवं वृद्ध लोगों को पचास रुपये नकद एवं पचास किलो गेहूं प्रति व्यक्ति प्रतिमाह अनुग्रह सहायता के रूप में देने की घोषणा की है। विभाग के कुछ नीतिगत निर्णय हुए हैं। पहली बार बाढ़ मैनुअल और फेमिन मेनुअल बना है।

(डा. किरोड़ी लाल मीणा)

राज्य सरकार ने राजस्थान राहत कोष की स्थापना की है जिसमें पांच करोड़ का प्रावधान है। राज्य में कोई भी व्यक्ति भूख से नहीं मरे इसके लिए कूपन्स जारी किये हैं जिसमें दस किलो गेहूं कभी भी ऐसा व्यक्ति ले सकता है। सहरिया जनजाति के व्यक्तियों के लिए स्थायी आवास एवं वन क्लोजर के कार्य राहत कार्यों के अन्तर्गत डवटेल कर करवाये जाने का निर्णय लिया है। सहरिया तथा काथौड़ी जाति के बच्चे एवं गर्भवती महिलाओं के पोषण हेतु आंगनबाड़ी के अतिरिक्त केन्द्र चलाने की स्वीकृति राहत मद से प्रदान की गई है। कातिन एवं बुनकरों को रोजगार उपलब्ध कराने की दृष्टि से खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के माध्यम से एक कार्यक्रम चलाया जाएगा जिससे कातिनों एवं बुनकरों को देय श्रमिक अंश की राशि राहत मद से दी जाएगी जिससे अधिक से अधिक खादी के उत्पाद तैयार कर सकें एवं रोजगार प्राप्त कर सकें। आकाशीय बिजली एवं जो आपदा आयी है जो अभी चल रही है उसमें पचास हजार रुपये का प्रावधान हमने किया है गत बार भी किया था और अब के तीन केसेज हुए उनको हमने पैसा दे दिया है। बाढ़ राहत के तहत स्थायी परिसम्पत्तियों के जीर्णोद्धार हेतु 150 करोड़ रुपये की राशि हमने स्वीकृत की है। ओलावृष्टि के बारे में आपने कुछ अब भी बताया है और सदस्यों ने भी ध्यान आकर्षित किया था जिसका पेकेज मैंने कल सदन में घोषित किया था। आप कहो तो मैं दुबारा इसको पढ़ दूं ..(व्यवधान) नहीं पूरा नहीं हुआ। ठहर जाओ।

श्री हेमाराम चौधरी: ...(व्यवधान) बारिश हुई है रात को।

श्री अध्यक्ष: बीच में नहीं बोलें, उन्हें पूरा करने दें अपना वक्तव्य।

डा. किरोड़ी लाल मीणा: अध्यक्ष महोदय, जो भारत सरकार को हमने ज्ञापन भेजा उसकी डिटेल में मैं नहीं जाना चाहूंगा। 262 अकाल राहत गतिविधियों के संचालन हेतु राज्य सरकार ने 1544.63 करोड़ रुपये तथा 16.86 लाख मीट्रिक टन गेहूं का ज्ञापन दिनांक 26.12.2005 को देकर केन्द्र सरकार से मांग की थी । यह महत्वपूर्ण है अध्यक्ष महोदय, और प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों से यह मैं कहना चाहूंगा कि जब भी यह भारतीय जनता पार्टी का शासन चाहे केन्द्र सरकार में रहा हो या राज्य सरकार में इस सरकार ने बड़ी संवेदनशीलता और खुले मन से अकाल के समय प्रभावित जनता की मदद की है। संवत् 2059 में जब भयंकर अकाल था तब केन्द्र की बीजेपी सरकार ने राज्य को 946.82 करोड़ रुपये एनसीएफ तथा 32.5 लाख मीट्रिक टन गेहूं की

(डा. किरोड़ी लाल मीणा)

मदद की जो बीपीएल दर से 1474.30 करोड़ रुपये होती है और यदि एफसीआई की रेट इस पर लगायी जाए तो 3200 करोड़ रुपये की मदद होती है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री कोष से 4.58 करोड़ रुपये की मदद अकाल राहत के समय राज्य सरकार को दी गई थी। संवत् 2057 के अकाल में भी राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक निधि से 163.97 करोड़ रुपये तथा प्रधानमंत्री राहत कोष से पचास करोड़ रुपये एवं 5.68 लाख मीट्रिक टन गेहूं उपलब्ध कराया गया तथा संवत् 2056 में राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक निधि से 102.93 करोड रुपये तथा प्रधान- मंत्री कोष से 20 करोड़ रुपये तथा 1.50 लाख मैट्रिक टन गेहूं उपलब्ध कराया गया । केन्द्र की इस कांग्रेस सरकार ने संवत् 2061 में एन सी सी एफ से मात्र 216.79 करोड़ रुपये तथा 13.39 लाख मैट्रिक टन गेहूं उपलब्ध कराया । संवत् 2062 में राज्य सरकार ने 1544.63 करोड़ रुपये नकद और 16.86 लाख मैट्रिक टन गेहूं मांगा है । अध्यक्ष महोदय, नकद तो एक पाई नहीं मिली और केवल 2 लाख मैट्रिक टन गेहूं दिये जाने का इंडिकेशन आया है। वह भी केवल अखबारों में और सी.आर.एफ. की दूसरी किश्त जो हमको दिसम्बर में मिल जानी चाहिये थी वह भी अभी तक नहीं मिली है । सी.आर.एफ. तो हमारा पैसा है, इसलिए यह जो बात इन्होंने उठाई है कि आपके पास पैसा है और पैसा होने के बाद भी आप काम नहीं कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं ऐसे कुछ काम गिनाना चाहूंगा जो इनसे हटकर हमने किये हैं और करने जा रहे हैं । यह शायद सुनना पसंद करें या नहीं करें, वह कार्य जो इन्होंने नहीं किये और हमने किये । सिंचाई विभाग में हमने पैसा दिया हमारे स्टेट प्लान से 30 करोड़ रुपये, जिसमें खाल निर्माण कराया 1160 किलोमीटर का । 373.74 किलोमीटर नये खालों का निर्माण कराया गया। इसके अतिरिक्त 781 डिग्गियां बनाई गई । 30881 रैम्प वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर का निर्माण कराया गया। 5044 ग्रामीण शौचालय बनाये गये । 5226 विद्यालयों में अतिरिक्त भवन बनाये गये। 8482 हैक्टेयर में रतनजोत का वृक्षारोपण कराया गया। 5455 अन्य सार्वजनिक भवन निर्माण, 643 जल ग्रहण के कार्य कराये गये, 914 कुओं का निर्माण कराया गया, 1324 खड़ीन बनाई गई, पीडब्ल्यूडी को 15 करोड़ रुपये दिये गये और शिक्षा विभाग को 5 करोड रुपये दिये गये । इस अकाल से बची हुई 11 करोड़ की राशि स्कूलों में अब जो हमने दी है उसका मैंने वक्तव्य में जिक्र कर दिया है और ओलावृष्टि

(डा. किरोड़ी लाल मीणा)

से प्रभावित 1201 गांवों में जो हमने गत बार काम किया था उसमें 35 करोड़ खर्चा आया और 50-50 लाख की मदद उनको दी जिसका जिक्र मैंने कल किया था और 28.15 करोड़ रुपये के बिजली के बिल माफ किये । यह हमने हटकर काम किया और एक जो हटकर जोरदार काम हमने किया इनके समय में जो 32.5 लाख मैट्रिक टन गेहूं अटल बिहारी वाजपेयीजी की सरकार ने दिया था तो कूपनों का बड़ा घोटाला हुआ था । अध्यक्ष महोदय, आप भी जब चुनाव में गई होंगी तो वहां श्रमिक मिले होंगे, हमको भी मिले थे और यह भी एक चुनाव का मुद्दा था कि हमारे कूपन तो हमारे हाथ में हैं लेकिन गेहूं हमको नहीं मिला । हमने यह कहा था कि हम राज में आयेंगे तो आपके कूपनों का हम भुगतान करेंगे । (व्यवधान) दर्द क्यों हो रहा है ।

श्री सी. डी. देवलः अकाल की बात नहीं कर रहे हैं और 5 हजार करोड़,10 हजार करोड़, आपने डिग्गी और खाले तो बना दिये लोग भूखे मर रहे हैं उसका आप क्या कर रहे हो ।

श्री अध्यक्षः गिरदावरी के बारे में उन्होंने बता दिया है, गिरदावरी के बारे में उन्होने तीनों बात कह दी ।

श्री सी. डी. देवलः फिर उसी पर डिसकस हो जाये, हमारी बात सुन लीजिए आप । (व्यवधान) हमने यह नहीं कहा कि आपने अपना काम नहीं किया, इतना बजट दिया इसका कोई पाइंट ही नहीं उठता है । (व्यवधान) हम तो यह कह रहे हैं यह गिरदावरी गलत की गई है । (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमारः ...(व्यवधान) रामनारायण चौधरीजी के वहां हड़ताल की गई, हमको बताया ही नहीं गिरदावरी कब की गई, यह आदेश दिये गये कि गिरदावरी गोलमोल करके भेज दो । (व्यवधान)

श्री सी. डी. देवलः अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मंत्रीजी सदन को गुमराह कर रहे हैं । अक्टूबर महीने में मैं स्वयं इनसे मिला था, ए. के. पांडे साहब से मिला, मुख्य मंत्रीजी को ज्ञापन दिया और यह बताया कि साहब यह गिरदावरियां गलत हो रही हैं, लोगों को छोड़ा जा रहा है । पाली जिले में 242 गांव छोड़ दिये गये । बीजेपी के सदस्य हैं उनसे आप पूछ लें कि पूरे पाली जिले में अकाल है या नहीं है । अगर इनके अधिकारियों ने गलत रिपोर्ट दे दी तो उसका दंड गरीब आदमी क्यों भुगते । हम कोई वहां अधिकारी लेकर नहीं जाते हैं लेकिन 242 गांवों को इन्होंने छोड़ दिया और यह सदन में गलत वक्तव्य दे रहे हैं । मैं इनसे स्वयं

(श्री सी.डी. देवल)

से दो बार मिला हूं । मुख्य मंत्रीजी को ज्ञापन दिया है, ए. के. पांडे साहब को दिया है, रामनारायणजी चौधरी को ज्ञापन दिया है कि गिरदावरी गलत हो रही है और यह सदन में कह रहे हैं कि हमको किसी ने शिकायत ही नहीं की।

श्री बाबूलाल नागर : श्रवणजी, मैं आपकी ही बात कह रहा हूं ।

श्री रणवीर सिंह गुढा: अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र गुढा में....(व्यवधान)

श्री रणवीर सिंह गुढा: ×××

श्री खुशवीर सिंह जोजावर : ×××

श्री बाबूलाल नागर: ×××

डा. किरोड़ी लाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, मेरा भाषण ही पूरा नहीं हुआ।

श्री बाबूलाल नागर: ×××

श्री सी. डी. देवल: ×××

श्री हेमराम मीणा : ×××

श्री अध्यक्ष: 25.9.1998 को 6 वर्ष से अधिक समय हो गया है 25.9.1998 की क्या बात कह रहे हैं आप, 6 वर्ष से भी अधिक का समय हो गया है । (व्यवधान) वह 98 की बात कर रहे है, 6 साल हो गये 6 साल पहले की क्या बात कहना चाहते हैं ।

श्री बाबूलाल नागर: ×××

श्री अध्यक्ष: क्या सुनूं, उनसे कोई प्रश्न पूछना है तो पूछ लीजिए नहीं पूछना है तो...(व्यवधान)

श्री हेमराज मीणा: ×××

डा.किरोडी लाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, मैं इनका सुनकर जवाब देना चालू कर दूं या मेरा वक्तव्य पूरा करूं ?

श्री अध्यक्ष: 1998 की क्या बात कह रहे हैं ।

श्री बाबूलाल नागर:

डा.किरोड़ी लाल मीणा : जिन्होंने गिरदावरी की है वह गलत की है और गैर कानूनी की है अगर यह आप मेरे ध्यान में लाओगे तो अभी उनके खिलाफ कार्यवाही करूंगा ।

श्री संयम लोढ़ा: ×××

श्री हरिमोहन शर्मा: ×××

श्री सी. डी. देवल: ×××

(अध्यक्षपीठ द्वारा अंकित करने के आदेश दिये गये)

श्री बाबूलाल नागर: अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय यह बता दें, जनवरी में आपने सवा दो लाख श्रमिक सीमा राजस्थान की तय की और फरवरी में आपने श्रमिक सीमा की 3 लाख 51 हजार और 10 आपका लेबर आपका लेबर एंगेज हुआ 2 लाख 18812 ,

यह दस तारीख को, इसके बाद बीस तारीख को कितना हुआ 187438, मतलब कम हो रहा है। इस बार 184362, आज सीलिंग संख्या बढ़ा रहे हैं और जो मौके पर काम कर रहे हैं उनकी संख्या भी कम हो रही है। एक निवेदन और कर रहा हूं, मैं जयपुर जिले की कहना चाह रहा हूं, 21 फरवरी से 28 फरवरी....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप प्रश्न पूछिये। आपको केवल प्रश्न पूछने की अनुमति दी है।

श्री बाबूलाल नागर: 28 फरवरी का, आपने जयपुर जिले में जो लेबर एंगेज हुए हैं उनकी संख्या बताई है 702076, मैं आपसे पूछना चाह रही हूं अकाल में जयपुर जिले में 2046 और ग्रामीण विकास में 5230, क्या इस आरडी में ग्रामीण विकास में वह भी श्रमिक सीमा शामिल है जो एरिया अकाल में नहीं है। (व्यवधान) रिकार्ड पता करके आया हूं। आपने राजस्थान में, जो गांव अकाल में नहीं है उनकी भी लेबर जोड़ दी, उन विधायकों ने अगर अपना पैसा विधायक कोष का दिया, एमपी ने भी दिया, सर्व शिक्षा अभियान में कोई कमरे बने, उन सबको आपने इसमें अकाल की सीलिंग में बताई है। अगर यह नहीं है तो आप जांच करा लें।(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके.....

डा. किरोड़ी लाल मीणा : एक-एक का जवाब दे दूं। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा: आप एक साथ दे देना सबका।

डा. किरोडी लाल मीणा: सारा कन्फ्यूज हो जाएगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: वक्तव्य का कायदा यह है कि उन्होंने प्रश्न पूछा वह जवाब देंगे। उसके बाद यदि आपको इजाजत मिलेगी प्रश्न पूछने की तो आप पूछियेगा। (व्यवधान) मैं कह चुकी, आसन व्यवस्थ दे चुका है।

डा. किरोड़ी लाल मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, दूदू से आने वाले

(डा. किरोड़ी लाल मीणा)

माननीय सदस्य ने कहा कि बाद में कोई गिरदावरी हुई है पुनः, मैंने उनको, पूरे सदन को हवाला दिया है कि गिरदावरी आम तौर पर 16 सितम्बर 2005 से 15 अक्टूबर 2005 तक कराई जाती, यह लैण्ड रिकार्ड मेन्युअल, लैण्ड रिकार्ड रूल्स में प्रावधान है और उसके बाद कैसे हुई, आप मेरे को बता देना। (व्यवधान)

श्री संयम लोढा: जब पहाड़िया साहब मुख्य मंत्री थे तब गिरदावरी कराई थी कि नहीं कराई, आप रिकार्ड को चैक कराइये ना अपना, की है। रिकार्ड में है, (व्यवधान) की है, यह जाने, सरकार बताये, मैं कह रहा हूं, की है।

एक माननीय सदस्य: फसल होगी तो गिरदावरी होगी, फसल नहीं है। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार: आप सभी तो हटकर कर रहे हो ना? आप विकास की गंगा बहा रहे हो तो कर देना ना आप। (व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर: मंत्रीजी यह बता दें 27.1.1999...

श्री श्रवण कुमार: रामनारायणजी ने कल सौगंध खाकर कह दिया (व्यवधान) उन्होंने कहा है, हम कर नहीं सकते। रामनारायणजी ने सौगंध खाकर कही है, यह बात अध्यक्ष महोदय जानती है कि असत्य नहीं बोलते फिर अगर आप रामनारायणजी को असत्य मानते हो (व्यवधान) फिर यदि उन्होंने कह दिया आपको फिर उस बात को सही मानो ना।

श्री अध्यक्ष: सदा सत्य ही बोलते हैं (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़: इनको तो अधिकार है इनसे कहलवा दो।

श्री संयम लोढा: आदिवासियों के इतने बड़े नेता....(व्यवधान) 2004 में बरसात हुई थी जिनके यज्ञ करने से और आज इस तरह से असहाय हो रहे हैं।

श्री श्रवण कुमार: माननीय मंत्रीजी, अन्याय हो रहा है। लोग भूख से तरस रहे हैं। पुनः गिरदावरी नहीं कराके अकाल राहत कार्य खोलते हो, यह तो अन्याय है। (व्यधान)

डा. किरोड़ी लाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, अब प्रेक्टीकली समस्या क्या है कि....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं आप सुनो तो सही।

डा. किरोड़ी लाल मीणा: मौके पर जो फसल खड़ी होती है उसको नष्ट

(डा. किरोड़ी लाल मीणा)

होना देखा जाता है और 50 प्रतिशत से ऊपर मौके पर नष्ट होती है वो ही गांव नोटिफाई होते हैं। अब मौके पर कोई फसल है नहीं फिर भी कांग्रेस के भाइयों का कोई तरीका हो, कोई फार्मूला इनके पास हो कि अब 50 प्रतिशत से ऊपर उनको दिखाया जा सकता है, मेरे को फार्मूला बता देना, हम कोशिश करेंगे। (व्यवधान)

श्री भंवरू खान: आपने स्वयं ने पिछली बार फतेहपुर में गिरदावरी कराई थी।

श्री हेमाराम चौधरी: बाड़मेर में तीन तहसीलों में गुढ़ामलानी, सिवाणा, पचपदरा में खारिज हो गया था फिर मामला विधान सभा में मैंने उठाया था, मंत्रीजी ने आदेश दिये रेवेन्यू बोर्ड को, रेवेन्यू बोर्ड ने पांच सदस्यों की कमेटी बनाकर दुबारा जांच कराई फिर यह साबित हुआ कि वहां पर खराबा हुआ और उनको क्लेम मिला है। मुआवजे का बीमा का क्लेम मिला फिर वह कैसे हुआ? पहले गलती हुई है वह गलती बाद में सुधारी है कृषि मंत्रीजी ने, मैं इनका आभार प्रकट करता हूं। जैसे कृषि मंत्रीजी ने किसानों के साथ न्याय किया है, इन्होंने साहस दिखाया है वैसे ही अगर आप कर दिखाये तो हम मानें कि आप किसानों के हितेषी हो, नहीं तो किसानों के लिए कोई बात आपके दिमाग में (व्यवधान) इन्होंने कैसे किया इनसे पूछ लीजिए आप। फार्मूला इन्होंने कैसे निकाला, बिलकुल ऐसा ही हुआ है जैसे गिरदावरी इस साल हुई है, उसमें जो गलती हुई है बेइमानी हुई है (व्यवधान) फसल बीमा के मामले में हुआ था, बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

श्री हरिमोहन शर्मा: माननीय अध्यक्ष महोदय, जो तथ्य आपके सामने प्रकाशित कर रहा हूं जिनके ऊपर आप स्वयं यह मान लेंगे कि वाकई अधिकारियों ने जान बूझकर अकाल घोषित होते हुए भी गलत रिपोर्ट आपको दी है। तथ्य यह है कि विशेष रूप से हिण्डौली विधान सभा क्षेत्र का... (व्यवधान) विशेष रूप से हिण्डौली विधान सभा क्षेत्र का, सरकार यह मानती है, विभाग यह मानता है कि...(व्यवधान)

श्री तगाराम चौधरी: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि केन्द्रीय अध्ययन दल आया उस समय आप में से कितने सदस्यों ने यह बात रखी थी उनके सामने?

श्री सी. डी. देवल: क्या बात करते हो?

श्री तगाराम चौधरी: केन्द्रीय दल आया था तो कोई नहीं आया था। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तीन-चार बातें आपके सामने, माननीय मंत्री महोदय की जानकारी में लाना चाहता हूं। सरकार स्वयं यह फैसला कर ले कि उनकी जो रिपोर्ट है वह गलत भेजी है या सही भेजी है, यह आपका रिकार्ड बता दें (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद: गिरदावरी होने का....(व्यवधान)

श्री तगाराम चौधरी: केन्द्रीय अध्ययन दल आया था तो कोई नहीं आया।

श्री हरिमोहन शर्मा: हम बोलते हैं आप टोकती है और वह बोल रहे है, डिस्टर्ब कर रहे हैं (व्यवधान) आप रोक ही नहीं रहे हो यह क्या बात हुई साहब।

श्री तगाराम चौधरी: अध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के नेता से भी निवेदन करो (व्यवधान) कि आपके जो बोलने वाले हैं उनको पता ही नहीं है खेती का (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा: आप हमें प्रोटेक्शन दीजिए ना। आपने मेरे को कहा है वह कैसे बोल रहे हैं।

श्री तगाराम चौधरी: वो ज्यादा नाच रहे हैं। नई-नई बातें कर रहे हैं। असत्य आंकड़े पेश कर रहे हैं (व्यवधान) आप इनको समझाइये।

श्री अध्यक्ष: आप बिना अनुमति के बोल रहे हो, वह भी बिना अनुमति के बोल रहे हो।

श्री तगाराम चौधरी: इनको समझाइये ना।

श्री हरिमोहन शर्मा: यह क्या बात हुई साहब ? आपने मेरा नाम पुकारा, मैं बोल रहा हूं आप चुपचाप मूकदर्शक बनकर (व्यवधान) आप उनको अलाऊ कर रही है, यह कोई बात हुई क्या।

श्री तगाराम चौधरी: कोई इनका नहीं है (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा: यह तो कोई न्याय नहीं हुआ। आप इनके सदस्यों को कुछ नहीं कहोंगे, आप चुपचाप, आसन चुपचाप मूकदर्शक...(व्यवधान)

श्री तगाराम चौधरी: आपका क्या लेना-देना इस बात से।

श्री सी. डी. देवल: अगर यह चाहते हैं तो इनके यहां गिरदावरी मत कराना लेकिन दूसरों की तो कराइये। (व्यवधान)

श्री रामचन्द्र जारोड़ा: तगारामजी सबसे बुजुर्ग सदस्य हैं, किसान के क्यों दुश्मन बन रहे हो आप। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा: आप व्यवस्थित करें। आप तो अध्यक्ष है, सभापति से व्यवस्थित नहीं हो यह बात तो समझ में आती है (व्यवधान) फिर कौने आकर करेगा?

श्री रामचन्द्र जारोड़ा: किसानों के खिलाफ बोल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री तगाराम चौधरी: सरकार करेगी यह भी भरोसा है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: वक्तव्य पर चर्चा समाप्त हुई। श्रीमती सूर्यकांता व्यास।

डा. बुलाकीदास कल्ला: पाइंट आफ आर्डर। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा: चर्चा समाप्त नहीं होगी, +++ हमारी....(व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला: पाइंट आफ आर्डर।

श्री हरिमोहन शर्मा: यह अन्याय हुआ है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: श्री बी.डी. कल्ला कुछ कह रहे हैं, बी.डी. कल्ला कहें, श्री बी.डी. कल्ला बोल रहे हैं स्थान ग्रहण करें।(व्यवधान)

व्यवस्था का प्रश्न

वक्तव्य के पश्चात् कोई भी प्रश्न पूछ सकता है

डा. बुलाकीदास कल्ला: अध्यक्ष महोदय, मेरा पाइंट आफ आर्डर यह है कि आपने आज अकाल के ऊपर माननीय मंत्री महोदय का वक्तव्य रखा। हमारे यहां नियमों में ऐसा प्रावधान है कि जब वक्तव्य दे दिया जाता है तो माननीय सदस्य कोई भी उनसे प्रश्न पूछ सकते हैं उनका उनको जवाब देना है। हम सब लोग इस चर्चा में भाग लेना चाहते हैं। सदन अव्यवस्थित है। हिण्डौली से आने वाले माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा उसका कोई जवाब नहीं। हम आपसे बार बार अंगुलि उठाकर, अनुशासन में रहते हुए आपसे चाह रहे हैं कि हमें प्रश्न पूछने का मौका दिया जाए, तो इस पर कृपया आप चर्चा कराये क्योंकि अकाल पूरे राजस्थान से संबंधित है और खराबा 49 प्रतिशत, खराबा वाले राजस्थान में कितने गांव है जिनके बारे में हम जानना चाहते हैं कि 49 प्रतिशत खराबा दिखाकर राजस्थान के बहुत से गांवों को वंचित रख दिया है, हम चाहते हैं कि उनकी आप गिरदावरी करायेंगे कि नहीं करायेंगे, सरकार और आपके पास अब तक कितने....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अब कैसे हो जाएगी।

डा. बुलाकीदास कल्ला: कितना रुपया आपके पास केन्द्र का दिया हुआ

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

है जो मार्च तक है और अप्रैल, मई, जून में कितना पैसा है जिसके माध्यम से आप अकाल की व्यवस्था करने वाले हैं? आपने क्या एक भी पशु सेवा शिविर राजस्थान में खोला है और आपने क्या चारे को फसल में गिना है इन सब प्रश्नों का हम उत्तर चाहते हैं इसलिए आप व्यवस्था दे कि वक्तव्य के बाद हमको प्रश्न पूछने का मौका दिया जाए।

श्री हरिमोहन शर्मा: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जो प्रश्न पूछ रहा था , मुझे प्रश्न तो पूछने दीजिए।

व्यवस्था

विस्तृत चर्चा के समय सबको मौका दिया जा सकता है

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, पहले मुझे कहने दीजिए, फिर आपकी सुनूंगी। क्यों नहीं हम एक दिन अकाल के ऊपर चर्चा करवा लेंगे। (व्यवधान) तो उस चर्चा के अन्दर सभी माननीय सदस्यों को अपनी बात कहने का मौका मिल जाएगा। (व्यवधान) मंत्री के वक्तव्य पर..(व्यवधान) अब आप सुनिये। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा: माननीय अध्यक्ष महोदय, आज के दिन हमारी, यह आज ही अकाल पर खसरा गिरदावरी को देर से बता रहे हैं।

श्री श्रवण कुमार: हमारे बोलने से फायदा क्या होगा। (व्यवधान) चर्चा कराने से फायदा क्या होगा।

श्री हरिमोहन शर्मा: और 10 दिन बाद में आप करेंगे तो और देर से बताएंगे। आज जो हमको प्रमाण है कि जिनके आधार पर बे-ईमानी हुई है, उन प्रमाणों पर तो बात कर लेने दें।

श्री अध्यक्ष: क्या-क्या आधार हैं, किन आधारों पर बे-ईमानी हुई है ?

श्री हरिमोहन शर्मा: यह सरकारी रिकार्ड हमारे पास है 30 ग्राम पंचायतों में 49 प्रतिशत बता रखा है। आप यह रिकार्ड तो देखें। इन्होंने जो भेजा है हमारे पास।

श्री अध्यक्ष: आप सदन के पटल पर रख दें।

श्री हरिमोहन शर्मा: नहीं, पहले मैं बात करूंगा, पहले मेरी बात रखूंगा मैं। मैं मेरी बात रखूंगा। यह क्या बात हुई।

डा. सी.पी. जोशी: अध्यक्ष महोदय, आपकी व्यवस्था से हम सहमत हैं। आज केवल मात्र एक मुद्दा है, अकाल पर चर्चा बाद में करवा लें। आज

(डा. सी. पी. जोशी)

मुद्दा यह है कि गिरदावरी सही हुई है या नहीं हुई है, हमारे सदस्यों का कहना है कि गिरदावरी सही नहीं हुई है। इसलिये मंत्री महोदय खाली क्या सरकार स्पेस्फिक पास्ट में जिस तरह गिरदावरी किन्हीं कारणों से हुई, दुबारा, उसी गिरदावरी को आपने जो मेनुअल कोट किया है, उस मेनुअल में कहीं नेगेटिव नहीं है। यह अच्छा है, डिजायरेबल है, सितम्बर से अक्टूबर तक गिरदावरी हो, लेकिन यह नेगेटिव में नहीं है तो उसके बाद में नहीं हो सकता है। यदि यहां सब माननीय सदस्य कह रहे हैं, हमारे पार्टी सदस्यों ने यह रिपोर्ट दी है। आप मेहरबानी करके इसको कंसीडर करें कि अगर क्या सरकार दुबारा गिरदावरी करवाना चाहती है या नहीं, एक सिम्पल इश्यू है, बाकी अकाल की चर्चा बाद में करेंगे हम। इस पर बात कर दीजिए, बस।

शासकीय वक्तव्य

राज्य में अकाल की स्थिति बाबत

डा. किरोड़ी लाल मीणा: नहीं, नहीं, आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं।

श्री हरिमोहन शर्मा: नहीं, नहीं, मैं एक सैकिण्ड, पहले आपके सामने रिकार्ड रखूंगा कि यह क्या रिकार्ड है सरकार और आप खुद फैसला कर लेंगे इस बात का कि इसमें गलती हुई है या नहीं हुई है। यह सरकारी रिकार्ड है मेरे पास, मुझे बोलने तो दें, साहब। आप मुझे अनुमति तो दें। आप मुझे अनुमति दें।

श्री अध्यक्ष: क्या बोलने दें, क्या कहना चाहते हो?

श्री हरिमोहन शर्मा: मैं निवेदन करना चाहता हूं, मैं 3 बातें पूछना चाहता हूं आपसे।

श्री अध्यक्ष: आप पहले भी कह चुके हैं। आप बार-बार क्या दोहराना चाहते हैं। पहले कह चुके हैं आप। यह बात कह चुके हैं।

श्री हरिमोहन शर्मा: नहीं, नहीं, कहा है, नहीं कहने दिया था।

श्री अध्यक्ष: कल भी आपने यह बात कही थी। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा: नहीं, नहीं कहने दिया। मैं खसरा गिरदावरी के पाइंट पर ही बात कर रहा हूं। खसरा गिरदावरी की स्थिति पर ही बात कह रहा हूं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: तो उन्होंने कह दिया कि अब गिरदावरी नहीं हो सकती है, नहीं सुना क्या आपने?

श्री हरिमोहन शर्मा: नहीं, उन्होंने यह कहा है कि अगर गलत हुई है, यह प्रमाणित हो गया तो उसको ठीक करूंगा। मैं यह साबित कर रहा हूं कि यह गलत हुई है। (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सरकार स्वयं मानती है कि हिण्डौली में कब बरसात हुई है। (व्यवधान) अब आप देखिये, हिण्डौली में बरसात कम हुई, हिण्डौली में..(व्यवधान) और इन्होंने जो राजस्व विभाग ने जो आंकड़े दिये हैं उसमें 33133 हैक्टेयर में हजारों गांव अकालग्रस्त घोषित कर दिये गये हैं।

श्री तगाराम चौधरी: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इनसे पूछना चाहता हूं, प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों से कि जिनके सौ प्रतिशत खराबा है...

श्री अध्यक्ष: आप स्थान ग्रहण करें। आप स्थान ग्रहण करें।

श्री तगाराम चौधरी: उनके गेहुंओं की ओर उनकी भारत सरकार से राहत की इनको चिन्ता नहीं है, अब आप सोच लीजिए, इनको क्या चिन्ता है, इनको चिन्ता है कि गिरदावरी के नाम से, सेशन शुरू हुआ, सदन शुरू हुआ, तब इनको गिरदावरी याद आयी और ना पक्ष की लाबी में बैठकर रचना रची गयी है गिरदावरी, गिरदावरी, मैं कहूंगा गेहूं, गेहूं, मंहगे क्यों हो गये। गेहूं मंहगे क्यों हो गये, जवाब दो। जनता को जवाब दीजिए बाहर जाकर । हिमायती किसानों के, गरीबों के हिमायती कहां गये थे 5 साल।

श्री हेमाराम चौधरी: इन्होंने भी गिरदावरी के बारे में यहां विधान सभा में मामला उठाया था, गलत हुई गिरदावरी, इन्होंने भी उठाया था मामला।

श्री तगाराम चौधरी: एक धेला नहीं लगाया राजस्थान के पैसों से और सारा भारत सरकार ने दिया था, उसको डकार अलग गये। सौ चूहे खाकर बिल्ली हज को जा रही है। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा: माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने सरकारी रिकार्ड में, सरकारी रिकार्ड में...(व्यवधान)

श्री कालूलाल गुर्जर: यह खरीफ की फसल के बाद रबी की फसल बो दी, अब खरीफ की फसल की गिरदावरी अब कैसे हो सकती है, कितना खराबा हुआ। यह सम्भव है क्या? क्या यह सम्भव है?

श्री हरिमोहन शर्मा: आप तो विराजो, आप तो विराजो।

श्री कालूलाल गुर्जर: अब यह सम्भव है क्या कि यह दुबारा खसरा गिरदावरी हो सकती है क्या?

श्री हरिमोहन शर्मा: आप तो विराजो, आप किस हैसियत से जवाब दे रहे हो? (व्यवधान) ये दे देंगे जवाब, आप किस हैसियत से जवाब दे रहे हो? आपकी हैसियत क्या है जवाब देने की।

एक माननीय सदस्य: आगे भी हुई है। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा: आप किस हैसियत से जवाब दे रहे हो, बैठें आप। माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने जो राजस्व विभाग ने 34133 हैक्टेयर में फसल बोना बताया है और इन्होंने राजस्व विभाग ने 15391 में फसल समूल रूप से नष्ट होना बताया है, इन्होंने क्या किया 4600...हैक्टेयर चारे की फसल, जब बरसात नहीं हुई, बरसात होती है तब चारा होता है। इन्होंने लिख दिया 4600...हैक्टेयर में चारा ठीक हुआ है, इसलिये सौ प्रतिशत खराबे को 49 प्रतिशत पर लाकर खड़ा कर दिया। (व्यवधान)

श्री तगाराम चौधरी: पंडितजी, मैं भी पंडिताई करता हूं, आपको पता नहीं है। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मैं भी पंडिताई करता हूं। पंडितजी भी बहुत बात कर रहे हैं, मुझे भी करनी पड़ेगी। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको सरकारी रिकार्ड के अनुसार, यह जो इन्होंने मुझे दिया है वह बताऊं तो 20 स्थानों पर 49-48 और 47 प्रतिशत खराबा बताया है, यह रिकार्ड मैं आपको बता दूं। अध्यक्ष महोदय, मैंने 6/8 को कलक्टर को चिट्ठी लिखी। (व्यवधान) इसके बाद 11वें महीने में लिखी, राजस्व मंत्रीजी को लिखी।

श्री तगाराम चौधरी: पंडितजी, 100 प्रतिशत खराबा हुआ, उसकी... (व्यवधान) मैं गांव में रहता हूं, गांव में जाकर आया हूं अभी। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा: एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, रेवेन्यू को लिखी और यह 11वें महीने से पहले सब चिट्ठियां लिखीं, फिर क्या हो गया। (व्यवधान) यह सारा आपका सरकारी रिकार्ड है और फिर आप जान-बूझकर राजनीतिक भेदभाव से अकाल होते हुए, अगर अकाल ग्रस्त नहीं करवाओ, और अध्यक्ष महोदय, आप हमको प्रोटेक्ट नहीं कराओ तो हम कहां जाएंगे। (व्यवधान)

श्री तगाराम चौधरी: बोले साहब, यह गेहूं मंहगे कैसे हुए, सब कहते हैं, भारत सरकार करती है। इसका जवाब है आपके पास? (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा: न यहां कहें, न वहां कहें, न यहां बोल सकते हैं, न हमसे कह सकते हो, और आप हमको हस्तक्षेप करके हमारी वाजिब मदद भी नहीं करें तो इससे ज्यादा और हमारे साथ क्या अन्याय हो सकता है। मैं निवेदन करना

(श्री हरिमोहन शर्मा)

चाहता हूं। मैं चैलेंज के साथ इस सरकार से कहता हूं कि मैं साबित करूंगा कि पूरी बे-ईमानी हुई है और यह रिकार्ड इस बात का सबूत है। (व्यवधान)

श्री तगाराम चौधरी: आपकी वाजिब मांग नहीं है। आपका बनाया हुआ एक माहौल है, ऐसा माहौल बनाकर आपने वर्षो तक चुनाव लड़ लिये।

श्री हरिमोहन शर्मा: इसलिये जिस बे-ईमानी के आधार पर जो हिण्डौली विधान सभा क्षेत्र के साथ जो ज्यादती की गयी है उसको आप सुधारें, यह माननीय जिला परिषद की मीटिंग 12वें महीने में कलक्टर की उपस्थिति में सर्वसम्मति से हर राजनीतिक दल के सदस्यों ने सर्वसम्मति से कहा कि अकाल घोषित किया जाए। गलत हुई है फसल गिरदावरी, पंचायत समिति में हुई है, राजनीति से अलग उठकर हुई है। और फिर भी आप प्रोटेक्शन नहीं दें तो हम क्या कर सकते हैं। इस अन्याय के खिलाफ आपसे मेरा विनम्र अनुरोध है कि सरकार को निर्देश दें, माननीय मंत्रीजी को कि हिण्डौली विधान सभा क्षेत्र में जिस प्रकार सरकारी रिकार्ड में हेरफेर करके गलती की गयी है, आप हमको प्रोटेक्ट करिये और इस गिरदावरी के आधार पर पुनः इस सम्बन्ध में... (व्यवधान) अकाल राहत कार्य प्रारम्भ करवायें।

श्री तगाराम चौधरी: घड़ियाली आंसू बहा-बहाकर, आप राज की बात तो सुनना ही नहीं चाहते हैं, आप मंत्री महोदय का उत्तर ही नहीं सुनना चाहते हैं और ओलावृष्टि से जो नुकसान हुआ है, उसके बारे में कुछ सोचने का समय ही नहीं दे रहे हैं। (व्यवधान) मैं कह रहा हूं, बाड़मेर में बहुत...(व्यवधान)

श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल: आज पूरे राजस्थान की जनता के साथ में आपकी कांग्रेस की केन्द्र सरकार अत्याचार कर रही है, गेहूं दिलवाओ पहले, उसकी चिन्ता करो आप। (व्यवधान)

श्री तगाराम चौधरी: उसकी चिन्ता नहीं कर रहे हैं, ये तो गिरदावरी की चिन्ता कर रहे हैं।

श्री सी. डी. देवल: बाड़मेर के लोग देख रहे हैं, विधान सभा में।

श्री अमराराम (धोद): माननीय अध्यक्ष महोदय, राहत मंत्रीजी ने जो बयान दिया उसमें 24.11.2005 को अभावग्रस्त घोषित किया तो किसी भी किसान को जब तक घोषित नहीं करेंगे, गिरदावरी पहले जब तक घोषित नहीं होगा तो गिरदावरी का तो उसी वक्त पता लगेगा जब सरकार की तरफ से अभावग्रस्त घोषित कर दिये गये और अभाव में होते हुए अभावग्रस्त घोषित

(श्री अमराराम धोद)

नहीं करके सुकाल घोषित कर दिया तो 24.11.2005 के जहां-जहां न केवल धरने और प्रदर्शन हुए हैं बल्कि जहां-जहां अकाल होने के बाद सुकाल दिखाया गया, गिरदावरी में वहां सब हुआ, और आज भी अगर सरकार इच्छा-शक्ति रखती है तो अनाज तो नहीं देखा जा सकता है लेकिन जो चारा पैदा होता है, खरीफ में अगर वहां पैदा हुआ है तो उन गांवों में अच्छी तरह से पता लग सकता है। वह तो एक दिन में नहीं खा गये। अगर सरकार चाहती है तो निश्चित रूप से जिनके साथ भेदभाव हुआ है और अभाव में रहा है और यह तो सरकार का भी मैं समझता हूं ज्यादातर केन्द्र सरकार का होता है इसलिये पुनः जांच करवायी जाए जिससे लोगों की भावना के साथ जो खिलवाड़ हुआ है, चाहे किसी भी स्तर पर हुआ हो, उसको वापस करवाया जाना चाहिए, पहले भी हुआ है। और जहां अभावग्रस्त घोषित कर दिया उनके चाहे पशु शिविर का सवाल है, रोजगार देने का सवाल है, डवटेल करने से जो अभाग्रस्त सौ प्रतिशत जिनका नुकसान हो गया, और विशेष तौर से जिनका सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, उनको क्या सरकार उनकी भी मदद करने का इरादा रखती है या नहीं रखती है।

डा. सी. पी. जोशी: अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी जब यह कह रहे हैं कि भारत सरकार पैसा देगी तो सरकार को तो कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए, आप गिरदावरी दुबारा कर देते हैं और भारत सरकार को एक नया ज्ञापन देते हैं तो बाल हमारी कोर्ट में रहेगी, आपको क्या तकलीफ है। जब राजस्थान सरकार बारबार यह कह रही है कि पूरा पैसा भारत सरकार देगी, भारत सरकार का पैसा है, हमने इतना ज्ञापन दिया है, गेहूं नहीं दिया है, फूटी कौड़ी नहीं दी है, जब भारत सरकार पर ये आरोप लग रहे हैं तो इनकी जिम्मेदारी तो केवल इतनी बनती है कि गिरदावरी दुबारा करवा लें। इसलिये मैं कहना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, सेक्रेटरी जाता है, प्रभारी मंत्री जाता है, हमारे अध्यक्षजी ने ज्ञापन दिया शरद पवारजी को और मींस आफ कम्युनिकेशन, यह बराबर मालूम है कि गिरदावरी ठीक नहीं हुई है तो सरकार का धर्म बनता है। (व्यवधान)

श्री विनोद चौधरी: अध्यक्षजी, टाइम बढ़ाया जाए, हनुमानगढ़ का जवाब भी नहीं आया है।

डा. सी. पी. जोशी: राजस्थान सरकार के मंत्री अगर अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें कि ठीक करें, यदि हमने सूचना नहीं दी जो अब हम सदन में

(डा. सी. पी. जोशी)

कह रहे हैं, आप दुबारा गिरदावरी करवा लें। दुबारा गवर्नमेंट आफ इण्डिया को लिख कर भेज दें। भारत सरकार गेहूं नहीं देगी, पैसा नहीं देगी तो यह उल्टा हम पर रहेगा कि कांग्रेस पार्टी यह नहीं करवा पायी है। आप अपनी जिम्मेदारी से क्यों बचना चाहते हैं। इसका मतलब यह साफ है कि भारत सरकार के नाम पर राजस्थान सरकार एक नया पैसा जो सी.आर.एफ. का आपके पास पड़ा हुआ है, जो 31 मार्च तक खतम करना था, उस पैसे को बचाकर प्लान में उपयोग लेना चाहते हैं इसलिये भारत सरकार का बहाना बनाते हैं। बाकी तो आप खड़े होकर कहिये कि हम गिरदावरी दुबारा करवाएंगे और भारत सरकार को ज्ञापन देंगे, यह हम पर रहेगा कि कांग्रेस पार्टी अपने कर्तव्य का निर्वहन कर सकती है या नहीं कर सकती है, आप खड़े होकर कहिये।

डा. किरोड़ी लाल मीणा: आप इनको चुप तो कर लो। दो मिनट। नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य और कल्लाजी, आप कोई रास्ता ऐसा बता दो सोच-समझकर यूं नहीं पालिटिकली इसको लो, How is it possible कि गिरदावरी अब यह हो, मतलब किस तरह से। मैंने फेमिन कोड़ देख लिया है ...(व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): मैं निवेदन करूं साहब, अब आपको मेरी बात अच्छी नहीं लगे, आपको क्या तकलीफ हो गयी ? अध्यक्षजी, एक मिनट आप अनुमति दीजिए। ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: बीच में नहीं बोलें आप। ...(व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): नहीं, बीच में नहीं लेकिन मैं आपकी अनुमति चाहता हूं, एक मिनट मुझे बोलने दो। ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अब कैसे होगी गिरदावरी, यह बताइये?

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): मैं रास्ता बता रहा हूं न साहब। वह प्रभुलालजी सैनी, कृषि मंत्रीजी बैठे हैं, वह बता देंगे, क्लेम खारिज हो गया, तीन तहसीलों के पूरे किसानों का क्लेम खारिज हो गया और उसके बाद जब दुबारा जांच हुई उस समय मौके पर फसल वगैरह कुछ भी नहीं था। फिर रेवेन्यू बोर्ड को इन्होंने निर्देश दिया। यहां से आदेश दिया, विधान सभा में आश्वासन दिया और दुबारा जांच हुई और जांच में फिर यह साबित हुआ कि क्लेम खारिज गलत किया है और फिर वह बीमा का क्लेम उन काश्तकारों का पास हुआ। तीन का अलग से बाद में। साल भर बाद में। एक साल बाद में। फिर उनको वह क्लेम का भुगतान हुआ है। कृषि मंत्रीजी, आप वास्तव में

(श्री हेमाराम चौधरी)

किसानों के हितैषी हैं, मैं आपको धन्यवाद देता हूं लेकिन यह हितैषी नहीं है इसलिए मैं उनसे यह चाहता हूं कि आप भी किसानों के हितों की बात सोचें और वह रास्ता उन्होंने कैसे निकाला, उनसे पूछ लीजिए। अब रास्ता तो निकाला ही है उन्होंने कोई न कोई। फसल तो मौके पर उस समय नहीं थी जिससे यह मालूम पड़े कि कितना खराबा हुआ । कितना क्लेम उनका बनता है या नहीं बनता है । पहले चाहे जान-बूझकर किया, चाहे गलती से हुआ, उनका क्लेम खारिज हो गया और उस मामले को वापस यहां पर उठाया तो उठाने के बाद में उसमें इन्होंने सुधार कर दिया तो ऐसे ही आप भी सुधार कर सकते हो। थोड़ा दिल बड़ा करके ...(व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल मीणा: आप बैठिये।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी): सोच करके रास्ता निकालो। अब आपके यह बात अगर उल्टी ही जच गयी है कि हम कह रहे हैं इसलिए नहीं करना है ...(व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल मीणा: नहीं-नहीं, आप तो विराजिये। ...(व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी): तो फिर आप मत करो, कोई बात नहीं है। आपके काम दूसरे हैं, जनता कर देगी लेकिन आप रास्ता निकाल सकते हो, जैसा इन्होंने निकाला है, आपको बुरा लगे तो कोई बात नहीं है, हमने कहा है उसको आप माफ कर दें। ...(व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल मीणा : ऐसा नहीं है। गुढ़ामालानी से आने वाले माननीय सदस्य, आप तो मेरे एक सवाल का जवाब दे दें। चाहे हम सी.आर.एफ. का पैसा खर्च कर रहे हैं, चाहे एन.सी.सी.एफ. से मदद लें, भारत सरकार को ज्ञापन दिया जाता है, यह प्रोसीजर है और ज्ञापन डेमेज के आधार पर दिया जाता है। गिरदावरी कौनसी फसल की होती है, यह बता दें आप तो ? ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अब खरीफ की फसल है ? अब है क्या ? ...(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा): चूरू के अन्दर, आपके गांव में यह साबित हो सकता है कि वहां पर अकाल था या नहीं। ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़: कैसे होगा वह फार्मूला बताओ कि कैसे हो सकता है? खरीफ की फसल अब है नहीं। खरीफ की फसल अब नहीं है। काहे की गिरदावरी करा रहे हैं? ...(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा): आप मेरे साथ चलो, मैं आपको साबित करा दूंगा। आप मेरे साथ चलो। चलो मेरे साथ। ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़: मैं उनके साथ जाने को तैयार हूं अध्यक्ष महोदय, अगर प्रतिपक्ष के नेता कोई फार्मूला बताएंगे तो मैं कल ही उनके साथ जाने को तैयार हूं। ...(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा): किसी के घर में अनाज देख लो कि है या नहीं है। वहां पर पशुओं के लिए है या नहीं है ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़: बिना मतलब राजनैतिक बात करते हो आप । आप यह तो नहीं कहते कि हम केन्द्र सरकार से गेहूं दिलाएंगे। भूल गये वह टाइम 32 लाख मैट्रिक टन गेहूं दिया था, 963 लाख रुपये दिये थे। ...(व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी): वह जमाना होगा तो अनाज शुरू हो जाएगा न।...(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा): आप जाने के लिए तैयार हो क्या? ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़: बिलकुल तैयार हूं, आपके साथ जाने के लिए। ...(व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद): वह अलग सवाल है। ...(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा): हां, स्वीकार कर लो आप। ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़: आज्ञा दिलवा दो अध्यक्षजी से, बिलकुल तैयार हूं। ...(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा): आप चलो झुन्झुनूं में ।

श्री राजेन्द्र राठौड़: अध्यक्षजी, मैं बिलकुल तैयार हूं जाने के लिए... (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा): आप झुन्झुनूं चलो, आपको साबित करवाते हैं। ...(व्यवधान) अगर आपको जच जाए तो आप दें। धर्म से कर देना कि अकाल है और आपकी जच जाए कि साहब वहां पर फसल खराब हुई है तो खराब लिख देना, आप पर छोड़ते हैं। चलो मौके पर । ...(व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल मीणा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय नेता प्रतिपक्ष, विराजिये आप। दो मिनट में मैं अपना जवाब दे दूं। ...(व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): माननीय अध्यक्ष महोदय, गिरदावरी हो सकती है या नहीं इसका तो मुझे पता नहीं है पर फार्मूला मैं बता दूं कि फसल की जांच कैसे की जा सकती है। राजस्थान में किसी भी स्थान

(श्री रामप्रताप कासनिया)

पर जाकर देख लें । जिस क्षेत्र के अन्दर फसल हुई है वहां पर जमीन के अन्दर जड़ अपने आप बता देगी कि जहां पर फसल हुई है और जहां पर नहीं हुई है, तरीका तो यह है। ...(व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल मीणा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): मतलब जड़ खोद दें वहां पर?

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): तरीका तो यह है कि जो फसल मरी हुई होगी उसकी जड़ बिलकुल पतली, बाल की तरह हो जाएगी। गिरदावरी, मैं तो एक तरीका बता रहा हूं। मुझे यह पता नहीं है कि गिरदावरी दुबारा हो सकती है या नहीं क्योंकि नियमों का मैं ज्ञाता नहीं हूं और रहा सवाल माननीय अध्यक्ष महोदय, ...(व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल मीणा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): आप तो खाली यह बताओ कि वह जड़ 50 परसेंट एबव है या 50 परसेंट नीचे है ? ...(व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): यह पैमाना भी खोद कर तय किया जा सकता है।

श्री अमराराम (धोद): माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने स्वयं ने यह स्वीकार किया है कि कोई शिकायत गिरदावरी आने के बाद होती है तो हम उसकी जांच कराकर सही कराते हैं। जब शिकायत पूरा हाउस कर रहा है और राजस्थान में जब भी आपके अभावग्रस्त हुआ, उसके बाद शिकायतें कर रहे हैं तो जब धरना देकर शिकायतें करें, विधान सभा तो चली नहीं, अक्टूबर के बाद में विधान सभा तो चली नहीं, कहां शिकायत करते, आप बताइये। यहां आपके प्रशासनिक अधिकारियों के पास है, एस.डी.एम., कलक्टर, वहां सब जगह की है। मीटिंग में की है। नीचे के जन-प्रतिनिधियों ने की है और आपके ...(व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल मीणा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): धोद से आने वाले माननीय सदस्य, 16 सितम्बर ...(व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): पूरे राजस्थान में आपके पास कितनी शिकायतें गलत गिरदावरी की आयी ? उसमें से कितने गांवों को आपने वापस ठीक करा ? एक भी दुबारा जांच, एक गांव की भी आपने करवायी ही नहीं है। कितनों की सही की ? आप यह कह दो कि हमने 100

(श्री हेमाराम चौधरी)

गांवों की गिरदावरी वापस शिकायत आने के बाद गांव में गिरदावरी सही करवायी और बाकी की नहीं आयी। आपने किया ही नहीं कुछ। शिकायतें आयी तो होंगी पूरे राजस्थान में, एक भी शिकायत नहीं आयी क्या? जिसकी दुबारा जांच ...(व्यवधान) जो आयी उसमें से आपने किसी की जांच करवा दी और उसमें किसी की सही की, उसके बारे में क्या फिर निर्णय हुआ? ...(व्यवधान)

श्री मंगलाराम गोदारा (श्रीडूंगरगढ़): माननीय मंत्री महोदय, आप सम्भाग की मीटिंग ले रहे थे बीकानेर में ...(व्यवधान) मंत्रीजी, आप सम्भाग की मीटिंग ले रहे थे बीकानेर में तो उस टाइम गिरदावरी के विषय में आपसे खूब चर्चा हुई और आपने यह आश्वासन दिया था कि मैं गिरदावरी दुबारा दिखवाऊंगा। बीकानेर में मीटिंग हुई।

डा. किरोड़ी लाल मीणा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): मैं जब गया था जब भारत सरकार ...(व्यवधान)

श्री मंगलाराम गोदारा (श्रीडूंगरगढ़): नहीं, भारत सरकार की बात तो उस टाइम पर आपने नहीं की थी। ...(व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): यह बात सही नहीं है आपकी। ...(व्यवधान)

श्री मंगलाराम गोदारा (श्रीडूंगरगढ़): उस टाइम पर सारे सम्भाग ने यह बात कही थी कि हमारे यहां पर भयंकर अकाल है। आप दुबारा जांच करवायें गिरदावरी गलत हुई है, आपने यह आश्वासन दिया था कि मैं दुबारा दिखाकर, इस गिरदावरी को दुबारा दिखाऊंगा और अगर खराबा हुआ तो अकाल घोषित किया जाएगा।

डा. किरोड़ी लाल मीणा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): अच्छा मैंने, पहली बात तो मैंने यह बात कही पर ...(व्यवधान)

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): माननीय अध्यक्ष महोदय, अकाल जैसी बात पर सरकार संवेदनशील नहीं है। ...(व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद): कहा या नहीं कहा है आपने वहां पर ...(व्यवधान)

श्री मंगलाराम गोदारा (श्रीडूंगरगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने सम्भाग की मीटिंग में यह कहा था कि मैं दुबारा दिखवाऊंगा और ऐसा कोई ...(व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद): अगर ऐसा कोई हुआ है तो उस मीटिंग में माननीय सदस्य ने कहा था या नहीं कहा था कि गिरदावरी सही नहीं हुई है। ...(व्यवधान)

श्री मंगलाराम गोदारा (श्रीडूंगरगढ़): सारे सदस्यों ने, प्रधान ने आपको कहा है, एम.एल.ए. ने आपको कहा है, सबने आपको कहा है। सबने आपके सामने यह बात रखी है और आपने यह आश्वासन दिया था कि मैं दुबारा इसको दिखाऊंगा। ...(व्यवधान)

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि अकाल के इश्यू को लेकर भी यदि सरकार संवेदनशील नहीं हो सकती है तो फिर कौनसा इश्यू है ? गिरदावरी कैसे हो, कैसे नहीं हो, यह आपकी हेडएक है। इस बात की आवश्यकता है कि आज गांव में किसान, गरीब, मजदूर जो भूखे मर रहे हैं उसको आप रोटी नहीं दे सकते हैं तो किस बात को लेकर ए.सी. चलाकर यहां पर बैठे हुए हैं, आप और हम? मेरा आपसे निवेदन है और उस समय भी हर विधायक ने, पंचायत समिति की मीटिंग में, जिला परिषद् की मीटिंग में और कलक्टर के यहां पर और ए.डी.एम. डवलपमेंट के यहां पर सब जगह पर कम्प्लेंट की है गिरदावरी की और यह फैक्ट है, अजमेर में भी ऐसा हुआ है कि आपके यहां से मैसेज गया है कि गिरदावरी जो है पचास परसेंट से कम की जाए। मेरा निवेदन यह है कि इसमें राजनीति नहीं करके सरकार पूरी संवेदना से और पूरे खुले दिल के साथ गिरदावरी दुबारा करें और गांव के अन्दर, हर राजस्थान के गांव के अन्दर अकाल राहत कार्य प्रारम्भ करें। ...(व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी से, जिस समय यह मालूम चला कि गिरदावरी गलत हो रही है, इनसे स्वयं मिला और इन्होंने कहा कि मैं दुबारा गिरदावरी करवाऊंगा। मैं ए. के. पाण्डे साहब, जो सैक्रेटरी हैं, एडिशनल चीफ सैक्रेटरी हैं, उनसे मिला। पाली कलक्टर से मिला और पाली की जिला परिषद जिस पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है, पांच प्रधान इनके हैं, जिला प्रमुख इनके हैं, 6 विधायक हैं। उसका सर्व-सम्मत प्रस्ताव हुआ है कि गिरदावरी गलत हुई है। कलक्टर वहां स्वयं बैठे हुए थे और उनको भेजा, उसके बाद उन्होंने कोई कार्यवाही नहीं की और यह कहते रहे कि मैं इनको दिखवा रहा हूं। दिखवा रहा हूं। अब यह पता नहीं क्या दिखा रहे हैं इसलिए आप इनको कहें कि अपनी जो बात है उस जिद

(डा. सी. डी. देवल)

को छोड़कर ...(व्यवधान) यह स्पष्ट बात है। व्यक्तिगत किसी का हित नहीं है। हम कोई ...(व्यवधान) लेकर नहीं जाते हैं लेकिन माननीय, आप हमारे प्रभारी मंत्री भी हो पाली जिले की स्थिति को जानते हो, आपके जिला अध्यक्ष भी बैठे हैं उनसे भी पूछ लीजिए। आप हठधर्मी से, गरीब काश्तकारों का गला क्यों घोट रहे हो?

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): यह पुरानी बात करते हैं। रात में बारिश हुई उससे इस पर, उसका जवाब दे सकते हैं, कह सकते हैं कि पुरानी हो गयी। रात वाली बात भी पुरानी हो गयी। यह कल कह देंगे कि वह तो रात को बारिश हो गयी, वह तो फसल नष्ट हो गयी, उसका जवाब तो मैं क्या दूं? वह तो कल की बात है। यह रात वाली बात नहीं है न । आपने भी निर्देश दिया लेकिन आपके निर्देश को मान रहे हैं क्या? पालना कर रहे हैं क्या? अब तो क्या कहूं आप अगर मजबूर ...(व्यवधान) जवाब दिलाने के लिए किससे निवेदन करें? किस से आशा करें कि हमारी बात भी सुनी जाएगी ? ...(व्यवधान)

श्री तगाराम चौधरी: माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के द्वारा यह बार-बार व्यक्त किया जा रहा है कि राजस्थान सरकार अकाल के लिए गम्भीर नहीं है, यह गलत है। मैं सदन के माध्यम से निवेदन करूं कि राजस्थान सरकार ने ...(व्यवधान) गांव, खेत में अकाल घोषित किया है और एक जनवरी से राहत कार्य चालू किये और राहत मांगी तो ...(व्यवधान) अध्ययन दल आया और उसका ...(व्यवधान) उसकी चिन्ता नहीं है आपको लेकिन केवल गिरदावरी की चिन्ता है। केवल गिरदावरी की । आधा साल तो निकल चुका है, अब आपको गिरदावरी की याद आयी है। लोगों के लिए यह तो ...(व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): बिना काम किये बता रहे हैं। आप तो मुझसे नहीं कह रहे हैं।

श्री तगाराम चौधरी: लोगों की आपको कतई चिन्ता नहीं है। ...(व्यवधान) बाड़मेर की जनता आपको देख रही है।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): बाड़मेर की जनता आपको देख रही है, हमारा न तो कोई व्यक्तिगत है, हमको न तो कोई सूचित किया है। अध्ययन दल आया उसमें कांग्रेस के जन-प्रतिनिधियों को बुलाया भी नहीं है।

श्री तगाराम चौधरी: मैं बताना चाहता हूं, चाहे किसी भी तरह की मेरे को सौगन्ध दिला दो, अध्ययन दल आया था, मेरे को किसी ने सूचना दी है? मैं भाजपा का हूं। ...(व्यवधान)

लेकिन मैं वहां मौजूद था और दूसरे कोई नहीं थे।

श्री हेमाराम चौधरी: आप तो पहले कांग्रेस में थे, हमारे आदमी थे। ...(व्यवधान)...

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): अध्यक्ष महोदय, यहां पर अकाल की चर्चा हो रही थी, मुझे नहीं कहना चाहिये पर आज सूचना आई है हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले से मेरे से टेलीफोन पर बात हुई है। सरसों की फसल में एक फफूंदी रोग होता है, वह लगने से, अब मुझे टेलीफोन पर बताया गया है, यह सुनने वाली बात है। मैं कोई राजनीति नहीं कर रहा हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरसों की गिरदावरी तो अब होगी जितना प्रतिशत, जो भी खराबा हो हनुमानगढ़ जिले में और गंगानगर जिले में सरसों की जो फसल है, उस पर अचानक 2-4-5 रोज में अटैक हुआ है अभी। मैं सही कह रहा हूं, हकीकत है यह।

श्री अध्यक्ष: बीमा तो करा रखा है ना, बीमित तो है न फसल। ...(व्यवधान) ...

श्री रामप्रताप कासनिया: बीमित तो, अध्यक्ष महोदय, आपको पता है बीमित फसल तो जब तक गांव के खेत को इकाई नहीं मानेंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूं पक्ष और विपक्ष ...

श्री अध्यक्ष: रोग जब है तो रोग तो पूरे ही गांव में होगा।

श्री रामप्रताप कासनिया: हां, रोग तो पूरे गांवों में है, 20-25-30 गांवों की मेरे पास सूचना है पर वह पूरी तहसील, अध्यक्ष महोदय नहीं आई। एक साइड में बारानी भी है, एक साइड में ट्यूबवैल वाली है, एक साइड में सिंचित है, पूरी तहसील नहीं हो सकती। अध्यक्ष महोदय, पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर राजस्थान के काश्तकारों के हित में कोई ऐसा नियम बनाये, आप केन्द्र सरकार से 75 प्रतिशत मुआवजा दिलवाओ और 25 प्रतिशत मैं राजस्थान सरकार से आग्रह करूंगा ।

श्री अध्यक्ष: यह सिंचित है कि असिंचित में है, यह तो बताया नहीं आपने। बीमारी सिंचित में है कि असिंचित में ?

श्री रामप्रताप कासनिया: सिंचित क्षेत्र के अंदर जो फसल है टोटल गांवों की वही कह रहा हूं। मेरे पास 30-35 गांवों की सूचना है और सिंचित एरिया की बात कर रहा हूं अध्यक्ष महोदय, और सरसों एकदम खड़ी-खड़ी सूखती है, एक दाना भी ..(व्यवधान)

श्री अध्यक्षः दवा का छिड़काव करें उन पर।

श्री रामप्रताप कासनियाः वह तो ठीक है, पर सूचना तो देना मेरा कर्तव्य है। मेरे पास सूचना आई है तो मैंने हाउस में सूचना देना जरूरी समझा।

डा. बलाकीदास कल्ला (बीकानेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय खाद्य,आपूर्ति और अकाल राहत मंत्रीजी से यह जानना चाहता हूं कि 35 प्रतिशत से लेकर 49 प्रतिशत तक के खराबे के कितने गांव हैं ? आप भी जानते हैं कि 49 प्रतिशत तक के खराबे का कोई अपने पास मापक है नहीं, 51 प्रतिशत वाले को आप अकाल में लेते हैं, अभाव में लेते हैं और 49 प्रतिशत वालों को छोड़ देते हैं। मुझे आपसे जानकारी करनी है कि 35 से लेकर 49 तक के कितने गांव हैं जो राजस्थान में अभावग्रस्त घोषित नहीं किये गये हैं और 49 प्रतिशत खराबा वाले कितने गांव हैं जिनको आपने अभावग्रस्त घोषित नहीं किया है और तीसरी बात मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि जो खराबे की फसल के गांव है जहां रबी की फसल होती ही नहीं, वहां गिरदावरी कराने में आपको कहां दिक्कत है और कुल-मिलाकर आप ..(व्यवधान).. एकल फसल वाले में आप रबी की फसल खड़ी कर सकते हो, हम तो नहीं कर सकते, आपके पास कोई जादू का डण्डा है। दूसरी बात मैं आपसे यह जानना चाहूंगा कि केन्द्र सरकार का सी.आर.एफ. का पैसा कितना है, जो 31 मार्च, तक खर्च करना है और अप्रैल,मई और जून में कितना पैसा है जो आपको अकाल के पेटे मिला हुआ है जिसको आपको खर्च करना है। अन्तिम प्रश्न यह है क्या आपने चारे की फसल को भी इसमें जोड़ा है। अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित नहीं करने के कारण, यह भी एक कारण रहा है कि चारे की फसल को आपने उत्पादन में जोड़ लिया है, इस कारण से ...(व्यवधान)..

श्री अध्यक्षः चारे की फसल से क्या मतलब है आपका, थोड़ा-सा स्पष्ट करो।

डा. बुलाकीदास कल्लाः चारा जो पैदा होता है, उसको आपने ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः चारे से मतलब आपका चरी से है, यह बोलो आप ।

डा. बुलाकीदास कल्लाः हां, चरी से है। उसको आपने फसल मानकर गांवों को जान-बूझकर अभावग्रस्त घोषित नहीं किया है। इनका जवाब दें आप।

श्री अध्यक्षः चरी, इनका मतलब चरी से है। यह बीकानेर के रहने वाले हैं।.(व्यवधान).

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली): फसल होती है चारे की, तो बहुत सारी फसल होती है। आप किसान नहीं हो इसलिए पता नहीं है आपको।

श्री अध्यक्ष: अब आप नहीं पूछेंगे माननीय सदस्य।

श्री जोगाराम पटेल: वह चारे की फसल नहीं होती है समझ लो। .. (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी: चारा उन जिलों में नहीं जा सकता, उन जिलों में आपने रोक लगा दी तो चारा आयेगा कहां से? राजस्थान के 22 जिलों से चारा बाड़मेर, जैसलमेर, जालौर, पाली, जोधपुर नहीं जा सकता । 22 जिलों के अंदर नहीं जा सकता, ऐसी आपने रोक लगाई है। फिर उन जिलों में, जहां चारा नहीं है, वहां चारा कहां से लायेंगे, यह आप बताओ। आपने रोक लगाकर जो चारा थोड़ा-बहुत जिन जिलों में था, उनसे काश्तकार लाते थे अपने हिसाब से, उस पर भी आपने रोक लगा दी।

श्री जालम सिंह रावलोत (शिव): राजस्थान के किसी भी जिले से कोई चारा नहीं आता है, यह आप गलत सूचना दे रहे हो।

श्री हेमाराम चौधरी: चारा नहीं आता तो फिर रोक लगाने की जरूरत कहां थी ?

श्री जालम सिंह रावलोत: बाड़मेर जिले को, जैसलमेर जिले को चारा राजस्थान के जिलों से नहीं आता है। गुजरात से , मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, पंजाब से, हरियाणा से सस्ता और अच्छा चारा मिलता है। हमेशा आता रहा है, आज की बात नहीं है। हर अकाल में आता रहा है।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल(लूणकरणसर): गंगानगर और हनुमानगढ़ से चारा आता है।

श्री अध्यक्ष: मंत्री का जो वक्तव्य होता है तो प्रश्नकाल की तरह से असीमित प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, दो-चार प्रश्न पूछे जाते हैं । अब कल्ला साहब ने जो पूछा माननीय मंत्रीजी, थोड़ा उधर भी स्पष्ट करें।

डा.किरोड़ी लाल मीणा : बीच-बीच में बोल रहे हैं, नहीं बोलें तो काम चले ना।

श्री अध्यक्ष: अब और कोई नहीं बोलेगा।.(व्यवधान) अब आपका जवाब तो आ गया। अब आपका जवाब दे दिया, जो कुछ देना था, दे दिया।

डा. किरोड़ी लाल मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, कल्लाजी ने एक बात पूछी है कि 35 प्रतिशत से 49 प्रतिशत वाले गांवों का क्या होता है, हमारे दो ही पैमाने हैं 50 प्रतिशत से ऊपर खराबा वाला अभावग्रस्त घोषित किया जाता है। ये भारत सरकार के दिशा-निर्देश हैं। नीचे वाले चाहे साढ़े 49 हो, चाहे 35 हो, चाहे 5 हो, चाहे पांइट 5 हो, उसका कोई कंसीडरेशन नहीं है, इसलिए इस बात की कोई सूची तैयार नहीं की जाती। (व्यवधान)

श्री अध्यक्षः बीच में नहीं।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): गांवों की संख्या कितनी है?

डा. किरोड़ी लाल मीणा : 15,778 हैं।

श्री अध्यक्षः नहीं, माननीय मंत्रीजी, यदि आपके यह रिकार्ड, सूचना हो कि 49 प्रतिशत से कम और 49 प्रतिशत तक कितने गांव हैं, जो अभावग्रस्त घोषित नहीं किये जा सके, वह यदि हो तो आप बता दें। नहीं हो तो आप वैसे कह दीजिये।

डा. किरोड़ी लाल मीणा : 49 प्रतिशत का हिसाब-किताब तो मैं कल ही बता सकता हूं।

श्री अध्यक्षः बाकी गांव बता दीजिये, जितने हैं, वह बाकी आ गये 49 प्रतिशत से नीचे, वह बता दीजिये। क्या दिक्कत है इसमें? वह निकाल दो, आ गया फैसला।

डा. किरोड़ी लाल मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, 15,778 गांवों को निकाल दो टोटल गांवों से, वह सब नीचे गांव उसमें हैं।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): अध्यक्ष महोदय, जैसाकि माननीय मंत्रीजी ने कहा तरीका बताइये गिरदावरी का, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि अगर आप सीनियर हैं तो आप विधान सभा के माननीय सदस्यों की एक कमेटी बना दीजिये और वह कमेटी दौरा करके आपको सुझाव दे देगी कि कैसे आप उन गांवों की दुबारा गिरदावरी करा सकते हैं ताकि वहां अकाल के कार्य खुल सकें। सवाल यह नहीं है मुख्य सचेतक महोदय, सवाल यह है आज किसान को रोजगार चाहिये, किसान को पानी चाहिये, किसान को मजदूरी चाहिये, वह कैसे करेंगे आप?..(व्यवधान).. आप यार्ड में भाग नहीं सकते, आपको क्या मालूम किसान क्या होता है?

श्री महावीर प्रसाद जैनः आपको क्या मालूम, मुझे किसान ... (व्यवधान)

श्री जुबेर खानः मैं किसान का बेटा हूं इसलिए मुझे मालूम है। अध्यक्ष महोदय, सवाल यह है कि जहां वास्तव में अकाल है वहां गलत गिरदावरी करके अकाल घोषित नहीं हुआ है, वहां कैसे अकाल घोषित हो, इसकी व्यवस्था करनी चाहिये। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा जो नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य ने सुझाव दिया कि आप तो गिरदावरी कराकर केन्द्र सरकार को मेमोरेण्डम दे दीजिये। अगर वह नहीं

(श्री जुबेर खान)

करती है तो कम से कम राजस्थान की सरकार यह कहने की स्थिति में है कि हमने प्रयास किये और आप कुछ करना ही नहीं चाहो, अकाल राहत कार्य नहीं खोलना चाहे, गिरदावरी ठीक नहीं कराना चाहे, यह बिलकुल गलत है। आप किसानों के बारे में सोचिये, गरीबों के बारे में सोचिये। मजदूरी के क्या आज लोगों को ...(व्यवधान) ...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय मुख्य सचेतकजी, ...(व्यवधान).. माननीय सदस्यगण, जो जहां खड़े हैं कृपया अपना- अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री श्रवण कुमार: माननीय अध्यक्ष महोदय, हमें इस बात की पीड़ा है, यह कहते हैं कैसे गिरदावरी करायें और आपने यह पूछा कि कितने गांव 49 प्रतिशत के हैं, यह भी बता दो गिरदावरी कैसे होगी? ..(व्यवधान) ...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, सबने स्थान ग्रहण कर लिया, आप भी स्थान ग्रहण करें। इस विधान सभा के प्रारम्भ से और नियमों में भी यह प्रावधान आज दिन तक जब कभी मंत्री का वक्तव्य हुआ है तो उसके बाद में कुछ सीमित प्रश्न माननीय सदस्यों ने पूछे हैं और मंत्रीजी ने उनका जवाब दिया है।

अब कब से, पूरे एक घंटे से अधिक समय से इस वक्तव्य के ऊपर चर्चा हो रही है और उन्होंने जो कुछ था कह दिया उसके बाद भी आप लोग कहे ही चले जा रहे हैं और बोलते ही चले जा रहे हैं। अब ऐसे कैसे चलेगा? सामान्य वाद-विवाद भी तो करना है आखिर बजट पर। इसलिए मैं अब पुकार रही हूं नाम। श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास।

श्री जुबेर खान: अध्यक्ष महोदय, आप ही व्यवस्था दे दीजिए। रास्ता क्या निकालें, आप ही बता दीजिए। (व्यवधान)... यह मामला कैसे निपटे, आप बता दीजिए। आप नौ बार जीत चुकी हैं, आप किसान की बेटी हैं क्या आप नहीं मानतीं हैं कि वहां पर अकाल है? आप ही कोई रास्ता बताइये। ...(व्यवधान)...

श्री श्रवण कुमार: अध्यक्ष महोदय, हमें पीड़ा है इस बात की...(व्यवधान) क्या जरूरत है फिर बहस की? ...(भारी व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: यही परम्परा है कि वक्तव्य के ऊपर दो-चार प्रश्न होकर...(व्यवधान)...

श्री हेमाराम चौधरी: यही तो है विवाद। ...(व्यवधान) अकाल राहत खोल नहीं रहे हैं।

श्री बाबूलाल नागर: अध्यक्ष महोदय, पूर्व की सरकारों ने भी ऐसा किया है। पूर्व की सरकारों ने दोबारा गिरदावरी करायी है। दोबारा राहत कार्य सेंक्शन किये हैं। दोबारा अभावग्रस्त गांवों का सेंक्शन किया है। ...(भारी व्यवधान)...

श्री हेमाराम चौधरी: अध्यक्ष महोदय, आपके निर्देश की पालना इन्होंने नहीं की। ईसबगोल की फसल रात को बारिश होने से उसका भी जवाब नहीं दिया। आपके निर्देश की भी इन्होंने पालना नहीं की। ...(व्यवधान)...

श्री बाबूलाल नागर: एक ही जवाब नहीं दिया, अध्यक्ष महोदय।...(व्यवधान)...

श्री जुबेर खान: अध्यक्ष महोदय, आप ही कोई व्यवस्था कीजिए अब... (व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर: इनकी संख्या घट रही है...(व्यवधान) यह आंकड़ों का मायाजाल है, अध्यक्ष महोदय।

श्री हेमाराम चौधरी: अध्यक्ष महोदय, आपके निर्देश की पालना तो हो कम से कम। ...(व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर: सीलिंग बढ़ रही है और काम पर लगाने वालों की संख्या कम हो रही है।

श्री हेमाराम चौधरी: अध्यक्ष महोदय, आपके निर्देशों की भी यह सरकार पालना नहीं करे तो ऐसी सरकार को क्या...(व्यवधान)...

श्री बाबूलाल नागर: मंत्री महोदय, आप तो गांव के आदमी हो...(भारी व्यवधान)...

एक माननीय सदस्य: हमारे पाली जिले में कल रात बारिश से नुकसान हुआ है जीरा और ईसबगोल में, इसका तो जवाब दो। ...(व्यवधान)...

श्री हेमाराम चौधरी: आपने निर्देश दिया है...(व्यवधान) लेकिन मंत्रीजी ने ईसबगोल का नाम तक नहीं लिया है, एक शब्द नहीं बोला। ...(व्यवधान)...

श्री बाबूलाल नागर: अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र दूदू में 114 गांव अकाल में हैं और सीलिंग संख्या...(व्यवधान)...

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन के वेल में धरना एवं नारेबाजी)

श्री राजेन्द्र राठौड़: यह थोथी बातें करना बंद करो। भारत सरकार से गेहूं दिलाओ, भारत सरकार से गेहूं दिलाते नहीं हो, सी.आर.एफ. में कुछ

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

दिलाते नहीं हो अब घड़ियाली आंसू बहा रहे हो। भारत सरकार पैसा देती नहीं है। भारत सरकार से गेहूं दिलाओ।

एक माननीय सदस्य: फसल नहीं है उसकी गिरदावरी कैसे हो सकती है?

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास: सुनहरे अक्षरों से लिखा जाए। अध्यक्ष महोदय, अन्तरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर स्त्री शक्ति को समर्पित ऐतिहासिक बजट पेश किया है। ...(व्यवधान) राज्य सरकार के पिछले ढाई वर्षों का वित्तीय अनुशासन ही है कि घाटे का बजट पेश करने की परम्परा तोड़ी गयी है...(व्यवधान)...

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन के वेल में नारेबाजी)

श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल: भारत सरकार से गेहूं लाओ।

श्रीमती अनिता भदेल: भारत सरकार से गेहूं दिलाओ, सी.आर.एफ.का पैसा दिलाओ केन्द्र सरकार से।

श्री नन्दलाल बंशीवाल: भारत सरकार से गेहूं दिलाओ। राजस्थान के हिस्से का गेहूं दिलाओ भारत सरकार से।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास: मील का पत्थर साबित होगा...(भारी व्यवधान)...

श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल: भारत सरकार से गेहूं दिलाओ।

श्री नन्दलाल बंशीवाल: भारत सरकार से गेहूं दिलाओ।

श्री राजेन्द्र राठौड़: यह घड़ियाली आंसू बंद करो...(भारी व्यवधान)... भारत सरकार से गेहूं दिलाओ नहीं...(व्यवधान)

श्री नन्दलाल बंशीवाल: अव्यवस्था फैला रखी है, दो घंटे हो गये इस बात को लेकर...(व्यवधान)...

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन के वेल में लगातार नारेबाजी)

एक माननीय सदस्य: सी.आर.एफ. का पैसा दिलाओ। ...(व्यवधान)... चिल्लाना बंद कर करो।

(सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

श्री अध्यक्ष: सदन की कार्यवाही छः बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 17.24 बजे, 18.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

(18.00 बजे)

पुनः समवेत होने पर

(श्रीमती सुमित्रा सिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

शासकीय वक्तव्य

राज्य में अकाल की स्थिति बाबत

श्री अध्यक्ष: बजट पर सामान्य वाद विवाद प्रारम्भ हो।

डा. सी.पी.जोशी: अध्यक्ष महोदय, हमारी तरफ से यह प्रस्ताव है कि माननीय अध्यक्ष महोदया, प्रतिपक्ष के नेता, मुख्य मंत्रीजी, जो सारी चर्चा हुई उस चर्चा में किस तरह से हम राजस्थान के गरीब आदमी को किसान को राहत दे सकते हैं इस बारे में वह निर्णय करें, हमें मंजूर है। आप उचित समझें तो इस बारे में अपनी बात कह दें। सरकार बताए।

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी को भी शामिल करें।

डा. सी. पी.जोशी: हां मंत्रीजी को भी, बिलकुल ठीक है। अकाल राहत मंत्रीजी, प्रतिपक्ष के नेता, मुख्य मंत्रीजी और अध्यक्ष जो चर्चा हुई है इसमें राजस्थान में किस तरह से हम इस व्यवस्था में सुधार करके अकाल के काम प्रारम्भ कर सकें यह अधिकार हम इनको देते हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़: अध्यक्ष महोदय, अकाल के काम प्रारम्भ हैं। मंत्रीजी ने पूरा वक्तव्य दे दिया उसके बाद भी अगर आप कोई निर्देश देंगे, निर्देश आपकी तरफ से कोई आएगा तो निश्चित तौर पर शिरोधार्य करेंगे। हम तो वैसे ही आपके आज्ञाकारी हैं। आपके कोई निर्देश होंगे उसको शिरोधार्य करेंगे। आप खुद देख लें मंत्रीजी के वक्तव्य में एक-एक चीज स्पष्ट हो गयी...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: यद्यपि स्पष्ट हो गई है सब बातें, उसके बाद भी यदि प्रतिपक्ष यह कहता है कि चारों जने बैठकर के किसानों को क्या राहत दी जा सकती है...

डा.सी.पी.जोशी: गिरदावरी के सम्बन्ध में ।

श्री अध्यक्ष: गिरदावरी के बारे में तो उन्होंने कह दिया कानून में क्या है गिरदावरी मार्च का महीना चल रहा है इसलिए, लेकिन वह पहले वाला आपका उठाया हुआ मुद्दा है कि 1999 में नवम्बर के महीने में ...(व्यवधान)

(श्री अध्यक्ष)

बीच में नहीं बोलेंगे। सुनिए तो सही आप। नवम्बर 1999 में गिरदावरी दुबारा हुई। अक्टूबर तक गिरदावरी होती है और नवम्बर के महीने में कोई शिकायत हो तो नवम्बर के महीने में कराई जा सकती है लेकिन यह तो मार्च का महीना चल रहा है इसलिए प्रश्न यह है कि कानूनन क्या यह संभव है इसलिए इन सब बातों पर ही विचार करने के लिए चारों की आपने एक समिति का सुझाव दिया है । यद्यपि आप संतुष्ट हैं तो इसके बारे में ...

डा. सी.पी. जोशी: बिलकुल ठीक है ।

श्री अध्यक्ष: ठीक है ।

श्री राजेन्द्र राठौड़: इसमें समिति की बात नहीं है मैंने जितना निवेदन किया कि सरकार को आप कोई निर्देश देंगे आपके चैम्बर में अगर हम बुलाएंगे, सरकार बुलाएगी तो सारी बात की जा सकती है, सारी बात इन्होंने स्पष्ट कर दी।

डा. सी.पी. जोशी: माननीय राठौड़ साहब, जो प्रस्ताव हम रख रहे हैं यदि आप उससे सहमत हैं तो ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़: यह नहीं कि कमेटी बना दें हाउस के अन्दर, आसन की तरफ से कोई निर्देश हो तो, आसन की तरफ से कोई निर्देश होगा तो निश्चित तौर पर ...

श्री अध्यक्ष: पी.ए.डी. मंत्री महोदय, मेरी सुनिए। यदि सदन के डेडलोक को समाप्त करने के लिए प्रतिपक्ष की ओर से यह सुझाव आया है तो आपको क्या आपत्ति है?

श्री राजेन्द्र राठौड: अध्यक्ष महोदय, यह निर्णय तो आपको करना है, क्या करना है ...(व्यवधान)

श्री जुबेर खान : आपका क्या कहना है? अध्यक्ष महोदय, यह जानना चाहते हैं आप क्या कहते हैं इस पर ।

श्री राजेन्द्र राठौड़: अध्यक्ष महोदय, आप निर्देश दें देंगे ठीक है ... (व्यवधान) आसन सरकार को निर्देशित कर सकता है, अध्यक्ष महोदय, आसन सरकार को निर्देश देगा उसकी पालना सरकार करेगी पर इनकी तरफ से कोई निर्देश थोड़े ही है। आप आसन से निर्देश दे देना, आप कहेंगे वैसा हम कर लेंगे।

श्री हेमाराम चौधरी: अध्यक्ष महोदय, आपने इनको निर्देश दिए इसके

(श्री हेमाराम चौधरी)

बारे में जवाब दें रात को बारिश हुई ,फसल नष्ट हो गयी उसका इन्होंने जवाब आपके निर्देश की पालना की क्या, यह कोई पालना नहीं करते ...(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी: Not at all. You are running the Government. You are to be gracious. हम और आप ऐसा नहीं करना चाहते तो ...(व्यवधान) हम तसल्ली करना चाहते हैं ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़: आसन के निर्देश की पालना करने के लिए सरकार तैयार है। गिरदावरी के लिए कानून...

डा. सी. पी. जोशी: अध्यक्ष महोदय, इस पर सहमत हैं, हम तैयार हैं ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़: आप निर्देश देंगे तो ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मैंने कह तो दिया उसके बाद बाकी क्या रह गया।

डा. सी. पी. जोशी: आप मंत्रीजी को मना कर दीजिए।

श्री अमराराम (धोद): अध्यक्ष के निर्देश क्यों, आपको मंजूर नहीं है तो यूं कहिए कि मंजूर नहीं है।

डा. सी. पी. जोशी: आप मंत्रीजी को मना कर दीजिए, आप ही ना कहिए।

श्री अध्यक्ष: प्रतिपक्ष की ओर से सुझाव आया है उस सुझाव पर यदि आप सब सहमत हैं क्योंकि उसमें अकाल राहत मंत्रीजी भी हैं, अध्यक्ष, मुख्य मंत्रीजी और प्रतिपक्ष के नेता इस बारे में विचार विमर्श करके किसानों के हित में जो कुछ संभव हो सकता है, सकेगा, वह करने का प्रयत्न करेंगे ।

श्री राजेन्द्र राठौड़: यह निर्देश आपका है उसको मानेंगे, हां आपके निर्देश को मानेंगे।

श्री अध्यक्ष: यह आसन का निर्देश है।

श्री हरिमोहन शर्मा: लेकिन एक मिनट खाद्यान्न में चारे की फसल तो एक्सक्लूड करवाएंगे ।

श्री राजेन्द्र राठौड़: अब क्या रह गया अध्यक्ष महोदय,...(व्यवधान) आपके निर्देश मानने के लिए तैयार हैं अब क्या रह गया?

श्री राकेश मेघवाल: आसन का आदेश सर्वोपरि है।

श्री अध्यक्ष: नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य, मैं कहना तो

(श्री अध्यक्ष)

नहीं चाह रही थी लेकिन मुझे कहना पड़ रहा है। मैं अब बजट के सामान्य वाद-विवाद पर बहस पर विचार प्रकट करने के लिए श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास का नाम ले रही हूं।

श्री विनोद कुमारः हनुमानगढ़ नगरपालिका के लिए जवाब देने के लिए आपने स्वायत्त शासन मंत्रीजी को कहा था।

श्री अध्यक्षः मैंने स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा था कि वह इस बारे में स्थिति स्पष्ट करेंगे । वह मंत्री अभी हैं नहीं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ः अध्यक्ष महोदय, आप समय निर्धारित कर देंगे कल का, परसों का तो स्पष्ट कर देंगे। आप बता दें, आप निर्देशित कर दें।

श्री विनोद कुमारः आप टाइम तय कर दें।

आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान की महिला मुख्य मंत्री और वित्त मंत्री ने जो बजट पेश किया है मैं उसका स्वागत करती हूं और ऐसा बजट पेश किया है जिसे सुनहरे अक्षरों में लिखा जाए तो भी कम है। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान की मुख्य मंत्री ने जो बजट पेश किया उसके अन्दर महिलाओं को जिस तरीके से राहत मिली है मैं उनका भी स्वागत करती हूं। अन्तरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर स्त्री शक्ति को समर्पित ऐतिहासिक बजट पेश किया है । यह इस सरकार के पिछले ढ़ाई वर्षो का वित्तीय अनुशासन ही है जिस कारण हर बार घाटे का बजट पेश करने की परम्परा तोड़ी गई है। परम्पराएं तो इस बजट में और भी तोड़ी गई हैं। विद्युत की कमी से पीड़ित राजस्थान में विद्युत उत्पादन बढ़ाने की दिशा में जो कदम इस बजट में उठाये गये हैं वह राज्य के आधारभूत सुविधाओं के विकास में मील का पत्थर साबित होंगे।

अध्यक्ष महोदय, मैं शहरी क्षेत्र की रहने वाली हूं। मेरे शहरी क्षेत्र के अन्दर कई ऐसी दुविधाएं आ जाती हैं जिससे कोई भी उसको मदद करने को तैयार नहीं होता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से आदरणीय मुख्य मंत्रीजी का तहे दिल से यह स्वागत करूंगी कि उन्होंने जो पेंशन होल्डर हैं उनको 200 से 400 रुपए किए यह बहुत स्वागत योग्य है। मैं वित्त मंत्रीजी का और राजस्थान की मुख्य मंत्रीजी का वह स्वागत करना चाहती हूं, जोधपुर

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

शहर में जिसमें चिड़ियानाथजी का श्राप था और वहां पानी की इतनी दुविधा थी, त्राहि-त्राहि करते थे पानी के लिए, उनको पानी की जो सुविधा उपलब्ध कराई है इसके लिए जलदाय मंत्रीजी बधाई के पात्र हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से क्योंकि आपसे मैंने पहले ही बताया कि मैं शहरी क्षेत्र की हूं मेरे कोई एनीकट खुदवाना नहीं, मेरे को कोई वह काम तो करवाने नहीं, मेरे कोई गिरदावरी का झगड़ा नहीं, मेरे कोई नहीं है मगर मैं आपके माध्यम से यह जरूर कहना चाहूंगी कि शिक्षा मंत्रीजी ने जो शहर के अन्दर स्कूलों का निर्माण कराया है और जैसे स्कूलों को क्रमोन्नत करवाया है, अध्यक्ष महोदय, आज तक वह स्कूल कभी क्रमोन्नत नहीं हुई हैं। इसलिए मैं शिक्षा मंत्रीजी को भी बहुत-बहुत बधाई देती हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ विद्यालयों का नाम उजागर करना चाहूंगी। राजकीय माध्यमिक विद्यालय जो इतना पुराना विद्यालय था उसको क्रमोन्नत करके एक इतिहास कायम किया है। खांडाफलसा छात्रावास लड़कियों की स्कूल को क्रमोन्नत किया। बालिका माध्यमिक सिवांची गेट को क्रमोन्नत किया। ऐसे मैं एक-एक का नाम गिनाऊ तो कुछ कहने को नहीं रहेगा, इतनी स्कूलों को किया है।

सामने बिराजमान जो सदस्य थे, मैं एक-एक जगह का नाम नहीं लूंगी मगर जिस समय यह सरकार में आये थे और मेरे को ऐसा लग रहा था क्या मालूम जोधपुर शहर का कितना विकास होगा। मगर खोदा पहाड़ और निकला चूहा, वह स्थिति हो गयी। राजस्थान के पूर्व मुख्य मंत्री आदरणीय अशोकजी गहलोत जो कि जोधपुर के जाये जन्में थे, हमें ऐसा लगा कि जोधपुर का खूब विकास होगा, मगर जोधपुर का विकास नहीं हुआ। मैं समझती हूं इस दो साल के अन्दर जो काम हुआ है उसकी मैं जितनी सराहना करूं उतनी कम है। मैं आपको यह बताना चाहूंगी कि इन्होंने जोधपुर शहर के अन्दर एक अशोक उद्यान करवाया। वह अशोक उद्यान किसने किया ? वह अशोक उद्यान किसलिये किया ? जो जो पार्क हैं उसको तो विकसित किया नहीं और एक नया पार्क बना दिया। कोई बात नहीं, जोधपुर का विकास होगा, मगर जोधपुर के विकास में क्या हुआ ? कुछ नहीं हुआ। इससे अच्छा तो जलदाय मंत्रीजी ने ऐसी व्यवस्था पानी की की। इन्होंने एक स्लोगन लिखवाया कि 'बिजली बचाओ, सबको पढ़ाओ और पानी बचाओ' पानी है ही नहीं तो क्या

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

बचायेंगे ? आपने पांच साल के अन्दर कुछ भी ऐसा कार्य नहीं किया जो पानी बचाने की बात करो। बिजली बचाओ, बिजली ही नहीं सबको पढ़ाओ।

राजीव गांधी पाठशाला खोल दी और वहां पर पढ़ाने वाला कौन ? आठवीं क्लास और दसवीं क्लास को पढ़ाओ। ऐसे ऐसे तो इन्होंने किये फिर भी यह कह रहे हैं इस सरकार ने कुछ नहीं किया। आपको तो वसुन्धरा सरकार की बड़ी प्रशंसा करनी चाहिये कि दो साल के अन्दर उन्होंने कैसे-कैसे कार्य किये। उसकी आपको प्रशंसा करनी चाहिये। आप अपने पांच साल और दो साल का हिसाब-किताब जोड़ लें। अब क्या होगा ? मैं यह मानकर चलती हूं, जोधपुर के अन्दर जब कभी भी पूर्व मुख्य मंत्रीजी आयेंगे, बड़ा भारी स्टेटमैंट देंगे यह नहीं हुआ, वह नहीं हुआ। आप विधान सभा में आकर बोलो ना, कौन मना करता है ? यह विधान सभा है, आप खुद यहां कहें। आप आइये, सामने आइये। यहां तो सिर्फ एक दिन उनकी शक्ल दिखती है उसके बाद में कभी उनके दर्शन नहीं होते हैं। आप आइये, सामने होये, बात करो तो सामने बात का मजा आयेगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्षः कृपया व्यवधान नहीं डालें।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यासः माननीय अध्यक्ष महोदय, जनवरी, 04 में कृषि भूमि के रजिस्ट्रेशन में महिलाओं को छूट देने से लगभग दो लाख महिलाओं को भूमि का हक मिला। यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। मेरा आपसे निवेदन है कि शहरी महिलाओं को भी फायदा हो तथा ग्रामीण को भी हो इसलिये आपको चाहिये कि आवासीय जमीन की रजिस्ट्री महिला के नाम से करने पर इसी प्रकार से छूट मिलनी चाहिये ताकि आवासीय जमीन में भी महिलाओं को हक मिल सके। महिला शिक्षकों की नियुक्ति में 30 प्रतिशत आरक्षण करके व 3000 के लगभग विधवाओं, परित्यक्ताओं को नियुक्ति दिये जाने पर मैं मुख्य मंत्रीजी का बहुत-बहुत आभार आपके माध्यम से प्रकट करती हूं। मुझे इस बात को कहने में कोई शंका नहीं है जोधपुर शहर के अन्दर एक पुराना शहर बसा हुआ है। मैं कल भी बोली हूं और कल आपसे भी निवेदन किया था कि मुझे इसके लिये संरक्षण देंगे और मदद करेंगे। मैं शहरी क्षेत्र में रहती हूं। शहरी क्षेत्र की ऐसी दुर्दशा है कि वहां एक नगर निगम के अलावा कोई भी कार्य नहीं करता है और नगर निगम का बोर्ड है कांग्रेस का। वह कोई भी सड़क, नाली कुछ भी बनाना नहीं चाहते हैं। यहां तक कि सफाई कराने में भी अक्षम हैं। जो भी रूटीन का काम है वह भी वह नहीं करवाते कि हमारे पास

पैसा नहीं है। अब मेरी यह स्थिति है कि दो पाटों के बीच में हूं। कुछ सड़कें तो पी.डब्ल्यू.डी. की आयी हुई हैं। बाकी की सारी सड़कें नगर निगम की हैं। मैं नगर निगम के मंत्रीजी और पी.डब्ल्यू.डी. मंत्रीजी से निवेदन करूंगी कि जो आपकी चार सड़कें हैं कम से कम आप उनको तो करवायें। मैं बिलकुल सही बात कह रही हूं, मैं तत्कालीन मुख्य मंत्रीजी को रोज लैटर लिखती कि जो आपकी सड़क है वह कराओ। मुख्य मंत्रीजी मुझे क्या लिखकर भेजते मैंने आपका लैटर भेज दिया है। अब कम से कम दो साल हो गये, मैं सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी से कहूंगी कि कम से कम आप तो इसके ऊपर ध्यान दो और आप अपनी सड़कें वह तो आप कम से कम करवा दो ताकि मैं कुछ बोलने की स्थिति में रहूं।

श्री अध्यक्ष: पी.डब्ल्यू.डी. मिनिस्टर, कृपया ध्यान दें। कृपया ध्यान दें उनकी बातों पर।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बिलकुल सही शब्दों में कह रही हूं कि बुजुर्ग औरतें, मैं जब सुबह दर्शनों के लिये जाती हूं, मेरे को मंदिरों के दर्शनों का बचपन से नहीं लगाने है। मैं आपको सही कहूं, बुड्ढी औरतें क्या कहती हैं मुझे, आपकी मुख्य मंत्री, आपकी महारानीजी हैं उन्होंने पानी का तो इतना आराम कर दिया कि हमारे आनन्द ही आनन्द हैं लेकिन सड़कों की हालत हमारे यहां बहुत खराब है, हमको बहुत मुश्किल से चलना पड़ता है लकड़ी हाथ में लेकर चलने में। मैं आपको बहुत सही बात कह रही हूं यह स्थिति है शहर की...

श्री अध्यक्ष: आप बातें कर रहे हैं, आपकी सड़कों की बातें कर रही हैं वह। आप बातें कर रहे हो।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास: पानी के लिये कोई भी मुझे नहीं कहता। हमारी तीसरी मंजिल पर पानी जाता है ऐसा लोग पानी के लिये बोलते हैं। हैंड पम्पों के ऊपर मशीनें लगा दी गयी हैं मगर आवास मंत्रीजी को और सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी से मैं यह निवेदन करना चाहूंगी कि आप इसके लिये इनसे, अध्यक्ष महोदय, टाइम दिलवा दीजिये। महीने भर से करें, दो महीने से करें, कोई तकलीफ नहीं है। मगर मुझे यह समझ में नहीं आता दो साल हो गये, आपने शहरों के अन्दर सड़कों का जाल बिछाया होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपने खूब विकास किया होगा, मगर शहर के अन्दर नगर निगम कोई

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

पैसा नहीं लगाता। मैं स्वायत्त शासन मंत्रीजी और सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी से निवेदन करूं कि...

श्री अध्यक्ष: पी.डब्ल्यू.डी. मिनिस्टर, महिलाओं का ध्यान रखिये खास तौर से आप। आप ध्यान नहीं रखते हैं।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास: आदेश करवाइये कि सड़कों को तुरन्त पूरा करवाया जाये। शिक्षा के ऊपर भी कोई नहीं है...

श्री महावीर प्रसाद जैन: अध्यक्ष महोदय, सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी को आपने बहुत ज्यादा भयभीत कर रखा है।

श्री हरिमोहन शर्मा: अगर कोई भयभीत नहीं होने वाला है तो वह पी.डब्ल्यू.डी. मंत्री हैं आपके केबिनेट में।

मोहम्मद माहिर आजाद: नहीं यह तो जुगल काबराजी के मित्र हैं। जुगल काबराजी के परम मित्र हैं इसलिये नहीं बनवा रहे आपकी सड़कें।

श्री श्रवण कुमार: सूर्यकांताजी दुःखी हैं, या मैं दुःखी हूं। मेरे भी नहीं...

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास: माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर आप कहें मैं आपको टेप लाकर दूं। महिलाओं का क्या बयान रखा, बुजुर्ग औरतों का, वह पानी के लिये कितनी दुआ देती हैं मुख्य मंत्रीजी को। फिर कुछ बच्चे कह देते हैं कि हमारे स्कूल भी यहां हो गये हैं तो वह और भी खुश होती हैं। स्कूल क्रमोन्नत हो गये, उनको बाहर नहीं जाना पड़ेगा। मैं आपको धन्यवाद दूं कि आपने शहर के खूब काम किये होंगे मगर शहर के अन्दर काम नहीं हुआ इसलिये मुझे इस बात का बहुत ही दुःख है ।

शहरों के अन्दर कुए, बावड़ियां बहुत हैं। उसका पानी भी काम में लिया जाता है। शहरों के अन्दर उसकी मरम्मत के लिये मैं जलदाय मंत्रीजी से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहती हूं कुछ ऐसी धनराशि स्वीकृत करें जिससे कुएं, बावड़ियों के सुधार में काम आ सके और वहां सुधार हो। शहरों के अन्दर जब कभी पानी की अव्यवस्था हो जाती है कभी ऐसा भी हो जाए बिजली भी बंद हो जाए तो कुएं बावड़ियों से पानी काम में लिया जाता है...

श्री रामचन्द जारोड़ा: माननीय अध्यक्ष महोदय, जब सड़कें ही नहीं बनीं तो कहां बजट अच्छा है।

श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल: यह कह रही हैं कि वहां नगरनिगम में कांग्रेस का बोर्ड है।

श्री अध्यक्ष: आप कृपया शांत रहें। बीच में टोके नहीं।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास: आप यह मत कहो कि शहर की सड़कें नहीं बनी हैं। सड़कें तो खूब बनी हैं मगर शहर एक ऐसा है कि वहां नगरनिगम में कोई पैसा लगाता नहीं है। मैंने पहले भी कहा कांग्रेस का बोर्ड है वह सफाई भी कराने में सक्षम नहीं है तो क्या सड़कें बनवाएगा। वह तो हर बार यही कहता है हमारे पास पैसा नहीं है, एक ही बात कह देते हैं इसलिए मैं अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगी ...

श्री महावीर प्रसाद जैन: वह नगरनिगम वाले करते हैं अब काम नगरनिगम का है अब यह मंत्रीजी करेंगे यह बात अलग है पर नगर निगम बिलकुल निकम्मा है।

श्री अध्यक्ष: वह चार सड़कें तो पी.डब्ल्यू.डी. की हैं।

श्री हरिमोहन शर्मा: विकास होने के बावजूद नगरनिगम में कैसे हार गये आप, नगरनिगम में कैसे हार गये विकास होने पर ?

श्री रामचन्द्र जारोड़ा: सड़कें तो पी.डब्ल्यू.डी. की होंगी....

श्री श्रवण कुमार: न जोधपुर में हुआ, न पिलानी में हुआ, हुआ कहां यह बता दें? पिलानी में भी यह स्थिति है कि दो साल में दस रुपए बिल से नहीं काटते यह सड़कों के ।

श्री अध्यक्ष: अब क्या आप हर बात में खड़े हो जाते हैं ?

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास: जो एक मेन सड़क थी वह तो ए.डी.बी. ने कर ही दी है वह तो ऐतिहासिक सड़क बनी है ऐसी ही चाहते हैं कि सभी सड़क बन जाएं। कोई बात कहने में हमें आप वाली आदत नहीं है। जो सही बात है हमारे मंत्रीजी को कह दें तो हमें कोई तकलीफ भी नहीं है। जो बात है वह रखी है हमने इसमें क्या बात हो गयी।

अध्यक्ष महोदय, अभी भास्कर वालों ने आमने-सामने रखा था मेरे साथ में और वहां पर कांग्रेस के सारे मेम्बर्स आये थे उन्होंने मेरे से सवाल किया कि यह काम क्यों नहीं हुए, यह काम क्यों नहीं हुए, मैंने कहा आपने पांच साल क्या किया श्रीमानजी, अब आप मेरे को क्यों पूछ रहें हैं । आपने पांच साल में काम क्यों नहीं करवायें । क्यों आपको रोका थोड़े था, हमने तो रोका ही नहीं था । मेरे कहने का मतलब है कि पांच साल में एक भी सड़क नहीं बनी शहर में, शहर को तो नेगलेक्ट करके रख देते हैं यह लोग, जबकि शहर में से हर जुलूस निकलता है, अब भंवर का मेला आयेगा तो शहर में से, हर बात शहर के अंदर होती है । अगर उस शहर में कोई सुधार नहीं करेगा तो

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

कैसे चलेगा । जुलूस अगर कहीं बाहर से निकल जाये तो कोई सिरे बाजार थोड़े ही निकला है, शहर की कई मान्यताएं हैं, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से यही निवेदन करना चाहूंगी कि आपका यदि मुझे संरक्षण मिलेगा तो मैं मानकर चलती हूं कि यह काम तुरंत हो जायेंगे और कोई काम है ही नहीं शहर में, पानी की मैंने बता दी, शिक्षा की मैंने बता दी, सारे काम बता दिये, कोई है ही नहीं, मैं इस बजट का पुरजोर शब्दों में स्वागत करती हूं और उसका समर्थन करती हूं, धन्यवाद ।

श्री अध्यक्षः धन्यवाद । श्री वीरेन्द्र बेनीवाल ।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर): अध्यक्ष महोदय, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर राज्य की मुख्य मंत्री द्वारा पेश किया गया बजट और वह बजट जिसको पेश करते हुए मुख्य रूप से अगर ध्यान दिया गया तो स्त्री शक्ति को और सशक्तिकृत करने के नाम पर, महिला सशक्तिकरण के नाम पर पेश किया गया बजट, इस बजट को अगर पूरे गौर से देखा जाये तो हम यह देखते हैं कि न तो यह महिलाओं को सशक्तिकरण करता है न ही इतनी जो बहुसंख्यक राज्य की ढ़ाणियों और गांवों में निवास करते हैं, उनकी आवश्यकताओं को पूरी करता है । आज हर वर्ग जो आशाएं लगाये हुए था राज्य के इस पेश किये जाने वाले बजट पर उनकी आशाओं पर कुठाराघात हुआ है और सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करने वालों के द्वारा राज्य की नीतियों की सही क्रियान्विति नहीं कर पाने के कारण आम जन पीड़ा को सहन कर रहा है ।

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे मुख्य मंत्री महोदय द्वारा महिलाओं को कृषि भूमि रजिस्ट्रीकृत कराने पर जो स्टाम्प शुल्क में छूट दी गयी 11 प्रतिशत से साढ़े 5 प्रतिशत और यह कहा गया कि यह एक कदम है जो महिलाओं को सशक्तिकृत करने के नाम पर उनके द्वारा बढ़ाया गया । आज दौर है गति से चलने का, हमारी मुख्य मंत्री महोदय हवा में बातें करती हुई चलती हैं, हवाई यात्राएं करती हैं । ऐसे में महिलाओं को एक दम चलाना उनको बहुत पीछे रखने के बराबर है । मैं निवेदन करूंगा कि इस गति को बढ़ाया जाये । जो एक कदम आगे बढ़ाया गया है और दो कदम आगे ले जाया जाये । ऐसे में आशा करता हूं और मांग करता हूं कि वास्तव में अगर हमें महिलाओं को सशक्तिकृत करना है । उन्हें अधिकार दिलाने हैं और जिस

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

गति से महिलाओं के नाम पर रजिस्ट्री हुई है उस गति को अगर दुगुना करना है तो आने वाले समय में यह स्टाम्प ड्युटी घटाकर तीन से साढ़े तीन प्रतिशत कर दी जाये ।

अध्यक्ष महोदय, इसी के साथ दूसरा मेरा निवेदन है ग्रामीण क्षेत्र में इतना बड़ा बहुसंख्यक वर्ग पुरूषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कृषि कार्यों में उनका सहयोग करता है । आज कृषि भूमि का मालिकाना हक उनको दे दिया गया है लेकिन आने वाला कल अगर इसी प्रकार से राज्य की नीति में संशोधन करते हुए कृषि कनेक्शनों में भी उनको छूट दी जाये तो वास्तव में पूरे एक रजिस्टर्ड किसान के रूप में हम उनको देख पायेंगे और आने वाले समय में उनके नाम पर कृषि कुए भी हों, कनेक्शन भी हो ।

श्री अध्यक्ष: आपको बात करनी हो तो बाहर जाकर कर लें, डिस्टर्ब कर रहे हैं।

श्री राजकुमारी शर्मा: ए.सी. के लिए बोल रहे हैं, ए.सी. बंद करवा दीजिये, ठंड बहुत लग रही है ।

श्री अध्यक्ष: ए.सी.बंद करवा दें ।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल: अध्यक्ष महोदय, इसी के साथ समय-समय पर लंबित राजस्व मामलों के निपटारे के लिए राजस्व शिविरों का आयोजन गत सरकार द्वारा भी किया गया, वर्तमान सरकार द्वारा भी किया जा रहा है । इसी कड़ी में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हजारों की संख्या में ऐसे आवासीय पट्टे ग्राम पंचायतों द्वारा जारी किये गये हैं जो पट्टे रजिस्टर्ड नहीं होने के कारण उसके ऊपर लोन लेने की सुविधा आम जनता को नहीं मिल पाती है । मैं उसी कड़ी में क्योंकि महिला सशक्तिकरण की बात की जा रही है, हमने कृषि भूमि उनके नाम पर कर ही दी है, कृषि कनेक्शन आने वाले समय में हम दे ही देंगें, इसी के साथ-साथ अगर उन पट्टों का भी नाम परिवर्तित करने की सुविधा मिल जाये तो उन महिलाओं के नाम पर वह आवासीय पट्टे ट्रांसफर हो जायेंगे और रजिस्टर्ड हो जायेंगे तो महिलाओं को आने वाले समय में मकान की सुविधा भी मिल जायेगी तो वास्तविक रूप से खेत भी उनका, मकान भी उनका और जब यह सब कुछ कर दिया जायेगा तो एक मात्र अगर ग्रामीण क्षेत्र के अंदर आवश्यकता रहती है तो वह रहती है अपने उस धन को संचय करने की, जिसको पशु धन कहा जाता है । पूर्व में एक स्वयंसेवी संस्था द्वारा अनेकों गांवों में ऐसी महिलाओं को जिनको असहाय माना गया, उनको

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

नि:शुल्क गायें उपलब्ध करायी गयी थी जिससे उनका आर्थिक स्वावलंबन बढ़े और इसके साथ-साथ यह व्यवस्था भी की गयी थी कि लगभग एक वर्ष का उनके चारे का भी इंतजाम हो जिससे जब तक वह जो दूध से राशि प्राप्त करें और अपने आपको स्थापित कर सकें । इसी कड़ी में हमारी मुख्य मंत्री महोदय भी ऐसे ही कोई पहल करें और महिलाओं को इसी प्रकार से यह गौ-धन भी उपलब्ध करायें तो इस बजट का सही रूप से ग्रामीण परिवेश से जुड़ाव होगा । आज ग्रामीण क्षेत्र के उत्थान की बात है, गांवों से जुड़े हुए कस्बों के उत्थान की बात है । लेकिन हम स्थिति अगर देखें तो कस्बों के हाल बद से बदतर हैं, स्थिति यह आ गयी है कि सड़कों का हाल आज हमारे जोधपुर से आने वाली माननीय सदस्या अपनी कुछ सड़कों का जिक्र कर रही हैं, मै अपने क्षेत्र की सड़कों का हाल बताऊं,, बड़ा कस्बा, जिला बीकानेर के पास मेरे विधान सभा क्षेत्र का है नापासर, माननीय मंत्री महोदय भी एक-दो बार वहां पधारे हुए हैं । वह ना जाने 25-30 साल कितने साल पहले वहां पर सड़क बनी थी । यह किसी को पूरी तरह से याद भी नहीं है । राज तो आते-जाते रहते हैं । हो सकता है हम 1977 से 1980 के दौरान की बात भी कर लें । मेरा निवेदन यह है कि वह सड़क तब से आज तक नहीं बनी । इतना बड़ा कस्बा जो शहर का रूप लेता जा रहा है उस कस्बे के यह हाल हैं तो आज हम शहरों का बोझ कस्बों पर जो देना चाहते हैं वह कैसे संभव होगा ।

अध्यक्ष महोदय, आज बात आती है राज्य के द्वारा दी गयी सुविधाओं की, समय-समय पर स्वास्थ्य के संबंध में स्वास्थ्य शिविर लगाये जाते हैं। हमने स्थान-स्थान पर अस्पताल खोले हुए हैं। पीएचसी हैं, सीएचसी हैं, एएनएम हैं, रेफरल हास्पिटल हैं। लेकिन यह सब हमारे लिये सफेद हाथी बनकर रह गये हैं । अस्पतालों में डाक्टर उपलब्ध नहीं रहते हैं । अगर पोस्टिंग कर दी जाती है तो चंद मिनटों में या चंद दिनों में उनका डेपुटेशन कर दिया जाता है । आम जन वही पीड़ा भोगता है उसको इलाज के नाम पर कोई सुविधा नहीं मिलती । उसी सुविधा के नाम पर समय-समय पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा संजीवनी कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है । जो गत समय में भी लगभग राज्य में सभी जगह किये गये । उसी कड़ी में निवेदन करना चाहता हूं कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर आयोजित किये जाने वाले संजीवनी स्वास्थ्य कार्यक्रम इसके अंदर इलाज के नाम पर आने वाले हमारे गरीब वर्ग का व्यक्ति जब वहां पहुंचता है उसको जांच करके प्रेस्क्रिपशन लिखते

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

हैं उसमें वह दवा के लिए मेंशन करता है, सात दिन में या पंद्रह दिन में उसको वहां दवा उपलब्ध करवायी जाती है दो दिन या तीन दिन, वहां पर भी उसको नेगलेक्ट किया जाता है । आज यह स्थिति है इलाज के नाम पर । हमें इस जगह पर भी सुधार की आवश्यकता है । इसके साथ-साथ यह भी निवेदन है कि अस्पतालों में यह बात तो आती रहती है कि 50 बैड का अस्पताल है, 30 बैड का अस्पताल है लेकिन इंडोर फैसलिटी पेशेंट को नहीं मिल पाती है । उसका कारण पैरा मेडिकल स्टाफ की कमी, डाक्टरों के वहां पर रात को नहीं रूकने की कमी, कोई भी डाक्टर यह जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता कि वहां पेशेन्ट भर्ती हो, अगर पेशेन्ट भर्ती होगा तो निश्चित रूप से डाक्टर को भी उसकी केयर के लिए वहां रूकना पड़ेगा। अधिकांश डाक्टरों का यह है कि अगर कहीं पोस्टेड है और कभी-कभार जाते हैं तथा अप-डाउन करते हैं, शाम के बाद कोई भी नजर नहीं आता है, यह स्वास्थ्य की स्थिति है।

इसके साथ-साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि हम अभी बात कर रहे थे बी.पी.एल. की, उनको ज्यादा से ज्यादा सहायता पहुंचाई जाए और उनके आर्थिक उन्नयन के लिए जो कुछ भी प्रयास किए जाएं, वह प्रयास राज्य सरकार भी कर रही है और केन्द्र सरकार की योजनाएं भी इससे सम्बन्धित है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, स्थिति इससे बिलकुल अलग देखने को मिलती है, आज भी स्थिति यह है कि राज चाहे जितनी इस बात की दुहाई दे कि ग्रामीण परिवेश के लोगों के उन्नयन के लिए जो कुछ प्रयास किए गए, वह प्रयास इतिहास में आज तक नहीं हुए, लेकिन यह वादा उस वक्त ढकोसला साबित हो जाता है जब अनुसूचित जाति की एक सरपंच गुहार करती है इस बात की कि मुझे चार्ज दिलाया जाए, मैं सरपंच तो जीत गई हूं, जनता ने मुझे अपने वोट से सरपंच तो बना दिया लेकिन आज तक मुझे चार्ज नहीं मिल पाया। उस पर वह हमारे पंचायती राज मंत्रीजी, जिला कलक्टर को लिखते हैं लेकिन उसका भी नतीजा ढाक के वही तीन पात निकलता है। अध्यक्ष महोदय, वह सरपंच, महिला सरपंच, अनुसूचित जाति की महिला सरपंच गुहार करती है माननीय मुख्य मंत्रीजी से लेकिन फिर भी कोई सुनने वाला नहीं, यह स्थिति है पिछड़े तबके के लोगों की। मैं इसके साथ-साथ यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि एक तरफ तो बी.पी.एल. के सर्वे का महत्वपूर्ण कार्य चल रहा है.....।

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

श्री अध्यक्ष: आप कृपया एक मिनट में अपनी बात समाप्त करें, 10 मिनट ले लिए हैं आपने। 6.21 पर शुरू किया था, आप एक मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल: 6.26 थे अध्यक्ष महोदय, चलिए, उसमें दो बिन्दू और निकल जाएंगे।

श्री अध्यक्ष: बोलने वाले और भी बहुत हैं।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल: दो मिनट अध्यक्ष महोदय, मुझे दें।

श्री अध्यक्ष: हां, दो मिनट बोल लें।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल: अध्यक्ष महोदय, एक और बी.पी.एल. के सर्वे का कार्य सारे राज्य में चल रहा है वहीं दूसरी ओर वह महिला सरपंच प्रपत्र 'अ' की मांग आज दिन तक कर रही है। न जाने ऐसी और कितनी ग्राम पंचायतें होगी जो पिछड़ी हुई है। यह राज का वर्तमान स्वरूप है।

अध्यक्ष महोदय, मैं इसके साथ-साथ यह कहना चाहता हूं कि आज ग्रामीण परिवेश को मजबूती देने की बात की जा रही है। आज मिड-डे-मील का स्वरूप हमने परिवर्तित कर दिया, हमारे आर.सी.डी.एफ. के अन्दर जो मुनाफा कमाया गया उसकी चारों ओर चर्चा चलती है और आर.सी.डी.एफ. के मुनाफे को ऊंचाइयों तक पहुंचाने के अन्दर ब्राण्ड एम्बेसडर के रूप में हमारी मुख्य मंत्रीजी का जो काम रहा है उसकी प्रशंसा चारों ओर की जाती है लेकिन जिला स्तर पर डेयरियों की स्थिति क्या है? आज वह रुग्ण अवस्था में है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हम एक गिलास दूध पिलाने की कल्पना करते हैं कि एक गिलास दूध बच्चे को रोज पिलाया जाए, इसको प्रोत्साहित करने के लिए स्थान-स्थान पर होर्डिंग्स लगाते हैं। क्या वर्तमान सरकार मिड-डे-मील का स्वरूप बदलने के साथ-साथ, जिस तरह से हफ्ते में तीन दिन गर्म भोजन देने की बात की जा रही है, उसी तरह हफ्ते में तीन दिन बच्चों को दूध पिलाने की बात भी सोची है? इससे न सिर्फ एक तरफ पौष्टिकता में वृद्धि होगी वहीं दूसरी ओर हमारी स्थानीय स्तर पर जो हमारी दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियां हैं उनको मजबूती मिलेगी और हमारा दुग्ध व्यवसाय पुनः अपनी ऊंचाइयों को छुएगा, यह मैं कहना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही मेरा यह निवेदन है कि वर्तमान बजट के अन्दर पश्चिमी राजस्थान की उपेक्षा की गई है, चाहे वह पर्यटन के क्षेत्र में हो, चाहे वह शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे कृषि और उद्योग का क्षेत्र हो, हमारे

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

पश्चिमी राजस्थान में अगर हम बाड़मेर और जैसलमेर को छोड़ दें और बाकी की बात हम करते हैं, बीकानेर, गंगानगर और हनुमानगढ़ के आस-पास की बात करते हैं तो यह बहुत पीछे रह जाता है। हमें आवश्यकता है वर्तमान समय में बीकानेर विश्वविद्यालय को आर्थिक सहायता प्रदान करने की जिससे कि वह विश्वविद्यालय अपना सही स्वरूप ले सके। हमें आवश्यकता है कृषि विश्वविद्यालय को आधुनिक तकनीक मुहैया कराने के लिए साधन जुटाने की।

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

मेरा निवेदन है कि इन बातों पर गौर फरमाया जाए, वर्तमान बजट आज आम जन की भावनाओं की पूर्ति नहीं करता है, आम जन इस बजट से निराश है, इसमें समय रहते संशोधन किया जाए, इन्हीं शब्दों के साथ बजट में जो प्रावधान किए गए हैं, उनका मैं विरोध करता हूं। धन्यवाद, आपने मुझे समय दिया।

श्री अध्यक्ष: श्री देवीशंकर भूतड़ा।

श्री देवीशंकर भूतड़ा (ब्यावर): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जो बजट पेश किया है वह अत्यधिक सराहनीय है और प्रत्येक वर्ग को राहत पहुंचाने वाला है। इसीलिए आज राजस्थान में सभी जगहों पर इस बजट को लेकर माननीय मुख्य मंत्रीजी की भूरि-भूरि प्रशंसा हो रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, लगातार तीसरी बार हमारी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जो बजट पेश किया है उसमें प्रत्येक वर्ग का विशेष ध्यान रखा गया है, विशेष तौर पर गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों का ध्यान रखा गया है, अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों का ध्यान रखा गया है। इस बजट में जहां वृद्धजनों और विधवाओं के लिए भी विशेष प्रावधान किया गया है और इस बजट के बारे में यह कह सकते हैं कि यह मातृ शक्ति को समर्पित बजट है। यह बजट किसान, मजदूर और गरीब वर्ग को समर्पित बजट है, इस बजट में जहां सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है, हमारे जवानों के प्रति, उनके कल्याण के लिए और उनके सम्मान के लिए पहली बार इस बजट के अन्दर सोचा गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बजट से साफ झलकता है कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जन-भावनाओं को बहुत नजदीकी से समझकर प्रत्येक वर्ग की भावनाओं का इसमें समावेश करने का प्रयास किया है। इस बजट से राज्य का सर्वांगीण विकास सम्भव है। माननीय अध्यक्ष

(श्री देवीशंकर भूतड़ा)

महोदय, सवा दो वर्ष पूर्व हमारी माननीय मुख्य मंत्रीजी के पदभार सम्भालते हुए प्रदेश की जनता को स्वच्छ, संवेदनशील और पारदर्शिता के साथ प्रभावी शासन देने का वादा किया था, उस वादे पर माननीय मुख्य मंत्रीजी सौ टका खरी उतरी हैं। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अपने शासन की शुरूआत गरीब को गणेश मानकर की थी। अभी तक के शासन से और अभी तक के कार्यों से माननीय मुख्य मंत्रीजी दरिद्र नारायण की सेवा को समर्पित मुख्य मंत्री साबित हुई हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे मित्रों को जब हम इस शासन के बारे में, इसकी उपलब्धियों के बारे में जिक्र करते हैं तो ऐसा लगता है कि हम बहुत बढ़ा-चढ़ाकर बोल रहे हैं। मैं हमारे प्रतिपक्ष के साथियों का ध्यान इनके पिछले शासन की ओर दिलाना चाहता हूं जब इनकी कार्य पद्धति से जनता का विश्वास उठ गया था और माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जो उस वक्त भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष भी थी, अपनी परिवर्तन यात्रा के माध्यम से गांव-गांव, ढाणी-ढाणी और मजरे-मजरे तक पहुंच कर राजस्थान की जनता की जो समस्याएं थी और उनकी तकलीफें थी उनको बारीकी से समझ कर जब सत्ता में आई तो उस भावना को मद्देनजर रखते हुए अपने शासन की कार्य योजना बनाई और उसी कार्य योजना के अनुसार काम करना शुरू किया। इसी कारण राजस्थान में विकास की एक नई शुरूआत हुई और विकास की गंगा बहने लगी। क्योंकि इनके मन में एक सपना था कि जनता के मन से पिछले शासन से विश्वास उठ गया है, उस विश्वास को पुनर्जीवित करना है, इसी भावना को ध्यान में रखकर माननीय मुख्य मंत्रीजी ने 100 दिवसीय कार्य योजना बनाई, 365 दिवसीय कार्य योजना बनाई और कार्य प्रारम्भ किया और उसका परिणाम सामने आया कि राजस्थान की सम्पूर्ण जनता ने वाह-वाही की और यह वाह-वाही जब हम करते हैं तो प्रतिपक्ष के साथियों को बड़ी तकलीफ होती है। मैं उस सम्बन्ध में केवल एक बात कहना चाहता हूं कि जब हम वाह वाही करते हैं और उसके बारे में जो कहते हैं उसकी प्रामाणिकता पर भी हम खरे उतरते हैं और उसका सर्टिफिकेट है, जनता ने दिया है, जब हम जनता के सामने गए। माननीय मुख्य मंत्रीजी पहली मुख्य मंत्री होंगी जो कि सत्ता में आने के बाद निरन्तर चुनाव हुए, चाहे वह लोक सभा के हों, चाहे नगर परिषद् के हों, चाहे पंचायतों के हों, चाहे अन्य, सभी में जहां-जहां गई हैं उसके बाद जो परिणाम आए हैं, उन परिणामों के अन्दर यह साफ झलकता है कि

(श्री देवीशंकर भूतड़ा)

राजस्थान सरकार ने विकास की जो गंगा बहाई है, जो विकास के कार्य किए हैं, जो बजट सामने रखा है उससे आम जनता बहुत खुश है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि अपने कार्य करने की क्षमता से और अपनी लगन से आर्थिक, शैक्षणिक और व्यावसायिक हर क्षेत्र में एक कायापलट किया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय इस सवा दो साल की अवधि में राजस्थान ने विकास के नये सोपान तय किये हैं, चाहे गांव हो, चाहे शहर हो, चाहे खेत हो, चाहे उद्योग हो, चाहे महिलाएं हों, चाहे पुरुष हों, चाहे बच्चे हों, चाहे युवा हों सब तक विकास की किरण पहुंची है और विकास की किरण कहीं नजर नहीं आती है तो हमारे इन प्रतिपक्ष के साथियों को नहीं आती है, नहीं तो इस अकाल की गरीब और त्रासदी जैसी छवि से उन्मुक्त होता राजस्थान नये स्वरूप को हासिल कर रहा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य की वार्षिक योजनाओं के आकार को स्वरूप देते समय भी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने प्रत्येक चीज का ध्यान रखा। चाहे वह बिजली हो, चाहे पानी हो, चाहे सिंचाई के संबंध में हो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में हो, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं छोड़ा जिसमें माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बारीकी से समझकर उस क्षेत्र के लिए कोई कार्य योजना तैयार नहीं की है। प्रत्येक क्षेत्र के अंदर कार्य योजना तैयार कर इसी का परिणाम है कि सारी चीजें सामने झलक रही हैं और चारों तरफ विकास ही विकास नजर आ रहा है। इस बजट में भी इन आधारभूत बिन्दुओं पर ध्यान दिया गया है क्योंकि इन आधारभूत बिन्दुओं के बिना कोई भी राज्य विकास नहीं कर सकता, आर्थिक उन्नति की कल्पना नहीं कर सकता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में भाजपा के नेतृत्व में सवा दो साल पहले सरकार बनी थी, उससे पहले कांग्रेस की सरकार थी और जब कांग्रेस की सरकार थी उस वक्त क्या स्थिति थी इसके बारे में मुझसे पूर्व वक्ताओं ने कहा है और कांग्रेस के शासन में एक समय ऐसा भी आया था जब कर्मचारियों को देने के लिए वेतन नहीं था, दीपावली का त्यौहार आ गया तो अन्य मदों में से लेकर वेतन चुकाया गया। बोनस देने को नहीं था, सारी सुविधाएं खतम कर दी थीं और यह सारा कुछ होने के बाद चारों ओर संकट के बादल मंडरा रहे थे, उस वक्त आजादी के बाद पहली बार मैं समझता हूं राज्य

(श्री देवीशंकर भूतड़ा)

के कर्मचारियों का बोनस रोका गया, उनकी सुविधाओं को बंद किया गया और कहा गया कि खजाना खाली है, हमारे पास पैसे नहीं हैं, योजनाओं में कटौती की गई, वार्षिक योजनाओं का आकार घटा दिया गया और उसमें भी जो राशि तय की गई वह भी व्यय नहीं की गई। ऐसी स्थिति में सभी सवालों का जवाब जनता पूछती थी, जब इनके नेता और एमएलए जाते थे इनसे पूछते थे तो कहते थे हमारे पास खजाना खाली है, हमारे पास पैसे नहीं हैं, हम क्या करें। खजाना खाली है यह बात सही नहीं थी। बात सही थी इनका आर्थिक कुप्रबंधन। इनका वित्तीय प्रबंधन ठीक नहीं था, इनको राज करना आता नहीं था, इसलिए जनता को सारे कष्ट झेलने पड़ रहे थे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, सवा दो साल पहले जब माननीय वसुन्धराजी मुख्य मंत्री बनी इन सवा दो सालों के अंदर विकास और खाली खजाने पर लगा हुआ जो ग्रहण था वह ग्रहण हटा और चारों ओर विकास की गंगा बहने लगी और खजाना भी भरने लगा। हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कभी यह नहीं कहा कि हमारा खजाना खाली है, नहीं तो वे भी कह सकती थीं खजाना खाली है, पैसा नहीं है, लेकिन अपने बेहतर वित्तीय प्रबंधन के कारण सरकार ने दोष बताकर या पल्ला झाड़कर काम नहीं किया। क्योंकि माननीय मुख्य मंत्रीजी अपने बाल्यकाल से ही शासन की शैली को जानती थीं, उन्हें पता था कि राजस्थान की जनता ने हमें सिंहासन दिया है, हमें सत्ता सौंपी है, 120 सीटें हमको दी हैं अब राज करना और खाली खजाने को भरना यह हमारा दायित्व है। इसलिए माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अपनी कार्यशैली से, अपनी कर्तव्यनिष्ठता से यह कार्य करके बताया और खाली खजाने को भरकर बताया और काम किया। मुख्य मंत्रीजी की दृढ़ इच्छा शक्ति और उनके कुशल नेतृत्व के कारण आज यह सिद्ध करके बता दिया कि उपलब्ध साधनों का यदि ठीक ढंग से उपयोग किया जाए और मन में कार्य करने की इच्छा शक्ति हो तो वे सारे काम हो सकते हैं और राज्य को एक नयी दिशा मिल सकती है। आज वापस सारे कर्मचारियों को बोनस भी मिल रहा है, उनको सुविधाएं भी मिल रही हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि जो भर्ती के ऊपर रोक लग गई थी, जो भर्ती के ऊपर ग्रहण लग गया था पहली बार माननीय मुख्य मंत्रीजी की इच्छा शक्ति के कारण, माननीय शिक्षा मंत्रीजी की दृढ़ इच्छाशक्ति के कारण जो कोर्ट के अंदर पेचीदगियां चल रही थीं उन सबको हल करते हुए इस समस्या का निदान किया और भर्तियों पर जो ग्रहण लगा हुआ था वह ग्रहण हटा, नयी

(श्री देवीशंकर भूतड़ा)

भर्तियां शुरू हुईं। अपने कुशल प्रबंधन के कारण विकास के नये आयाम प्रारंभ हुए। एनआरआई का आकर्षण राजस्थान के प्रति बढ़ा।

श्री अध्यक्ष: 10 मिनट हो गये आपको।

श्री देवीशंकर भूतड़ा: अध्यक्ष महोदय, दो मिनट में अपनी बात खतम करता हूं। केन्द्र सरकार ने भी बेहतर वित्तीय प्रबंधन के कारण अनेक बार प्रोत्साहन राशि भी जारी की है। 10 फरवरी, 2004 के बाद एक दिन भी ओवर ड्राफ्ट नहीं रहा। अध्यक्ष महोदय, राजस्व प्राप्ति के अंदर निरन्तर प्रगति हो रही है। करों का सरलीकरण किया गया है और राज्य कर्ज राशि का कम ब्याज दर पर निर्धारण करके राज्य को राहत पहुंचायी है। राजस्थान को बेहतर वित्तीय प्रबंधन में तीसरे स्थान पर भारत सरकार ने भी माना है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी की दृढ़ इच्छा शक्ति को देखकर हम यह कह सकते हैं आने वाले वर्षों में राजस्थान निश्चित ही विकसित राज्य की श्रेणी में खड़ा होगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रतिपक्ष के साथ सरकार की वाह-वाही से बड़े नाखुश होते हैं और नाखुश होकर ऐसे मुद्दे उठाते हैं चाहे अकाल राहत के संबंध में मुद्दा हो, जिसका कोई लेना-देना नहीं है। अकाल राहत के कार्य जैसे ही अकाल घोषित हुआ माननीय मुख्य मंत्रीजी और हमारे अकाल राहत मंत्री ने एक जनवरी से अकाल राहत कार्य खोलकर अपनी इच्छा शक्ति बतायी, लेकिन इनकी समझ में यह बात नहीं आयी, केवल जनता को गुमराह करने के लिए, जनता को गलत मैसेज देने के लिए कि हम आपके साथ में हैं। जनता बहुत समझदार है वह सारी बात जानती है इसलिए वह इनके बहकावे में आने वाली नहीं है।

श्री अध्यक्ष: आपने 12 मिनट ले लिये हैं।

श्री देवीशंकर भूतड़ा: मैं एक मिनट में खतम कर रहा हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, बजट के अंदर प्रत्येक वर्ग का ध्यान रखकर मुख्य मंत्रीजी ने कायापलट करके राजस्थान की जनता को जो विश्वास दिलाया है, पिछले लगातार दो वर्ष से और सवा दो साल बीत रहे हैं वास्तव में बहुत ही सराहनीय है और मैं समझता हूं परिवर्तन यात्रा के दौरान जो वायदे किये हैं उन वायदों पर खरा उतरने का प्रयास किया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अंत में एक बात कहकर अपनी बात को समाप्त कर रहा हूं। राजनेता वायदे बहुत करता है, लेकिन वायदे करना

(श्री देवीशंकर भूतड़ा)

अलग बात है उन वायदों पर खरा उतरना एक अलग बात है। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने उन वायदों पर खरा उतरकर यह बता दिया कि वास्तव में जो वायदे किये हैं उन वायदों को पूरा करके एक सर्वश्रेष्ठ शासनकर्ता की जो छाप छोड़ी है वह माननीय मुख्य मंत्रीजी ने छोड़ी है। मैं इस बजट का समर्थन करता हूं और आपने समय दिया उसके लिए धन्यवाद देता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री हीरालाल रैगर। 10 मिनट में अपनी बात समाप्त करेंगे। मैं 6 बजकर 7 मिनट तक सदन का समय बढ़ा रही हूं। क्या सदन की अनुमति है? सारी, 7 बजकर 7 मिनट तक। नहीं, अभी तो 47 ही हुए हैं, आप इसे 7 बजे तक समाप्त कर दें। 7 बजे तक ही बढ़ाया है। 6.48 हुए हैं, 12 मिनट बाकी है अभी तो। आप बोलिए।

श्री हीरा लाल (निवाई): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को कोटिश: धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने जो बजट पेश किया है सभी वर्गों के लिए, अनुसूचित जाति के लिए, महिलाओं के लिए, सैनिकों के लिए, कर्मचारियों के लिए, मजदूर और किसानों के लिए, एक तरह से सभी के हित का बजट पेश किया है।

आपके कुशल प्रबंधन में माननीय शिक्षा मंत्रीजी ने जो स्कूलें खोलीं, मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र की बात कहना चाहूंगा कि आजादी के 57 साल में जितनी स्कूलें नहीं खोलीं, मेरे विधान सभा क्षेत्र में 100 से ऊपर स्कूलें हायर सैकण्डरी स्कूल, सैकण्डरी स्कूल, मिडिल स्कूल, राजीव गांधी से राजकीय प्राथमिक शालाओं में क्रमोन्नत की गईं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र में जब कांग्रेस की सरकार थी, दो शहीद हुए। निवाई विधान सभा क्षेत्र के जयनारायण जाट और मेरे विधान सभा क्षेत्र के जोला के राजाराम गुर्जर। माननीय मुख्य मंत्रीजी उनकी मूर्तियों का अनावरण करने गये और शहीद की पत्नियों ने भी यह निवेदन किया, जो उसमें कपड़ा लिपटा हुआ था कि हम माननीय मुख्य मंत्रीजी से ही इन मूर्तियों का अनावरण कराएंगी।

इसमें उनका एक उद्देश्य छिपा हुआ था कि माननीय मुख्य मंत्री जी पधारेंगे, दो सैकण्डरी स्कूल क्रमोन्नत करेंगे, माननीय मुख्य मंत्री जी पधारे, दोनों स्थानों पर गये, जोलां भी गये और लुहारा भी गये, उन्होंने मूर्तियों का अनावरण किया और जनता ने मांग की कि माननीय मुख्य मंत्रीजी दो

(श्री हीरालाल)

सैकण्डरी स्कूल भी क्रमोन्नत कर दें लेकिन पूर्ववर्ती माननीय मुख्य मंत्रीजी ने सैकण्डरी स्कूल के लिए एक शब्द भी नहीं कहा और लोकप्रिय सरकार हमारी जो सवा दो साल पहले माननीय मुख्य मंत्रीजी की सरकार आई, पहली बार उन्होंने दोनों शहीदों के नाम पर सैकण्डरी स्कूल क्रमोन्नत किये। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा व माननीय शिक्षा मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन शहीदों की समृति में जो इन्होंने काम किया वह ऐतिहासिक काम किया। इसी प्रकार का वनस्थली विद्यापीठ जो एक सैकण्डरी स्कूल था, माननीय अध्यक्ष महोदय, आप परिचित हैं वहां पढ़ी हैं, सन् 1967 में सैकण्डरी स्कूल क्रमोन्नत हुआ जिसको पूर्ववर्ती सरकार ने बार-बार मांग करने के बाद माननीय मुख्य मंत्रीजी की सरकार आने के बाद उन्होंने उसको सीनियर हायर सैकण्डरी में क्रमोन्नत किया 2004 में। मैं मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा व शिक्षा मंत्रीजी को भी धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि राजस्थान में ही नहीं, अन्य प्रांतों में भी एक तरह से यह एक उदाहरण है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के जो भारतीय प्रशासनिक सेवाओं की सिविल सेवाओं में जो पूर्व परीक्षा पास करते हैं उन्हें माननीय मुख्य मंत्रीजी ने मुख्य परीक्षा और कोचिंग के लिए एक लाख रुपये का अनुदान स्वीकृत किया। इसी प्रकार, राजस्थान प्रशासनिक सेवाओं के लिए आरपीएस और आरएएस के लिए 45 हजार रुपये स्वीकृत किये। इसके लिए समाज कल्याण विभाग, माननीय मुख्य मंत्रीजी और माननीय मदन दिलावरजी दोनों ही बधाई के पात्र हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त ...(व्यवधान)... आप बोलने तो दो। अब आप तो सीखे हुए हो, हम तो सीखने आए हैं, आप तो सीखे-सिखाए हैं।

महिला विकास कार्यक्रम को सुदृढ़ीकरण करने के लिए महिला विकास अभिकरणों में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने यह घोषणा की है कि जिला विकास महिला अभिकरण में महिला ही अधिकारी होनी चाहिए। वर्तमान में वृद्धों के लिए पेंशन दो सौ रुपये थी, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने हमारी सरकार में यह बढ़ा कर चार सौ रुपये कर दी है, पूर्व सैनिकों के लिए तीन सौ से बढ़ा कर छह सौ रुपये और अब चालू वर्ष में आठ सौ रुपये कर दी है। इसी प्रकार द्वितीय विश्व युद्ध में जो सैनिक मारे गये थे। उनकी भी पेंशन आठ सौ रुपये हमारी सरकार ने कर दी है, जो बहुत बधाई के पात्र हैं। विभाग द्वारा संचालित 697 छात्रावास हैं जिनमें विद्यार्थियों को भोजन, वस्त्र और आवास की सुविधा

(श्री हीरालाल)

है, उनका बजट 675 के स्थान पर 725 रुपये अब अप्रैल से करके माननीय मुख्य मंत्री जी ने अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्रों की शिक्षा की ओर अग्रसर होने के लिए बढ़ावा दिया है। विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों में जो भवनहीन हैं, जिनके भवन नहीं हैं प्रति छात्रावास 35 लाख रुपये के हिसाब से 33.25 करोड़ रुपये खर्च करके नये भवन बनाने की योजना है। विकलांग व्यक्तियों के लिए रोजगार की समस्या रहती है इसलिए दोनों हाथों से, दोनों पैरों से विकलांग व्यक्तियों के लिए आगामी दो वर्षों में एक हजार कियोस्क और मोबाइल कियोस्क तैयार कर आवंटित किये जाएंगे। मिड-डे-मिल के तहत जो पहले घूघरी मिलती थी हमारी वर्तमान सरकार ने पका हुआ भोजन बच्चों को दिया है जिसमें बच्चों को पढ़ाई में ठहराव में भी सहायता मिली है।

चिकित्सा विभाग में कमियां राज्य में लम्बे समय से चली आ रही थी और कोई नियुक्ति नहीं की गई थी, माननीय मुख्य मंत्रीजी और माननीय चिकित्सा मंत्रीजी ने 558 चिकित्सक 372 नर्से तथा 54 नर्स ट्यूटर की भी नियुक्ति की सहमति दी है। आगामी दो वर्षों में सौ चिकित्सक, दो सौ एएनएम तथा सात सौ नर्सों की भी भर्ती की जानी है। जिसके लिए माननीय चिकित्सा मंत्रीजी और माननीय मुख्य मंत्री जी बधाई के पात्र हैं। कृषि के क्षेत्र में...

श्री अध्यक्ष: आप किस बात की ताली बजा रहे हैं ?

श्री हीरालाल (निवाई): कृषि के क्षेत्र में लड़कियां अध्ययन में कम रूचि लेती हैं। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने एक हजार, कृषि पढ़ाई के लिए सैकण्डरी, सीनियर सैकण्डरी तक एक हजार से तीन हजार रुपये, कालेज स्तर तक तीन हजार से पांच हजार रुपये तक जो उन्होंने अनुदान स्वीकृत किया है, वह बधाई के पात्र हैं। हमारी सरकार में हमारे जो माननीय सदस्य हैं, वरिष्ठ सदस्य हैं, सरकार की तारीफ करते हैं कि यह बजट किसी प्रकार का नहीं है। हमारी सरकार ने आने के बाद जो काम किये हैं, अनुसूचित जाति, जनजाति के लिए जो ऐतिहासिक काम हैं। माननीय भैरोंसिंह जी जब 1977 में राज में पधारे तो कांग्रेस ने 13 साल तक पंचायतों के चुनाव नहीं कराये, माननीय भैरोंसिंह के नेतृत्व में पंचायतों के चुनाव हुए, यह एक ऐतिहासिक उदाहरण है। इसी प्रकार, सरकार सभी वर्गों महत्वपूर्ण कदम उठा रही है, उनके विकास में योगदान दे रही है और महिला सशक्तिकरण वर्ष है, यह महिला अंतरराष्ट्रीय दिवस है और हमारे सर्वोच्च सदन में माननीय अध्यक्ष महोदय विराजमान हैं, राजस्थान सरकार में हमारी माननीय मुख्य मंत्रीजी महिला हैं और सर्वोच्च पद पर प्रथम नागरिक भी हमारी

(श्री हीरालाल)

महिला नागरिक हैं और मैं तो माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा कि अब जो भावी चीफ सेक्रेटरी बने वह भी महिला बने, मेरा ऐसा आपसे निवेदन है ताकि महिला वर्ष और महिला सशक्तिकरण का एक कार्य रूप से परिणत हो और विपक्ष की नेता भी वही बने, ऐसा मेरा मानना है। तो ये सारी चीजें महिला सशक्तिकरण जब ही माना जाएगा कि यह सारी पोस्टें महिलाओं से भर जाएं और माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से ...

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): प्रधान मंत्री भी महिला बननी चाहिए न?

श्री हीरालाल (निवाई): बिलकुल।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): हां, सोनिया गांधी बननी चाहिए ठीक है। ...(व्यवधान)...

श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल (देसूरी): सुषमा स्वराज होनी चाहिए प्रधान मंत्री देश की, यहां की जन्मी जायी।

श्री हीरालाल (निवाई): यहां का जन्म लेने वाला, यहां का नागरिक बन सकता है। ...(व्यवधान)... उन्होंने शादी होने के 13 साल बाद नागरिकता ली है। ...(व्यवधान)...

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): सुषमा स्वराज प्रधान मंत्री होनी चाहिए जो इस देश की जन्मी जायी हैं। ...(व्यवधान)... आप तो विपक्ष के नेता को ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: आप तो ममता शर्मा को बनाने के लिए तैयार नहीं हैं... (व्यवधान)

श्री हीरालाल (निवाई): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह सभी शेरो-शायरी की है, हमारी माननीय मुख्य मंत्री जी के लिए कहना चाहूंगा, उनकी शान में एक शेर कहना चाहूंगा, वही कह रही हैं

अभी हम अपने आपे में हैं,

अभी हम नहीं, वरना और हैं,

दुनिया में, हम भी किसी से कम नहीं।

जयहिन्द, जय भारत। ...(व्यवधान)...

श्री सी.पी. जोशी (नाथद्वारा): नहीं, अपने नहीं बस का रोग।

श्री हीरालाल (निवाई): क्या, और जवाब दूं ?

श्री राजेन्द्र राठौड़: एक शेर और सुनाएं।

श्री हीरालाल (निवाई): मुख्य मंत्री जी इस तरह की हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़: हां, बोलो, बोलो।

श्री हीरालाल (निवाई): खुदी को कर बुलंद इतना हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे को पूछे बता तेरी रजा क्या है।

एक माननीय सदस्य: एक और।

श्री संयम लोढ़ा: वो बंदों में है या खुदा है ?

श्री अध्यक्ष: सदन की कार्यवाही शनिवार, दिनांक 11 मार्च, 2006 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 19.00 बजे शनिवार, 11 मार्च, 2006 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्नोत्तर

पाली जिला परिषद द्वारा जैविक खाद क्रय में व्याप्त अनियमितता

131. श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि गत एक वर्ष में स्थानीय बाजार में सस्ता जैविक खाद उपलब्ध होने के बावजूद जिला परिषद पाली ने ऊंचे भाव में जिले के बाहर से जैविक खाद खरीद का आदेश दिया गया था? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या यह भी सही है कि सरकार द्वारा उक्त महंगे भाव जैविक खाद खरीद के आदेश को बाद में निरस्त या स्थगित कर दिया गया? यदि हां, तो स्थगन या निरस्तीकरण के आदेश किसके द्वारा दिये गये?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त आदेश के स्थगन या निरस्तीकरण के बावजूद कुछ माल सप्लाई भी कर दिया गया? यदि हां, तो उसका भुगतान किस प्रकार किस मद से किया गया?

(4) क्या उक्त गलत आदेश की सरकार द्वारा जांच की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

(5) स्थानीय बाजार में जैविक खाद सप्लाई के लिये आवेदन किस भाव में दर्शाए गये थे तथा किस भाव में खरीद का आदेश दिया गया?

(6) क्या उक्त खरीद के लिये विधिवत टेन्डर प्रक्रिया अपनाई गई यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जिला परिषद, पाली ने गत एक वर्ष में किसी प्रकार की जैविक खाद नहीं खरीदी तथा न ही उक्त को खरीदने के आदेश दिये।

(2) जिला परिषद, पाली ने उत्तर संख्या 1 के अनुसार जैविक खाद खरीदने के आदेश नहीं दिये, इस कारण इस बाबत किसी प्रकार के निरस्ती आदेश या स्थगित करने के आदेश नहीं दिये।

(ग्रामीण विकास मंत्री)

(3) उत्तर संख्या 1 के अनुसार जिला परिषद पाली ने गत एक वर्ष में जैविक खाद नहीं खरीदने के कारण इस बाबत किसी प्रकार का भुगतान नहीं किया।

(4) जिला परिषद, पाली द्वारा जैविक खाद खरीदने के आदेश नहीं देने के कारण किसी भी प्रकार की जांच नहीं चल रही है।

(5) जिला परिषद, पाली को जैविक खाद खरीदने की आवश्यकता नहीं होने के कारण स्थानीय बाजार से जैविक खाद सप्लाई के लिए आवेदन नहीं मांगे गये तथा उपरोक्तानुसार जैविक खाद नहीं खरीदी गई।

(6) उपरोक्तानुसार जिला परिषद, पाली को जैविक खाद की आवश्यकता नहीं होने के कारण इस बाबत किसी प्रकार की निविदाएं आमंत्रित नहीं की गई।

बीकानेर जिले में जिप्सम हेतु खनन लीज

132. श्री गोविन्दराम मेघवाल (नोखा) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) बीकानेर जिले में आर.एस.एम.एस. को पूगल, खाजूवाला तहसील के कितने गांवों में कितनी जमीन जिप्सम निकालने के लिए लीज पर दी हुई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) आर.एस.एम.एस. ने पूगल व खाजूवाला के कितने गावों के कितने किसानों को जिप्सम के बदले कितने रुपये दिये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) बीकानेर जिले में पूगल तहसील में आर.एस.एम.एम. लि. को एक खनन क्षेत्र और खाजूवाला तहसील में पांच खनन क्षेत्र स्वीकृत है पूगल तहसील के एक गांव में 5 हैक्टेयर और खाजूवाला तहसील में चार गांवों में कुल 2081.87 हैक्टेयर क्षेत्रफल में खनन क्षेत्र स्वीकृत है। विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) वर्ष 2005-06 में माह जनवरी, 2006 तक जमीन से जिप्सम निकालने के बदले 40 काश्तकारों को मुआवजे के रूप में 42.73 लाख रुपये दिये गये हैं जिसका विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

परिशिष्ट-1

पूगल व खाजूवाला तहसील में दिये गये खनन पट्टों का विवरण

क्र. सं.	खदान का नाम	गांव का नाम	तहसील	क्षेत्रफल
1.	बल्लर जिप्सम खदान-II	बल्लर	खाजूवाला	196.88 हे.
2.	बल्लर जिप्सम खदान	बल्लर	खाजूवाला	1000.00 हे.
3.	अकासर जिप्सम खदान	अकासर	खाजूवाला	135.00 हे.
4.	कुण्डल जिप्सम खदान	कुण्डल	खाजूवाला	350.00 हे.
5.	अलादीन का बेरा जिप्सम खदान	माथो डिग्गी	खाजूवाला	400.00 हे.
6.	गुलाम कादरी का बेरा	गुलाम कादरी का बेरा	पूगल	5.00 हे.
			योग	**2086.87 हे.**

नोट :- अकासर गांव पूर्व में पूगल तहसील की सीमा में आता था वर्तमान में यह गांव खाजूवाला तहसील में आता है।

परिशिष्ट-2

वर्ष 2005-06 में माह जनवरी तक पूगल व खाजूवाला तहसील में काश्तकारों को दिये गये मुआवजे का विवरण

क्र. सं.	खदान का नाम	गांव का नाम	तहसील	काश्तकारों की संख्या जिन्हें मुआवजा दिया गया	भुगतान की गई राशि
1.	बल्लर जिप्सम खदान-II	बल्लर	खाजूवाला	4	रु. 3,56,887/-
2.	अकासर जिप्सम खदान	अकासर	खाजूवाला	17	रु. 7,43,341/-
3.	कुण्डल जिप्सम खदान	कुण्डल	खाजूवाला	17	रु. 29,64,765/-
4.	गुलाम कादरी का बेरा	गुलाम कादरी का बेरा	पूगल	2	रु. 2,08,580/-
			योग	**40**	**रु. 42,73,373/-**

कोटा सम्भाग में स्वयंसेवी संस्थाओं को आबंटित राशि

133. **श्री हेमराज मीणा** (किशनगंज) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा गत दो वर्षों में कोटा सम्भाग में स्वयंसेवी संस्थाओं को धनराशि आबंटित की गई? यदि हां, तो किन-किन संस्थाओं को? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि राज्य में भक्त श्रवण कुमार योजना चालू है? यदि हां, तो प्रत्येक जिले में कहां-कहां पर व इसका संचालन किसके द्वारा किया जा रहा है? संस्थाओं के नाम सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार द्वारा अब तक इस योजना पर कितनी राशि व्यय की जा चुकी है व कितनी शेष है?

उत्तर

(1) जी हां। सूची परिशिष्ट "अ" सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी हां। भक्त श्रवण कुमार कल्याण सेवा आश्रम योजना का संचालन स्वयंसेवी संस्थाओं के द्वारा किया जाता है। सूची परिशिष्ट "ब" सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) सरकार द्वारा योजना पर व्यय राशि व शेष राशि का विवरण परिशिष्ट "स" सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची/विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

मुण्डावर में निगम बस सेवा विहीन राष्ट्रीयकृत मार्ग

134. **श्री धर्मपाल चौधरी** (मुण्डावर) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर में कौन-कौन से राष्ट्रीयकृत राजमार्ग हैं?

(2) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा इन सभी मार्गों पर निगम बसें संचालित की जा रही हैं? यदि हां, तो किस-किस मार्ग पर कितनी-कितनी बसें संचालित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री धर्मपाल चौधरी)

(3) क्या सरकार जिन राष्ट्रीयकृत राजमार्गों पर निगम बसें नहीं संचालित कर रही उनको अराष्ट्रीयकृत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर में निम्नलिखित राष्ट्रीयकृत मार्ग हैं :-

1. खैरथल-सोडावास वाया हरसोली-मुण्डावर
2. हरसोली-बीबीरानी
3. अलवर-बहरोड वाया जिन्दोली-ततारपुर
4. किशनगढ़बास-कोटकासिम वाया बीबीरानी

(2) जी हां। इन मार्गों पर संचालित बस सेवाओं का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(3) जिन राष्ट्रीयकृत राज मार्गों पर निगम बसें संचालित नहीं कर रही है को, अराष्ट्रीयकृत करने का राज्य सरकार का विचार नहीं है। मार्गों को अराष्ट्रीयकृत करने सम्बन्धी बिन्दु संवेदनशील बिन्दु हैं जिस पर विस्तृत विचार विमर्श के बाद ही निर्णय लिया जाना सम्भव है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में बढ़ रही बालिका बलात्कार/हत्या प्रकरणों में कमी हेतु कार्यवाही

135. डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जनवरी, 2004 के पश्चात् से अब तक राज्य में बालिकाओं के साथ बलात्कार व बलात्कार के बाद हत्या की घटनाओं में वृद्धि हुई है? यदि हां, तो कितनी बालिकाओं के साथ बलात्कार की घटना कहां-कहां घटित हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा उपरोक्त कृत्य करने वालों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(डा. चन्द्रशेखर बैद)

(3) क्या सरकार इस प्रकार के कृत्य की रोकथाम के लिए कोई कारगर कदम उठाने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या?

उत्तर

(1) प्रदेश में वर्ष 2004 में बालिकाओं के साथ बलात्कार के 239, बलात्कार के बाद हत्या के 5, वर्ष 2005 में बलात्कार के 270, बलात्कार के बाद हत्या के 7, माह फरवरी, 2006 तक बलात्कार के 55 व बलात्कार के बाद हत्या के 3 प्रकरण दर्ज हुये। राज्य में बालिकाओं के साथ बलात्कार और बलात्कार के बाद हत्याओं की घटनाओं का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) उपरोक्त कृत्य करने वाले मुल्जिमों को गिरफ्तार कर चालान पेश किया गया, जिसका विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(3) उपरोक्त कृत्य करने वाले मुल्जिमों को तत्काल गिरफ्तार कर 7 दिन में चालान पेश करने के सभी जिलों की पुलिस को निर्देश दिये गये हैं। अपराधियों को न्यायालय से सजा दिलाने हेतु दिनांक 18.5.2005 से राज्य में केस अफसर स्कीम लागू की गई है। ऐसे प्रकरणों का फैसला त्वरित गति से करने के उद्देश्य से फास्ट ट्रेक द्वारा उक्त मुकदमों की अदालतों में ट्रायल की जा रही है।

परिशिष्ट "अ"

नाबालिक लड़कियों के साथ वर्ष 2004, 2005 एवं 2006 माह फरवरी तक के बलात्कार एवं बलात्कार के बाद हत्याएं

		बलात्कार वर्ष 2004				बलात्कार के बाद हत्या				बलात्कार वर्ष 2005				बलात्कार के बाद हत्या				बलात्कार वर्ष 2006				बलात्कार के बाद हत्या				
क्र. सं.	जिला	कुल दर्ज अभियोग	चालान	एफ. आर.	पेण्डिंग तफतीश	कुल दर्ज अभियोग	चालान	एफ. आर.	पेण्डिंग तफतीश	कुल दर्ज अभियोग	चालान	एफ. आर.	पेण्डिंग तफतीश	कुल दर्ज अभियोग	चालान	एफ. आर.	पेण्डिंग तफतीश	कुल दर्ज अभियोग	चालान	एफ. आर.	पेण्डिंग तफतीश	कुल दर्ज अभियोग	चालान	एफ. आर.	पेण्डिंग तफतीश	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1.	अजमेर	7	6	0	1	0	0	0	0	6	5	0	1	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	15
2.	भीलवाड़ा	3	3	0	0	0	0	0	0	5	5	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	9
3.	नागौर	7	6	1	0	0	0	0	0	9	9	0	0	0	0	0	0	2	1	0	1	0	0	0	0	18
4.	टोंक	1	1	0	0	0	0	0	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
5.	जयपुर उत्तर	5	5	0	0	0	0	0	0	6	5	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
6.	जयपुर दक्षिण	9	9	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	12
7.	जयपुर पूर्व	5	5	0	0	0	0	0	0	9	8	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	15
8.	जयपुर ग्रामीण	4	3	1	0	0	0	0	0	13	13	0	0	2	2	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	21
9.	झुंझुनूं	9	8	1	0	0	0	0	0	12	11	1	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	9
10.	सीकर	3	3	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	3	2	0	1	0	0	0	0	9
11.	दौसा	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
12.	अलवर	13	11	2	0	1	1	0	0	18	8	2	0	1	1	0	0	3	0	0	0	1	1	0	0	37
13.	बीकानेर	12	12	0	0	0	0	0	0	9	9	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	22
14.	चूरू	6	5	1	0	0	0	0	0	10	13	2	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	18
15.	गंगानगर	14	14	0	0	0	0	0	0	12	6	3	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	27
16.	हनुमान गढ़	17	14	3	0	1	1	1	0	14	2	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	33
17.	भरतपुर	6	6	0	0	0	0	0	0	8	3	0	0	0	0	0	0	4	1	1	2	0	0	0	0	18
18.	सवाईमाधोपुर	7	5	2	0	0	0	0	0	3	1	2	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	11
19.	धौलपुर	4	4	0	0	0	0	0	0	4	2	0	1	1	1	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	11
20.	करौली	5	2	3	0	0	0	0	0	3	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9
21.	जोधपुर शहर	4	3	1	0	0	0	0	0	2	3	2	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	9
22.	जोधपुर ग्रामीण	5	5	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9
23.	जालौर	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	4
24.	जैसलमेर	1	1	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
25.	बाड़मेर	3	3	0	0	0	0	0	0	3	7	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	7
26.	पाली	9	9	0	0	0	0	0	0	13	5	0	1	0	0	0	0	4	2	0	2	0	0	0	0	26
27.	सिरोही	3	3	0	0	0	0	0	0	8	3	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	12
28.	कोटा शहर	3	3	0	0	0	0	0	0	5	5	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	9
29.	कोटा ग्रामीण	8	7	1	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	12
30.	बूंदी	5	5	0	0	0	0	0	0	12	11	0	1	0	0	0	0	3	2	0	1	0	0	0	0	20
31.	झालावाड़	5	5	0	0	0	0	0	0	10	9	1	0	0	0	0	0	5	0	1	4	0	0	0	0	26
32.	बारां	12	11	1	0	2	2	0	0	10	9	1	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	51
33.	उदयपुर	29	25	3	1	0	0	0	0	18	15	3	0	0	0	0	0	4	0	0	3	0	0	0	0	5
34.	बांसवाड़ा	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25
35.	चित्तौड़गढ़	8	8	0	0	0	0	0	0	16	15	0	1	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	9
36.	डूंगरपुर	5	5	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	2	2	0	1	0	0	0	0	5
37.	राजसमन्द	1	1	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1
38.	जीआरपी अजमेर	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
39.	जीआरपी जोधपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40.	कुल योग	239	217	20	2	5	4	1	0	270	243	21	6	7	7	0	0	55	24	2	29	3	3	0	0	579

मावली में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत खाद्यान्न की कालाबाजारी

136. श्री शांतिलाल चपलोत (मावली) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में विगत दो वर्षों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली से बेचे जाने वाले खाद्यान्न की कालाबाजारी तथा चोरी के कितने-कितने प्रकरण दर्ज हुए? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें। इनका निस्तारण किस प्रकार किया गया?

(2) विधान सभा क्षेत्र मावली में इसके तहत कुल कितने प्रकरण दर्ज हुए और उनका निस्तारण किस प्रकार हुआ?

(3) भविष्य में इस हेतु सतर्कता बरतने के लिए सरकार ने क्या दिशा-निर्देश जारी किये हैं? जारी दिशा-निर्देशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में विगत 2 वर्षों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली से बेचे जाने वाले खाद्यान्न की कालाबाजारी एवं चोरी के दर्ज प्रकरण एवं उनके (विभागीय/न्यायिक/जब्ति) निस्तारण सम्बन्धी कार्यवाही की जिलेवार सूची परिशिष्ट "1" पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र मावली में दर्ज प्रकरणों एवं उनके निस्तारण सम्बन्धी कार्यवाही की सूची परिशिष्ट "2" पर संलग्न है।

(3) नियंत्रित वस्तुयें उपभोक्ताओं को समय पर तथा निर्धारित उचित मूल्य पर उपलब्ध हो, इस पर नियंत्रण एवं निगरानी रखने हेतु उचित मूल्य दुकान स्तरीय सतर्कता समिति, तहसील स्तरीय सतर्कता समिति एवं जिला स्तरीय सतर्कता समिति का गठन दुकानों के कार्य की समीक्षा हेतु किया गया है।

राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश, 1976 के अन्तर्गत क्लाज 20 एवं 24 में प्रवर्तन निरीक्षक एवं ऊपर के स्तर से निगरानी ओर निरीक्षण की शक्ति प्रदत्त की गयी है तथा खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु राशन टिकिट सम्पूर्ण राज्य में खाद्यान्न हेतु प्रारम्भ की गयी है।

जिलेवार खाद्यान्न की कालाबाजारी एवं चोरी के दर्ज प्रकरण एवं उनके निस्तारण की सूची

परिशिष्ट-1

जिले का नाम	विभागीय प्रकरण	एफआईआर	(6ए) जब्ति	विशेष विवरण
1	2	3	4	5
अलवर	22	3		सभी प्रकरण विचाराधीन
बांसवाड़ा	22	5	5	22 विभागीय प्रकरण में से 10 का निस्तारण किया व 5 FIR व 5 प्रकरण 6ए के विचाराधीन है।
बाड़मेर	13			13 में प्राधिकार निलम्बित व प्रतिभूति जप्त
भरतपुर	11			सभी प्रकरण विचाराधीन
बीकानेर			3	जप्त गेहूं का निलामी से विस्तार व FIR दर्ज
चितौड़गढ़	8	2		8 प्रकरण में से 4 में प्राधिकार पत्र निरस्त व 4 में प्रतिभूति राशि जप्त। 2 प्रकरण विचाराधीन
चूरू			7	3 प्रकरण निस्तारित व 4 विचाराधीन
दौसा	144		20	20-6A के प्रकरण में से 19 की प्रतिभूति राशि जप्त व 1 निरस्त किया गया। और शेष 144 प्रकरण विचाराधीन
धौलपुर		2	20	दोनों प्रकरण विचाराधीन है।
डूंगरपुर			7	सभी प्रकरण विचाराधीन

1	2	3	4	5
श्रीगंगानगर	2		1	2 प्रकरण में प्राधिकार पत्र निरस्त व प्रतिभूति जप्त व 1 में प्राधिकार पत्र निरस्त व 3/7 के तहत FIR दर्ज
जयपुर	3	10		3 प्रकरण में प्राधिकार पत्र निरस्त व 10 के प्राधिकार पत्र निलम्बित
जैसलमेर		2	3	
जालौर		1		प्रकरण विचाराधीन
झालावाड़		9		सभी प्रकरण विचाराधीन
झुंझनूं	11	2		10 प्रकरण में प्राधिकार पत्र निरस्त 3 विचाराधीन
नागौर	18		6	सभी प्रकरण विचाराधीन
पाली	7			सभी 7 प्रकरण के प्राधिकार पत्र निलम्बित किये गये
राजसमन्द		6		3 प्रकरण के प्राधिकार पत्र निरस्त व 2 प्रकरण में प्राधिकार पत्र निलम्बित व 1 में विभागीय कार्यवाही जारी
सीकर		2		सभी 2 प्रकरण प्राधिकार पत्र निलम्बित
सवाईमाधोपुर	61		4	65 प्रकरण में से 33 प्रकरण विचाराधीन व 14 प्रकरण के प्राधिकार पत्र निलम्बित व 18 प्रकरण में प्रतिभूति राशि जप्त

1	2	3	4	5
टौंक	1	14		14 में से 10 के प्राधिकार पत्र निलम्बित व 4 के प्राधिकार पत्र निरस्त 1 प्रकरण विभागीय कार्यवाही विचारधीन
उदयपुर	36	2		38 प्रकरण में से 3 प्रकरण के प्राधिकार पत्र निरस्त व 9 प्रकरण विचाराधीन व 22 प्रकरण में अन्तर राशि वसूल की गयी 4 प्रकरण माल जप्त किया गया।
योग	**359**	**60**	**56**	

परिशिष्ट "2"

क्र. सं.	**प्रकरण संख्या**	**नाम डीलर**	**सेन्टर**	**गेहूं की मात्रा (क्वि.)**	**राशि**	**की गई कार्यवाही**
1.	33/05	पन्नालाल मेनारिया	बिकरनी	11.20	2800.00	अन्तर राशि वसूली
2.	87/05	अमरचन्द तेली	गन्दोली	35.00	—	प्राधिकार पत्र निरस्त
3.	88/05	पन्नालाल सुधार	आसोलियों की	1.40	—	प्राधिकार पत्र निरस्त
4.	216/05	हीरालाल	जयवाडा	2.45	—	प्राधिकार पत्र निरस्त
5.	270/05	शान्तिलाल	भादड़ी	20.40	—	प्रकरण विचाराधीन

बाली की माडा चयनित पंचायतों हेतु रोजगारोन्मुख कार्यक्रम

137. श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र बाली की पंचायत समिति बाली की ग्यारह पंचायतों में रोजगार ग्रामीण विकास हेतु वर्ष 2003 से अब तक क्या-क्या कार्य करवाये गये? पंचायतवार वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त माडा चयनित पंचायतों में से 6 पंचायतों क्रमश: गोरिया, काकराड़ी, कूरण, कोयलवाव, भीमाणा व आमलिया में 96 प्रतिशत से ज्यादा आबादी अनुसूचित जनजाति/आदिवासी वर्ग की है, जो ग्रामीण विकास, रोजगार कार्यक्रमों से वंचित है?

(3) क्या सरकार उक्त माड़ा/चयनित पंचायतों के जनजाति/आदिवासियों एवं बी.पी.एल. बाहुल्य बेरोजगारी-ग्रामीण विकास से अभावग्रस्त लोगों के लिए विशेष पैकेज जारी करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बाली की पंचायत समिति बाली में पड़ने वाली ग्यारह पंचायतों में रोजगार ग्रामीण विकास हेतु वर्ष 2003 (वित्तीय वर्ष 2002-03) से अब तक करवाये गये कार्यों का पंचायतवार, वर्षवार विवरण परिशिष्ट-क पर उपलब्ध है।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

नोहर-पल्लू क्षेत्र के किसानों को जिप्सम खनन की अनुमति

138. श्री बहादुर सिंह गोदारा (नोहर) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :- क्या

क्या सरकार नोहरा पल्लू क्ष्ोत्र में किसानों के खेतों में छोटे-छोटे पेचेज में जिप्सम है व जिसे कोई ठेकेदार या कम्पनी ठेके या लीज पर लेने को तैयार नहीं है, को किसानों से रायल्टी लेकर निकालने देने की छूट देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक कैसे व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी नहीं। नोहर पल्लू क्षेत्र में किसानों के खेतों में छोटे-छोटे पेचेज में खनिज जिप्सम न होकर विस्तृत क्षेत्र में खनिज उपलब्ध है। अधिकांश क्षेत्र पर आर.एस.एम.एम.एल. द्वारा खनन किया जा रहा है। किसानों से रायल्टी लेकर जिप्सम निकालने की छूट देने का नियमों में कोई प्रावधान नहीं है।

कुष्ठ पीड़ित परिवारों को देय सुविधाएं

139. श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा कुष्ठ पीड़ितों के लिए सुविधाऐं प्रदान की जाती है? यदि हां, तो क्या-क्या?

(2) क्या सरकार कुष्ठ पीड़ित बच्चों को नि:शुल्क शिक्षा, सरकार में नौकरी हेतु विशेष प्रावधान यथा; नि:शुल्क बिजली पानी, तकनीकी शिक्षा एवं महाविद्यालय की फीस में छूट व पुस्तकें व अन्य सुविधाऐं देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व क्या-क्या तथा नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा कुष्ठ पीड़ितों की सहायता हेतु बजट में प्रावधान किया गया है? यदि हां, तो कितना व क्या केन्द्र सरकार द्वारा भी इस हेतु राशि आबंटित की गई है? यदि हां, तो कितनी-कितनी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। कुष्ठ पीड़ितों के लिये सभी राजकीय चिकित्सा केन्द्रों पर नि:शुल्क उपचार की सुविधा उपलब्ध कराई जाती हैं। इसके अतिरिक्त सवाईमानसिंह चिकित्सालय, जयपुर के पुर्नवास एवं अनुसंधान केन्द्र में कुष्ठ रोगियों के लिये फिजियोथैरेपी, ओक्यूपेशनल थैरेपी, विशेष रूप से निर्मित फुटवीयर (चप्पलें), व्हीलचेयर, ट्राइसाइकिल, बैसाखी, कृत्रिम अंग व कैलीपर लगाये जाते हैं। उदयपुर में भी कुष्ठ पीड़ितयों को बैसाखी, छड़ी आदि उपलब्ध कराई जाती है।

(2) कुष्ठ पीड़ित बच्चों को नि:शुल्क शिक्षा, सरकार में नौकरी हेतु विशेष प्रावधान, नि:शुल्क बिजली-पानी, तकनीकी शिक्षा एवं महाविद्यालय की फीस में छूट व अन्य सुविधाऐं देने का प्रावधान विचाराधीन नहीं है।

प्राथमिक शिक्षा हेतु कक्षा 1 से 8 तक सभी छात्राओं को नि:शुल्क शिक्षा की व्यवस्था है तथा छात्रों को प्रवेश शुल्क, टी.सी. शुल्क, पुन: प्रवेश शुल्क, शिक्षण शुल्क

(समाज कल्याण मंत्री)

से छूट दी गई है। इसके अन्तर्गत कुष्ठ पीड़ित बच्चे भी लाभान्वित होते हैं। कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को नि:शुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराई जाती हैं तथा कक्षा 9 से 12 तक के आयकर दाता अभिभावकों के बच्चों को छोड़कर सभी को नि.शुल्क पाठ्य पुस्तकें वितरित की जाती हैं, जिसमें कुष्ठ पीड़ित विद्यार्थी भी सम्मिलित होते हैं।

(3) जी हां। राज्य सरकार द्वारा कुष्ठ पीड़ितों की सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत 203.89 लाख रुपयों का प्रावधान किया गया है।

केन्द्र सरकार द्वारा भी इस हेतु 132.58 लाख रुपयों की राशि राज्य सरकार को आबंटित की गई है।

निवाई की बन्द निगम बस सेवा का पुनर्संचालन

140. श्री हीरालाल (निवाई) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र निवाई में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की कौन-कौनसी बसें कहां-कहां से व किस-किस डिपो की संचालित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) गत तीन वर्षों में उक्त क्षेत्र में निगम की कौन-कौनसी बस सेवाओं को बन्द किया गया व इन्हें बन्द करने के क्या कारण रहे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त बस सेवाओं को बन्द किये जाने से आम जनता को असुविधा हो रही है? यदि हां, तो क्या सरकार बन्द बस सेवाओं को पुन: संचालित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र निवाई होकर/निवाई तक राजस्थान परिवहन निगम के विभिन्न आगारों द्वारा वर्तमान में आगारवार संचालित बसों का मार्गवार विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) गत 3 वर्षों (2003, 2004 एवं 2005) में बन्द की गई बस सेवाओं का विवरण एवं बन्द किये जाने का कारण दर्शाते हुये विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) जी नहीं। बन्द की गई बस सेवायें आर्थिक दृष्टि से लाभदायक नहीं रहने के कारण बन्द की गई है। इन बन्द की गई बसों का पुन: संचालन करने का फिलहाल कोई विचार नहीं है।

परिशिष्ट-1

निवाई शहर से/निवाई होकर निगम के विभिन्न आगारों द्वारा संचालित बस सेवाओं का मार्गवार विवरण

क्र. सं.	संचालित आगार का नाम	मार्ग का नाम	दैनिक संचालित एकल परिचक्र
1	2	3	4
1.	जयपुर	जयपुर-छबड़ा	2
		जयपुर-सवाईमाधोपुर	2
		जयपुर-इन्दौर	8
		जयपुर-भोपाल	4
2.	डीलक्स	जयपुर-कोटा	8
		जयपुर-पाटन	2
		जयपुर-छींपाबड़ौद	2
3.	गंगानगर	गंगानगर-कोटा	4
4.	अनूपगढ़	अनूपगढ़-कोटा	2
5.	हिण्डौन	महावीरजी-चांदखेडी	2
6.	हनुमानगढ़	हनुमानगढ़-टोंक	2
7.	चित्तौडगढ़	जयपुर-चित्तौड़गढ़	2
		दिल्ली-चित्तौड़गढ़	2
8.	चूरू	चूरू-कोटा	2
		चूरू-ओंकारेश्वर	2
		चूरू-कोटा	2
9.	अलवर-टोंक	अलवर-टोंक	2
10.	मत्स्यनगर	अलवर-टोंक	2
		अलवर-चांदखेड़ी	2
11.	सीकर	चूरू-कोटा	2

1	2	3	4
12.	झुंन्झुनूं	झुंन्झुनूं-कोटा	2
13.	खेतड़ी	सिंघाना-रावतभाटा	4
14.	बारां	जयपुर-बारां	4
		दिल्ली-बारां	4
		जयपुर-इन्दौर	2
		बारां-अलवर	2
		बारां-जयपुर वाया सवाईमाधोपुर	2
15.	दौसा	दौसा-डिग्गी	2
16.	झालावाड़	दिल्ली-झालावाड़-इकलेरा	4
		भिवाड़ी-पाटन	2
		कानपुर-पाटन	1
		मनोहरथाना-कानपुर	1
		जयपुर-इकलेरा	4
		पाटन-जयपुर	3
		जयपुर-पिड़ावा	1
		दिल्ली-पाटन	3
		जयपुर-झालावाड़	4
		इकलेरा-दिल्ली	2
17.	कोटा	कोटा-जयपुर	10
		कोटा-दिल्ली	10
		कोटा-चण्डीगढ़	2
		कोटा-पिलानी	2

1	2	3	4
18.	बूंदी	बूंदी-जयपुर	8
		कोटा-गोवर्धनजी	2
		कोटा-जयपुर	4
		कोटा-दिल्ली	2
19.	टोंक	भोपाल-जयपुर	4
		टोंक-जयपुर	15
		टोंक-फरीदाबाद	4
		कोटा-जयपुर	6
		टोंक-दिल्ली	4
		नैनवां-जयपुर	2
		निम्बाहेडा-जयपुर	2
		टोंक-फर्रूखाबाद	1
		डागरथल-जयपुर	2
		सारसोप-जयपुर	2
		टापुर-जयपुर	2
		टोंक-जयपुर	25
		सवाईमाधोपुर-जयपुर	1
		जयपुर-उदयपुर	1
		फिरोजाबाद-कोटा	1
		फर्रूखाबाद-कोटा	1
		दिल्ली-उदयपुर	1
		अलीगढ़-कोटा	1
		टोंक-अलीगढ़	1
		टोंक-फिरोबागाद	2

1	2	3	4
20.	वैशालीनगर	जयपुर-वनस्थली	16
		जयपुर-बौंली	8
		जयपुर-सवाईमाधोपुर-बौंली	2
		योग	247
	हरियाणा रोडवेज द्वारा	1. नारनोल-उदयपुर	2
		2. रोहतक-कोटा	2
		योग	4

परिशिष्ट-2

निवाई/निवाई होकर गत 3 वर्षों (2003, 2004, 2005) में बन्द की गई बस सेवाओं का वर्षवार विवरण

क्र. सं.	वर्ष	मार्ग का नाम	बन्द करने का कारण
1.	2003	निल	
2.	2004	जयपुर-चतरपुरा वाया वनस्थली	कम आय आने
		कोटा-जयपुर वाया इन्द्रगढ़	कम आय आने
		टोंक-लुहारू	कम आय आने
		टोंक-सिरस	कम आय आने
		टोडा-सारसोप	कम आय आने
		टोंक-डागरथल	कम आय आने
		जयपुर-मनोहरथाना	पर्याप्त सीधा यात्रीभार न मिलना
		जयपुर-टोंक-रावतभाटा	पर्याप्त सीधा यात्रीभार न मिलना
		टोंक-राजगढ़	पर्याप्त सीधा यात्रीभार न मिलना
		कोटा-हरिद्वार	अस्थाई अनुज्ञा पत्र पर दी।
3.	2005	टोंक-दौसा	कम आय आने

सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की क्रियान्विति

141. श्री प्रमोद जैन "भाया" (बारां) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 किस तारीख से प्रभावी हुआ है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि राज्य में सूचना का अधिकार अधिनियम लागू होने के बाद भी राज्य सूचना अधिकारी की नियुक्ति नहीं हुई? यदि हां, तो क्यों?

(3) सरकार राज्य में कब तक सूचना अधिकारी की नियुक्ति करने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) राज्य में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 दिनांक 12.10.2005 से प्रभावी हुआ है तथा राज्य सरकार द्वारा इसे प्रभाव देने हेतु राजस्थान सूचना का अधिकार नियम, 2005 दिनांक 12.10.2005 को प्रचलित किये गये हैं। नियमों की प्रति परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। परिपत्र क्रमांक प.9(23)गृह-5/2005 दिनांक 3.10.2005 द्वारा राज्य के लोक प्राधिकरणों के लिए राज्य लोक सूचना अधिकारी निर्धारित कर दिये गये हैं। जारी परिपत्र की प्रति परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(3) खण्ड-2 के उत्तर से स्थिति स्पष्ट है।

(प्रति/परिपत्र विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखे गये)

अचयनित निर्धन परिवारों को राशन सामग्री

142. श्री केसर देव बाबर (लक्ष्मणगढ़) (सीकर) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा ए.पी.एल. परिवारों को राशन कार्ड के माध्यम से गेहूं, चीनी, चावल तथा केरोसीन तेल उपलब्ध करवाया जाता है? यदि हां, तो प्रति कार्ड/इकाई कितनी-कितनी सामग्री उपलब्ध कराई जाती है? यदि नहीं, तो क्यों?

(श्री केसर देव बाबर)

(2) राज्य में बी.पी.एल. परिवारों को प्रति इकाई कितनी-कितनी सामग्री राशन कार्ड के माध्यम से उपलब्ध करवाई जा रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार ए.पी.एल. परिवारों को राशन कार्ड जारी किए जाने की व्यवस्था पर पुनर्विचार करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। ए.पी.एल. परिवारों को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत/तहत राशन कार्ड के माध्यम से निम्न सामग्री उपलब्ध करायी जाती है-

1. खाद्यान्न 2. केरोसीन

खाद्यान्न :- कुल 35 किलोग्राम प्रति माह प्रति परिवार (गेहूं रुपये 6.80 प्रति किलोग्राम तथा चावल रुपये 9.00 प्रति किलोग्राम की दर से) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत आयकर दाताओं को गेहूं, चावल देय नहीं है।

केरोसीन तेल :- डीबीसी गैस कनेक्शन धारियों को केरोसीन उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान नहीं है। सिंगल गैस सिलेण्डर राशन कार्डधारी उपभोक्ताओं को अधिकतम दो लीटर प्रति राशन कार्ड प्रति माह तथा शेष सामान्य राशन कार्डधारियों को उपलब्ध केरोसीन आबंटन की समानुपातिक मात्रानुसार उपलब्ध कराया जाता है। जो सामान्यतय: 3 से 5 लीटर होता है। केरोसीन की दर 10 रुपये प्रति लीटर है।

चीनी :- एपीएल परिवारों को चीनी उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान नहीं है।

(2) बीपीएल परिवारों को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत निम्नप्रकार खाद्यान्न व केरोसीन प्रति परिवार तथा चीनी प्रति व्यक्ति प्रतिमाह उपलब्ध कराई जा रही है-

खाद्यान्न :- कुल 35 किलोग्राम प्रति माह प्रति परिवार (गेहूं रुपये 4.70 प्रति किलोग्राम चावल रुपये 6.30 प्रति किलोग्राम तथा मक्का 3.80 प्रति किलोग्राम की दर से) देय है।

चीनी :- 500 ग्राम प्रति माह प्रति यूनिट रुपये 13.50 प्रति किलोग्राम की दर से देय है।

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री)

(3) जी नहीं। क्योंकि राशन कार्ड राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक वस्तु (वितरण का विनियमन) आदेश, 1976 एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2001 के खण्ड 4 के अन्तर्गत राशन कार्ड जारी किये जाते है। राज्य में निवास करने वाला कोई भी भारतीय नागरिक नियमानुसार राशन कार्ड प्राप्त कर सकता है। वर्तमान व्यवस्था में एपीएल राशन कार्डधारी के लिए परिवर्तन का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी अधिनियम, 2005 की क्रियान्विति हेतु पदों का सृजन

143. श्री जोगाराम पटेल (लूणी) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी अधिनियम, 2005 के प्रथम-चरण में केन्द्र सरकार द्वारा राजस्थान के छः जिले यथा; बांसवाड़ा, डूंगरपुर, झालावाड़ा, करौली, सिरोही एवं उदयपुर में 2 फरवरी, 2006 से लागू किया गया है?

(2) क्या यह सही है कि प्रत्येक परिवार के अकुशल शारीरिक मजदूरी के लिए सहमत वयस्क सदस्यों को हर वित्त वर्ष में कम से कम 100 दिनों के रोजगार की गारन्टी दी गई है?

(3) क्या यह सही है कि इस अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए ऐसे जिलों में ग्रामीण परिवारों का पंजीकरण, जाब कार्ड, कार्य के लिए आवेदन, महिलाओं को प्राथमिकता, समयबद्ध रोजगार आबंटन, बेरोजगारी भत्ते का भुगतान, न्यूनतम मजदूरी की गारन्टी, स्थाई परिसम्पत्तियों का सृजन इत्यादि समस्त कार्यवाही हेतु सम्बन्धित ग्राम पंचायत के सरपंच/ग्राम-सेवक, पदेन पंचायत सचिव उत्तरदायी होंगे?

(क) यदि हां। तो क्या पंचायत का अकेला कार्मिक (ग्राम सेवक पदेन पंचायत सचिव) इस योजना का क्रियान्वयन करने में समर्थ होगा?

(ख) यदि नहीं। तो क्या सरकार प्रत्येक ग्राम स्तर पर केन्द्रीय योजनाओं की प्रभावी मानीटरिंग व समन्वयन के लिए एक-एक अतिरिक्त कर्मचारी के पद स्थापन का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(श्री जोगाराम पटेल)

(ग) क्या सरकार इस योजना के क्रियान्वयन के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत को कम्प्यूटर तथा डाटा फीड करने के लिए आपरेटर का पदस्थापन करेगी? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(घ) क्या सरकार इस योजना के प्रभावी मानिटरिंग एवं समन्वय के लिए सभी जिला परिषदों एवं पंचायत समिति कार्यालयों में अतिरिक्त कार्मिकों के पद सृजित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) जी हां। (प्रत्येक परिवार को)

(क) जी नहीं।

(ख) जी हां। इस सम्बन्ध में शीघ्र ही कार्यवाही की जा रही है।

(ग) जी नहीं। योजनान्तर्गत इस कार्य हेतु धनराशि उपलब्ध होने पर विचार किया जायेगा।

(घ) योजना के प्रभावी मानिटरिंग एवं समन्वय के लिये जिला परिषदों में फिलहाल अतिरिक्त कार्मिकों के पद सृजित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। पंचायत समिति कार्यालयों में अतिरिक्त कार्मिकों के पद सृजित करने के सम्बन्ध में शीघ्र ही कार्यवाही की जा रही है।

सांभर झील का संरक्षण एवं संवर्धन

144. श्री नवरतन राजोरिया (फुलेरा) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सांभर झील को बचाने के लिए योजना केन्द्र सरकार को भेजी गई है? यदि हां, तो कब व कितनी राशि की तथा इस योजना में क्या-क्या कार्य कराये जाने प्रस्तावित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री नवरतन राजोरिया)

(2) क्या यह योजना केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत कर दी गई है? यदि हां, तो कब व नहीं, तो क्या राज्य सरकार इस योजना को स्वीकृत कराने के लिए प्रयास कर रही है? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि राज्य सरकार इस योजना के अतिरिक्त भी सांभर झील को बचाने के लिए प्रयासरत है? यदि हां, तो किस प्रकार और उसके लिए क्या वित्तीय प्रावधान रखे गये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। नम भूमि योजना के अन्तर्गत सांभर झील क्षेत्र में भू-संरक्षण कार्य कराने की 509.25 लाख रूपये की योजना दिनांक 2.3.2005 को तथा वृक्षारोपण कराये जाने की 602.07 लाख रुपये की योजना दिनांक 12.9.2005 को भारत सरकार को स्वीकृति हेतु भेजी गई है। योजनाओं के कन्टूरबंध, फील्ड आउट लेट, चैक डैम, गेबियन स्ट्रेक्चर बनाया जाना तथा वृक्षारोपण कार्य करवाया जाना प्रस्तावित है। विवरण संलग्न परिशिष्ट "क" के अनुसार सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) जी नहीं। योजनाओं की स्वीकृति हेतु केन्द्र सरकार के अधिकारियों को नियमित रूप से पत्र लिखा जा रहा है। विवरण परिशिष्ट "ख" के अनुसार सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(3) राज्य सरकार ने सांभर झील में कार्य करवाने हेतु कोई वित्तीय प्रावधान नहीं किया हुआ है। सांभर झील के जलग्रहण क्षेत्रों में भारत सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त कर गत 4 वर्षों में 179 लाख रुपये व्यय किये जाकर 5000 हैक्टेयर क्षेत्र में मृदा संरक्षण कार्य कर उपचारित किया गया है। क्षेत्र में 717 भू एवं जल संरक्षण संरचनाएं बनायी गयी हैं।

परिशिष्ट "क"

नम भूमि संरक्षण परियोजना के अन्तर्गत भारत सरकार को भेजी गई योजनाओं का विवरण

भू-संरक्षण कार्य योजना

क्र. सं.	योजना में संचालित माइक्रो सब वाटरशैड की संख्या	योजना अवधि	प्रस्तावित कार्य एवं वित्तीय प्रावधान				योग	
			कृषि भूमि		पड़त भूमि			
			कार्य	राशि	कार्य	राशि	कार्य	राशि
1.	8	वर्ष 05-06 से 2010-11	9210 है. को उपचारित किया जाना तथा 759 भू एवं जल संरक्षण संरचनाओं का निर्माण	342.90 लाख रुपये	1770 है. क्षेत्र को उपचारित किया जाना तथा 560 भू एवं जल संरक्षण संरचनाओं का निर्माण	166.35 लाख रुपये	10980 है. क्षेत्र को उपचारित किया जाना तथा 1319 भू एवं जल संरक्षण संरचनाओं का निर्माण	509.25

क्र. सं.	योजना अन्तर्गत प्रस्तावित कार्य	लक्ष्य	योजना अवधि	योजना लागत
1.	अग्रिम कार्य एवं वृक्षारोपण	2500 है.	2005-06 से 2011-12	602.07 लाख रुपये
2.	हाइटेक पौधशाला का निर्माण	1		
3.	विद्यमान पौधशाला का विकास	5		

परिशिष्ट "ख"

योजना स्वीकृति हेतु केन्द्र सरकार के अधिकारियों को लिखे गये पत्र

क्र. सं.	किसके द्वारा लिखा गया	किसको लिखा गया	पत्र क्रमांक दिनांक
1.	माननीय पर्यावरण, वन एवं खान मंत्री, राजस्थान सरकार	माननीय पर्यावरण एवं वन मंत्री, भारत सरकार, नयी दिल्ली	अ.शा. पत्रांक 387 दिनांक 7.3.2006
2.	शासन सचिव, वन, राजस्थान, जयपुर	सचिव, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली	अ.शा. पत्रांक पीएस/एफएस/06/ दिनांक 2.3.2006
3.	अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (परियोजनाऐं), राजस्थान, जयपुर	निदेशक (नम भूमि) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली	पत्रांक 1010 दिनांक 22.12.2005
4.	अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (परियोजनाऐं), राजस्थान, जयपुर	निदेशक (नम भूमि) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली	पत्रांक 1234 दिनांक 28.2.2006

समर्थन मूल्य पर सरसों की खरीद हेतु क्रय केन्द्र

145. श्री अमराराम (धोद) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में समर्थन मूल्य पर सरसों की खरीद के केन्द्र कब से शुरू किए गए तथा इन केन्द्रों की संख्या कितनी है एवं इस हेतु क्या प्रक्रिया अपनाई जावेगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि फरवरी में राज्य के कोटा एवं भरतपुर इलाके में सरसों आने के बाद भी सरसों की खरीद शुरू नहीं करने से किसानों को समर्थन मूल्य से कम कीमत पर सरसों बेचने को मजबूर होना पड़ रहा है?

(3) सरसों की खरीद समय पर चालू नहीं करने से किसानों को कितना नुकसान उठाना पड़ा?

उत्तर

(1) अतिरिक्त प्रबन्ध निदेशक, नेफेड, नई दिल्ली के पत्र दिनांक 16.2.2006 के अनुरूप आवक के अनुसार 1 मार्च, 2006 से क्रय कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है। इस हेतु 262 क्रय केन्द्र अधिकृत किये जाकर सहकारी संस्थाओं के माध्यम से सरसों खरीद की व्यवस्था की जा रही है।

(2) माह फरवरी, 2006 में समर्थन मूल्य पर सरसों खरीदने के आदेश नेफेड से प्राप्त नहीं हुए थे। भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ मर्यादित (नेफेड)/ भारत सरकार द्वारा समर्थन मूल्य पर एफ.ए.क्यू. मापदण्ड की सरसों की खरीद दिनांक 1.3.2006 से ही करने के निर्देश प्राप्त हुए हैं।

(3) भारत सरकार द्वारा एफ.ए.क्यू. मापदण्ड की सरसों की खरीद दिनांक 1.3.2006 से ही प्रारम्भ कर दी गई है।

डा. श्यामा प्रसाद स्टेडियम निम्बाहेड़ा का विकास

146. श्री अशोक कुमार नवलखा (निम्बाहेड़ा) : क्या युवा एवं खेदकूद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि चित्तौड़गढ़ जिला "खेल" की दृष्टि से महत्वपूर्ण

(श्री अशोक कुमार नवलखा)

स्थान रखता है? यदि हां, तो सरकार द्वारा पिछले 3 वर्षों में खेल को बढ़ावा देने के लिए क्या कार्यवाही की गई?

(2) जिले में खेल मैदानों व स्टेडियमों के विकास के लिए सरकार की क्या योजना है? क्या सरकार अन्य मैदानों के साथ डा. श्यामा प्रसाद स्टेडियम, निम्बाहेड़ा के विकास का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। चित्तौड़गढ़ जिला खेलों की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान रखता है। खेलों के विकास के लिए चित्तौड़गढ़ जिले में गत तीन वर्षों में पंचायत समिति एवं जिला स्तर पर ग्रामीण जनजाति तथा महिला खेलकूद प्रतियोगिताएं आयोजित की गई है एवं जिला मुख्यालय पर ग्रीष्मावकाश शिविर का भी आयोजन किया गया है। वर्ष 2005 में जिला स्तर परम्परागत खेलों का भी आयोजन किया गया। गत तीन वर्षों में 29 अगस्त, खेल दिवस के रूप में मनाया जाकर हाकी प्रतियोगिता आयोजित की गई।

राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद् द्वारा राजकीय उच्च प्रा. विद्यालय नं. 2 बड़ी सादड़ी में खेल मैदान निर्माण हेतु वर्ष 2003-04 में राशि रु. 10 हजार जारी की गई तथा जिला मुख्यालय पर सीमेन्टेड क्रिकेट पिच निर्माण एवं खेल मैदान मरम्मत हेतु 20 हजार रु. खेल अधिकारी चित्तौड़गढ़ को जारी किए गए।

(2) जिला मुख्यालयों पर खेल मैदानों व स्टेडियम निर्माण हेतु भारत सरकार व राज्य सरकार प्रायोजक संस्थाओं को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराती है। भारत सरकार द्वारा उक्त योजना को 1.4.2005 से राज्यों को हस्तान्तरित कर दी गई है। किन्तु इस मद में कोई राशि अभी तक आबंटित नहीं की है।

डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम, निम्बाहेडा के विकास हेतु विधिवत कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

क्रीड़ा परिषदों में तैराकी प्रशिक्षकों के रिक्त पद

212. श्री शांतिलाल चपलोत (मावली) : क्या युवा एवं खेलकूद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विभिन्न सरकारी सेवाओं में चयन हेतु खेल कोटा निर्धारित है? यदि हां, तो कितना व नहीं, तो क्यों?

(2) खेल सूची में किस-किस खेल को सम्मिलित किया गया है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि चयनित खेलों की सूची में तैराकी जैसे अन्तरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त खेलों को सम्मिलित नहीं किया हुआ है? यदि हां, तो क्यों? अब सरकार कब तक इसका प्रावधान कर देगी?

(4) वर्तमान में राज्य क्रीड़ा परिषद् व जिला क्रीड़ा परिषदों में तैराकी खेल के प्रशिक्षकों के कितने पद रिक्त हैं? सरकार इन्हें कब तक भरने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) जी हां। कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 23.9.1997 के द्वारा अधिनस्थ व लिपिकीय सेवा वर्ग में 2 प्रतिशत आरक्षण प्रावधान उत्कृष्ट खिलाडियों के लिए रखा गया है। अधिसूचना की प्रति परिशिष्ट-"क" पर संलग्न है।

(2) खेल कोटे के आरक्षण हेतु जिन-जिन खेलों को सम्मिलित किया गया है, का विवरण अधिसूचना में सम्मिलित है। अधिसूचना की प्रति परिशिष्ट "क" पर संलग्न कर दी गई है।

(3) जी नहीं।

(4) राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद् में खेल विशेष के नाम से प्रशिक्षक के कोई पद स्वीकृत नहीं है। वर्तमान में परिषद् में प्रशिक्षकों का कोई पद रिक्त नहीं है।

परिशिष्ट ''क''

राजस्थान सरकार

कार्मिक (क-2) विभाग

क्रमांक :-प.5(31)कार्मिक/क-2/84 **जयपुर, दिनांक 23.9.1997**

अधिसूचना

भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान के राज्यपाल, इसके साथ संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट विभिन्न सेवा नियमों में, इसके द्वारा निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

संशोधन

इसके साथ संलग्न अनुसूची के स्तम्भ संख्या 2 में उल्लिखित प्रत्येक सेवा नियम के सामने स्तम्भ संख्या 3 में यथा उल्लिखित विद्यमान नियम के पश्चात् स्तम्भ 4 में यथा उल्लिखित निम्नलिखित नया नियम जोड़ा जायेगा, अर्थात् :-

''उत्कृष्ट खिलाडियों के लिए रिक्तियों का आरक्षण :-उत्कृष्ट खिलाडियों के लिए रिक्तियों का आरक्षण सीधी भर्ती के लिए चिह्नित आयोग के कार्य क्षेत्र के बाहर उस वर्ष का कुल रिक्तियों का 2% होगा। किसी वर्ष-विशेष में पात्र तथा उपयुक्त खिलाडियों के उपलब्ध न होने की दशा में, उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियां सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरी जायेगी और ऐसी रिक्तियां पश्चातवर्ती वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं की जायेगी। खिलाडियों के लिए आरक्षण क्षैतिज आरक्षण माना जायेगा और इसका समायोजन उस सम्बन्धित प्रवर्ग में किया जायेगा। जिससे खिलाड़ी सम्बद्ध हैं।''

स्पष्टीकरण :- उत्कृष्ट खिलाडियों से अभिप्रेत हैं, और उसमें सम्मिलित हैं राज्य के ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने अन्तरराष्ट्रीय ओलम्पिक समिति और भारतीय ओलम्पिक संघ द्वारा मान्यता प्राप्त स्पोर्टस और खेलों में या बैडमैन्टन, टेनिस, शतरंज और क्रिकेट में उनसे सम्बन्धित राष्ट्रीय स्तर के संघ, पैटरेशन या बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त अन्तरराष्ट्रीय चैम्पिनयनशिपों में, सिविल सेवाओं के प्रत्येक वर्ग के लिए निम्नलिखित विवरणानुसार, व्यक्तिश: या टीम के सदस्य के रूप में भाग लिया हो :-

क्र. सं.	**सेवा का वर्ग**	**विवरण**
1.	अधीनस्थ	एशियाई खेलों, एशियाई चैम्पियनशिपों, राष्ट्रमण्डल
2.	लिपिकवर्गीय	खेलों, विश्व चैम्पियनशिपों, विश्व के विश्वविद्यालयों खेलों, विश्व स्कूल खेलों, दक्षेस खेलों, या ओलम्पिक खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व किया हो, जहां उसने (किसी व्यक्तिगत आइटम) में या उसकी टीम (टीम स्पर्धा में) ने प्रथम, द्वितीय या तृतीय स्थान प्राप्त किया हो।

अनुसूची

क्र. सं.	सेवा नियम का नाम	विद्यमान नियम की संख्या	नये नियम की संख्या
1	2	3	4
1.	राजस्थान अधीनस्थ देवस्थान सेवा (श्रेणी-I) नियम, 1954	8 ख	8 ग
2.	राजस्थान अधीनस्थ देवस्थान सेवा (श्रेणी-II) नियम, 1954	8 ख	8 ग
3.	राजस्थान अधीनस्थ सहकारी सेवा (श्रेणी-I) नियम, 1955	8 ख	8 ग
4.	राजस्थान अधीनस्थ सहकारी सेवा (श्रेणी-II) नियम, 1955	8ख	8 ग
5.	राजस्थान खान एवं भूगर्भ अधीनस्थ सेवा नियम, 1960	8 ख	8 ग
6.	राजस्थान अधीनस्थ सेवा (भर्ती और सेवा की अन्य शर्ते) नियम, 1960	8 ख	8 ग
7.	राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा नियम, 1963	7 ख	7 ग
8.	राजस्थान वन अधीनस्थ सेवा नियम, 1963	7 ख	7 ग
9.	राजस्थान समाज कल्याण अधीनस्थ सेवा नियम, 1963	7 ख	7 ग
10.	राजस्थान परिवहन अधीनस्थ सेवा नियम, 1963	7 ख	7 ग
11.	राजस्थान उद्यान अधीनस्थ सेवा नियम, 1965	7 ख	7 ग
12.	राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम, 1965	7 ख	7 ग
13.	राजस्थान उद्योग अधीनस्थ सेवा नियम, 1966	7 ख	7 ग
14.	राजस्थान आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथी और प्राकृतिक चिकित्सा विधान अधीनस्थ सेवा नियम, 1966	7 ख	7 ग
15.	राजस्थान अभियांत्रिकी अधीनस्थ सेवा (जनस्वास्थ्य शाखा) नियम, 1967	7 ख	7 ग
16.	राजस्थान अभियांत्रिकी अधीनस्थ सेवा (सिंचाई शाखा) नियम, 1967	7 ख	7 ग

1	2	3	4
17.	राजस्थान पुरालेख अधीनस्थ सेवा नियम, 1968	7 ख	7 ग
18.	राजस्थान शिक्षा अधीनस्थ सेवा नियम, 1971	7 ख	7 ग
19.	राजस्थान सांख्यिकी अधीनस्थ सेवा नियम, 1971	7 ख	7 ग
20.	राजस्थान राजकीय मुद्रणालय अधीनस्थ सेवा नियम, 1973	7 ख	7 ग
21.	राजस्थान तकनीकी शिक्षा अधीनस्थ सेवा नियम, 1973	7 ख	7 ग
22.	राजस्थान अधीनस्थ अभियांत्रिकी (सा.नि.वि. भवन एवं पथ शाखा) सेवा नियम, 1973	7 ख	7 ग
23.	राजस्थान भू-जल अधीनस्थ सेवा नियम, 1973	7 ख	7 ग
24.	राजस्थान नगर नियोजन अधीनस्थ सेवा नियम, 1974	7 ख	7 ग
25.	राजस्थान खाद्य एवं आपूर्ति अधीनस्थ सेवा नियम, 1974	7 ख	7 ग
26.	राजस्थान आबकारी अधीनस्थ सेवा (सामान्य शाखा) नियम, 1974	8 ख	8 ग
27.	राजस्थान तकनीकी प्रशिक्षण अधीनस्थ सेवा नियम, 1975	7 ख	7 ग
28.	राजस्थान वाणिज्यिक कर अधीनस्थ सेवा (सामान्य शाखा) नियम, 1975	7 ख	7 ग
29.	राजस्थान भेड़ एवं ऊन अधीनस्थ सेवा नियम, 1975	7 ख	7 ग
30.	राजस्थान जन सम्पर्क अधीनस्थ सेवा नियम, 1975	7 ख	7 ग
31.	राजस्थान राजस्व लेखा अधीनस्थ सेवा नियम, 1975	7 ख	7 ग
32.	राजस्थान कारागार अधीनस्थ सेवा नियम, 1976	7 ख	7 ग
33.	राजस्थान आबकारी अधीनस्थ सेवा (निवारक शाखा) नियम, 1976	7 ख	7 ग
34.	राजस्थान राज्य उपक्रम अधीनस्थ सेवा नियम, 1976	7 ख	7 ग
35.	राजस्थान पशुपालन अधीनस्थ सेवा नियम, 1977	7 ख	7 ग

1	2	3	4
36.	राजस्थान संस्कृत शिक्षा अधीनस्थ सेवा नियम, 1978	7 ख	7 ग
37.	राजस्थान कृषि अधीनस्थ सेवा नियम, 1978	7 ख	7 ग
38.	राजस्थान मोटर गैराज अधीनस्थ सेवा नियम, 1979	7 ख	7 ग
39.	राजस्थान सर्किट हाउस अधीनस्थ सेवा नियम, 1979	7 ख	7 ग
40.	राजस्थान शिक्षा अधीनस्थ सेवा (महाविद्यालय शाखा) नियम, 1979	7 ख	7 ग
41.	राजस्थान पुलिस न्याय सम्बन्धी विज्ञान अधीनस्थ सेवा नियम, 1980	7 ख	7 ग
42.	राजस्थान विधिक सेवा (राज्य एवं अधीनस्थ) नियम, 1981	7 ख	7 ग
43.	राजस्थान विधि रचना सेवा (राज्य एवं अधीनस्थ) नियम, 1981	7 ख	7 ग
44.	राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम, 1989	7 ख	7 ग
45.	राजस्थान कम्प्यूटर (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम, 1992	7 ख	7 ग
46.	राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय स्टाफ नियम, 1957	8 ख	8 ग
47.	राजस्थान सचिवालय लिपिक वर्गीय सेवा नियम, 1970	6 ख	6 ग

राज्यपाल के आदेश और नाम से,

ह./-

(सूरजमल केड़वाल)

उप शासन सचिव

बारां जिला मुख्यालय में खेल स्टेडियम का निर्माण

213. श्री प्रमोद जैन "भाया" (बारां) : क्या युवा एवं खेलकूद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सरकार को जिला मुख्यालय बारां पर खेल स्टेडियम निर्माण हेतु किस-किस विधान सभा सदस्य से प्रस्ताव/ज्ञापन प्राप्त हुए? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार कब तक बारां जिला मुख्यालय पर स्टेडियम निर्माण हेतु स्वीकृति जारी कर देगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) स्टेडियम निर्माण के प्रथम चरण में क्या-क्या कार्य कराये जाएंगे एवं इन पर कितनी-कितनी राशि व्यय होगी एवं इससे किन-किन खेलों की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) स्टेडियम निर्माण हेतु अन्य चरणों में कितनी-कितनी राशि स्वीकृत कर क्या-क्या निर्माण कार्य कराए जाएंगे एवं इन कार्यों के बाद क्या-क्या सुविधाएं स्टेडियम को प्राप्त हो सकेगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) बारां में खेल स्टेडियम निर्माण हेतु किस स्थान पर कितनी वर्गमीटर भूमि चिह्नित की गई एवं सरकार द्वारा इस भूमि का किस तारीख को कब्जा प्राप्त किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला मुख्यालय बारां पर किसी भी विधान सभा सदस्य से खेल स्टेडियम निर्माण हेतु किसी प्रकार का प्रस्ताव/ज्ञापन प्राप्त नहीं हुए है।

(2) युवा मामले एवं खेल विभाग के पत्रांक प.10(15) खेल/2005 दिनांक 31.1.2006 के द्वारा बारां स्टेडियम निर्माण हेतु 16.00 लाख रु. की अनुदान स्वीकृति जारी की जा चुकी है।

(3) स्टेडियम निर्माण हेतु जिला क्रीड़ा परिषद् बारां को वर्ष 2005-06 में 16.00 लाख रु. की सीड मनी उपलब्ध कराई है। उक्त राशि से जिला क्रीड़ा परिषद् बारां द्वारा निर्णय लिया जाकर आवश्यक कार्य करवाये जायेंगे।

(युवा एवं खेलकूद मंत्री)

(4) जिला क्रीड़ा परिषद् बारां द्वारा वर्ष 2005-06 में आबंटित राशि के उपयोग करने के उपरान्त ही उन्हें उनकी मांग के अनुसार, राज्य सरकार की नीति के अन्तर्गत निर्णय लेकर बजट में प्रावधान किया जावेगा। ऐसी राशि आबंटित होने पर वे आवश्यकतानुसार इसका उपभोग कर सकेंगे।

(5) जिला क्रीड़ा परिषद् बारां को जिला मुख्यालय पर स्टेडियम निर्माण हेतु राजकीय उच्च मा. विद्यालय कोटा रोड बारां पर 42800 वर्गमीटर भूमि चिह्नित की गई है। भूमि पर कब्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया जारी है।

सीमेंट उद्योग को खनन लीजों का आबंटन

214. श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में सीमेन्ट उद्योग प्रारम्भ करने तथा रोजगार उपलब्ध कराने आदि शर्तों पर वर्ष 2000 से अब तक की अवधि में खनन लीजों का आबंटन किया हुआ है? यदि हां, तो किस-किस को किस नियम के तहत? आबंटियों के पूर्ण नाम पते सहित उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रार्थना पत्रों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त के द्वारा शर्तों की पालना की गई? यदि हां, तो निर्धारित शर्तों में से किस-किस की पालना की गई तथा किस-किस की पालना नहीं की गई? शर्तवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या शर्त की पालना नहीं करने के कारण खनन लीज का आबंटन निरस्त किये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(4) क्या यह भी सही है कि खनन लीजों का आबंटन नियमान्तर्गत विज्ञप्ति जारी की जाकर निर्धारित प्रक्रियानुसार किया जाता है? यदि हां, तो उक्त खनन लीज आबंटन में किस प्रकार की प्रक्रिया अपनाई गई तथा कितने समय पूर्व नोटिस जारी किया जाकर कितने दिन में खनन लीज का आबंटन किया गया? जारी की गई विज्ञप्ति की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री रामनारायण मीणा)

(5) क्या निर्धारित प्रक्रिया नहीं अपनाई जाकर तथा विज्ञप्ति विधि अनुसार जारी नहीं की जाकर आबंटित खनन लीजों की निरस्ती की जाने के बारे में सरकार द्वारा कार्यवाही की जाएगी? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। प्रदेश में वर्ष 2000 से अब तक सीमेंट उद्योग प्रारम्भ करने हेतु एक खनन पट्टा खनिज लाइमस्टोन (सीमेंट ग्रेड) निकट ग्राम कोटल, कुण्डाल तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही में क्षेत्रफल 12.6199 वर्ग किलोमीटर का सर्वश्री डी.सी.एम. श्रीराम कन्सोलीडेटेड लि. नई दिल्ली के पक्ष में प्रधान खनिज रियायती नियमावली, 1960 के नियम 22(1) के अन्तर्गत खनन पट्टा प्रभाव में आने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि में सीमेंट प्लांट स्थापित करने की शर्त के साथ शासन के आदेश क्रमांक प.16(16)खान/ग्रुप-1/99 दिनांक 30.5.2005 से स्वीकृत किया गया है। आवंटी के पूर्ण पता नाम सहित उनके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की प्रति संलग्न परिशिष्ट-1 पर है।

(2) स्वीकृतिधारी कम्पनी डी.सी.एम. श्रीराम कन्सोलीडेटेड लि. नई दिल्ली द्वारा निर्धारित अवधि में संविदा निष्पादन की औपचारिकता पूर्ण नहीं की।

(3) जी हां। कार्यवाही विचाराधीन है।

(4) जी हां। खनन लीजों का आबंटन हेतु नियमानुसार क्षेत्र रिक्त घोषित करने हेतु विभाग द्वारा राजस्थान राजपत्र में विज्ञप्ति जारी कर आबंटन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। इस खनन लीज की मामले में राजस्थान राजपत्र में अधिसूचना दिनांक 4.10.1994 को प्रकाशित हुई। जिसमें प्रकाशन तिथि से 30 दिन पश्चात् क्षेत्र अनुदान हेतु रिक्त घोषित किया गया एवं आवेदक द्वारा नियमानुसार आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाने पर दिनांक 30.5.2005 को स्वीकृत हुआ है। विज्ञप्ति की प्रति संलग्न परिशिष्ट-2 पर है।

(5) निर्धारित प्रक्रिया नियमानुसार अपनाकर ही खनन पट्टे का आबंटन सम्बन्धित नियमों के अन्तर्गत किया गया है।

(प्रतियां विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयीं)

खनिज विभाग में लम्बे समय से एक ही पद पर पदस्थापित कार्मिक

215. श्री बाबूलाल नागर (दूदू) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि कार्मिक (क-3) विभाग ने परिपत्रादेश क्रमांक प.2 (34) कार्मिक/क-3/99 दिनांक 8 मई, 2000 द्वारा शासन सचिवों व विभागाध्यक्षों को 5 वर्षों से अधिक एक ही अनुभाग/कार्यालय में कार्यरत सभी कर्मचारियों व अधिकारियों के स्थानान्तरण हेतु निदेशित किया गया था? यदि हां, तो क्या यह आदेश अमल में लाया गया व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या यह सही है कि शासन सचिवालय के खान अनुभाग में पिछले 5 वर्षों से भी अधिक समय से कई कर्मचारी लगातार कार्यरत हैं? यदि हां, तो कौन-कौन व कब से? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि खनिज अभियन्ता, जयपुर कार्यालय में भी कर्मचारी पिछले 5 वर्षों से अधिक समय से लगातार कार्यरत हैं? यदि हां, तो कौन-कौन व कब-कब से? नाम सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार राजस्व प्राप्ति को दृष्टिगत रखते हुये 5 वर्षों से अधिक समय से कार्यरत कर्मचारियों व अधिकारियों के एक जिले से दूसरे जिले में स्थानान्तरण करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। विभाग में एक ही सीट पर/अनुभाग में 5 वर्ष से अधिक समय से कार्यरत कर्मचारियों/अधिकारियों की सीट परिवर्तन/अनुभाग परिवर्तन/स्थानान्तरण की कार्यवाही की जा रही है।

(2) जी हां। सचिवालय के खान विभाग में 5 वर्षों से भी अधिक समय से कार्यरत कर्मियों की सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(3) जी हां। सूची परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(4) परिपत्रानुसार सीट परिवर्तन/अनुभाग परिवर्तन/स्थानान्तरण की कार्यवाही की जा रही है।

परिशिष्ट "अ"

शासन सचिवालय में खान विभाग में पांच वर्ष से अधिक समय से कार्यरत कर्मचारियों की सूची

क्र. सं.	कर्मचारी का नाम	पदनाम	पदस्थापन दिनांक
1.	श्री भुवनेश कुमार माथुर	शीघ्रलिपिक	वर्ष 1994 से निरन्तर
2.	श्री करण सिंह	वरिष्ठ लिपिक	16.10.2000 से निरन्तर
3.	श्री ओम प्रकाश शर्मा	वरिष्ठ लिपिक	16.12.1989 से निरन्तर
4.	श्री सुभाष नारायण माथुर	वरिष्ठ लिपिक	18.7.1998 से निरन्तर
5.	श्री मोहन लाल शर्मा	वरिष्ठ लिपिक	वर्ष 1998 से निरन्तर
6.	श्री टी. हरिदास	कनिष्ठ लिपिक	वर्ष 1989 से निरन्तर
7.	श्री करण सिंह मनोहर	कनिष्ठ लिपिक	22.11.1997 से निरन्तर
8.	श्री सुनील कुमार शर्मा	कनिष्ठ लिपिक	अक्टूबर, 1995 से निरन्तर
9.	श्री हरिसिंह पुत्र श्री गणेशराम	च.श्रे.क.	वर्ष 1994 से निरन्तर
10.	श्री जयराम पुत्र श्री राम जियावन	च.श्रे.क.	वर्ष 1996 से निरन्तर
11.	श्री रामगोपाल पुत्र श्री चन्दा लाल	च.श्रे.क.	वर्ष 1992 से निरन्तर

परिशिष्ट "ब"

इस कार्यालय में पांच वर्ष से अधिक कार्यरत कर्मचारियों की सूची

क्र. सं.	कर्मचारी का नाम	पद	एक ही स्थान पर पदस्थापित
1	2	3	4
1.	श्रीमती मधु पाराशर	स्टेनो	9.9.1992
2.	श्री हरिप्रकाश छंगाणी	वरिष्ठ लिपिक	7.9.1987
3.	श्री मुकेश कुमार माथुर	क.लि.	3.1.1996
4.	श्री शंकर लाल शर्मा	क.लि.	2.8.1994

1	2	3	4
5.	श्री रोहिताश कुमार शर्मा	क.लि.	29.1.2001
6.	श्री मुकट बिहारी शर्मा	क.लि.	10.10.1995
7.	श्री बनारसी लाल गुप्ता	क.लि.	25.5.1997
8.	श्री संजय कुमार माथुर	क.लि.	16.1.1995
9.	श्री विष्णु कुमार पारीक	क.लि.	4.9.1998
10.	श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा	क.लि.	22.9.1998
11.	श्री अशोक वर्धन शर्मा	क.लि.	31.3.1999
12.	श्री सुरेश चन्द्र शर्मा	क.लि.	1.6.1997
13.	श्री रामजी लाल बलाई	क.लि.	19.9.1998
14.	श्री हरसहाय शर्मा	क.लि.	20.8.2001
15.	श्री शाबिर अली	क.लि.	4.8.1990
16.	श्री महेन्द्र सिंह राठौड़	क.लि.	4.5.1998
17.	श्री नारायण लाल बैरवा	क.लि.	19.5.1997
18.	श्री ताराचन्द सोनी	क.लि.	25.3.1998
19.	श्री प्रतिपाल सिंह	क.लि.	11.5.1998
20.	श्री राजेन्द्र पारीक	क.लि.	4.9.2001
21.	श्री मिश्री लाल	नाकेदार	17.3.1997
22.	श्री अवतार सिंह	क.लि.	3.8.1998
23.	श्री घनश्याम शर्मा	क.लि.	22.1.1998
24.	श्री श्याम कुमार सिंह	क.लि.	23.9.1998
25.	श्री सांवताराम गुजर	क.लि.	26.9.2001
26.	श्री महेन्द्र सिंह चौहान	क.लि.	11.9.1998

ह./-
(खनिज अभियन्ता)
खान एवं विज्ञान विभाग
जयपुर

राज्य के थानों में जब्त वाहनों का निस्तारण

216. मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या सरकार राज्य के विभिन्न थानों में लम्बे समय से जब्त वाहनों को नीलाम करने या इनका डिस्पोजल करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी हां। पुलिस थानों में जप्त वाहनों के निस्तारण/नीलामी की कार्यवाही निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जाती है। वर्ष 2004 एवं 2005 में निस्तारित/नीलाम किये गये वाहनों की स्थिति निम्न प्रकार हैं :-

वर्ष	कुल जप्त वाहन	निस्तारित वाहन	नीलाम वाहन	शेष वाहन
2004	75727	72784	356	2587
2005	74818	71879	228	2711

निवाई के थानों में दर्ज प्रकरण

217. श्री हीरालाल (निवाई) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) गत तीन वर्षों में विधान सभा क्षेत्र निवाई के विभिन्न थानों में किस-किस प्रकार के कितने मुकदमें दर्ज हुए व उनमें से कितनों में चालान पेश किया गया तथा कितनों में एफ.आर. लगायी गई? थानेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र के विभिन्न थानों में पुलिस कर्मियों के किस-किस श्रेणी के कितने पद स्वीकृत हैं तथा उनमें से कौन-कौन से पद कहां-कहां रिक्त हैं? रिक्त पदों को कब तक भर दिया जाएगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार निवाई क्षेत्र में अपराधों की रोकथाम हेतु राहोली एवं जामड़ोली में नये थाने व गुन्सी एवं झिलाय में पुलिस चौकी की स्थापना करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) वर्ष 2003, 2004 एवं 2005 में विधान सभा क्षेत्र निवाई के विभिन्न थानों में दर्ज मुकदमें, चालान एवं एफ.आर. का थानेवार विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र निवाई के विभिन्न पुलिस थानों के स्वीकृत पद एवं रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है। रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(3) निवाई विधान सभा क्षेत्र के ग्राम राहोली एवं जामडोली में नये थाने सृजित करने एवं ग्राम झिलाय तथा गुन्सी में पुलिस चौकी खोलने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

परिशिष्ट-अ

बिन्दु सं.-1 गत वर्षों में विधान सभा क्षेत्र निवाई के विभिन्न थानों में दर्ज अपराध थाने वाइज व शीर्षकवार मय निस्तारण निम्न प्रकार है

थाना निवाई

क्र. सं.	शीर्षक	वर्ष	दर्ज अभियोग	एफ.आर. अदमवकु	एफ.आर. अदमपता	अदम सबूत	चालान	पैन्डिंग पुलिस
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
1.	डकैती	2003	—	—	—	—	—	—
		2004	—	—	—	—	—	—
		2005	—	—	—	—	—	—
2.	लूट	2003	—	—	—	—	—	—
		2004	—	—	—	—	—	—
		2005	—	—	—	—	—	—
3.	हत्या	2003	—	—	—	—	—	—
		2004	5	—	—	—	5	—
		2005	2	—	—	—	1	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	बलात्कार	2003	1	1	—	—	—	—
		2004	—	—	—	—	—	—
		2005	1	—	—	—	01	—
5.	अपहरण	2003	4	4	—	—	—	—
		2004	2	—	—	—	—	—
		2005	6	6	—	—	—	—
6.	नकबजनी	2003	6	—	5	—	1	—
		2004	1	—	—	—	1	—
		2005	3	1	2	—	—	—
7.	चोरीयां	2003	44	3	35	—	6	—
		2004	64	6	48	—	10	—
		2005	81	5	64	—	12	—
8.	बल्वा	2003	31	13	—	—	18	—
		2004	20	03	—	—	17	—
		2005	7	—	—	—	7	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9.	अन्य भा.द.स.	2003	321	74	10	3	234	—
		2004	292	78	13	2	198	1
		2005	291	76	6	—	207	2
10.	विविध अधिनियम	2003	55	1	—	—	54	—
		2004	67	2	1	—	64	—
		2005	62	2	—	—	60	—
11.	**योग**	**2003**	**402**	**96**	**50**	**3**	**313**	**—**
		2004	**451**	**89**	**62**	**2**	**297**	**1**
		2005	**453**	**90**	**72**	**—**	**288**	**3**

थाना बरोनी

क्र. सं.	शीर्षक	वर्ष	दर्ज अभियोग	एफ.आर. अदमवकु	एफ.आर. अदमपता	अदम सबूत	चालान	पैन्डिंग पुलिस
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	डकैती	2003	—	—	—	—	—	—
		2004	—	—	—	—	—	—
		2005	—	—	—	—	—	—
2.	लूट	2003	2	1	—	—	1	—
		2004	—	—	—	—	—	—
		2005	—	—	—	—	—	—
3.	हत्या	2003	2	—	—	—	2	—
		2004	1	—	—	—	1	—
		2005	—	—	—	—	—	—
4.	बलात्कार	2003	—	—	—	—	—	—
		2004	—	—	—	—	—	—
		2005	3	—	—	—	3	—
5.	अपहरण	2003	2	1	1	—	—	—
		2004	2	2	—	—	—	—
		2005	2	2	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.	नकबजनी	2003	8	—	6	—	2	—
		2004	2	—	1	—	1	—
		2005	6	—	3	—	3	—
7.	चोरियां	2003	16	3	9	—	4	—
		2004	13	4	6	—	3	—
		2005	16	3	11	—	2	—
8.	बल्वा	2003	7	3	—	—	4	—
		2004	15	10	—	—	5	—
		2005	12	4	—	—	7	1
9.	अन्य भा.द.स.	2003	202	35	11	—	156	—
		2004	231	46	13	—	172	—
		2005	238	52	12	—	174	—
10.	विविध अधिनियम	2003	43	11	—	—	32	—
		2004	20	2	1	—	17	—
		2005	24	—	—	—	21	3
11.	**योग**	**2003**	**282**	**54**	**27**	**—**	**201**	**—**
		2004	**284**	**64**	**21**	**—**	**199**	**—**
		2005	**301**	**61**	**12**	**—**	**210**	**4**

परिशिष्ट "ब"

बिन्दु संख्या-2 विधान सभा क्षेत्र निवाई के पुलिस थानों के स्वीकृत पद एवं रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार है

क्र. सं.	नाम थाना	नफरी	पु. नि.	उ. नि.	स.उ.नि.	हैड कानि.	कानि.	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	निवाई	स्वीकृत	1	2	9	4	15	
		मौजूद	1	2	7	2	15	
		कमी	—	—	2	2	—	
2.	बरौनी	स्वीकृत	—	2	4	2	15	
		मौजूद	—	2	4	2	14	
		कमी	—	—	—	—	1	
	चौकी सिरस	स्वीकृत	—	—	1	1	3	
		मौजूद	—	—	1	1	4	
		कमी	—	—	—	—	—	1 कानि. अधिक
3.	दतवास	स्वीकृत	—	1	1	1	12	
		मौजूद	—	1	1	—	11	
		कमी	—	—	—	1	1	
	चौकी दतवास	स्वीकृत	—	—	—	1	4	
		मौजूद	—	—	—	1	3	
		कमी	—	—	—	—	1	
4.	पीपलू	स्वीकृत	—	1	1	1	15	
		मौजूद	—	01	1	1	14	
		कमी	—	—	—	—	1	
	चौकी झिराना	स्वीकृत	—	—	1	1	3	
		मौजूद	—	—	1	—	4	
		कमी	—	—	-	1	—	1 कानि. अधिक
	चौकी बनवाडा	स्वीकृत	—	—	1	1	3	
		मौजूद			1	—	4	
		कमी	—	—	—	1	—	1 कानि. अधिक

थाना कल्याणपुर क्षेत्र (बाड़मेर) में हिरण शिकारियों की नाकाबंदी के दौरान मृत पुलिसकर्मी के परिवार को सहायता

218. श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि गंगाराम एफ.सी. नं. 769 पुलिस थाना कल्याणपुर जिला बाड़मेर की हिरणों के शिकारियों द्वारा नाकाबन्दी के दौरान हत्या कर दी गई थी?

(2) क्या यह सही है कि हिरणों के शिकारियों का मुकाबला करते समय मृत्यु हो जाना शहीद की श्रेणी में आता है? यदि हां, तो क्या सरकार इस मामले में गंगाराम को शहीद का दर्जा देकर एक शहीद को दी जाने वाली सुविधायें देगी? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह भी सही है कि पुलिस के मनोबल के लिये भी इस प्रकार की बहादुरी का कार्य करने वालों को शहीद का दर्जा दिया जाना उचित होगा? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) यह सही है कि श्री गंगाराम कानि. नं. 769 थाना कल्याणपुर, जिला बाड़मेर की हत्या अवैध शराब की धरपकड़ व रोकथाम की नाकाबन्दी के समय हिरणों के शिकारियों द्वारा नाकाबन्दी तोड़कर भागने एवं मुल्जिमान का पीछा करने पर एक मुल्जिम द्वारा गोली मार देने से हुई थी।

(2) जी नहीं। सिविल पुलिस में शहीद घोषित करने की व्यवस्था नहीं है। पुलिस में ड्यूटी पर बहादुरी पूर्ण कार्य के लिए पुलिसकर्मी को पुरस्कृत किया जाता है। श्री गंगाराम कानि. को मृत्यु के बाद विभाग द्वारा नियमानुसार परिलाभ दिये जा चुके हैं।

(3) यह सही है कि पुलिस का मनोबल बढ़ाने के लिए बहादुरीपूर्ण कार्य करने पर पुरस्कृत किये जाने की व्यवस्था है। शहीद के दर्जे का प्रावधान करने का कोई प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है।

तबादलों पर रोक के दौरान पुलिस कर्मियों के स्थानान्तरण प्रकरण

219. श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सरकार द्वारा वर्ष 2005 में तबादलों पर कब रोक लगाई गई? आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें। सामान्य रोक लगाने के बाद किन-किन विभागों में कब-कब रोक हटाई गई? आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि रोक की अवधि में पुलिस विभाग में जिलों में निरीक्षक एवं उसके नीचे के पुलिस कर्मियों के तबादले का पुलिस अधिकारियों को अधिकार दिया गया है? यदि हां, तो आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या किसी भी पुलिस कर्मी को शिकायत आने पर तबादलों पर रोक की अवधि में उन्हें तुरन्त हटाने का अधिकार उच्चाधिकारियों को दिया गया है अथवा जांच के पश्चात् जांच रिपोर्ट आने पर हटाने का अधिकार दिया गया?

(4) क्या यह सही है कि उक्त स्थिति में रोक की अवधि के दौरान बगैर जांच रिपोर्ट पुलिसकर्मी को हटाने पर पुलिस अधीक्षक/पुलिस महानिरीक्षक के लिए सामान्य प्रशासन विभाग की अनुमति लेना आवश्यक है?

(5) जोधपुर रेंज में सामान्य प्रशासन विभाग की रोक के दौरान कितने पुलिसकर्मियों को पुलिस अधीक्षक/महानिरीक्षक द्वारा अपने पदस्थापन स्थान से हटाया गया? प्रत्येक के आदेश की प्रति सहित विवरण तथा उनके विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की प्रति सदन की मेज पर रखें। प्रत्येक मामले में किन-किनकों जांच सौंपी गई? जांच आदेश व जांच रिपोर्ट की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) तबादलों पर रोक के दौरान जोधपुर रेंज में अपने स्थान से हटाए गए पुलिसकर्मियों की वजह से राज्य पर कुल कितना आर्थिक भार पड़ा? विवरण सदन की मेज पर रखें। सरकार द्वारा उक्त राशि किससे वसूल की जाएगी? तबादलों पर रोक के सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश की अवहेलना के लिए कौन-कौन अधिकारी उत्तरदायी है एवं सरकार उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) वर्ष 2005 में तबादलों पर रोक लगाने एवं अलग-अलग विभागों में रोक हटाने के सम्बन्ध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी किए गये आदेशों की प्रतियां परिशिष्ट-1 से 11 पर संलग्न है।

(2) पुलिस कार्य की प्रकृति को देखते हुए यदि गम्भीर शिकायत एवं कानून व व्यवस्था तथा प्रशासनिक कारणों से पुलिसकर्मियों के स्थानान्तरण करना जरूरी हो जाता है तो उस स्थिति में उच्च अधिकारी के ध्यान में लाकर सक्षम स्तर से स्थानान्तरण किए जाते हैं।

(3) जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है कि विभाग के स्तर पर यह सन्तुष्टी हो जाने पर कि अमुक स्थानान्तरण अपरिहार्य है, तो उस स्थिति में उच्च अधिकारी के ध्यान में लाकर सक्षम स्तर से स्थानान्तरण किया जा सकता है।

(4) जैसाकि खण्ड-2 एवं 3 में उल्लेख किया गया है।

(5) जोधपुर पुलिस रेंज में कुल 44 कर्मियों के स्थानान्तरण किए गये है। स्थानान्तरण आदेश, जिनके विरुद्ध शिकायत प्राप्त हुई तथा की गई कार्यवाही की वांछित प्रतियां परिशिष्ट 12 से 18 पर संलग्न है।

(6) चूंकि स्थानान्तरण/पदस्थापन सक्षम अधिकारी द्वारा किए गये है। अत: किसी कार्यवाही का प्रश्न ही नहीं उठता है। स्थानान्तरण पर नियमानुसार दिए जाने वाले यात्रा भत्ता इत्यादि सम्बन्धित बजट मद से वहन किया जा रहा है।

(प्रतियां विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयीं)

पुलिस चौकी कालाडेरा एवं खेजरोली (जयपुर) का क्रमोन्नयन

220. श्री रामलाल शर्मा (चौमूं) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) पुलिस चौकी को थाने में क्रमोन्नत किए जाने का आधार क्या है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार दर्ज मुकदमों एवं भौगोलिक स्थिति के आधार पर पुलिस चौकी कालाडेरा एवं खेजरोली को थाना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं तो क्यों?

उत्तर

(1) राज्य सरकार द्वारा पुलिस चौकी को थाने में क्रमोन्नत किये जाने के कोई मापदण्ड निर्धारित नहीं हैं, तथापि आवश्यकता एवं बजट की उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए विचार किया जाता है।

(2) वर्तमान में पुलिस चौकी कालाडेरा को थाना बनाने व खेजरोली में नयी पुलिस चौकी खोलने का कोई विचार नहीं हैं।

बाड़मेर जिले में महिला थाना की स्थापना

221. श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि बाड़मेर सीमावर्ती जिला होते हुए भी वहां मुख्यावास पर महिला पुलिस थाना नहीं हैं? यदि हां, तो क्या सरकार बाड़मेर की भौगोलिक परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुए जिला मुख्यालय पर महिला पुलिस थाना खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी हां। यह सही है कि बाड़मेर जिला मुख्यालय पर महिला पुलिस थाना नहीं हैं।

दर्ज अपराधों की दृष्टि से बाड़मेर जिला मुख्यालय पर पृथक से महिला पुलिस थाना खोलने का विचार नहीं है।

बाली उप कारागृह हेतु नवीन भवन

222. श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली) : क्या कारागार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) उप कारागृह बाली में किन-किन जिलों, विधान सभा क्षेत्रों के लोगों को न्यायिक अभिरक्षा में या बतौर कैदी रखा जाता है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उप कारागृह बाली पुराने किले में संचालित है? यदि हां, तो कब से किस किले में एवं क्यों?

(3) उप कारागृह बाली में वर्तमान में कुल कितना स्टाफ एवं कितने विचाराधीन कैदी व सजायाफ्ता कैदी है? क्या कुल संख्या के अनुपात में उप कारागृह भवन, खुला मैदान व अन्य सुविधायें उपलब्ध हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह)

(4) क्या सरकार ऐतिहासिक पुराने बाली किले में संचालित उप कारागृह को खाली कर अन्यत्र आवश्यकतानुसार उपकारागृह निर्माण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) उप कारागृह, बाली में बाली, देसूरी एवं सुमेरपुर स्थित न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र के विचाराधीन बंदी एवं 3 माह तक की सजा से दण्डित बन्दियों को रखा जाता है, चाहे वह किसी भी जिले/विधान सभा क्षेत्र का हो।

(2) जी हां। वृहत राजस्थान के निर्माण से ही उप कारागृह, बाली पुराने किले में स्थित भवन में संचालित है।

(3) उप कारागार, बाली पर वर्तमान में एक सहायक कारापाल, एक मुख्य प्रहरी, 8 प्रहरी एवं एक कनिष्ठ लिपिक पदस्थापित है। दिनांक 3.3.2006 को विचाराधीन बंदी 45 पुरूष एवं 5 महिला एक बच्चे सहित निरूद्ध थे। सजायाफ्ता कोई बंदी निरूद्ध नहीं है। कुल बंदी संख्या के अनुपात में उप कारागृह भवन में आवश्यक मूलभूत सुविधा उपलब्ध है, परन्तु जेल के अन्दर खुला मैदान उपलब्ध नहीं है।

(4) बाली किले में संचालित उप कारागृह भवन को खाली कर अन्यत्र उप कारागृह भवन का निर्माण कराये जाने की वर्तमान में कोई योजना नहीं है।

राज्य की वन भूमि के जिलेवार नक्शे

223. श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा राज्य के प्रत्येक जिले का अलग से वन नक्शा (फोरेस्ट मैप) तैयार किये जाने का निर्णय लिया गया है? यदि हां, तो जिलेवार तैयार किये गये नक्शों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सरकार के निर्णय के पश्चात् भी अभी तक नक्शे तैयार नहीं हुए हैं? यदि हां, तो क्यों तथा अब कब तक तैयार कर दिये जावेंगे?

उत्तर

(1) राज्य के प्रत्येक जिले का डीजिटल फोरेस्ट मैप बनाने का निर्णय जनवरी, 2006 में लिया गया है। नक्शे तैयार किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही आरम्भ कर दी गई है।

(2) नक्शे तैयार कराये जाने की कार्यवाही आरम्भ कर दी गई है। वित्तीय वर्ष 2007-08 के अन्त तक तैयार कर लिया जावेगा।

वन भूमि पर एलीफेन्ट सफारी हेतु पक्के निर्माण कार्य

224. डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जिला जयपुर में एलीफेन्ट सफारी शुरू की गई है? यदि हां, तो कब से? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि एलीफेन्ट सफारी हेतु वन भूमि पर पक्का निर्माण कार्य करवाया गया? यदि हां, तो क्या-क्या निर्माण कार्य कहां-कहां करवाये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त निर्माण कार्य करवाने से पूर्व फोरेस्ट एडवाइजरी बोर्ड से अनुमति प्राप्त कर ली गई थी? यदि हां, तो अनुमति पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। एलीफेन्ट सफारी दिनांक 6.2.2006 से नाहरगढ़ जैविक उद्यान में शुरू की गई है।

(2) एलीफेन्ट सफारी हेतु नाहरगढ़ जैविक उद्यान में हाथी पर बैठने हेतु एक पक्का प्लेटफार्म बनाया गया है।

(3) यह प्लेटफार्म निर्माण का कार्य पूर्व में स्वीकृत नाहरगढ़ जैविक उद्यान में ईको ट्यूरिज्म विकास हेतु बनाया गया है जिस हेतु एडवाइजरी बोर्ड की अनुमति की आवश्यकता नहीं है।

टोडाभीम में वन विकास कार्य

225. श्री बत्तीलाल (टोडाभीम) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में वन विभाग द्वारा कितने व कहां-कहां एनीकट बनवाये जा रहे हैं? क्या सरकार प्रस्तावित एनीकटों को स्वीकृत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(2) विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम की तहसील टोडाभीम व नादौती में वन विभाग द्वारा क्या-क्या कार्य कौन-कौनसी जगह करवाये जा रहे हैं?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में 4 एनीकट पदमपुरा, नादकला, माचडी तथा गिदानी में बनाये जा रहे है। इसके अलावा इस वित्तीय वर्ष में एनीकट बनाया जाना प्रस्तावित नहीं है।

(2) विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम की तहसील टोडाभीम व नादौती में वन विभाग द्वारा संलग्न परिशिष्ट "क" अनुसार कार्य करवाये जा रहे है।

परिशिष्ट "क"

विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम की तहसील टोडाभीम व नादौती वन विभाग द्वारा कराये जा रहे कार्यों की सूची

क्र. सं.	कार्य का नाम	स्थान का नाम
1.	एनीकट पदमपुरा	पदमपुरा
2.	एनीकट नादकला	नादकला
3.	एनीकट माचडी एवं नाला उपचार	माचडी
4.	एनीकट गिदानी	गिदानी
5.	ड्रोप स्ट्रेक्चर पदमपुरा	पदमपुरा
6.	ड्रोप स्ट्रेक्चर नादकला	नादकला
7.	ड्रोप स्ट्रेक्चर गिदानी	गिदानी
8.	ड्रोप स्ट्रेक्चर पाल	पाल
9.	वृक्षारोपण गुढाचन्द्रजी 50 है.	गुढाचन्द्रजी
10.	पौधशाला टोडाभीम	टोडाभीम
	(1) ट्यूब वेल का निर्माण-1	
	(2) पौध तैयारी 98,500 पौधे	
11.	पौधशाला गुढाचन्द्र जी	गुढाचन्द्रजी
	(1) ट्यूब वेल का निर्माण-1	
	(2) पौध तैयारी 1,69,500 पौधे	
12	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण 50 है.	गुढाचन्द्रजी
13.	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण खेडी 50 है.	खेडी
14.	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण 50 है.	रामधन का पुरा

वन भूमि पर अतिक्रमण के प्रकरणों के निस्तारण हेतु विशेष न्यायालय

226. श्री रामचन्द्र सराधना (सहाड़ा) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में कुल कितनी वन भूमि है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त भूमि में काफी बड़ी मात्रा में खनन माफिया व वन भूमि पर खेती करने वाले व अन्य व्यक्तियों का अतिक्रमण है? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा इसके लिए कोई सर्वे कराया गया है? यदि हां, तो कुल कितनी वन भूमि पर अतिक्रमण दर्ज है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त वन भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो इसके लिए क्या प्रयास किये जायेंगे?

(4) राज्य में वन भूमि पर अतिक्रमण के कितने मामले विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन हैं? क्या सरकार इन मामलों के निस्तारण के लिए विशेष न्यायालय गठित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राज्य में 32,488.01 वर्ग किलोमीटर वन भूमि है।

(2) राज्य में वन भूमि पर काफी बड़ी मात्रा में खनन माफिया, खेती करने वाले एवं अन्य का अतिक्रमण नहीं है। कृषि, आवासीय एवं अन्य प्रयोजन हेतु कहीं-कहीं पर लोगों द्वारा वन भूमि पर अतिक्रमण किया हुआ है, जिनके विरुद्ध भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत मामले दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है।

(3) जी हां। वन भूमि पर अतिक्रमण करने वालों के विरुद्ध भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत न्यायालय सहायक वन संरक्षक में मुकदमे दर्ज कराये गये है। न्यायालय के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावेगी।

(4) राज्य में दिसम्बर माह तक वन भूमि पर अतिक्रमण के 32,900 मामले सहायक वन संरक्षक न्यायालयों में विचाराधीन है। वन विभाग के सहायक वन संरक्षकों को भू राजस्व अधिनियम, 56 की धारा 91 के अन्तर्गत कार्यवाही करने की शक्तियां प्रदत्त की हुई है जो विशेष न्यायालय के रूप में ही कार्य करते हैं। अत: पृथक से विशेष न्यायालय गठित करने की आवश्यकता नहीं रहती है।

बाघ परियोजना सरिस्का में वाहन चालकों के रिक्त पद

227. श्री कान्तीप्रसाद मीणा (थानागाजी) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

विधान सभा क्षेत्र थानागाजी स्थित बाघ परियोजना सरिस्का में कितने वाहन चालकों के पद स्वीकृत हैं एवं कितने वाहन हैं? इस हेतु कितने चालक कार्यरत हैं एवं कितने पद रिक्त हैं? वर्तमान में जो वाहन हैं उन्हें कौन चला रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

बाघ परियोजना सरिस्का में तीन वाहन चालकों के पद स्वीकृत है तथा नौ वाहन उपलब्ध है। वर्तमान में चालक का कोई पद रिक्त नहीं है।

बाघ परियोजना सरिस्का में उपलब्ध वाहन एवं उनके चालकों का विवरण परिशिष्ट "क" के अनुसार सदन के पटल पर रख दिया गया है।

परिशिष्ट "क"

क्र. सं.	**वाहन**	**वाहन चालकों के नाम**
1.	जिप्सी आर.जे. 14-0ए-3025	श्री ओमप्रकाश सूण्डा, चालक
2.	जिप्सी आर.जे. 14-सी-7807	श्री घनश्याम सैनी बेलदार (कार्य प्रभारित)
3.	जिप्सी आर.जे. 14-सी-1498	श्री रामगोपाल बिलोटिया, वनरक्षक
4.	जीप आर.जे. 2-4378	श्री राजेश राज चालक
5.	केन्टर आर.जे. 02-5861	श्री जगदीश प्रसाद गुर्जर, वनरक्षक
6.	केन्टर आर.जे. 03-5892	श्री कमलेश कुमार मीणा, वृक्षपालक (कार्य प्रभारित)
7.	केन्टर आर.जे. 02-5894	श्री मानसिंह गुर्जर, वनरक्षक
8.	केन्टर आर.जे. 02-5899	श्री बनवारी लाल शर्मा, चालक
9.	टैक्टर आर.एन.ए.-1120	श्री हीरालाल पम्प अटेण्डेण्ट (कार्य प्रभारी)

खैरवाड़ा में वृक्षारोपण

228. श्री नानालाल अहारी (खैरवाड़ा) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

विधान सभा क्षेत्र खैरवाड़ा में वृक्षारोपण हेतु कितने खड्डे खोदे गये? उनमें कितने में वृक्षारोपण किया गया? उक्त में से कितने पौधे जीवित हैं तथा कितने नष्ट हो गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

विधान सभा खैरवाड़ा में गत 5 वर्षों में (वर्ष 2000-01 से 2004-05) 2.10 लाख खड्डे खोदे गये। खोदे गये समस्त खड्डों में 2.10 लाख पौधे लगाये गये। लगाये गये पौधों में से वर्तमान में 1.605 लाख पौधे जीवित है। विवरण परिशिष्ट "क" के अनुसार सदन की मेज पर रख दिया गया है।

परिशिष्ट "क"

विधान सभा खैरवाड़ा में परिशिष्ट "क" वर्ष 2000-01 से 2004-05 के मध्य खोदे गये खड्डों लगाये गये एवं जीवित पौधों का विवरण

वर्ष	कुल खोदे गये खड्डों की संख्या	कितने पौधे लगाये गये	वर्तमान में जीवित पौधों की संख्या
2000-01	—	—	—
2001-02	30,000	30,000	18,000
2002-03	—	—	—
2003-04	—	—	—
2004-05	1,80,000	1,80,000	1,42,500
योग	**2,10,000**	**2,10,000**	**1,60,500**

राज्य में एल.पी.जी. गैस पम्पिंग स्टेशन

229. श्री केसर देव बाबर (लक्ष्मणगढ़) सीकर : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में एल.पी.जी. गैस के कितने पेट्रोल पम्प किस-किस स्थान पर किस-किस फर्म को आबंटित किये हुए हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि राज्य के प्रत्येक जिले में एल.पी.जी. गैस के पम्पिंग स्टेशन उपलब्ध नहीं हैं?

(3) क्या यह सही है कि पूरे राज्य में एल.पी.जी. गैस का उपयोग चौपहिया वाहनों में किया जा रहा है? यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) आटो एल.पी.जी. फिलिंग स्टेशन के सम्बन्ध में राज्यस्तरीय समन्वयक इण्डियन आयल कारपोरेशन से प्राप्त सूचना के अनुसार राज्य में वर्तमान में 2 आटो एल.पी.जी. फिलिंग स्टेशन कार्यरत हैं :-

1. मै. राजस्थान हाईवे, ट्रांसपोर्ट नगर, जयपुर (आई.ओ.सी.एल.)
2. मै. कोको सहकार मार्ग, जयपुर (आई.ओ.सी.एल.)

(2) हां यह सही है कि राज्य के प्रत्येक जिले में एल.पी.जी. गैस के पम्पिंग स्टेशन उपलब्ध नहीं हैं। निम्नांकित स्थानों पर एल.पी.जी. फिलिंग स्टेशन स्थापित करने की कार्यवाही प्रगति पर है :-

1. कोटा (आई.ओ.सी.)
2. अजमेर (आई.ओ.सी.)
3. लखेर एन.एच.-8 (आई.ओ.सी.)
4. टोंक रोड़, जयपुर। (एच.पी.सी.)

(3) पूरे राज्य में एल.पी.जी. गैस का वाहनों में अनाधिकृत उपयोग की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता।

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री)

इस सम्बन्ध में रसोई गैस का अनाधिकृत प्रयोग रोकने हेतु सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कम्पनियों को समय-समय पर निर्देश दिये गये एवं उनके साथ रसद एवं यातायात विभाग के अधिकारियों द्वारा भी जांच/रोकथाम की कार्यवाही की गई। इसके अतिरिक्त तेल कम्पनियों द्वारा रसोई गैस का वाहनों में अनाधिकृत रूप से उपयोग से सम्भावित खतरों और जनसाधारण की सुरक्षा के प्रति उपभोक्ताओं को शिक्षित करने की दृष्टि से भी निर्देश दिये गये। इस सम्बन्ध में राज्य स्तरीय समन्वयक को अधिक संख्या में आटो एल.पी.जी. फिलिंग स्टेशन स्थापित करने हेतु निर्देशित किया जाता रहा है।

अतारांकित प्रश्न संख्या-230

(स्थगित)

जोधपुर जिले में आबंटित राशन सामग्री का भौतिक सत्यापन

231. श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सरकार द्वारा जिला जोधपुर में वर्ष 2005 में केरोसीन, एल.पी.जी. व गेहूं कितना-कितना आबंटित किया गया व कितना अतिरिक्त आबंटन हुआ?

(2) उक्त केरोसीन व गेहूं का कहां-कहां वितरण किया गया? क्या उक्त वितरण का भौतिक सत्यापन करवाया गया? यदि हां, तो सत्यापन किस-किस अधिकारी द्वारा किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य सरकार द्वारा जोधपुर जिले को वर्ष 2005 में जनवरी, 2005 से दिसम्बर, 2005 तक निम्न प्रकार योजनाओं में गेहूं व केरोसीन का आबंटन किया गया :-

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री)

केरोसीन	कुल आबंटन 23671 के. एल.
ए.पी.एल. गेहूं	117489 मै. टन
बी.पी.एल. गेहूं	10418 मै. टन
अन्त्योदय अन्न योजना	5462 मै. टन
अन्नपूर्णा योजना	663.44 मै. टन
एल.पी.जी. का आबंटन विभाग द्वारा नहीं किया जाकर पेट्रोलियम कम्पनियों द्वारा किया जाता है।	

(2) जोधपुर जिले को आबंटित केरोसीन के जोधपुर शहर एवं तहसीलों में वितरण का विवरण परिशिष्ट "क" पर एवं गेहूं के जोधपुर शहर एवं तहसीलों में वितरण का विवरण परिशिष्ट "ख"-1, "ख"-2, "ख"-3, "ख"-4 पर योजनावार संलग्न है।

उक्त वितरण का भौतिक सत्यापन कराया गया है।

जोधपुर शहर के 60 वार्डो को 7 सेक्टरों में विभाजित कर प्रत्येक सेक्टर में एक प्रवर्तन निरीक्षक लगा रखा है। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में तहसीलवार एक प्रवर्तन निरीक्षक लगाया हुआ है, जिनका मुख्यालय भी तहसील में ही है। इन प्रवर्तन निरीक्षकों को अपने-अपने क्षेत्र की उचित मूल्य दुकानों पर केरोसीन व गेहूं प्राप्त होने पर उसका भौतिक सत्यापन करने के पश्चात् ही उपभोक्ताओं में वितरण के लिए पाबन्द कर रखा है। जोधपुर शहर के सात सेक्टरों में 3 प्रवर्तन अधिकारी भी लगा रखे हैं, वे भी अपने क्षेत्र में कतिपय दुकानों पर केरोसीन व गेहूं का भौतिक सत्यापन करते है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बीकानेर जिले में उचित मूल्य की दुकानों का आबंटन

232. श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सरकार द्वारा उचित मूल्य की दुकान आबंटित किये जाने हेतु क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है?

(2) क्या यह सही है कि उक्त दुकान आबंटन हेतु प्रथम वरीयता के व्यक्ति के निर्धारित समय-सीमा के भीतर कार्य शुरू न करने की स्थिति में द्वितीय वरीयता के व्यक्ति को स्वत: ही दुकान आबंटित कर दी जाती है? यदि हां, तो 1 जनवरी, 2004 से वर्तमान तक जिला बीकानेर में आबंटित दुकानों की सूची एवं चयनित व्यक्तियों की वरीयता सूची सदन की मेज पर रखते हुए बतायें कि क्या सभी स्थानों पर प्रथम वरीयता के व्यक्तियों के निर्धारित

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

समय-सीमा में कार्य प्रारम्भ न कर पाने के कारण अन्य वरीयता के व्यक्त‍ियों को दुकान का आबंटन किया गया? यदि हां, तो किन-किन को व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) भारत सरकार द्वारा उचित मूल्य की दुकान खोलने के लिए 2000 उपभोक्ता इकाई पर एक दुकान का माप-दण्ड निर्धारित है। भौगोलिक दृष्टि से इस माप-दण्ड में शीथिलता भी प्रदान की गई है।

उचित मूल्य की दुकानों के आबंटन हेतु समय-समय पर विभागीय निर्देश जारी किये गये है। विभाग के नवीनतम निर्देश दिनांक 7.10.2005 से प्रचलित है। रिक्त दुकानों के आबंटन हेतु सार्वजनिक विज्ञप्ति जारी कर पात्र व्यक्त‍ियों से आवेदन मांगे जाते है। आवेदक उसी क्षेत्र का निवासी होना चाहिये। आवेदक की शैक्षणिक योग्यता आठवीं कक्षा उत्तीर्ण (जनजाति उपयोजना क्षेत्र एवं बारां जिले की शाहबाद व किशनगंज तहसील के लिए शैक्षणिक योग्यता पांचवीं कक्षा उत्तीर्ण) होना निर्धारित है।

दिनांक 7.10.2005 के दिशा-निर्देशों के अनुसार समय-समय पर रिक्त/अतिरिक्त उचित मूल्य दुकानों का आबंटन, आबंटन सलाहकार समिति की अनुशंसा के आधार पर किया जाता है।

(2) जी हां। यह सही है। प्रचलित निर्देशों के अनुसार आबंटन सलाहकार समिति द्वारा प्रत्येक उचित मूल्य की दुकान के लिए एक नाम रिजर्व के रूप में प्रस्तावित किया जाना अपेक्षित है। कभी भी उचित मूल्य दुकान के डीलर का प्राधिकार-पत्र निरस्त किये जाने से अथवा अन्य किसी कारण से कोई स्थान रिक्त होने पर रिजर्व सूची से नियुक्त करने के निर्देश है।

जनवरी 2004 से अब तक जिला बीकानेर में आबंटित 30 दुकानों की सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

इनमें से 29 चयनित आवेदकों को उचित मूल्य दुकान के प्राधिकार-पत्र जारी कर दिये गये है। तहसील लूणकरणसर के ग्राम कालू में काशीराम पुत्र बालचन्द झंवर जिसका उचित मूल्य दुकान आबंटन हेतु चयन हुआ था, परन्तु आवेदक द्वारा उचित मूल्य दुकान का कार्य प्रारम्भ करने से इन्कार करने पर वर्तमान में इस उचित मूल्य दुकान का अस्थाई चार्ज श्री प्रेमप्रकाश उचित मूल्य दुकानदार ग्राम कालू के पास है। उचित मूल्य की इस दुकान का आबंटन आरक्षित सूची में चयनित व्यक्त‍ि को किया

परिशिष्ट "1"

जनवरी, 2004 से वर्तमान तक जिला बीकानेर आबंटित उचित मूल्य दुकानों की सूची

क्र. सं.	नाम स्थान	नाम ग्राम पंचायत	उचित मूल्य दुकान हेतु चयनित व्यक्ति
1	2	3	4
तहसील लूणकरणसर			
1.	सोढवाली	सोढवाली	श्री कालूराम शर्मा पुत्र मालाराम शर्मा
2.	कालू	कालू	श्री काशीराम पुत्र बालचन्द झंवर (कार्य करने से इन्कार)
3.	कालू	कालू	श्री मोहनलाल पुत्र चेतनराम ब्राह्मण
4.	कालू	कालू	श्री मुमताज अली पुत्र मालूखां
तहसील छत्तरगढ़			
1.	तख्तपुरा	तख्तपुरा	श्री कृष्णसिंह भाटी पुत्र भीखसिंह भाटी
तहसील पूगल			
1.	करणीसर भाटियान	करणीसर भाटिया	श्री लक्ष्मणसिंह पुत्र अमरसिंह राजपूत
2.	बान्दरवाला	करणीसर भाटिया	श्री प्रतापसिंह पुत्र हरिसिंह
3.	51 आर.डी.	पहलवान का बेरा	श्री करीमखां पुत्र हाजी मुराद
4.	4 ए.डी.एम.	पहलवान का बेरा	श्री जलधर सिंह पुत्र गुरजन्टसिंह
तहसील श्रीडूंगरगढ़			
1.	सत्तासर	लिखमादेसर	श्री मनोहरसिंह पुत्र हणुतसिंह राजपूत
2.	बींझासर	बींझासर	श्री मदनलाल पुत्र बद्रीराम शर्मा
3.	मोमासर	मोमासर	श्री बजरंगलाल पुत्र दीपाराम सोनी
4.	मोमासर	मोमासर	श्री शंकरलाल पुत्र आईदान मेघवाल (अतिरिक्त दुकान)

1	2	3	4
5.	ऊपनी	ऊपनी	श्री जगदीश प्रसाद पुत्र भीराजराम
6.	बापेऊ	बापेऊ	श्री सोहनदास पुत्र खेमदास स्वामी
7.	राजेड़ू	बापेऊ	श्री नारायणराम पुत्र अणदाराम (अतिरिक्त दुकान)
8.	सूड़सर	सूड़सर	श्री लेखराम पुत्र मांगीलाल जाट
9.	सूड़सर	सूड़सर	श्री गणेशदास पुत्र रामचन्द्र स्वामी (अतिरिक्त दुकान)
10.	जोधासर	जोधासर	श्री प्रभुसिंह पुत्र भगवानसिंह
11.	झझेऊ	जोधासर	श्री जुगलसिंह पुत्र गोपालसिंह (अतिरिक्त दुकान)
12.	तौलियासर	तौलियासर	श्री सीताराम पुत्र मोहनराम
13.	जैतासर	तौलियासर	श्री ओमप्रकाश पुत्र लेखराम नाड़
14.	बिग्गा बारां रामसर	इन्दपालसर सांखलान	श्री रामचन्द्र पुत्र गौरी शंकर सुथार
15.	सोनियासर मिठिया	सोनियासर मिठिया	श्री जसवन्तसिंह पुत्र सवाईसिंह
16.	सोनियासर मिठिया	सोनियासर मिठिया	श्री नारायणसिंह पुत्र हनुमानसिंह
17.	धीरदेसर पुरोहितान	सुरजनसर	श्री ओमप्रकाश पुत्र मेघाराम मेघवाल
नगरपालिका क्षेत्र डूंगरगढ़			
18.	01	श्री तारासिंह पुत्र किशनलाल ओड	
19.	02	श्री गौरीशंकर पुत्र नेमाराम नाई	
20.	03	श्री सुभाषचन्द्र पुत्र मोहनलाल प्रजापत	
21.	24	श्री महेन्द्र कुमार पुत्र हनुमानमल	

ह./-
जिला रसद अधिकारी,
बीकानेर

जाना प्रक्रियाधीन है।

रामगंजमण्डी (कोटा) तहसील में रसोई गैस की अनियमित आपूर्ति

233. श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि तहसील-रामगंज मण्डी, जिला-कोटा में रसोई गैस की काफी किल्लत है? यदि हां, तो इस सन्दर्भ में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

हां। यह सही है कि राज्य के कुछ शहरों में गत अक्टूबर, 2005 से दिसम्बर, 2005 की अवधि में देश के अन्य भागों की तरह रसोई गैस की आपूर्ति प्रभावित रही है। गत अक्टूबर-नवम्बर, 2005 में ही जामनगर रिफायनरी जिससे राज्य की 95 प्रतिशत आपूर्ति होती है बन्द हो जाने से आपूर्ति आंशिक रूप से प्रभावित हो गई। इसी प्रकार तहसील रामगंज मण्डी जिला कोटा में भी रसोई गैस की आपूर्ति प्रभावित हुई थी। माह अक्टूबर, 2005 से पूर्व तेल कम्पनी द्वारा उपभोक्ताओं की संख्या में 100 प्रतिशत या इससे भी अधिक गैस सिलेण्डर उपलब्ध कराये गये हैं परन्तु 2005 से आपूर्ति में कमी होने के कारण 68 से 70 प्रतिशत गैस सिलेण्डर्स उपलब्ध कराये गये। राज्य सरकार द्वारा उपभोक्ताओं को समय पर गैस की समुचित सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए जिला कलक्टर/जिला रसद अधिकारियों को आर.पी.पी.एल. आर्डर 1990 के खण्ड 19 के तहत आदेश जारी करने के लिए निर्देश जारी किये गये हैं। जिला रसद अधिकारियों एवं तेल कम्पनियों द्वारा भी आपूर्ति सुनिश्चित करने एवं अनाधिकृत उपयोग को रोकने की कार्यवाही की गई है। वर्तमान में राज्यस्तरीय समन्वयक द्वारा दी गई सूचना अनुसार एच.पी.सी.एल. द्वारा मै. शुभम गैस एजेन्सी द्वारा करीब 10200 घरेलू गैस उपभोक्ताओं एवं 90 व्यवसायिक गैस के उपभोक्ताओं के लिए लगभग 7850 घरेलू गैस सलेण्डर उपलब्ध कराये जाते हैं। इसके अतिरिक्त लगभग 100 व्यवसायिक सिलेण्डर प्रति माह उपलब्ध कराये जाते है। रामगंजमण्डी तहसील क्षेत्र में वितरण कार्य सुचारू रूप से जारी है। एवं यह आपूर्ति सुनिश्चत रखने के समस्त प्रयास किये जा

रहे हैं।

डेगाना (नागौर) उपखण्ड में बाल मजदूरी का शोषण

234. श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना) : क्या श्रम एवं नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में वर्ष 2004-05 एवं 2005-06 के दौरान बाल मजदूरी के सम्बन्ध में कुल कितनी शिकायतें कहां-कहां से प्राप्त हुई? सूची जिलेवार सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार द्वारा इसे रोकने के कदम उठाये गये हैं? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि सरकार को डेगाना उपखण्ड जिला नागौर से बाल मजदूरों के शोषण से सम्बन्धित शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो किन-किन गांवों की तथा सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 2004-05 एवं 2005-06 के दौरान बाल मजदूरी के सम्बन्ध में कुल 9

	2004-05	**2005-06**
जयपुर जिला	3	3
अजमेर	शून्य	2
कोटा	1	शून्य
अलवर	शून्य	1
योग	**4**	**5**

शिकायतें प्राप्त हुई। विवरण निम्न प्रकार है :-

(2) जी हां। बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियम) अधिनियम, 1986 के तहत प्रवर्तन कार्य श्रम निरीक्षकों एवं कारखाना निरीक्षकों द्वारा किया जाता है।

दोषी पाये गये संस्थानों के विरुद्ध कोटा में 1 अजमेर में 5 अभियोजन सक्षम न्यायालय में पेश किये गये एवं जयपुर में 3 संस्थानों के विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जा रही है।

(3) जी नहीं। इस प्रकार की कोई सूचना श्रम विभाग को प्राप्त नहीं हुई।

सहाड़ा के छात्रावास

235. श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा में कितने छात्रावास संचालित हैं? उनमें कितने-कितने छात्र किस-किस जाति के हैं? उन पर कितना सालाना खर्चा होता है व उनकी पढ़ाई का परिणाम क्या है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा में चार छात्रावास संचालित हैं।

क्र. सं.	**छात्रावास का नाम**	**स्वीकृत छात्र संख्या**	**अनु. जाति के छात्रों की संख्या**	**अनु. जनजाति के छात्रों की संख्या**	**अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों की संख्या**	**कुल प्रवेशित छात्र संख्या**
1.	राजकीय अनु. जाति बालक छात्रावास, आमली	50	17	4	7	28
2.	राजकीय अनु. जाति बालक छात्रावास, गंगापुर	40	30	6	4	40
3.	राजकीय अनु. जाति बालक छात्रावास, कोशीथल	40	25	10	5	40
4.	राजकीय अनु. जाति बालक छात्रावास, रायपुर	40	27	5	8	40
	कुल योग	**170**	**99**	**25**	**24**	**148**

इनमें जातिवार छात्रों का विवरण निम्न प्रकार है :-

इन 148 छात्रावासी छात्रों पर प्रतिमाह प्रति छात्र रुपये 675/- की दर से प्रति शैक्षणिक वर्ष में (साढ़े नौ माह हेतु) 9,41,485/- रुपये का सालाना खर्चा किया जा रहा

(समाज कल्याण मंत्री)

है।

इन छात्रावासों में अध्ययनरत छात्रों का पढ़ाई का वर्ष 2005 की परीक्षा

छात्रावास का नाम	**छात्रों का परीक्षा परिणाम**						
	परीक्षा में सम्मिलित छात्र	**प्रथम श्रेणी**	**द्वितीय श्रेणी**	**तृतीय श्रेणी**	**पूरक परीक्षा उत्तीर्ण**	**अनुत्तीर्ण**	**कुल योग**
राजकीय अनु. जाति बालक छात्रावास, आमली	21	3	9	5	1	3	21
राजकीय अनु. जाति बालक छात्रावास, गंगापुर	31	5	13	5	3	5	31
राजकीय अनु. जाति बालक छात्रावास, कोशीथल	36	7	5	17	4	3	36
राजकीय अनु. जाति बालक छात्रावास, रायपुर	37	8	6	16	4	3	37
कुल योग	**125**	**23**	**33**	**43**	**12**	**14**	**125**

इनमें से 23 छात्र छात्रावास छोड़कर चले गये।

परिणाम का विवरण निम्न प्रकार है :-

दूढोड़ (पाली) ग्राम सेवा सहकारी समिति में व्याप्त भ्रष्टाचार की जांच

236. **श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल** (देसूरी) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जिला पाली की सहकारी समिति लि. दूढोड़, पंचायत समिति मारवाड़ जंक्शन में गरीबों के फर्जी कागजातों से ऋण जारी करने की शिकायतें सरकार को प्राप्त हुई है? यदि हां, तो क्या-क्या? प्राप्त शिकायतों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि दिनांक 2 अक्टूबर, 2005 से पाली से प्रकाशित दैनिक समाचार पत्र भास्कर में भी खबर प्रकाशन के साथ भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा अनेक प्रकरणों में इस सहकारी समिति को चिन्हित किया गया है?

(3) क्या यह सही है कि शेषाराम सैन पुत्र श्री बाबूलाल सैन के नाम से फर्जी कागजात तैयार कर उक्त सहकारी समिति के अधिकारियों द्वारा ऋण उठाने की शिकायत सरकार को प्राप्त हुई है?

(4) उक्तानुसार प्राप्त शिकायतों, प्रकाशित समाचार, भ्रष्टाचार निरोधक द्वारा चिन्हित प्रकरणों व श्री शेषाराम के परिजनों के शिकायती-पत्र व शेषाराम के ऋण आदान बाबत पत्रों की प्रतियां सदन की मेज पर रखें। सरकार द्वारा अब तक उक्त समिति के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

उत्तर

(1) जी हां। शिकायत की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी नहीं।

(3) जी हां।

(4) प्राप्त शिकायतों, श्री शेषाराम के परिजनों के शिकायती पत्र व शेषाराम के ऋण आदान संबंधी पत्रों की प्रति परिशिष्ट क्रमश: 1, 2, 3 पर संलग्न है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो से कोई सूचना ग्राम सेवा सहकारी समिति दूढोड़ लि. के सम्बन्ध में

(सहकारिता मंत्री)

बैंक को प्राप्त नहीं हुई है। ग्राम सेवा सहकारी समिति, दूढोड़ में राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम, 2001 की धारा-55 अन्तर्गत जांच उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, जोधपुर से कराई गई। जांच में फर्जी ऋण वितरण का कोई मामला प्रकाश में नहीं आया। परन्तु मिनी बैंकों की अमानतों, खाद व अन्य मांग स्टाक, रसीदों का उचित इन्द्राज नहीं होने के कारण 7,43,597/- रु. का मामला स्पष्ट हुआ। जांच पर संयुक्त रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, जोधपुर द्वारा जारी जांच परिणाम दिनांक 30.4.2001 के क्रम में दोषी व्यवस्थापक के विरुद्ध अधिनियम की धारा-57 में प्रकरण दर्ज कर निर्णय दिया गया। निर्णय अनुसार राशि 7,48,597/- रु. की वसूली की कार्यवाही की जा रही है। दोषी व्यवस्थापक द्वारा 4,16,410/- रु. की राशि जमा कराई जा चुकी है।

(प्रति विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयीं)

मारुति कालोनी श्योपुर रोड, जयपुर में आबंटित भूखण्ड

237. श्री हरलाल सिंह खर्रा (श्रीमाधोपुर) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) श्योपुर रोड, प्रतापनगर, टोंक रोड, जयपुर पर कितनी गृह निर्माण सहकारी समितियां हैं एवं उनकी कौन-कौनसी स्कीम/योजनाएं अस्तित्व में है? नामवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त क्षेत्र में विकास भवन निर्माण सहकारी समिति लि. की मारुति कालोनी/नगर नाम की योजना अस्तित्व में है? यदि हां, तो उसमें कितने भू-खण्ड किस-किस नाम से कब-कब आबंटित किये गये? नामवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त समिति की उक्त योजना में भू-खण्ड संख्या 01 व भू-खण्ड संख्या 1-ए किन व्यक्तियों को आबंटित किये गये थे? अब तक वे कितनी बार, कब-कब विक्रय हो चुके हैं तथा समिति द्वारा हर बार संशोधित आबंटन-पत्र कब-कब जारी किये

गये? वर्तमान आबंटियों के नामों की सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, जयपुर (शहर) कार्यालय के क्षेत्राधिकार में 209 गृह निर्माण सहकारी समितियां पंजीकृत एवं कार्यरत हैं। श्योपुर रोड पर विकास भवन निर्माण सहकारी समिति लि. जयपुर को मारुति कालोनी अस्तित्व में है।

(2) जी हां। विकास भवन निर्माण सहकारी समिति लि. जयपुर द्वारा श्योपुर रोड, जयपुर पर सृजित मारुति कालोनी में 22 आवासीय भूखण्ड एवं 13 दुकानों के भूखण्ड आबंटित किये गये हैं, जिनकी नामवार एवं तिथिवार भूखण्ड आबंटन की सूची परिशिष्ट-1 सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) समिति की उक्त योजना में भूखण्ड संख्या-1 श्री रामचरण पुत्र श्री रामकिशोर मेहरवाल को दिनांक 23.12.1988 को आबंटित किया गया था। समिति द्वारा इसके पश्चात् उक्त भूखण्ड न तो स्थानान्तरित किया गया है और न ही

परिशिष्ट-1

विकास भवन निर्माण सहकारी समिति लि. जयपुर

समिति योजना—मारुति कालोनी के सदस्यों की सूची

क्र. सं.	सदस्य का नाम मय पिता/पति	प्लाट संख्या	क्षेत्रफल	आबंटन दिनांक
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1.	रामचरण पुत्र रामकिशोर महरवाल	1	216.66	23.12.1988
2.	श्रीमती गीता पत्नी राधेश्याम मेहरवाल	2	216.66	23.12.1988
3.	कृष्णकुमार पुत्र जगदीश नारायण गुप्ता	3	216.66	23.12.1988

क्र. सं.	सदस्य का नाम मय पिता/पति	प्लाट संख्या	क्षेत्रफल	आबंटन दिनांक
1	2	3	4	5
4.	कृष्णकुमार पुत्र रामकिशोर मेहरवाल	4	216.66	23.12.1988
5.	लक्ष्मीनारायण पुत्र छोटूलाल बैरवा	5 व 6	311.00	12.10.1990
6.	छीतरमल पुत्र श्रवणलाल बैरवा	7	311.00	20.8.1990
7.	रामलाल पुत्र	8	120.00	13.12.1990
8.	हनुमान सहाय पुत्र रामेश्वर बैरवा	9	100.00	13.12.1990
9.	लालचन्द पुत्र छीतर मल बैरवा	10	100.00	31.12.1993
10.	श्रीमती भोरीदेवी पत्नी गोपाललाल धोबी	11	200.00	31.12.1993
11.	लादूराम पुत्र बाबूलाल बैरवा	12	112.00	7.8.1992
12.	शंकरलाल पुत्र मोतीलाल बैरवा	12ए	112.00	7.8.1992
13.	बजरंग लाल पुत्र केसरलाल बैरवा	14	175.00	17.8.1991
14.	बाबूलाल पुत्र पांचूराम बैरवा	13	233.00	7.8.1992
15.	श्रीमती सूरजदेवी पत्नी सीताराम	15	125.00	13.12.1990
16.	श्रीमती विमलादेवी पत्नी प्रेमचन्द	16	125.00	13.12.1990
17.	श्री कजोड मल पुत्र रामचन्द रेगर	17	80.00	13.12.1990
18.	श्री लाखाराम पुत्र गोपीराम धोबी	18	150.00	9.2.1991
19.	बाबूलाल पुत्र दादा सैनी	17ए	80.00	13.12.1990

1	2	3	4	5
20.	रामलाल पुत्र जगन्नाथ बैरवा	19	200.00	26.09.1991
21.	रमेशचन्द पुत्र किशनलाल शर्मा	20	233.00	29.09.1991
22.	लल्लूराम पुत्र मिठ्ठूलाल साहू	21	100.00	21.10.1992

ह./-
अध्यक्ष विकास भवन निर्माण
सहकारी समिति लि. जयपुर

विकास भवन निर्माण सहकारी समिति लि. जयपुर

समिति योजना—मारुति कालोनी के सदस्यों की सूची

क्र. सं.	सदस्य का नाम मय पिता/पति	दुकान संख्या	क्षेत्रफल	आबंटन दिनांक
1.	श्री सन्नी महरवाल पुत्र सुरेश महरवाल	1	22.22	23.12.1988
2.	राजेन्द्र पुत्र रामकिशोर महरवाल	2	22.22	23.12.1988
3.	दिनेश पुत्र राधेश्याम महरवाल	3	22.22	23.12.1988
4.	विकास पुत्र राधेश्याम महरवाल	4	22.22	23.12.1988
5.	श्रीमती सुनील सैनी पत्नी बाबूलाल सैनी	5	22.22	8.3.1995
6.	श्रीमती भंवरीदेवी पत्नी जगदीशनारायण	6	22.22	23.12.1988
7.	कैलाश प्रसाद पुत्र रामकिशोर	7	22.22	23.12.1988
8.	बद्रीनारायण पुत्र श्योबक्श	8	22.22	23.12.1988
9.	कैलाश प्रसाद पुत्र लादूराम	9	22.22	23.12.1988
10.	गोवर्धन पुत्र लादूराम	10	22.22	23.12.1988
11.	राजूलाल पुत्र रामकिशोर	11	22.22	23.12.1988
12.	श्रीमती प्रेमदेवी पत्नी रामप्रसाद मीणा	12	25.55	12.11.1995
13.	कृष्ण कुमार पुत्र जगदीश नारायण	13	15.55	20.04.1996

ह./-
अध्यक्ष
विकास भवन निर्माण सहकारी समिति लि. जयपुर

संशोधित आबंटन पत्र जारी किया गया है। भूखण्ड संख्या-1-ए अस्तित्व में ही नहीं है।

कुण्डई ग्राम पंचायत भिण्डर (उदयपुर) पंचायत समिति में नियम विरुद्ध आबंटित भूखण्ड

238. **श्री हंगामी लाल मेवाड़ा** (आसीन्द) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत कुण्डई, पंचायत समिति भिण्डर, जिला उदयपुर की चारागाह भूमि खसरा नम्बर 765 में से 0.5 बीघा भूमि बोहरा समाज को नायब तहसीलदार भीण्डर द्वारा अपने पद का दुरुपयोग कर आबंटित की गई? यदि हां, तो क्या उक्त भूमि को पंचायत द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया गया? यदि हां, तो उक्त की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार नाजायज रूप से आबंटित उक्त भूमि का आबंटन ग्राम सभा के प्रस्ताव दिनांक 17 अक्टूबर, 1995 व अनापत्ति प्रमाण-पत्र निरस्त करने एवं नायब तहसीलदार के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं। ग्राम सभा द्वारा जारी किये गये अनापत्ति पत्र को ग्राम सभा ने ही निरस्त कर दिया है।

नवलगढ़ में विधायक/सांसद कोष से विकास कार्य

239. **श्रीमती प्रतिभा सिंह** (नवलगढ़) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ में विधायक/सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के वर्ष, 2003-04 व 2004-05 व 2005-06 के स्वीकृत सभी कार्यों का विवरण, जिनमें पंचायत समिति नवलगढ़ को कार्यकारी अभिकरण बनाया गया है, का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि जिन कार्यों का कार्यकारी अभिकरण पंचायत समिति नवलगढ़ को बनाया गया उनमें से अधिकांश कार्य न तो निर्धारित समय पर शुरू हुए एवं न ही निर्धारित समय पर पूर्ण किये गये?

(3) सरकारी योजनाओं के स्वीकृत निर्माण कार्यों को निर्धारित समयावधि में

शुरू व पूर्ण नहीं करवाकर सरकारी धन का दुरुपयोग करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ में विधायक स्थानीय क्षेत्र एवं सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के वर्ष 2003-04 व 2004-05 व 2005-06 के स्वीकृत सभी कार्यों का विवरण जिनमें पंचायत समिति नवलगढ़ को कार्यकारी अभिकरण बनाया गया हैं का विवरण परिशिष्ट-1 एवं 2 पर उपलब्ध है।

(2) जिन कार्यों का कार्यकारी अभिकरण पंचायत समिति नवलगढ़ को बनाया गया था उनमें से अधिकांश कार्य निर्धारित समय से प्रारम्भ किये जाकर निर्धारित समय में पूर्ण किये गये है। मा. सांसद/विधायकों द्वारा कार्यों को पुन: अभिशंषित करने एवं नवलगढ़ में नगरपालिका चुनावों के कारण आचार संहिता लागू होने के कारण परिशिष्ट-1 में वर्णित विशेष विवरणानुसार कुछ कार्यों के क्रियान्वयन में विलम्ब हुआ है।

(3) स्वीकृत निर्माण कार्यों को प्रारम्भ एवं पूर्ण करवाने में अधिकारी स्तर पर किसी प्रकार का विलम्ब नहीं हुआ है एवं ना ही सरकारी धन का दुरुपयोग हुआ है। अत: किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बामनवास में जल संग्रहण योजनान्तर्गत कार्य

240. श्री हीरा लाल (बामनवास) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र बामनवास में भूमि संरक्षण व जन संग्रहण योजना के तहत कितनी समितियां कार्यरत हैं तथा किस-किस समिति के अन्तर्गत कौन-कौनसे ग्राम का कितना-कितना रकबा है?

(2) क्षेत्र में कार्यरत भू-संरक्षण व जल संग्रहण समितियों द्वारा कहां-कहां किस-किस ग्राम में क्या-क्या कार्य कराये जा रहे हैं तथा किस-किस कार्य पर कितनी-कितनी राशि स्वीकृत की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) विधान सभा क्षेत्र बामनवास में भू-संरक्षण एवं जल संग्रहण हेतु आगामी वर्षों में कितनी योजनाएं किस-किस ग्राम में कितने-कितने क्षेत्रफल की कितनी-कितनी राशि की प्रस्तावित है? प्रस्तावित योजना की सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बामनवास में भूमि संरक्षण व जल संग्रहण योजना के तहत कुल 14 जलग्रहण क्षेत्र स्वीकृत है, जिसमें 13 जलग्रहण समितियां कार्यरत है।

(पंचायती राज मंत्री)

उक्त जलग्रहण समितियों का ग्रामवार रकबा परिशिष्ट-अ पर संलग्न है। पंचायत समिति बौली में स्वीकृत जलग्रहण क्षेत्र भी इस विधान सभा क्षेत्र में सम्मिलित है।

(2) क्षेत्र में कार्यरत भू संरक्षण व जल संग्रहण समितियों द्वारा कराये जा रहे कार्यों का गतिविधिवार, ग्रामवार एवं कार्यों पर स्वीकृत राशि का विवरण परिशिष्ट "ब" एवं "स" पर संलग्न है।

(3) विधान सभा क्षेत्र बामनवास में भू संरक्षण एवं जल संग्रहण हेतु आगामी वर्षों हेतु बंजर भूमि विकास योजनान्तर्गत (IWDP) गोठ फुलवाड़ा परियोजना के प्रस्ताव तैयार कराये गये हैं, जिसके अन्तर्गत 5000 हैक्टेयर क्षेत्र उपचारित करने हेतु 300 लाख रुपये प्रस्तावित किये गये हैं। उक्त योजना में प्रस्तावित ग्राम, क्षेत्रफल एवं राशि का विवरण परिशिष्ट "द" पर संलग्न है।

(रकबा व विवरण आदि विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

पंचायती राज विभाग में समायोजित अधिशेष कर्मियों को चयनित वेतनमान

241. श्री गोपाल लाल धोबी (केकड़ी) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या सरकार पंचायती राज संस्थाओं में विभिन्न विभागों के सरप्लस कर्मचारियों को समायोजन करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्या ऐसे कर्मचारियों का वेतन निर्धारण व चयनित वेतनमान स्वीकृत करने की प्रक्रिया पंचायत राज विभाग के अधीन होगी या अपने पूर्व विभाग के अधीन? इस सम्बन्ध में विभागवार निर्देशों की प्रतियां सदन की मेज पर रखें?

उत्तर

जी नहीं। विभिन्न विभागों के कुल 2043 अधिशेष कार्मिकों को सेकिण्डमेन्ट (द्वितीय स्थानन) आधार पर ग्राम सेवक पदेन सचिव ग्राम पंचायत के पद पर पदस्थापित किया गया है, को वेतन/भत्ते पैत्रिक विभाग की व्यवस्थानुसार पंचायत समितियों द्वारा भुगतान किया जा रहा है तथा विभिन्न विभागों/संस्थाओं के 945 अधिशेष कार्मिकों को 1 वर्ष की अवधि के लिये उल्टी प्रतिनियुक्ति (रिवर्स डेप्यूटेशन) पर ग्राम सेवक पदेन सचिव के पद पर पाते वेतन पर पदस्थापित किया गया है। इन्हें वेतन वही दिया जा रहा है जो इनके पैत्रिक विभाग/संस्था द्वारा स्वीकृत है। ऐसे कर्मचारियों का वेतन निर्धारण व चयनित वेतनमान स्वीकृत करने की प्रक्रिया

राजस्थान सरकार

पंचायती राज विभाग

क्रमांक एफ 28()परावि/ग्रासे/सभा/प्र.2/पार्ट/99/3229 दिनांक 23.8.2002

1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
   जिला परिषद (समस्त)
2. विकास अधिकारी
   पंचायत समिति (समस्त)

विषय : विभिन्न सरकारी विभागों के अधिशेष कर्मचारी, जो ग्राम सेवक पद पर पदस्थापित किये गये है, की सेवा शर्तों के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि समय-समय पर सरकारी विभागों के अधिशेष/आधिक्य, कार्य प्रभारित कर्मचारी, जो विभाग के अधीन ग्राम सेवक पदेन सचिव, ग्राम पंचायत के पद पर पद स्थापित किये गये है, की सेवा शर्तों के क्रम में निम्न निर्देश जारी किये जाते है :-

"सरकारी विभागों के आधिक्य कार्यप्रभारित कर्मचारी, जो ग्राम सेवक के पद पर पदस्थापित किये गये है, वे ग्राम सेवक के पद पर सेकेण्डमेन्ट (द्वितीय स्थानन) (Secondment) पर कार्यरत माने जावेंगे एवं सेवा निवृत्ति से दो माह पूर्व इनकी सेवायें पैत्रिक विभाग को लौटा दी जावेगी, जहां से उनके पेंशन प्रकरणों का निस्तारण किया जावेगा। इनके वेतन/भत्ते पैत्रिक विभाग की व्यवस्थानुसार/नियमानुसार पंचायत समितियों से दिये जावेंगे।"

उक्त निर्देश आधिक्य कर्मचारी, जो ग्राम सेवक पद पर पदस्थापित है, के क्रम में बैठक दिनांक 25.7.2002 में लिये गये निर्णयों के अनुसरण में जारी किये जाते हैं।

ह./-

निदेशक

राजस्थान सरकार

पंचायती राज विभाग

क्रमांक एफ 28()पराविं/प्रशा.2/आधिक्य/समा./2002/1066 जयपुर दिनांक 01.6.2003

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,

जिला परिषद,............

विषय : विभिन्न विभागों के अधिशेष कर्मचारी को ग्राम सेवक पदेन सचिव के पद पर प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापित करने बाबत।

राज्य सरकार ने सरकारी विभागों एवं स्वायत्तशासी निकायों/संस्थाओं के आधिक्य कर्मचारियों को सचिव ग्राम पंचायत (ग्राम सेवक) के रिक्त पदों पर प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापित करने का निर्णय लिया है। तदनुसार संलग्न सूची के कार्मिकों को पदस्थापन हेतु आपके जिला परिषद को आबंटित किया जाता है।

इन कार्मिकों की प्रतिनियुक्ति सम्बन्धी नियम एवं शर्तें निम्न प्रकार से रहेंगी :-

1.	प्रतिनियुक्ति अवधि में कोई प्रतिनियुक्ति भत्ता देय नहीं होगा।
2.	वेतन भत्ते वही होंगे जो पैतृक संस्था द्वारा स्वीकृत हैं। जिस पद पर प्रतिनियुक्ति पर लिया जायेगा। प्रतिनियुक्ति कार्य शैक्षणिक योग्यता एवं परिलब्धियों के आधार पर समतुल्य पद पर ही होगी।
3.	अवकाश लाभ पैतृक विभाग के नियमों के अनुसार ही देय होगा।
4.	चिकित्सा सुविधा एवं अन्य सुविधाएं पैतृक संस्था के अनुसार ही देय होगी परन्तु राज्य कर्मचारियों को देय सुविधा से अधिक लाभप्रद नहीं होगी।
5.	उपार्जित अवकाश पैतृक संस्था द्वारा स्वीकृत किया जायेगा तथा आकस्मिक अवकाश प्रतिनियुक्ति पर लेने वाले विभाग द्वारा स्वीकार की जा सकेगी।
6.	उल्टी प्रतिनियुक्ति में सी.पी.एफ. में नियमानुसार अंशदान प्रतिनियुक्ति लेने वाले कार्यालय द्वारा किया जायेगा।

7.	सभी सेवानिवृत्ति लाभों का भुगतान पैतृक संस्था के नियमों के अनुसार एवं पैतृक संस्था द्वारा किया जायेगा।
8.	ऐसे कार्मिक की अधिवार्षिकी की आयु से 3 माह पूर्व उपरोक्त प्रतिनियुक्ति समाप्त की जाकर कर्मचारी को पैतृक संस्था को लौटा दिया जायेगा।
9.	यदि पैतृक संस्था में छंटनी या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लागू की जाती है तो ऐसे प्रतिनियुक्ति कर्मचारी को पैतृक संस्था को लौटाना होगा। जिससे संस्था उसे स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति दे अथवा छंटनी कर सकेगी।
10.	यदि पैतृक संस्था को बन्द/समाप्त किया जाता है तो प्रतिनियुक्ति कर्मचारी को पैतृक संस्था को लौटा दिया जायेगा।
11.	यह प्रतिनियुक्ति केवल एक वर्ष के लिये ही मान्य होगी

इन कार्मिकों को वेतन एवं भत्तों का भुगतान इनके द्वारा अन्तिम वेतन भुगतान प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर, उसके अनुरूप ही किया जायेगा।

आपको आबंटित कर्मचारियों की शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम स्नातक होनी चाहिए, यह सुनिश्चित कर लें।

संलग्न :- सूची

ह./-

(तारा चन्द)

निदेशक एवं विशिष्ठ शासन सचिव

राजस्थान सरकार

पंचायती राज विभाग

क्रमांक एफ 28()ग्रासे/सभा/सा.नि.वि./आधिक्य/पराविं/प्र.2/2000/4323

जयपुर दिनांक 17.10.2002

अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी,

जिला परिषद,

विषय : सार्वजनिक निर्माण विभाग के आधिक्य कार्य प्रभारित कर्मचारियों को ग्राम सेवक के पद पर सेकेण्डमेन्ट आधार पर पदस्थापन करने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राज्य सरकार द्वारा सार्वजनिक निर्माण विभाग के आधिक्य कार्य प्रभारित कर्मचारी, जो हायर सेकेण्डरी या समकक्ष व उच्च शैक्षणिक योग्यता धारित करते है, को ग्राम सेवक के पद पर सेकेण्डमेन्ट के आधार पर पदस्थापित करने का निर्णय लिया है। तदानुसार संलग्न सूची के कार्मिकों को सैकेण्डमेन्ट आधार पर ग्राम सेवक के रिक्त पदों पर पदस्थापन हेतु आपके जिले को आबंटन किया जाता है। उक्त कर्मचारियों को पंचायत समितियों को आबंटित कर पदस्थापन की सूचना इस विभाग को अविलम्ब भिजवायें।

पदस्थापित किये जाने वाले कर्मचारियों की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता हायर सैकेण्डरी/सीनियर सैकेण्डरी या इसके समकक्ष होना आवश्यक है। कार्यग्रहण करने से पूर्व शैक्षणिक योग्यता की पुष्टि एवं जांच करना सुनिश्चित करें।

उक्त आधिक्य कार्य प्रभारित कर्मचारी ग्राम सेवक के पद पर सैकेण्डमेन्ट (द्वितीय स्थानन) (Secondment) पर कार्यरत माने जावेंगे एवं सेवा निवृत्ति से दो माह पूर्व इनकी सेवायें पैत्रिक विभाग को लौटा दी जावेगी, जहां से उनके पेंशन प्रकरणों का निस्तारण किया जावेगा। इनके वेतन/भत्ते गत भुगतान प्रमाण पत्र के अनुसार व पैत्रिक विभाग की व्यवस्था अनुसार/नियमानुसार पंचायत समितियों से दिये जायेंगे।

आज्ञा से,

संलग्न : कार्मिकों की सूची

ह./-

(एन.एल. मीना)

शासन उप सचिव (प्र. 2)

उनके पैत्रिक विभाग द्वारा की जावेगी।

विभागीय निर्देशों की प्रतियां संलग्न है।

बीकानेर जिला परिवहन कार्यालय द्वारा जब्त वाहन

242. श्री रामचन्द्र जारोड़ा (नागौर) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला परिहवन कार्यालय, बीकानेर में गत 01 जनवरी, 2006 से 15 फरवरी, 2006 तक कुल कितने वाहन किन-किन नियमों के तहत व किन-किन कारणों से किस-किस तिथि को जब्त किये गये? जब्त किये गये वाहनों की किस्म व जब्त वाहन किस-किस तारीख को छोड़े गये तथा उनसे वसूल जुर्माने के पेटे प्रत्येक वाहन से कितनी राशि सरकार को प्राप्त हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) जब्त तथा छोड़े गये वाहनों के मालिकों के नाम मय गाड़ी नम्बर के सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला परिवहन कार्यालय, बीकानेर द्वारा 1 जनवरी, 2006 से 15 फरवरी, 2006 तक कुल 182 वाहन जब्त किए गए। यह वाहन जिन कारणों से तथा जिन नियमों के तहत जब्त किए गए तथा जिस तिथि को जब्त किए गए उसका विवरण संलग्न परिशिष्ट-"क" में उपलब्ध है। इन वाहनों से वसूल की गई प्रशमन राशि, इन्हें छोड़े जाने की तारीख तथा वाहन के प्रकार का उल्लेख भी संलग्न परिशिष्ट "क" में उपलब्ध है।

(2) जब्त तथा छोड़े गए वाहनों के मालिकों के नाम मय गाड़ी नम्बर के संलग्न परिशिष्ट "क" में उपलब्ध है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

मुण्डावर (अलवर) उप खण्ड मुख्यालय में निगम बस स्टैण्ड

243. श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री धर्मपाल चौधरी)

(1) क्या सही है कि मुण्डावर सबडिवीजन हैडक्वाटर होने के बावजूद भी कोई बस स्टेण्ड, यात्रियों को बैठने की सुविधा व बसों के खड़े होने का स्थान नहीं है? यदि हां, तो क्या सरकार निगम बस स्टेण्ड एवं उक्त व्यवस्थायें करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या यह सही है कि मुण्डावर से अलवर का रास्ता मुण्डावर से अलवर वाया चेहल है? यदि हां, तो क्या सरकार इस मार्ग पर निगम बसें संचालित कर रही है? यदि हां, तो कितनी? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की कितनी मुण्डावर से देहली-मुण्डावर से अलवर मुण्डावर से जयपुर संचालित हैं सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। निगम की वित्तीय स्थिति को देखते हुये निगम द्वारा मुण्डावर में बस स्टेण्ड एवं यात्री सुविधायें उपलब्ध कराने का फिलहाल कोई विचार नहीं है।

(2) जी हां। मुण्डावर से अलवर वाया पेहल, ततारपुर चौराहा मार्ग है। ततारपुर चौराहा से मुण्डावर तक का मार्ग राष्ट्रीयकृत नहीं है। अलवर से ततारपुर चौराहा की दूरी 30 कि.मी. है व ततारपुर चौराहा से मुण्डावर की दूरी 15 कि.मी., इस

अलवर	**मुण्डावर**	**मुण्डावर**	**अलवर**
1500	1630	1700	1830

प्रकार अलवर से मुण्डावर वाया पेहल मार्ग की कुल दूरी 45 कि.मी. है। इस मार्ग पर न्यायालय आदेश से निम्न प्रकार दैनिक 2 एकल परिचक्र संचालित किये जा रहे हैं :-

(वाया ततारपुर चौराहा-पेहल)

(3) राजस्थान परिवहन निगम की मुण्डावर से दिल्ली व मुण्डावर से जयपुर के लिये पृथक से कोई सीधी बस सेवा संचालित नहीं हैं। अलवर से मुण्डावर 2 बस सेवायें प्रश्न के भाग 2 में अंकितानुसार संचालित है तथा इसके अतिरिक्त 4 परिचक्र

अलवर	**मुण्डावर**	**मुण्डावर**	**अलवर**
1015	1215	1300	1500

(यातायात मंत्री)

निम्नानुसार संचालित है :-

अलवर	मुण्डावर	मुण्डावर	अलवर
1600	1800	0700	0900

1. अलवर से मुण्डावर वाया जिन्दौली-सोरखा-खैरथल

2. अलवर से मुण्डनवाडा वाया जिन्दौली-सोरखा-खैरथल-मुण्डावर

इस प्रकार अलवर से मुण्डावर के लिये निगम द्वारा दैनिक कुल 6 एकल परिचक्रों का संचालन किया जा रहा हैं।

प्रतिबन्धित गोल्डन टोकन योजना का पुनर्संचालन

244. श्री कन्हैया लाल मीणा (बस्सी) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि मालवाहक ट्रकों, गाडियों आदि से अधिक माल होने से व अन्य कारणों से भारी जुर्माना लिया जाता है?

(2) क्या यह भी सही है कि सरकार द्वारा पूर्व में गोल्डन टोकन योजना लागू की गई थी? यदि हां, तो उक्त व्यवस्था को बन्द करने का क्या कारण है? क्या सरकार गोल्डन टोकन योजना वापस चालू करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) माल वाहनों (ट्रकों) द्वारा निर्धारित क्षमता से अधिक माल पाए जाने पर मोटन वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 113 की अवहेलना के अन्तर्गत चैकिंग के दौरान इन वाहनों के विरुद्ध चालान करके उनसे मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 194(ए) के अन्तर्गत 2 टन तक निर्धारित क्षमता से अधिक माल पाए जाने पर रुपये 1000/- एवं 2 टन से अधिक प्रति टन या उसके भाग के लिए रुपये 300/- की प्रशमन राशि लिए जाने के प्रावधान है।

(2) राज्य में भार वाहनों के लिए किसी भी प्रकार की गोल्डन टोकन योजना शुरू नहीं की गई थी परन्तु इन वाहनों के लिए विशेष टोकन योजना शुरू की गई थी

(यातायात मंत्री)

जिसे सामान्यत: भार वाहन स्वामी गोल्डन टोकन योजना के नाम से जानते थे जिसे दिनांक 1.1.2004 से समाप्त कर दिया गया है। भार वाहन स्वामियों द्वारा इस योजना की आड़ में अपने वाहनों में निर्धारित क्षमता से अधिक भार परिवहन करना शुरू करने के परिणामस्वरूप इस योजना को समाप्त किया गया था। सरकार का गोल्डन टोकन योजना पुन: चालू करने का विचार नहीं है।

जयपुर-बीकानेर मार्ग पर संचालित निजी बस सेवा

245. श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की भांति अन्य निजी बसें भी संचालित हैं? यदि हां, तो इन बसों को किस नीति/नियम/शर्तों के तहत अनुमति प्रदान की जाती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा 1 जनवरी, 2004 से 15 फरवरी, 2006 तक निगम की बसों के अलावा अन्य कितनी बसों को किस मार्ग हेतु अनुमति प्रदान की गई?

(3) क्या यह सही है कि बीकानेर से जयपुर की निजी बस मालिकों/ट्रेवल ऐजेन्सियों को प्रदान की जाने वाली अनुमति में बसों की कोई अधिकतम सीमा भी तय की गई हैं? यदि हां, तो कितनी व नहीं, तो क्यों?

(4) क्या यह भी सही है कि बीकानेर-जयपुर के लिए विभिन्न ट्रेवल ऐजेन्सियों/बस मालिकों द्वारा यात्रियों के परिवहन का कार्य किया जा रहा है? यदि हां, तो किस-किस ट्रेवल ऐजेन्सी की किस प्रकार की कितनी-कितनी बसें इस हेतु संचालित हो रही हैं? क्या यह सभी बसें नियमानुसार इस हेतु अनुमति प्राप्त हैं?

(5) क्या उक्त अनुमति प्राप्त बसों को यात्री परिवहन के अलावा अन्य कार्यों की भी अनुमति प्रदान की जाती है? यदि हां, तो किस-किस कार्य हेतु?

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि राज्य में राजस्थान पथ परिवहन निगम की भांति अन्य निजी बसें भी संचालित हो रही हैं। मोटर वाहनों का परिवहन यान के रूप में

(यातायात मंत्री)

संचालन मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत किया जाता है। इस हेतु मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अध्याय V एवं VI में प्रावधान किये गये हैं। अधिनियम की धारा 72 एवं 74 के तहत वाहनों को क्रमश: स्टैज कैरिज एवं संविदा वाहन के अनुज्ञापत्र जारी किये जाने का प्रावधान है। अधिनियम के अध्याय VI में राज्य परिहन उपक्रमों के सम्बन्ध में विशेष उपबन्ध किये गये हैं। इस अध्याय के तहत घोषित राष्ट्रीयकृत मार्गों पर राष्ट्रीयकरण की योजना में वर्णित शर्तों के अधीन केवल राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम को अनुज्ञापत्र जारी कर वाहन संचालन की अनुमति दी जाती है। राष्ट्रीयकृत मार्गों पर निजी क्षेत्र के स्टैज कैरिज वाहनों को अधिकतम 25 कि.मी. तक के प्रतिच्छाद (Overlap) की छूट दी गई है। अराष्ट्रीयकृत मार्गों पर परिवहन निगम एवं निजी क्षेत्र दोनों के द्वारा ही अपने वाहनों पर अनुज्ञापत्र प्राप्त कर वाहन संचालित किये जा सकते हैं।

(2) 1 जनवरी, 2004 से 15 फरवरी, 2006 तक राज्य में मंजिली वाहनों के विभिन्न निजी बस मार्गों के लिए कुल 6391 परमिट जारी किये गए हैं।

(3) जी नहीं। बीकानेर से जयपुर राष्ट्रीयकृत मार्ग है। इस मार्ग पर निजी बस मालिकों की मंजिली यान (stage carriage) के परमिट से कवर्ड वाहनें संचालित नहीं हो सकती। आवश्यकतानुसार इस मार्ग पर मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 88(8) एवं 88(9) के अन्तर्गत संविदा वाहनें संचालित हो सकती हैं। इस मामले में बसों की कोई अधिकतम सीमा तय किए जाने का प्रावधान नहीं हैं। इन बसों की अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं हैं।

(4) बीकानेर-जयपुर के लिए किसी भी ट्रेवल एजेन्सी को यात्रियों के परिवहन के लिए अनुज्ञापत्र जारी नहीं किया गया है। मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 88(9) के तहत पर्यटक अनुज्ञापत्र से कवड्र्स वाहन एवं धारा 88(8) के तहत विशेष अनुज्ञापत्र प्राप्त करने वाला वाहन राष्ट्रीकृत मार्ग पर आवश्यकतानुसार संविदा वाहन के रूप में संचालित किया जा सकता है।

(5) जी नहीं। उक्त बसों में यात्री परिवहन के अलावा अन्य कार्यों की अनुमति

प्रदान नहीं की जाती।

हिण्डौली में विधायक अभिशंसित निर्माण कार्य

246. श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वर्ष 2003-04, 2004-05 व 2005-06 में फरवरी, 2006 तक हिण्डौली विधान सभा क्षेत्र में विधायक कोष से विधायक द्वारा किस-किस ग्राम पंचायत के किस-किस गांव में विकास कार्यों की कितनी-कितनी लागत की किस-किस तारीख को अभिशंसा की?

(2) सरकार द्वारा विधायक द्वारा की गई अभिशंसा के आधार पर किस-किस तारीख को प्रशासनिक, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृतियां जारी की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें तथा कितनी अभिशंसाओं की प्रशासनिक, वित्तीय व तकनीकी स्वीकृति होना बाकी है इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं?

(3) विधायक द्वारा अभिशंसित कार्यों में से कितने कार्य पूर्ण हुए? कितने अधूरे हैं और कितने चल रहे हैं? कितने अभी आरम्भ नहीं हुए हैं और उसके क्या कारण हैं?

(4) विधायक द्वारा अभिशंसित कार्यों में से कितनों के उपयोगिता प्रमाण-पत्र जारी किये गये? कितने उपयोगिता प्रमाण-पत्र बाकी हैं? यह कब तक जारी कर दिये जावेंगे? किस-किस कार्य का कितना-कितना मूल्यांकन किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला परिषद् बून्दी से प्राप्त सूचनाओं के अनुसार वर्ष 2003-04, 2004-05 एवं 2005-06 में फरवरी, 2006 तक हिण्डौली विधान सभा क्षेत्र में विधायक कोष से माननीय विधायक द्वारा जिन कार्यों की अभिशंसा की हैं उन कार्यों के गांव/ग्राम पंचायत/अभिशंसा की तारीख व लागत राशि का विवरण संलग्न परि. "अ", "ब" एवं "स" के कालम संख्या क्रमश: 2,3,4 व 5 पर वर्णितानुसार हैं।

(2) माननीय विधायक महोदय की अभिशंसा के आधार पर कार्यों की

(ग्रामीण विकास मंत्री)

प्रशासनिक, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति संलग्न परि. "अ", "ब" एवं "स" के कालम संख्या 7, 9, व 11 पर अंकित तिथि अनुसार जारी की गई है। माननीय विधायक द्वारा अभिशंसित 28 कार्यों की तकनीकी स्वीकृति ग्रामीण बी.एस.आर. संशोधन नहीं होने के कारण जारी नहीं हो सकी। तकनीकी स्वीकृति के अभाव में वित्तीय स्वीकृति भी जारी नहीं हो सकी है। एक कार्य शहीद रामकल्याण स्मारक के विकास का कार्य बून्दी विधान सभा क्षेत्र से बाहर होने के कारण स्वीकृत नहीं किया गया।

(3) माननीय विधायक द्वारा अभिशंसित 273 कार्यों में से 219 कार्य पूर्ण हुये हैं। 18 कार्य अपूर्ण/प्रगतिरत है। 7 कार्य प्रारम्भ नहीं हुये हैं। जिनके कारण संलग्न परिशिष्ट "अ" "ब", एवं "स" के कालम संख्या 13 पर वर्णितानुसार हैं।

(4) माननीय विधायक द्वारा अभिशंसित कार्यों में से 190 कार्यों के उपयोगिता प्रमाण पत्र जारी किये गये। 21 कार्यों के उपयोगिता प्रमाण पत्र बाकी हैं जिनकी कार्यवाही प्रक्रियाधीन हैं। जिन कार्यों का मूल्यांकन किया गया हैं उनका विवरण परि- "अ", "ब" एवं "स" के कालम संख्या 15 पर अंकितानुसार हैं।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

जयपुर जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा पंचायत समितियों को स्वीकृत राशि

247. श्री नवरतन राजोरिया (फुलेरा) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, जयपुर द्वारा वित्तीय वर्ष 2004-05 व 2005-06 में किस-किस पंचायत समिति को कितनी-कितनी राशि किस-किस मद में स्वीकृत की गई? पंचायत समितिवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त पंचायत समितियों द्वारा स्वीकृत राशि में से कितनी-कितनी राशि किस-किस मद में व्यय की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों का जिला परिषद में विलय हो चुका है।

(ग्रामीण विकास मंत्री)

वर्तमान में ये जिला परिषद् में ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ के रूप में अस्तित्व में है। जिला परिषद् (ग्रा.वि. प्रकोष्ठ) जयपुर द्वारा वित्तीय वर्ष 2004-05 एवं वर्ष 2005-06 (माह जनवरी, 2006 तक) में विभिन्न पंचायत समितियों को स्वीकृत राशि का पंचायत समितिवार विवरण क्रमश: परिशिष्ट-1 व 2 पर उपलब्ध है।

(2) उक्त पंचायत समितियों द्वारा विभिन्न योजनान्तर्गत स्वीकृत राशि में से मदवार व्यय राशि का विवरण वर्ष 2004-05 एवं 2005-06 (माह जनवरी, 2006 तक) का विवरण क्रमश: परिशिष्ट-1 व 2 पर उपलब्ध है।

परिशिष्ट-1

विभिन्न योजनाओं में स्वीकृत एवं व्यय राशि का विवरण वर्ष 2005-06

क्र. सं.	पंचायत समिति का नाम	सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना		विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना		इन्दिरा आवास योजना		सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना		प्रधानमंत्री ग्रामोदय (आवास) योजना		मरू विकास कार्यक्रम		गुरूगोवलकर योजना	
		स्वीकृत राशि	व्यय राशि	स्वीकृत राशि	व्यय राशि	स्वीकृत राशि	व्यय राशि	स्वीकृत राशि	व्यय राशि	स्वीकृत राशि	व्यय राशि	स्वीकृत राशि	व्यय राशि	स्वीकृत राशि	व्यय राशि
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**
1.	आमेर	14.75	6.35	45.80	20.20	47.36	22.80	78.69	41.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	बस्सी	3.45	0.00	13.38	0.60	33.45	17.76	87.19	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.19	0.00
3.	चाकसू	42.34	10.85	25.60	9.66	39.87	31.63	61.98	46.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.94	0.40
4.	दूदू	24.36	7.35	63.48	10.95	57.25	27.60	74.13	54.44	0.00	0.00	69.00	137.10	0.00	0.00
5.	गोविन्दगढ़	14.15	7.35	45.50	20.33	46.87	21.82	68.29	41.83	0.00	0.00	0.00	0.00	24.38	19.53
6.	जमवारामगढ़	14.80	5.65	35.93	0.00	55.28	26.80	92.69	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	11.00
7.	झोटवाडा	14.00	1.50	12.90	5.64	14.00	6.55	24.66	14.25	0.00	0.00	0.00	0.00	4.45	2.00
8.	कोटपूतली	11.00	0.00	30.20	17.38	38.00	18.10	64.67	49.91	0.00	0.00	0.00	0.00	1.58	1.00
9.	फागी	41.00	5.20	18.88	4.21	23.75	12.80	44.39	32.45	0.00	0.00	0.00	0.00	9.53	4.90

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
10.	सांभर	12.45	7.76	20.48	0.00	47.00	21.81	49.94	32.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	सांगानेर	29.65	2.00	0.00	0.00	20.75	8.43	38.54	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.24	0.00
12.	शाहपुरा	13.50	5.30	27.85	9.39	26.63	12.50	43.87	34.40	0.00	0.00	0.00	0.00	28.93	18.10
13.	विराटनगर	19.38	1.99	52.93	27.45	37.13	16.82	55.13	37.69	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00
Total		**255.10**	**61.30**	**392.93**	**125.81**	**487.32**	**245.42**	**784.16**	**548.38**	**0.00**	**0.00**	**69.00**	**137.10**	**102.24**	**56.93**

परिशिष्ट-2

विभिन्न योजनाओं में स्वीकृत एवं व्यय राशि का विवरण वर्ष 2004-05

क्र. सं.	पंचायत समिति का नाम	सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना		विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना		इन्दिरा आवास योजना		सम्पर्ण ग्रामीण रोजगार योजना		प्रधानमंत्री ग्रामोदय (आवास) योजना		मरू विकास कार्यक्रम	
		स्वीकृत राशि	व्यय राशि	स्वीकृत राशि	व्यय राशि	स्वीकृत राशि	व्यय राशि	स्वीकृत राशि	व्यय राशि	स्वीकृत राशि	व्यय राशि	स्वीकृत राशि	व्यय राशि
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**
1.	आमेर	7.50	6.60	31.95	24.32	25.00	24.64	95.19	112.31	12.50	11.81	0.00	0.00
2.	बस्सी	0.00	0.00	35.50	33.90	15.00	13.50	72.25	81.00	0.62	0.60	0.00	0.00
3.	चाकसू	2.00	2.00	59.05	57.89	16.24	16.73	95.00	96.72	1.25	1.25	0.00	0.00
4.	दूदू	0.00	0.00	59.05	49.11	32.50	31.50	65.90	57.97	3.00	2.75	164.49	123.69
5.	गोविन्दगढ़	21.09	19.57	52.46	50.48	21.00	22.63	80.98	91.17	4.19	4.17	0.00	0.00
6.	जमवारामगढ़	3.46	3.16	22.85	16.09	24.63	24.00	80.81	70.34	1.90	1.80	0.00	0.00
7.	झोटवाडा	0.00	0.00	4.50	3.49	9.28	8.38	24.37	30.29	4.19	3.56	0.00	0.00
8.	कोटपूतली	6.50	5.25	20.35	20.13	13.50	13.62	54.11	67.99	1.70	1.25	0.00	0.00
9.	फागी	0.00	0.00	28.88	23.43	15.14	14.44	45.36	50.93	0.25	0.52	0.00	0.00
10.	सांभर	0.00	0.00	13.85	6.78	18.50	18.93	51.12	55.75	2.63	2.78	0.00	0.00
11.	सांगानेर	22.00	13.50	9.00	0.00	7.75	8.00	38.49	49.32	0.50	0.38	0.00	0.00
12.	शाहपुरा	5.00	4.89	20.35	19.14	14.88	12.60	42.84	43.53	0.58	1.17	0.00	0.00
13.	विराटनगर	4.00	3.99	10.17	5.14	11.88	12.23	45.91	51.50	0.93	0.68	0.00	0.00
	Total	**71.55**	**58.96**	**367.96**	**309.90**	**225.28**	**221.19**	**792.33**	**858.82**	**34.22**	**32.71**	**164.49**	**123.39**

पाली जिले में गुरु गोलवलकर योजनान्तर्गत प्राप्त प्रस्ताव

248. श्री खुशवीर सिंह (खारची) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) गुरू गोलवलकर योजना क्या है? यह योजना राज्य में कब से लागू की गई, इस योजना के तहत क्या-क्या कार्य करवाये जा सकते हैं? इस योजना में कितनी राशि की जनसहभागिता होनी चाहिये?

(2) इस योजनान्तर्गत पाली जिले में दिनांक 10 फरवरी, 2006 तक कितने प्रस्ताव कब-कब आये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) गुरु गोलवलकर जनभागीदारी विकास योजना ग्रामीण क्षेत्रों में विकास एवं रोजगार सृजन तथा सामुदायिक परिसम्पत्तियों के निर्माण एवं रखरखाव में स्थानीय समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करने की योजना है।

यह योजना राज्य में वर्ष 2004-05 से प्रारम्भ की गयी।

इस योजना के तहत स्थानीय समुदाय के लाभ एवं उपयोगिता का कोई भी कार्य कराया जा सकता है, जिससे सामुदायिक परिसम्पत्तियों का सृजन हो एवं गांव में त्वरित आर्थिक एवं सामाजिक विकास का मार्ग प्रशस्त हो।

इस योजना के तहत सामान्य क्षेत्र में न्यूनतम 30 प्रतिशत राशि एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति बाहुल्य क्षेत्र में न्यूनतम 20 प्रतिशत राशि नकद या सामग्री व श्रम के रूप में उपलब्ध कराने का प्रावधान है।

(2) जिला परिषद् पाली से प्राप्त सूचना के अनुसार गुरू गोलवलकर जनभागीदारी विकास योजनान्तर्गत पाली जिले में दिनांक 10 फरवरी, 2006 तक कुल 101 कार्यों के प्रस्ताव परिशिष्ट-1 के कालम 3 में अंकित तिथि को प्राप्त हुए। विवरण परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

किशनगंज व शाहबाद पंचायत समिति में भू-संरक्षण कार्य

249. श्री हेमराज मीणा (किशनगंज) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) पंचायत समिति किशनगंज व शाहबाद में गत 2 वर्षों में कहां-कहां भू-संरक्षण के कार्य कितनी लागत के हुये? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) पंचायत समिति शाहबाद में उक्त कार्यों हेतु कौन-कौन से क्षेत्र व गांव चयनित किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि भू-संरक्षण कार्यों की स्वीकृति के लिये सरकार द्वारा कमेटी बनाई गई है? यदि नहीं, तो क्यों?

(4) पंचायत समिति किशनगंज एवं शाहबाद में भू-संरक्षण के कौन-कौन से कार्यों पर कितनी राशि व्यय की गई? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) गत दो वर्षों में पंचायत समिति किशनगंज में 14 जलग्रहण परियोजनाओं के तहत रुपये 205.05 लाख तथा पंचायत समिति शाहबाद में 23 जलग्रहण परियोजनाओं के तहत रुपये 125.15 लाख लागत के भू संरक्षण कार्य करवाये गये। जलग्रहण परियोजनावार विवरण परिशिष्ट "अ" पर प्रस्तुत है।

(2) पंचायत समिति शाहबाद में उक्त कार्यों हेतु चयनित क्षेत्र तथा गांव का विवरण परिशिष्ट "ब" पर प्रस्तुत है।

(3) जी हां।

(4) पंचायत समिति किशनगंज एवं शाहबाद में भू-संरक्षण कार्यों पर व्यय की गई राशि का विवरण परिशिष्ट "स" पर प्रस्तुत है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

परिशिष्ट-1

(तारांकित प्रश्न संख्या –128 का विवरण

डाकघर द्वारा की गई पेंशन भुगतान का तहसीलवार विवरण

माह	सिरोही			रेवदर			शिवगंज			आबूरोड			पिण्डवाडा		
	विधवा	विकलांग	वृद्धावस्था	विधवा	विकलांग	वृद्धावस्था	विधवा	विकलांग	वृद्धावस्था	विधवा	विकलांग	वृद्धावस्था	विधवा	विकलांग	वृद्धावस्था
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
जनवरी, 2005	21.2.05	9.2.05	4.2.05	25.2.05	25.2.05	25.2.05	29.3.05 30.3.05	24.3.05	10.2.05 18.2.05	12.2.05	10.2.05	24.2.05	2.2.05 3.2.05 4.2.05 5.2.05 7.2.05 8.2.05	12.2.05	12.2.05 16.2.05 17.2.05 18.2.05 22.2.05
फरवरी, 2005	21.3.05	14.3.05	12.3.05 14.3.05	18.3.05	18.3.05	18.3.05	29.3.05 30.3.05	24.3.05	21.3.05 23.3.05	9.3.05	4.3.05	12.3.05	3.3.05 4.3.05 9.3.05 10.3.05 11.3.05 15.3.05	16.3.05	17.3.05 21.3.05 29.3.05
मार्च, 2005	28.4.05	28.4.05	25.4.05	20.4.05	20.4.05	12.4.05	9.6.05 10.6.05	6.5.05	23.4.05	6.4.05	6.4.05	9.4.05	14.6.05 18.6.05 22.6.05 23.6.05 24.6.05	3.6.05	13.5.05 4.6.05 6.6.05 7.6.05 13.6.05 16.6.05 17.6.05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
अप्रैल, 2005	21.6.05	27.5.05	27.5.05	17.5.05	17.5.05	9.5.05	9.6.05 10.6.05	6.6.05	3.6.05	19.5.05	17.6.05	14.5.05	14.6.05 18.6.05 22.6.05 23.6.05 24.6.05	3.6.05	13.5.05 4.6.05 6.6.05 7.6.05 13.6.05 16.6.05 17.6.05
मर्इ, 2005	1.6.05	11.7.05	8.6.05	12.7.05	17.6.05	17.6.05	10.9.05	23.6.05	24.6.05 28.6.05	17.6.05	13.6.05	18.6.05	14.6.05 18.6.05 22.6.05 23.6.05 24.6.05	3.6.05	13.5.05 4.6.05 6.6.05 7.6.05 13.6.05 16.6.05 17.6.05
जून, 2005	5.7.05	2.7.05	25.7.05	12.7.05	19.7.05	20.7.05	10.9.05	13.9.05	16.9.05	16.8.05	14.7.05	14.7.05	19.7.05 20.7.05 21.7.05 22.7.05 28.7.05 25.7.05	6.7.05	7.7.05 8.7.05 13.7.05 15.7.05 16.7.05
जुलाई, 2005	1.8.05 5.8.05	1.8.05	5.8.05	16.9.05	8.9.05	13.9.05	10.9.05	13.9.05	16.9.05	16.8.05	1.9.05	13.9.05	3.9.05 6.9.05 9.9.05 12.9.05 13.9.05	1.8.05	2.8.05 3.8.05 4.8.05 5.8.05 8.8.05
अगस्त, 2005	9.9.05	1.9.05	9.9.05 12.9.05 20.9.05	16.9.05	8.9.05	13.9.05	10.9.05	13.9.05	16.9.05	20.9.05	1.9.05	13.9.05	3.9.05 6.9.05 9.9.05 12.9.05 13.9.05	28.9.05	21.9.05 22.9.05 23.9.05 26.9.05 27.9.05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
सितम्बर, 2005	22.10.05	22.10.05	14.10.05	20.10.05	8.10.05	18.10.05	17.10.05	18.10.05	17.10.05 18.10.05	7.10.05	5.10.05	13.10.05	7.10.05 17.10.05 20.10.05 25.10.05 26.10.05 27.10.05	26.10.05	26.10.05 27.10.05
अक्टूबर, 2005	17.11.05 21.11.05	21.11.05	17.11.05	17.11.05	9.11.05	11.11.05	11.11.05	18.11.05	12.11.05 14.11.05	16.11.05	3.11.05	11.11.05	22.11.05 24.11.05 25.11.05	18.11.05	12.11.05 16.11.05 19.11.05
नवम्बर, 2005	26.12.05	26.12.05	22.12.05 26.12.05	2.12.05	3.12.05	5.12.05	6.12.05	6.12.05	7.12.05	17.12.05	5.12.05	7.12.05	21.12.05 23.12.05 26.12.05 27.12.05	16.12.05	10.12.05 15.12.05 16.12.05
दिसम्बर, 2005	6.1.05	4.1.06	4.1.06 6.1.06	3.1.06	2.1.06	2.1.06	2.1.06 5.1.06	2.1.06	5.1.06	6.1.06	4.1.06	9.1.06	12.1.06 14.1.06 16.1.06 17.1.06	10.1.06	7.1.06 9.1.06

परिशिष्ट-2

(तारांकित प्रश्न संख्या-130 की सूचना)

क्र. सं.	शिकायकर्ता का नाम	उ.मू.दु. का नाम जिसकी शिकायत है	सेन्टर का नाम	जांच की तिथि	प्रकरण दर्ज व की गई कार्यवाही
1.	श्री शिवनाथ सिंह भाजपा नेता	राज्य श्री, गुढाजगमालोता	गुढा जगमालोता	12.1.06	विभागीय प्रकरण संख्या 23/06 अन्तर्गत प्राधिकार पत्र निलम्बित किया गया।
	पायी गई अनियमितताऐं	1. राशन कार्डस में केरोसीन मात्रा अंकन नहीं की गई केवल तारीख का ही अंकन किया गया है। 2. मौके पर प्राधिकार पत्र नहीं दिया मासीकनक्श पेश नहीं किये। 3. सूचना पट्ट पर केरोसीन की आवक एवं स्टाक का अंकन नहीं पाया गया। 4. राशन कार्डो का यूनिट रजिस्टर नहीं बना कर केरोसीन का वितरण किया।			
क्र. सं.	**शिकायकर्ता का नाम**	**उ.मू.दु. का नाम जिसकी शिकायत है**	**सेन्टर का नाम**	**जांच की तिथि**	**प्रकरण दर्ज व की गई कार्यवाही**
2.	श्री शिवनाथ सिंह भाजपा नेता	प्रेमसुख	लंगौड	9.1.06	विभागीय प्रकरण संख्या 24/06 दर्ज कर कार्यवाही प्रारम्भ की गई।
	पायी गई अनियमितताऐं	1. राशन कार्डो का यूनिट रजिस्टर नहीं बना कर केरोसीन का वितरण किया।			

<table>
<tr><th>क्र. सं.</th><th>शिकायतकर्ता का नाम</th><th>उ.मू.दु. का नाम जिसकी शिकायत है</th><th>सेन्टर का नाम</th><th>जांच की तिथि</th><th>प्रकरण दर्ज व की गई कार्यवाही</th></tr>
<tr><td rowspan="2">3.</td><td>श्री शिवनाथ सिंह भाजपा नेता</td><td>लालसिंह</td><td>आन्तरोली कलां</td><td>10.1.06</td><td rowspan="2">विभागीय प्रकरण संख्या 25/06 अन्तर्गत प्राधिकार पत्र निलम्बित किया गया।</td></tr>
<tr><td>पायी गई अनियमितताऐं</td><td colspan="3">1. प्राधिकार पत्र मौके पर नहीं पाया गया।
2. राशन कार्डों का यूनिट रजिस्टर नहीं बना कर केरोसीन का वितरण किया।
3. सूचना पट्ट पर केरोसीन की आवक एवं स्टाक का अंकन नहीं पाया गया।</td></tr>
<tr><td>क्र. सं.</td><td>शिकायतकर्ता का नाम</td><td>उ.मू.दु. का नाम जिसकी शिकायत है</td><td>सेन्टर का नाम</td><td>जांच की तिथि</td><td>प्रकरण दर्ज व की गई कार्यवाही</td></tr>
<tr><td rowspan="2">4.</td><td>श्री शिवनाथ सिंह भाजपा नेता</td><td>ओमप्रकाश</td><td>मौरेड़ी चाचा</td><td>7.1.06</td><td rowspan="2">विभागीय प्रकरण संख्या 26/06 दर्ज कर कार्यवाही प्रारम्भ की गई।</td></tr>
<tr><td>पायी गई अनियमितताऐं</td><td colspan="3">1. राशन कार्डों का यूनिट रजिस्टर नहीं बना कर केरोसीन का वितरण किया।
2. सूचना पट्ट पर केरोसीन की आवक एवं स्टाक का अंकन नहीं पाया गया।</td></tr>
</table>

क्र. सं.	शिकायकर्ता का नाम	उ.मू.दु. का नाम जिसकी शिकायत है	सेन्टर का नाम	जांच की तिथि	प्रकरण दर्ज व की गई कार्यवाही
5.	श्री शिवनाथ सिंह भाजपा नेता	गणपत लाल	मौरेड़ी चाचा	7.1.06	विभागीय प्रकरण संख्या 27/06 दर्ज कर कार्यवाही प्रारम्भ की गई।
	पायी गई अनियमितताऐं	1. मौके पर प्राधिकार पत्र नहीं पाया गया। 2. स्टाक रजिस्टर में केरोसीन तेल का 23.12.05 तक इन्द्राज पाया गया। 3. राशन कार्डों का यूनिट रजिस्टर नहीं बना कर केरोसीन का वितरण किया। 4. छात्रों को केरोसीन सूची के आधार पर दिया जाना पाया। केरोसीन तेल का इन्द्राज परिचय पत्र/दस्तावेज पर नहीं किया जाता है।			
क्र. सं.	**शिकायकर्ता का नाम**	**उ.मू.दु. का नाम जिसकी शिकायत है**	**सेन्टर का नाम**	**जांच की तिथि**	**प्रकरण दर्ज व की गई कार्यवाही**
6.	श्री शिवनाथ सिंह भाजपा नेता	भंवर सिंह	रेवत	9.1.06	विभागीय प्रकरण संख्या 28/06 दर्ज कर कार्यवाही प्रारम्भ की गई।
	पायी गई अनियमितताऐं	1. केरोसीन की मूल्य सूची का प्रदर्शन नहीं किया पाया। 2. राशन कार्डों में केरोसीन देने की तिथि का अंकन नहीं करना पाया गया।			

क्र. सं.	शिकायतकर्ता का नाम	उ.मू.दु. का नाम जिसकी शिकायत है	सेन्टर का नाम	जांच की तिथि	प्रकरण दर्ज व की गई कार्यवाही
7.	श्री शिवनाथ सिंह भाजपा नेता	राजुराम	कितलसर	10.1.06	विभागीय प्रकरण संख्या 29/06 दर्ज कर कार्यवाही प्रारम्भ की गई।
	पायी गई अनियमितताऐं	1. केरोसीन के मूल्य एवं स्टाक सूची का प्रदर्शन नहीं किया जाना पाया। 2. आमद व वितरण के मासिक नक्शों की प्रतियां मौके पर नहीं बतायी गई। 3. राशन कार्डो का यूनिट रजिस्टर मौके पर पेश नहीं किया गया।			
क्र. सं.	**शिकायतकर्ता का नाम**	**उ.मू.दु. का नाम जिसकी शिकायत है**	**सेन्टर का नाम**	**जांच की तिथि**	**प्रकरण दर्ज व की गई कार्यवाही**
8.	श्री शिवनाथ सिंह भाजपा नेता	गणपत लाल (अस्थाई)	झगड़वास	9.1.06	विभागीय प्रकरण संख्या 30/06 दर्ज कर कार्यवाही प्रारम्भ की गई।
	पायी गई अनियमितताऐं	1. वितरण रजि. में यूनिट रजि. नम्बर नहीं लिखना पाया गया तथा यूनिट रजिस्टर नहीं बनाया। 2. मौके पर मासिक नक्शों की प्रतियां पेश नहीं की। 3. वितरण रजि. में कई जगह राशन कार्ड नम्बर दर्ज नहीं पाया।			

क्र. सं.	शिकायकर्ता का नाम	उ.मू.दु. का नाम जिसकी शिकायत है	सेन्टर का नाम	जांच की तिथि	प्रकरण दर्ज व की गई कार्यवाही
9.	श्री शिवनाथ सिंह भाजपा नेता	बृजमोहन (अस्थाई)	गोनेरड़ा	10.1.06	विभागीय प्रकरण संख्या 32/06 दर्ज कर कार्यवाही प्रारम्भ की गई।
	पायी गई अनियमितताऐं	1. राशन कार्डों का यूनिट रजिस्टर नहीं बना कर केरोसीन का वितरण किया। 2. मौके पर प्राधिकार पत्र नहीं पाया गया।			

क्र. सं.	शिकायकर्ता का नाम	उ.मू.दु. का नाम जिसकी शिकायत है	सेन्टर का नाम	जांच की तिथि	प्रकरण दर्ज व की गई कार्यवाही
10.	श्री शिवनाथ सिंह भाजपा नेता	बृजमोहन	पून्दलौता	10.1.06	विभागीय प्रकरण संख्या 33/06 दर्ज कर कार्यवाही प्रारम्भ की गई।
	पायी गई अनियमितताऐं	1. राशन कार्डों का यूनिट रजिस्टर नहीं बना कर केरोसीन का वितरण किया। 2. मौके पर प्राधिकार पत्र पेश नहीं किया गया।			

क्र. सं.	शिकायकर्ता का नाम	उ.मू.दु. का नाम जिसकी शिकायत है	सेन्टर का नाम	जांच की तिथि	प्रकरण दर्ज व की गई कार्यवाही
11.	श्री शिवनाथ सिंह भाजपा नेता	कैलाशचन्द्र	निम्बडी कलां	10.1.06	विभागीय प्रकरण संख्या 34/06 दर्ज कर कार्यवाही प्रारम्भ की गई।
	पायी गई अनियमितताऐं	1. राशन कार्डों का यूनिट रजिस्टर नहीं बना कर केरोसीन का वितरण किया।			

क्र. सं.	शिकायकर्ता का नाम	उ.मू.दु. का नाम जिसकी शिकायत है	सेन्टर का नाम	जांच की तिथि	प्रकरण दर्ज व की गई कार्यवाही
12.	श्री शिवनाथ सिंह भाजपा नेता	हरिप्रसाद	राजलोता	10.1.06	विभागीय प्रकरण संख्या 35/06 दर्ज कर कार्यवाही प्रारम्भ की गई।
	पायी गई अनियमितताऐं	1. राशन कार्डों का यूनिट रजिस्टर नहीं बना कर केरोसीन का वितरण किया।			

ह./-
जिला रसद अधिकारी
नागौर